लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Unit
4-8-92
Fumigated
On 3..2..84
Parliament Library

[खंड 39 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXIX Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 36, सोमवार, 13 अप्रैल, 1970/23 चैत्र 1892 (शक)

No. 36, Monday, April, 13, 1970/Chaitra 23, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर | **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
961 भारत कृषक समाज के लेखों की जांच	Inquiry into accounts of Bharat Kriskak Samaj	1-3
962 विदेशी पूंजी का भारतीयकरण	Indianisation of Foreign Capital	3-8
963 बर्मा आयल कम्पनी और आयल इण्डिया लिमिटेड के सहयोग करार में संशोधन का प्रस्ताव	Proposal for revision of Collaboration agreement with Burmah oil company vis-a-vis Oil India Ltd.	8-9
964 राजस्थान को वर्ष 1970-71 के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता	Financial assistance to Rajasthan to meet the deficit in State Budget for the year 1970-71	9-13
965 पंजाब तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा कृषि धन कर का विरोध	Opposition to Agriculture Wealth Tax by Punjab and other State Governments	13-17
966 बम्बई में सांताक्रुज हवाई अड्डे पर सोना तथा आभूषण जब्त किये जाना	Seizure of Gold and jewels at Santa Cruz Airport, Bombay	17-18
अल्प सूचना प्रश्न	Short Notice Questions	
18 अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल निक्षेप	Oil Deposits in Ankleshwar oilfields	18-45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written answers to questions	
ता० प्र० सं०		
S. Q Nos.		
967 महात्मा गांधी के विशेष सिक्के जारी करना	Issuing of special Mahatma Gandhi Coins	45-46

---

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+ marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
968.	संभरण तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन	Revision of the prices of articles supplied through D. G. S. &. D.	46
969	ग्रामीण क्षेत्रों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा दी गई सुविधाएं	Facilities provided by I. O. C. for meeting fuel requirements of rural areas	46-47
970	मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री डी० पी० मिश्र द्वारा अपने चुनाव पर किये गये व्यय का स्त्रोत	Source of expenditure incurred by Shri D. P. Mishra, former Chief Minister, Madhya Pradesh on his election	47
971	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised colonies in Delhi	48
972	18 गेज की आयातित इस्पात चादरों के बदले में हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों का सम्भरण	Supply of barrels to I. O. C. by Hind Galvanising and Engineering Co. against supply of imported 18 gauge steel sheets	48-49
973	तरल पेट्रोलियम गैस के औद्योगिक तथा कृषि, उपयोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training programme for industrial and Agricultural Application of liquid Petroleum Gas	49
974	ग्लोब फाइनेंस कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही	Action against Globe Finance Company	49-50
975	पलाई सैंट्रल बैंक के जमाकर्त्ताओं को लाभांश का भुगतान	Dividend paid to depositors of Palai Central Bank	50-51
976	दिल्ली और बम्बई में विभिन्न फर्मों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of Taxes by various firms in Delhi and Bombay	51
977	रासायनिक पदार्थों का आयात	Import of Chemical Products	51-52
978	नेपाली गांजे का पकड़ा जाना	Seizure of Nepali Ganja	52
979	हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन को सप्लाई किये गये ढोलों (बैरलों) की संख्या	Number of Barrels supplied by Hind Galvanising and Engineering Co. to I. O. C.	52-53
980	ओखला पम्पिंग स्टेशन (दिल्ली)	Okhla pumping station (Delhi)	53-54
981	दिल्ली में जल दूषण के मामले	Cases of water pollution in Delhi	54
982	देश में नेफथा की मांग	Naphtha requirement in the country	54-55
983	उपभोक्ता वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत	Per capita consumption of consumer Goods	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं०		
S. Q. Nos.		
984 थोक मूल्यों के सूचकांक के लिये आधार वर्ष में परिवर्तन	Change in Base Year of Index Number of Wholesale prices	56-57
985 रिंग रोड साउथ एक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली के मकानों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाना	Use of Houses for commercial purposes on Ring Road S. E. Area, New Delhi	57-58
986 राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family planning programme in Rajasthan	58
987. नागरिक के लिये अधिक अच्छी चिकित्सा सुविधायें	Better Medical faciliries to the Citizens	58-59
988 आसाम में नदी जल मार्गों से तेल की ढुलाई	Handing of oil Cargoes on River Routes in Assam	59
989 आयकर विधियों में संशोधन	Amendment in Income Tax Laws	59-60
990 नैवेली (तमिल नाडु) में दूसरी खान काटना	Second Mine cut at Neyveli (Tam'l Nadu)	60
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
6029 इटावा में प्लास्टिक केन्द्र का बन्द होना	Closure of Plastic Centre in Etawah	60-61
6030 पेंसिलिन तथा अन्य प्रति जीवाणु औषधियों की प्रतिक्रिया	Reaction of penicillin and other antibioties	61
6031 सरकारी इमारतों की सजावट सम्बन्धी समिति	Committee on decoration of public buildings	61-62
6032. इंडियन आयल तथा उसके उत्पादकों की एजेंसियों का अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण	Reservation of Agencies in Indian Oil and its products for Scheduled Castes	62
6033 हरियाणा में करों का अपवंचन	Tax evaders in Haryana	62
6034 दिल्ली में निरोध के विज्ञापन पट्टों का प्रदर्शन	Display of hoardings for Nirodh in Delhi	63
6035 महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में शक्तिचालित करघों के मालिकों को दिया गया ऋण	Loan given to powerloom owners in the States of Maharashtra and Madhya Pradesh	63

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos		
6036 मध्य प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects in Madhya Pradesh	63-64
6037 मध्य प्रदेश द्वारा जमा राशि से अधिक राशि निकालना	Ovedraft by Madhya Pradesh	64
6038 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा के लिये भर्ती	Recruitment for Central Engineering Service in C. P. W. D.	64-65
6039 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती बन्द करना	Stoppage of direct recruitment in C. P. W. D	65
6040 दयानन्द कालोनी, नई दिल्ली	Dayanand Colony, New Delhi	65-66
6041 1970-71 में केन्द्रीय सरकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Government Accommodations for Class III and IV of the Central Government Employees during 1970-71	66-67
6042 सरकारी आवास पर दबाव कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Central Government Employees to relieve pressure on Government accommodation	67
6043 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अविलम्ब आवश्यकता के मामलों में वेतन की कुछ राशि का अग्रिम भुगतान	Advances from Salaries in cases of emergency to Central Government Employees	67
6044 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सैक्शनल अधिकारियों के लिए स्कूटर भत्ता	Scooter allowance to sectional officers in C. P. W. D.	67-68
6045 केन्द्रीय निर्माण मंत्रालय की स्थापना	Creation of Central Ministry of Construction	68-69
6046 नार्थ और साउथ एवेन्यु नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को नौकरों के क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of servant quarters to C. P. W. D. Employees in North and South Avenues, New Delhi	69
6047 सरकारी मुद्राणालय, नासिक में भर्ती सम्बन्धी नीति	Recruitment policies in Government Press, Nasik	69
6048 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ए० ई० एस० और ए० ई० ई० एस० श्रेणी 2 के ग्रेड में भर्ती	Recruitment to the Grade of AES and AEES class II C. P. W. D.	70

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6049	तामिल नाडु में भवन निर्माण सामग्री को बनाने वाले कारखाने को स्थापना	Setting Up of Factory in Tamil Nadu for the Manufacture of Building Materials	70-71
6050	मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा लाइलाज रोगों से ग्रस्त लोगों की नसबन्दी	Sterlisation of mentally deranged persons and those suffering from incurable diseases	71
6051	विदेश यात्राओं के लिये विदेशो मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange for travels abroad	71-72
6052	दिल्ली-शाहदरा क्षेत्र में सहकारी गृह निर्माण समितियों के नये सदस्य बनाने के बारे में निदेश	Directive to the Co-operative House BuildingSocieties in Delhi-Shahdra area about enrolment of new Members	72
6053	विदेशों में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in Foreign countries	73
6054	प्रीतनगर सहकारी गृह निर्माण समिति	Preet Nagar Co-operative House Building Society, Delhi	73
6055	प्रीतनगर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली	Preet Nagar Co-operative House Building Society, Delhi	73-74
6056	दिल्ली तथा शाहदरा क्षेत्र में रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति को भूमि का आवंटन	Allotment of land to the Railway Board's Employees cooperative society in Delhi-Shahdara area	74
6057	गुजरात में बाल चिकित्सालय	Childrens' Hospitals in Gujarat	74-75
6058	दिल्ली में विदेशी मुद्रा गिरोह	Foreign Exchange Racket in Delhi	75
6059	विदेशों द्वारा भारत में पूंजी निवेश की पेशकश	Offer of foreign investment in India	75-76
6060	चौथी योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to States during Fourth Plan	76-77
6061	आई० डी० पी० एल० के कर्मचारियों को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार मकान किराया भत्ता देना	Payement of House Rent Allowance to Staff of I. D. P. L as recommended by Administrative Reforms commission	77
6062	दैतारी क्षेत्र में लोह अयस्क का भण्डार	Iron Ore reserves in Daitari Area	77
6063	मारीशस को औषधि तथा शल्य चिकित्सक उपकरणों का सम्भरण	Supply of Drugs and Surgical Instruments to Mauritius	78
6064	सरकार द्वारा हाल में घोषित रियायत के बाद कोचीन क्षेत्र में सीमा शुल्क कर्मचारियों की नौकरी पर बहाली	Reinstatment of Customs Employees after recent relaxation announced by Govern-ment in Cochin Area	78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U S. Q Nos.		
6065 पाथ फाइन्डर फंड द्वारा परिवार नियोजन के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य	Research work on Family planning by Path- finder Fund	78-79
6066 धनराजगिराजी अस्पताल, शोलापुर के बेसिक नर्सिंग के प्रशिक्षणार्थी	Trainees of Basic Nursing of Dhanraj giraji Hospital, Sholapur	79
6067 औद्योगिक विकास बैंक का कार्य	Activities of Industrial Development Bank	79-80
6068 वर्तमान उर्वरक कारखानों की कार्य कुशलता में सुधार करने के उपाय	Measures to improve low operational efficiency of existing Fertiliser Plants	81-82
6069. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, लिमिटेड, नई दिल्ली	Hindustan Housing Factory Ltd. New Delhi.	82-83
6070 एल्यूमीनियम की कमी	Shortage of Aluminium	83
6071 उत्तर प्रदेश में कुन्दारी ग्राम में, हरिजनों का नसबन्दी आपरेशन	Harijans operated for Vasectomy in Kundari Village, U. P.	83-84
6072. एक नये नायलोन धागा कारखाने के लिये अमरीका के निर्यात आयात बैंक से ऋण	Loan from United States Export Import Bank for a New Nylon Yarn Plant	84
6073 भारत सरकार मुद्रणालय में मूक तथा बहरों की नियुक्ति	Appointment of Deaf and Dumb persons in Government of India Press	85
6074 भारतीय रेलवे में मुख्य लेखा परीक्षकों के रूप में काम कर रहे अधिकारियों द्वारा रेलवे सलूनों का प्रयोग	Use of Railway Saloons by Officers working as Chief Auditors on Indian Railways	85-86
6075 भारतीय तेल निगम में भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियोजित करना	Absorption of Ex-Emergency Commissioned Officers in Indian Oil Corporation Ltd.	86
6076 दिल्ली सहकारिता अधिनियम और सहकारी गृह-निर्माण समितियों के उपनियम	Delhi Co-operative Act and Bye Laws of Co-operative House Building Societies	87
6077 ओखला में दूषित जमुना जल के बारे में जांच करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति	Higher Power Committee to probe into Pollution in Jamuna Water at Okhla	87-88
6078 नागपुर स्थित डाक व तार लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्यालय के विभाजन के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन	Memorandum to Prime Minister by Members of Parliament Regarding Scheme of Spliting the office of Audit and Accounts posts and Telegraph Nagpur	88-89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० सं० U. S. Q. Nos.		
6079-हज यात्रियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Haj Pilgrims	89
6080 देशी नरेशों द्वारा विदेशी मुद्रा के खर्च में कमी	Reduction in spending of Foreign Exchange by Princes	89
6081 सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Representative of Public Undertakings	90
6082 मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले के विद्युत चालित करघों के चालक	Powerloom Operators of East Nimar District of Madhya Pradesh	90
6083 नाइट्रोजन तैयार करने वाली उर्वरक परियोजनाओं की जांच	Scrutiny of Fertilizer projects producing Nitrogen	90-11
6084 अवर श्रेणी लिपिकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धि	Advance increments to LDCs and UDCs.	91
6085 दिल्ली में शरणार्थी बस्तियों में मकानों को नए मालिकों के नाम चढ़ाना	Mutation of houses in refugee colonies in Delhi	91-92
6086 राज्यों में अफीम का उत्पादन तथा मध्य प्रदेश के कृषकों को अफीम के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन	Production of opium in States and incentive to farmers of M. P. for producing opium	92
6088 लद्दाख में खनिजों का सर्वेक्षण	Mineral survey in Ladakh	93
6089-जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक व्यय में वृद्धि	Increase in Administrative Expenditure in LIC	93
6090-आयकर अधिकारी के कर्त्तव्य	Duties of income Tax Officers	93-94
6091 आयकर अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Income Tax Officers	94
6092 दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से निकलने वाली राख से ईंटों का निर्माण करने के लिए संयंत्र	Plant for Manufacture of Bricks from Ash emitted by Power Plant in Delhi	95
6093 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को दिया गया बोनस	Bonus, Paid to Workers in Public Sector Undertaking	95-96
6094 सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में रोगियों के प्रति डाक्टरों तथा नर्सों का व्यवहार	Behaviour of Doctors and Nurses towards Patients in Safdarjung Hospital, New Delhi	96
6095 विलिंगडन अस्पताल नर्सिंग होम तथा नई दिल्ली पर व्यय	Expenditure incurred on the Willingdon Hospital, and Nursing Home New Delhi	96-97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० सं०		
U. S. Q. Nos.		
6096-उच्च अधिकारियों तथा मंत्रियों को आवंटित किये गये बंगलों के लिये स्टैंडर्ड किराया लेने का सुझाव	Suggestion for charging standard Rents for Bungalows allotted to High Officals and Ministers	97
6097 हीरों तथा सेमी प्रेशस पत्थरों की वार्षिक नीलामी के प्रस्ताव	Proposal for Annual Auction of Cut and Polished diamonds and Semi precious stones	97-98
6098 आयकर अधिकारियों की विभागीय परीक्षा	Departmental Examination of Income Tax Officers	98
6099 खण्डसारी पर उत्पादन शुल्क की वसूली	Collection of Excise duty on Khan-dsari	98-99
6100 उड़ीसा में उत्पादन शुल्क विभाग में सबइन्सपेक्टरों का चयन	Selection of Excise sub-inspectors Orissa	99
6101 बन्धीयकरण, लूप पहनाये जाने तथा अन्य गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल करने के लक्ष्य	Targets for sterlisation; IUCD insertion and contraceptives	99-100
6102. योजना परिव्यय में वृद्धि करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण	Borrowings by States to augment Plan outlays	100
6103 भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा अपने मुख्यालय का नवीकरण	Renovation of Headquarters Building by Indian Council of Medical Research	100-101
6104 भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance for various schemes approved by Indian Coun-cial of Medical Research	101-102
6105 भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् में विशेषज्ञ दल तथा सलाहकार समितियां	Expert Groups and Advisory Com-mittees in the Indian Concil of Medical Resarch	102-103
6106 भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के लिपिकों के पदों पर भर्ती	Recruitment to Clerical posts in Indian Council of Medical Research	103
6107 चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार	Improvement in Standard of Medi-cal Education	103-104
6109 भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के महानिदेषक के कमरे की सजावट पर खर्च	Expenditure on furnishing the room of Director General of Indian Council of Medical Research	104

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6110 खनिज सम्पत्ति का प्रयोग किये जाने के बारे में मैसूर के खेल तथा मत्स्यपालन के राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य	Statement by Mysore Minister of State for sports and Fisheries regarding utilisation of mineral wealth	104-105
6111 नारायणा रिहायशी योजना के अन्तर्गत न हानि न लाभ के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का बेचा जाना	DDA Flats in Naraina Residential Scheme sold at no profit and no loss basis	105-106
6112 नारायणा रिहायशी योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के एलाटी	Allottees of DDA flats in Naraina Residential Scheme	106
6113 सरकारी क्षेत्र में इमारतों के निर्माण के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for construction of buildings in Public Sector	106-107
6114 दमन तथा क्लाई के बीच एक स्थानीय नाव से सोने का पकड़ा जाना	Seizure of gold from a country boat between Daman and Kalai	107
6115 मार्क्सवादी कार्मिक संघ के तत्वों द्वारा मजदूरों को तंग किये जाने के विरुद्ध रानीगंज में कोयला खानों के प्रबंधकों द्वारा अपील	Appeals by colliery managements of Raniganj Coal mines against organised intimidation of workers by Marxist Trade Union elements	107-108
6116 मालवीय नगर, दिल्ली में फंक्शनल डिस्पेन्सरी के रूप में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C. G. H. S. dispensary as a functional dispensary Malviya Nagar, Delhi	108-109
6117 पन्ना हीरों पर रायल्टी	Royalty on Panna Diamonds	109
6118 जीवन बीमा निगम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सामूहिक बीमे का विकास	Extension of field of activity of LIC to Group Insurance	109
6119 साऊथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय को संसद् भवन लाना	Shifting of South Avenue Enquiry Office to Parliament House	109-110
6120 देश में ट्रैलर मकानों का निर्माण	Construction of Trailor Houses in the Country	110
6121 बैंक दर बढ़ाना	Raising of Bank rate	110
6122. बजट के बाद शेयर बाजार के मूल्यों में वृद्धि	Post Budget rise in prices in Share Market	110-111
6123 आदर्श ग्राम	Model Villages	111-112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6124 अपेक्षित संख्या से अधिक बच्चों वाले माता पिता के अनिवार्य आपरेशन को वैध बनाना	Legislation of compulsory operation for parents having more than required Number of Children	112
6125 केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क बोर्ड में पदोन्नति	Promotion in the Central Board of Customs and Excise	112-113
6126 उत्पादन शुल्क निरीक्षकों की पदोन्नति	Promotion of Excise inspectors	113
6127 गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों की प्रतिशतता	Percentage of Doctors in Rural and urban areas	113-114
6128 छोटे किसानों को ऋण देने के बारे में समान व्यवस्था	Uniform arrangement in regard to Advancing of Loans to Small Farmers	114-115
6129 हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली द्वारा प्राप्त ऋण	Loans received by Hindustan Housing Factory, Delhi	115
6130 राज्यों के मुख्य मन्त्रियों द्वारा धन कर का भुगतान	Payment of Wealth Tax by Chief Ministers of States	115-116
6131 दिल्ली बृहद योजना का पुनरीक्षण	Revision of Delhi Master Plan	116
6132 बिहार बैंक के अधिकारियों को स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ विलय के बाद सुविधायें	Facilities of officers of Bihar Bank after merger into State Bank of India	116
6133 आन्ध्र प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Andhra Pradesh Bank Employees Federation	117
6134 आयकर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Allegations against the officials of Income Tax Department	117
6135 उत्तर प्रदेश में पालिस्टर फाइवर के कारखाने की स्थापना	Establishment of Polyster Plant in U. P.	117-118
6136 कृषि सम्बन्धी धन कर	Agricultural Wealth Tax	118
6137 दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन	Allotment of land in the Union Territory of Delhi on Priority basis	118-119
6138 हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के एक बेनामी संगठन सप्लायर्ज कारपोरेशन द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन को ढोलों की सप्लाई	Supply of Barrels by suppliers corporation a Benami organisation of Hind Galvanising and Engineering Company to Indian oil corporation	119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6139 हारवर्ड के भूतपूर्व डा० सुब्रमनियम स्वामी का वक्तव्य	Statement made by former Harvard Don Dr. Subramaniam Swamy	119-120
6140 मनीपुर स्थित सरकारी अस्पतालों में एक महीने में पांच दिन की छुट्टियां देना	Sanction of five days holidays in a month in Manipur Government Hospitals	120
6141 चिकित्सा निदेशालय, मनीपुर के अधीन नर्सिग पाठ्यक्रम	Nursing course under Medical Directorate, Manipur	120-121
6142 मनीपुर में मुख्य औषध कारकों (फार्मेसिस्ट) की नियुक्ति	Appointment of Head Pharmaceutists in Manipur	121
6143 मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को त्यौहारों के लिये अग्रिम राशि न देना	Refusal of Festival Advance to employees of Manipur P. W. D.	121
6144 मनीपुर में स्वर्णकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए नियत राशि	Allocation for Financial Assistance to Goldsmiths in Manipur	121-122
6145 ताम्बे के निक्षेप और उनका निकाला जाना	Copper deposits and Exploitation thereof	122
6146 रोस्तम अशोधित तेल और जमा हुए भण्डारों को साफ करने में भारतीय तेल शोधक कारखानों की असमर्थता	Inability of Indian Oil Refineries refind Rostam Crude and accumulation of stocks thereof	122-123
6147 फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड में उर्वरकों के उत्पादन की अधिक लागत	High cost of production of fertilizers in FACT	123
6148 जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरों को विदेशी बीमा कम्पनियों की दरों के समान करना	Bringing the rates of LIC premium to the level of Foreign Exchange Companies Rates	124
6149 फिल्म-निर्माताओं द्वारा कर का भुगतान	Payment of Income tax by Film Producers	124
6150 तांबे के निक्षेपों के लिये समूचे देश में सर्वेक्षण	Country wise survey for copper deposits	125
6151 मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हानि	Loss to IOC in dealing with Hind Galvanising and Engineering Co.	125

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6152 खनिज सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति का गठन और कार्य	Organisation and functions of Standing Committee of Mineral Advisory Board	125-126
6153 लौह अयस्क के स्वामित्व की दर का पुनरीक्षण	Revision of Rate of Royalty on Iron Ore	126-127
6154 गांवों में न्यायिक अधिकारियों तथा अध्यापकों के लिये मकानों के निर्माण हेतु राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजना	Plan submitted by States for construction of Houses for judicial officer and Teachers in rural houses	127
6155 तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिये हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Survey of hill areas of Haryana and Himachal Pradesh for Oil and Natural Gas	127-128
6156 भारतीय तेल निगम द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय को हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी से वसूल करना	Realisation of extra expenditure incurred by I. O. C. from Hind Galvanising and Engineering Co.	128
6157 दक्षिण दिल्ली में उपरली टंकियों का चालू किया जाना	Commissioning of overhead Tanks in South Delhi	128-129
6158 कारखानों से निकलने वाले गन्दे पानी द्वारा दिल्ली में पानी का दूषित होना	Pollution of water in Delhi by discharge of Industrial Effluent	129
6159 वित्त मंत्रालय में अंशकालिक अवर श्रेणी लिपिकों और चपरासियों के पद	Part time posts of LDCs and Messengers in Ministry of Finance	129-130
6160 अधिकतम शेयर वाले व्यापार गृह	Business houses having largest number of shares	130
6161 रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन	Changes made by Reserve Bank of India in regard to terms and conditions governing loans	130-131
6162 फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Film People	131
6163 बेतिया के सब डिवीजनल अधिकारी द्वारा औद्योगिक विकास के बारे में भारत के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर को दिया गया प्रतिवेदन	Report submitted by Sub-divisional Officer of Betia regarding Industrial development to Deputy Governor, Reserve Bank of India	132
6164 राज्यों द्वारा जमा धनराशि से अधिक राशि निकालना	Over Drafts by States	132-133

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6165 सरकारी उपक्रमों द्वारा खर्च	Expenditure by public undertakings	133-134
6166 भारतीय तेल निगम के बिक्री विभाग में कथित भ्रष्टाचार	Alleged corruption in Sales Organisation of I. O. C.	134-135
6167 सकरीन के प्रयोग से कैंसर रोग हो जाने के बारे में विशेषज्ञों के विचार	Experts views on use of Seccharine causing Cancer	135
6168 पौडी गढ़वाल का पौडी अस्पताल	Pauri Hospital of Pauri Garhwal	135-136
6169 पौडी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में परिवार नियोजन केन्द्र	Family planning Centre in Pauri Garhwal of U. P.	136
6170 .लघु कोयला का अनिवार्य एकीकरण करने की योजना	Scheme for Compulsory Amalgamation of small coal mines	136
6171 विदेशी पर्यटकों को भारतीय माल की बिक्री से अर्जित विदेशी मुद्रा का प्रयोग	Utilisation of foreign Exchange earned Sale of Indian Goods to Foreign Tourists	137
6172 औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋणों के लिये आवेदन पत्रों की प्राप्ति	Applications for loans received by IFC	137-138
6173 राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबन्ध तथा विनियमन के लिये योजना	Scheme for management and regulation of Nationalised Banks	138
6174 पाकिट बुक आफ इक्नामिक इन्फार्मेशन (1969)	Pocket Book of Economic Information (1969)	138
6175 दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा दिल्ली का समूचा विकास	Overall development of Delhi by DDA	139
6176 श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में सार्वजनिक पार्क का विकास	Development of public park in Srinivaspuri, New Delhi	139-140
6177 दिल्ली के लिये झुग्गी झोंपड़ी हटाने सम्बन्धी योजना	Jhuggi Jhonpuri removal scheme for Delhi	140
6178 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जनपथ नई दिल्ली में दुकानों का आंवटन	Allotment of shops to Scheduled castes on Janpath, New Delhi	140-141
6179 गोरखपुर उर्वरक कारखानों के कारखाना इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक्ल) विभाग में कथित भ्रष्टाचार	Alleged corruption in plant Engineering (Electrical) Department of Gorakhpur Fertilizer Factory	141-142
6180 देश को अन्धेपन से 10,000 करोड़ रुपये की हानि	Blindness costing Rs. 10.000 crores to the country	142

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र सं० U. S. Q. Nos.		
6181 दिल्ली और नई दिल्ली में शराब की दुकानों के ठेके	Contracts for liquor shops in Delhi and New Delhi	142-143
6182 ग्रामोण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Medical facilities in rural Areas	143
6183 वाणिज्य निर्माण तथा विविध महालेखकार के कार्यालय में विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों के बिल	Bills pertaining to Staff of various Ministries to A. G. C. W. & M.	143-144
6184 दफतरियों के लिये प्रवर संवर्ग पद	Selection Grade Daftries	143-144
6185 डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी	Extra Departmental Employees of P & T Deptt.	145
6186 प्रमुख बैंकों (लीड बैंकों) द्वारा ऋण आवश्यकता की सम्भावना के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट	Report submitted by the lead Banks' regarding potential credit needs	145-146
6187 दरभंगा के महाराजा की सम्पत्ति का मूल्यांकन	Valuation of property of Maharaja of Darbhanga	146
6188 उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की कमी	Scarcity of Kerosene oil in North Bihar	146-147
6189 जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of LIC	147
6190 बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को 'पी' फार्म की मंजूरी	Grant of 'P' Form to Shri Haji Mastan Mirza of Bombay	147-148
6191 राजस्थान के बीकानेर जिले में मौतें	Deaths in Bikaner District of Rajasthan	148
6192 राजस्थान के स्वर्णकार संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Swaranker Sangh of Rajasthan	148-149
6193 त्रिवेन्द्रम् में हुए राजनीति शास्त्र सम्मेलन में केरल के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्त विचार	Views expressed by Chief Minister, Kerala at Political Science Conference held at Trivandrum	149
6194 राष्ट्रीकृत बैंकों की समन्वय समिति की बैठक	Meeting of Coordination committees on Nationalised Banks	149
6196 काकथिया मेडीकल कालेज, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश) को मान्यता	Recognition of Kakathiya Medical College, Warangal (A. P.)	150
6197 खाद्यों में विटामिन मिलाना	Adding of Vitamins to Foods	150-151

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
6198 1963 के पश्चात् अत्यावश्यक औषधियों की कीमतों में वृद्धि	Increase in prices of Essential drugs since 1963	151
6199 गैर सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों द्वारा तरल ईंधन का आयात और तेल शोधन कार्य	Import of liquid fuel and refining done by Private sector refineries	152
6200 प्रत्येक मंत्रालय में पृथक पेंशन अनुभाग (सैल)	Separate pension cells in each Ministry	153
6201 दिल्ली में खाली बहुमंजिले क्वार्टर	Multi storyed quarters lying vacant in Delhi	153
6202 अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने की अनिच्छा	Doctors of CHSS not willing to join C.H. S.	153-154
6203 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का गठन	Composition of Central Health Service	154-155
6204 मूलचन्द खैरातीराम आयुर्वेदिक चिकित्सालय नई दिल्ली में ऐलोपैथी के अनुसार इलाज	Allopathic treatment in the Moolchand Khairatiram Aurvedic Hospital New Delhi	155-156
6205 अखिल भारतीय भारत नेत्र सुधार संघ लाजपत नगर, नई दिल्ली	Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi	156
6206 फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Films stars	156
6207 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, भिवांडी के सुपरिन्टेंडेंट के विरुद्ध आरोपों की जांच	Enquiry into charges against superintendent, Central Excise, Bhiwandi	156-157
6208 कृषि आयकर की वस्तुओं के रूप में वसूली	Collection of Agricultural Income Tax in kind	157
6209 जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सरुइनिसार झील में तेल निकालने का कार्य	Oil Drilling operation in Saruinsar lake in J & K State	157
6210 कलकत्ता में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास	Government Accommodation for Central Government Employees at Calcutta	157-158
6211 आयकर अधिकारियों के वर्ग	Categories of Income tax officers	158-159
6212 कोलार सोना खान उपक्रम	Kolar gold Mining undertakings	159
6213 चलचित्र उद्योग में कर निर्धारण के अनिर्णीत मामले	Pending cases of Assessment in Film Industry	159-160

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6214	जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन द्वारा पालिसी धारियों को नकद ऋण देने में विलम्ब	Delay in Advancing Cash loans to Policy Holders by LIC Delhi Division	160-161
6215	जीवन बीमा निगम के दिल्ली सर्किल द्वारा पालिसीधारियों के पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब	Delay in replying to letters of policy holders by LIC Delhi Circle	161
6216	साइन तेल्स कारपोरेशन, दिल्ली के श्री योगराज चव्हाण द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Shri Yograj Chavan of Cine Sales Corporation, Delhi	161-162
6217	राज्यों में वेतन आयोग स्थापित करने के लिये सहायता	Assistance for settingup pay Commissions in States	162
6218	मद्रास में केन्द्रीय सरकार के विभागों पर मद्रास निगम की बकाया राशि	Amount outstanding against Central Government Departments in Madras for payment to Madras Corporation	162-163
6219	साइन सेल्स कारपोरेशन बम्बई और दिल्ली द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by Cine Sales Corporation Bombay and Delhi	163
6220	दिल्ली के सोहन गंज और सब्जीमंडी क्षेत्र में कारखाने	Factories in Sohan Ganj and Subzimandiareas of Delhi	163
6221	पेंशन भोगियों को मंहगाई भत्ता	Dearness allowance to pensioners	164
6222	सामान्य बीमे के लाभप्रद भाग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of profitable part of General insurance	164
6223.	ईरान में अमोनिया बनाने के लिये भारत और ईरान के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम पर मत भेद	Differences between India and Iran over proposed joint venture for Manufacture of Ammonia in Iran	164-165
6224	स्टेट बैंक आफ इंडिया मद्रास सर्किल के पंचाट के अन्तर्गत आने वाले और पंचाट के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों द्वारा पद त्याग	Resignation by award and non-award employees of State Bank of India Madras Circle	165
6225	लद्दाख में गृह निर्माण समस्या के लिये ऋण	Loans for solving Housing problems in Ladakh	166
6226	जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत	Discussion with Japanese Delegation	166

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०	U. S. Q. Nos.	
6227 भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा बाहर धन प्रेषण	Remittances abroad by Foreign Companies in India	166-168
6228 नया क्वार्टर अलाट होने पर बिजली के मीटरों की जमा की गई जमानत की राशि का हस्तान्तरण	Transfer of Electric meter Security already deposited on allotment of new quarters	168
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाये जाने के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance (Procedure)	168-174
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
उर्वरकों के परिवहन के लिये केन्द्रीय राजस्व से मिथ्या भुगतान	Bogus payment from the Central of Revenue for the transportation fertilisers	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	175
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on public Undertakings	175-177
(एक) कार्यवाही सारांश	Minutes	
(दो) 62 वां तथा 63 वां प्रतिवेदन	Sixty-second and sixty third Reports	
अनुदानों की मांगें, 1970-71	Demands for Grants, 1970-71	177-209
वैदेशिक व्यापार मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade	
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	
श्री रा० कृ० बिरला	Shiri R. K. Birla	
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotaki	
श्री वी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	
पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals	
श्री मनु भाई पटेल	Shri Manubhai Patel	
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह	Shri Virendrakumar Shah	
श्री ओंकारलाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	
श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	
श्री जी० वेंकटस्वामी	Shri G. Venkataswamy	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री० पी० विश्वम्भरन	Shri P. Viswambharan	
श्री दा० रा० चह्वाण	Shri D. R. Chavan	
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion	
खाद्य तेलों तथा अन्य चिकनाई वाले पदार्थों के उत्पादन और विक्रय पर हुआ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International conference on production and marketing of Edible Oils and fats	209-212
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	

लोक-सभा

LOK-SABHA

सोमवार, 13 अप्रैल, 1970/23 चैत्र, 1892 (शक)
Monday, April 13, 1970/ Chaitra 23, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत कृषक समाज के लेखों की जांच

*961. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कृषक समाज के हिसाब-किताब की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या इस समाज ने आयकर का भुगतान कर दिया है; और

(घ) नियंत्रक महा लेखा परीक्षक को इस समाज के हिसाब-किताब का पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा करने देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयकर विभाग द्वारा जांच शुरू की गयी है और वह चल रही है ।

(ख) जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) भारत कृषक समाज को भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के उपबन्धों के अधीन कर-निर्धारण वर्ष 1961-62 तक छूट मिली हुई थी । कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 से बाद के वर्षों के

कर-निर्धारण अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिये, आयकर अदा करने की अभी तक कोई देनदारी नहीं है।

(घ) जांच पूरी हो जाने के बाद, सरकार विचार करेगी कि क्या ऐसी कोई कार्यवाही जरूरी है।

Shri Yash Pal Singh : Has Bharat Krishak Samaj received certain grants from Foreign Countries too, and if so, the amount and the countries theeof ? Has these grants been received by the institution itself or through the Government.

Shri P. C. Sethi : I have got no information regarding the foreign grants received by this institution. It has received money through membership, the grants given by the Government and through certain other means.

Shri Yashpal Singh : Will you tell the amount of Tax and rent arrears outstanding against this institution so far ?

Shri P. C. Sethi : The payment to the rent arrears outstanding against this institution has been made. It was delayed due to certain complications. As regards taxes, I have already explained that the Samaj was granted exemption upto assessment year 1961-62. The assessments for the year 1962-63 onwards still remain to be finalized and the notices to this effect have been issued.

Shri Kanwarlal Gupta : Bharat Krishak Samaj has spent lakhs of rupees during previous years. It has got a big budget and the Government has also extended sufficient grant to this institution. I would like to know whether it is a fact that this Samaj has made a lot of bunglling ? Is it not a fact that certain people spent money guided by the selfish motives, to benefit their relations ? Is it also a fact that complaints have been received regarding such malpractices and favouritism, if so whether, the Government would make an inquiry through C. B. I regarding the Justification of the expenditure made ? I would also like to know the total amount received so far by the Samaj ?

Shri P. C. Sethi : A total amount of Rs.5,85,459.95 as grants has been given to this Samaj since 1955-56 to 1969-70. There is no complaint regarding the bungling in expenditure during previous years. There had been certain complaints regarding taxes previously also. Therefore, there is no question of inquiry through C. B. I. This is a registered institution and its objectives are laudable.

In view of this, thero is no justification for the inquiry to be made through C. B. I.

Shri Maharaj Singh Bharti : Is it a fact that some farmer institutions. of foreign countries started certain projects here in this country with their own grants and they are running these projects even now ? Is it also a fact that Bharat Krishak Samaj has been a partner in all these projects ? If so, I would like to know whether there are certain farmers associations who declare themselves to be impartial but are associated with one or the other party and Bharat Krishak Samaj is being encouraged to run these projects in collaboration with the institutions of farmers of foreign countries because it is associated with the ruling party.

Shri P. C. Sethi : Bharat Krishak Samaj is un-associated with the Government in that context. But it is a fact that food and Agriculture ministar has been its president and so far as money from foreign countries..........

Shri Maharaj Singh Bharti : This I have said that they are associated with the ruling party.

Shri P. C. Sethi : It is not relatetd to ruling party in that context. In fact it may be said that its object is the advancement of farmers and Krishak Samaj . As regards foreign assistance I have already explained that there is no such information with me.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मुझे उनकी विशिष्ट योजनाओं अथवा परियोजनाओं के विषय में बताया जाय जिनके लिये सरकार द्वारा भारत कृषक-समाज को लगभग 5 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है और क्या सरकार के पास कोई ऐसा उपाय है जिससे यह देखा जा सके कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो गयी है अथवा की जा रही है ।

श्री प्र० चं० सेठी : यह राशि विभिन्न उद्देश्यों से दी गयी है । उदाहरणार्थ 1965-66 में 20,000 रुपये किसान सम्मेलन के लिये दिये गये थे । कुछ राशि किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिये जाने वाले प्रतिनिधियों को यात्रा भत्ते के लिये दी गयी । जिन विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुदान दिये गये हैं, उन्हीं विशेष उद्देश्यों पर इन अनुदानों का उपभोग तथा खर्च किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं । प्रश्न का शीर्षक है विदेशी व्यापार का भारतीयकरण । परन्तु इस प्रश्न को विदेशी व्यापार से कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह गलती है । शीर्षक है विदेशी पूंजी का भारतीयकरण । यह शुद्धिपत्र में दिया गया है ।

श्री जी० विश्वनाथन : यह राष्ट्रीयकरण है अथवा भारतीयकरण ?

विदेशी व्यापार का भारतीयकरण

\+
*962. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : **श्री वंश नारायण सिंह** :
श्री बृज भूषण लाल : **श्री राम सिंह अयरवाल** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना में जनसंघ द्वारा पास किये गये उस प्रस्ताव की जानकारी है, जिसमें विदेशी स्वामित्व के पटसन, चाय, औषधियों, साबुन, माचिस, वनस्पति उत्पाद तथा सिगरेट उद्योगों के भारतीयकरण की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन उद्योगों में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है तथा उनकी कुल पूंजी कितनी है; और

(घ) इन उद्योगों के भारतीयकरण के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार देखे हैं कि जनसंघ ने अपने पटना-अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उसने यह मांग की है कि विदेशी स्वामित्व वाले जूट, चाय, औषध, साबुन, दियासलाई, वनस्पति तथा सिगरेट उद्योगों का भारतीयकरण किया जाय । एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया

है जिसमें, इनमें से कुछ उद्योगों में लगी विदेशी पूंजी की रकमों का ब्यौरा दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव में "भारतीयकरण" का क्या अभिप्राय है। और न ही उसमें बताया गया है कि यह भारतीयकरण किस प्रकार हो सकता है। किसी भी उद्योग को किसी भी रूप से हाथ में लेने से, बहुत थोड़ी अवधि में, काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी और इसलिए सरकार के विचार में ऐसा करना न तो वांछनीय है और न जरूरी ही है।

सरकार लगातार और धीरे-धीरे ऐसी नीति पर अमल कर रही है कि ऐसे उपक्रम, जो पूर्णतः या मुख्य रूप से विदेशियों के अधीन हों, जब कभी अपनी पूंजी का विस्तार करें तब इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय कि उस पूंजी में, जहां तक संभव हो, भारतीयों का अधिक से अधिक हिस्सा हो, ताकि इन उपक्रमों में भारतीय स्वामित्व को बढ़ाया जा सके। इस नीति से विदेशी पूंजी के रूप में, विदेशों को बड़ी मात्रा में भेजी जाने वाली रकमें खर्च किये बिना और विदेशी स्वामित्व वाले उपक्रमों में भारतीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा इन उपक्रमों में अधिक से अधिक भारतीय पूंजी लगाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। जब कभी कोई विदेशी अपनी सम्पत्ति अपनी स्वेच्छा से भारतीयों को हस्तांतरित करता है तब सरकार इस बात का खास ध्यान रखती है कि इस सम्बन्ध में दी जाने वाली रकम उचित हो और जहां तक सम्भव हो विदेशी मुद्रा के बाहर भेजे जाने के सम्बन्ध में उचित अवधि निर्धारित की जाय। इस प्रकार यह देखा जायगा कि सरकार की नीति राष्ट्रीय हित में है।

विवरण

भारत में लगी विदेशी व्यापारिक पूंजी की बकाया रकमों के सम्बन्ध में बिल्कुल हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे मार्च 1967 के अन्त तक के हैं। (ये आंकड़े, 1965-66 और 1966-67 में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश सम्बन्धी स्थिति" नामक लेख में दिये गये हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन के अगस्त 1969 के अंक में प्रकाशित किया गया था)। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन में, जिन उद्योग समूहों में लगी विदेशी पूंजी के बारे में आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं, वे वास्तव में ठीक-ठीक उन उद्योगों के नहीं हैं जिनका जिक्र प्रश्न में किया गया है। प्रश्न के (क) भाग में उल्लिखित कुछ उद्योगों से मिलते जुलते औद्योगिक समूहों में लगी "प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी" (अर्थात् विदेशों में नियमित कम्पनियों की शाखाओं तथा विदेशियों द्वारा नियन्त्रित समझी जाने वाली भारतीय कम्पनियों में लगी पूंजी) का ब्यौरा इस प्रकार है :—

औद्योगिक समूह	करोड़ रुपयों में (रुपये के अवमूल्यन के बाद की दरों के अनुसार)
1. जूट और नारियल के रेशे से बनी वस्तुएं	12.0
2. बागान (अधिकतर चाय बागान)	124.5
3. सिगरेट और तम्बाकू	28.8
4 औषध और भेषज	34.6

उपर्युक्त उद्योगों में लगी कुल पूंजी के (भारतीयकरण और विदेशी) आंकड़े तत्काल उपलब्ध

नहीं हैं और जहां तक सम्भव होगा इन आंकड़ों को इकट्ठा किया जायेगा और उन्हें सभा को मेज पर रख दिया जायगा ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The hon. Minister has stated that a change in this policy is not desirable. It is a fact because as our information goes certain cabinet ministers of the Central Government are directly associated with these companies in one way or the other, these companies take crores of rupees annually as foreign exchange.

Mr. Speaker : The practice of making speech during question hour by hon. member, creates difficultires . He should ask his question.

Shri Ram Swarup Vidyarthi. As regards drugs, the rate of profit of these companies is nearly 300 or 400 percent. Whatever article they manufacture, the rate of profit is very high and the cost is borne by the consumers of our country. Foreigners functioning as managers in these companies are getting 30 or 40 thousands of rupees as their monthly salaries.

Mr. Speaker : Foreigners ask me about our peculiar question ways. This hon. Member may ask a question, he should not make a speech.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I would like to know as to how many crores of foreign exchange is extracted from India out of high profits and the salari es of foreigners. Does this Government propose to bring legislation on such matters so that this money may not be extracted from India and these companies may function as Indian companies ?

Shri P. C. Sethi : I have said undesirable in reference to repatriation of foreign exchanges. I have said, if these companies are taken over immediately. The repatriation of so much foreign exchange will not be proper.

There are two sets of these companies, one which came into existence before 1947 and the other which came into existence after 1947. It was beyond our control to devide the rates of foreign participation in preindependence investment. there. There are certain companies under this group which have 100% participation of foreign countries, but when they approached us for the revewal or expansion of these companies then we insisted a change in investment position. Regarding the second, they have come here with our consent. They have come in minority share holding. The observations made by the member are un-justified in such a position. He has alleged crtain ministers to be associated with these companies but so far as I know, there is nothing alike.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : I have also asked about the amount of foreign exchange extracted from India.

Shri P. C. Sethi : The hon. member has said about the high rate of profit of these companies. I would like to say that the percentage of profit in 1967-68 was 5.3 and it had been to 4.7 in 1968-69 . In 1967-68 the profit was 7.64 crores and the dividend 29.25 crores, i.e., a total of Rs.36.89 crores, and in 1968-69 the profit was 7.75 and the divident 25.42 crores which means a total sum of Rs.33.17 was extracted from India as foreign exchange.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Mr. Speaker, I would like to know another question.

Mr. Speaker : You have already asked the other question.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : That was not the question but the clarification demanded .

Mr. Speaker : The hon. member should have told me that he is asking a clarification to his first question.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The hon. minister has just now said that there was some sort of agreement with these companies but they were holding 100 per cent shares of their own. the Government is propagating socialism today and intends to abolish privy purses. They have nationalized banks. I would like to know the difficulties before the Government as a result of which they do not want to take steps to acquire these companies. If the Government is short of foreign exchange then, having taken over these companies, they should bring a legislation regarding the payment of compensation to be made till ten years and having organised co-operative societies of their employees, the Government should organize their operational scheme or permit purchase of foreign shares by the Indians. I would like to know whether Government would consider such matters and take action ?

Shri P. C. Sethi : Perhaps, the hon. member has not listened to whatever I have said just now. I did not say that there was some sort of agreement prior to 1947. I have said that in the companies established prior to 1947 it was beyond our control to decide the percentage of Indian participation in their share capital. As regards take over of these companies I have explained that the policy of the Government favour nationalization of stratagic sector and expansion of public sector. When they approach us for the renewal or expansion of these companies then we try to make good of Indian shares and Indian participation. We are getting desirable results. The policy we are following appears to be proper for national advancement.

Shri Bansh Narain Singh : When would Government acquric these companies. ?

Shri P. C. Sethi : I have explained that we have owned majority of shares in new companies and the position of share holding in old comapnies is gradually changing. This depends on our future policy and future evirsonments.

श्री प० गोपालन : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य में चाय बागान के राष्ट्रीकरण प्रश्न पर आयोग की नियुक्ति करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित किया और सरकार को गम्भीर परिणामों की धमकी दी यदि ब्रिटिश चाय बागान कम्पनियों को उचित क्षतिपूर्ति न दी गई। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गत कई वर्षों से इनमें से अधिकांश चाय बागान कम्पनियों ने कहीं पुन: चाय-बाग बिल्कुल नहीं लगाये हैं और कि इन विदेशी चाय बगान को किसी तरह की क्षतिपूर्ति से हमारी आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ पड़ेगा, परिणामस्वरूप इससे बड़ा नुकसान होगा, तथा लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, अत: मैं सरकार से विशेष रूप से जानना चाहता हूं, कि जब उन कम्पनियों ने हमारे देश से पहिले ही पर्याप्त लाभ उठा लिया है तो क्या सरकार किसी भी प्रकार का मुआवजा दिये बिना देश के सारे चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने के बारे में ध्यानपूर्वक विचार कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : हमारे संविधान में व्यवस्था है कि सरकार जिसको भी अधिकार में लें, उन्हें हमें मुआवजा देना पड़ता है।

श्री प० गोपालन : आप संविधान को बदलिये।

श्री प्र० चं० सेठी : वह बिलकुल ही अलग मामला है। जहां तक चाय बागानों को अधिकार में लेने का सम्बन्ध है, मैं कह चुका हूं कि सरकार की नीति महत्वपूर्ण क्षेत्र में आने वाले सरकारो-

क्षेत्र परियोजनाओं का विस्तार करना है हम इन उद्योगों को अपने अधिकार में लेने के लिए अपनी शक्ति और साधनों को अपव्यय नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस सीमा तक जहां वह.........
(व्यवधान)

श्री प० गोपालन : वे दुबारा चाय बागानों को नहीं लगा रहे हैं। वे चाय बागानों को नष्ट कर रहे हैं।

मंत्री ने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है : क्या यह सच है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सरकार को गम्भीर परिणामों को धमकी दी है।

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस बारे में प्रधान मंत्री से नहीं मिले हैं।

श्री रा० बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन उद्योगों में विदेशी लोगों के शामिल होने से विदेशी मुद्रा के लाभ का निर्धारण किया है ? क्या सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि अब समय आ गया है जब राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा उद्योग के कुछ विशेष क्षेत्रों को, यदि इन सबको इकट्ठा नहीं, अपने अधिकार में ले लेना चाहिए ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि ठीक छान-बीन और जांच के बाद और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार कुछ क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझे, तो वह एक अलग मामला है। लेकिन सामान्य नीति के रूप में, उद्योग के इन क्षेत्रों को अधिकार में ले आने के लिए हम अपनी शक्ति और साधनों को नष्ट नहीं करना चाहते हैं।

श्री रा० बरुआ : इन उद्योगों में विदेशी लोगों के शामिल होने से विदेशी मुद्रा के रूप में आपको कितना लाभ हुआ है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इसे काफी स्पष्ट बता चुका हूं। इनका वर्गीकरण दो प्रकार का है—एक प्रकार के वह हैं जो 1947 से पहले स्थापित हुए हैं और एक वह हैं जो 1947 के बाद स्थापित हुए हैं। दूसरे प्रकार के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि वे हमारी सहमति से यहां आए हैं। अल्पसंख्यक अंशधारी के रूप में वे यहां आए हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : विदेशी लोगों द्वारा स्थापित उद्योगों का भारतीयकरण, अर्थात् विदेशियों के लगे हुए शेयरों का भारतीय राष्ट्रीयों को हस्तांतरण करने के बारे में, मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं कह चुका हूं कि प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीयकरण का ठीक अभिप्राय क्या है और न ही उन्होंने इसे विस्तृत रूप से बताया है (व्यवधान) यदि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्पष्ट करने की स्थिति में है.........(व्यवधान)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : माननीय सदस्य के अनुसार सरकार भारतीय नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : माननीय मंत्री द्वारा रखे गये विवरण में, जूट और नारियल जटा वस्तुओं में 12 करोड़ की संख्या विदेशी निवेश के रूप में उन्होंने दिखाई है। अतः, मैं मानता हूं कि केवल जूट उद्योग की संख्या 12 करोड़ से कुछ कम होगी।

अब मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस उद्योग में लगे अधिकांश शेयरों का बहुमत अब कुछ समय से भारतीय लोगों के पास है और विदेशियों के पास नहीं है। भारतीयों के निधि-पत्र शायद इस संख्या से 10 या 15 गुणा होंगे। अतः यहां पर मुख्य समस्या भारतीयकरण की नहीं है। भारतीयकरण अधिकांश रूप से पूर्ण हो चुका है।

मुख्य समस्या साधनों की है जिसके बारे में वह जिक्र कर रहे हैं। वह साधनों का अपव्यय होना नहीं चाहते हैं। यह ऐसा उद्योग है जो देश में विदेशी मुद्रा का सबसे अधिक धन कम रहा है। लेकिन इसका भारतीयों के पास होने पर भी, सम्पूर्ण उद्योग में अव्यवस्था है। और केवल कुछ दिन पहले ही वैदेशिक व्यापार मंत्री ने कहा है कि वे ऐसी नीति अपना रहे हैं जिससे जूट का विदेशी व्यापार बरबाद हो जायेगा। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या जूट उद्योग को अधिकार में लेने का आशय साधनों का अपव्यय होगा। श्रीमान्, ऐसा नहीं होगा। क्या इससे विदेशी मुद्रा साधनों की बचत नहीं होगी ? इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जो कुछ मैंने कहा है, वह विदेशी कम्पनियों को अधिकार में लेने के सन्दर्भ में कहा है, किसी विशेष उद्योग को अधिकार में लेने के बारे में नहीं। अभी माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि इस उद्योग का बड़ा हिस्सा पहले ही भारतीय लोगों के हाथ में है। और इसका केवल बहुत थोड़ा हिस्सा है जो विदेशी हाथों के पास है। ऐसी परिस्थिति में श्रीमान् जहां तक जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, वह एक अलग विषय है, जिस पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है और जब कभी सरकार महसूस करेगी कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है तो वह इसे अपने अधिकार में ले लेगी; लेकिन इसके अतिरिक्त इस विषय पर अभी मेरे पास कोई दूसरी जानकारी नहीं है।

बर्मा आयल कंपनी और आयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग करार में संशोधन का प्रस्ताव

+

*963. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री चेंगल राया नायडू** :
श्री दंडपाणि : **श्री सामिनाथन** :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बर्मा आयल कम्पनी को अपने सहयोग करार में संशोधन करने का अनुरोध किया है, जिसके अंतर्गत आयल इंडिया लिमिटेड आसाम में तेल के भंडारों को खोजने तथा विकास करने के लिए स्थापित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं; हाल ही में नहीं। किन्तु अक्तूबर, 1968 में भारत सरकार ने शेयरों की अधिकांशता के अर्जन के बारे में बर्मा आयल कम्पनी के साथ बातचीत की थी; लेकिन उक्त कम्पनी सुझाव से सहमत न थी।

श्री नि० रं० लास्कर : सहयोग करार का पुनरीक्षण करने के लिए बर्मा आयल कम्पनी से बातचीत करते समय सरकार ने इस प्रकार के पुनरीक्षण की आवश्यकता का अनुभव अवश्य किया

होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे इस पर जोर क्यों नहीं डाल रहे हैं तथा उन्होंने उनका इरादा क्यों छोड़ दिया है? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि बर्मा आयल कम्पनी ने क्या शर्तें रखीं हैं।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं बता चुका हूं कि यह बातचीत प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के आधार पर चलाई गई थी। करार कुछ दिनों पहले 1959 में पूरा हुआ था। तब उसके बाद 1961 में अनुपूरक करार में इसका पुनरीक्षण किया गया तथा कम्पनी अल्पमत हिस्सेदार बनने को राजी नहीं थी। उनका कहना था कि करार 1959 में पूरा हो गया था तथा अब इस मामले को पुनः उठाने का कोई कारण नहीं है।

श्री नि० रं० लास्कर : शाह समिति ने भारत में स्थापित विदेशी तेल कम्पनियों से सरकार द्वारा किए गये सभी करारों के सम्बन्ध में दोबारा बात करने के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय पेट्रोलियम आयोग की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। क्या सरकार उस सिफारिश पर कोई कार्यवाही कर रही है अथवा नहीं?

श्री दा० रा० चव्हाण : शाह समिति का प्रतिवेदन हाल ही में सरकार को मिला है तथा उस पर विचार हो रहा है। मंत्रिमण्डल की अनुमति के लिए एक टिप्पणी तैयार की गई है। जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं शाह समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि मूल सहयोग करार में कुछ ऐसी शर्तें अथवा खण्ड थे जो बर्मा आयल कम्पनी के पक्ष में थे? यदि हों तो सरकार उनका पुनरीक्षण करने के लिए क्या कर रही है?

(ख) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने भारत सरकार को आसाम में तेल भण्डार खोजने के लिए लाइसेंस देने से मना कर दिया है? यदि हां तो इसके क्या कारण है?

श्री दा० रा० चव्हाण : आपका पहला सवाल कुछ शर्तों के सम्बन्ध में है। खण्ड 9 में कहा गया है कि कम से कम 9 प्रतिशत और अधिक से अधिक 13 प्रतिशत लाभांश दिया जायेगा। यह अनुपूरक करार के खण्ड 9 में जोड़ा गया है। इस कम्पनी को तेल की खोज के लिए बहुत थोड़े से क्षेत्र के लिए लाइसेंस दिया गया है, जो केवल 1273 किलोमीटर है।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने खोज के लिए लाइसेंस देना मना कर दिया है?

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा।

Financial Assistance to Rajasthan to meet the Deficit in the State Budget For The Year 1970-71

964. + **Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Rabi Ray :**
Shri Atam Das : Shri Deorao Patil :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government have shown a deficit of about Rs.33 crores in their budget for the year 1970-71 ;

(b) whether it is also a fact that about Rs.29 crores would be paid to that Government by the Central Government ;

(c) whether the Central Government propose to give huge amounts of money to other States, showing deficits in their budgets ; and if so, their names and the criteria for distribution of the amounts ;

(d) if so, the manner in which Government propose to mobilise resources during fourth Five Year Plan for this purpose ; and

(e) whether the decision to provide assistance to the Rajasthan Government has been taken on the request of the Rajasthan Government ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक सहायता देने सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) केवल बजट में घाटा दिखाने से ही कोई राज्य विशेष सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता । सरकार ने सिद्धान्त रूप में उन राज्यों को विशेष सुविधाएं (ऋण रूप में) देने की स्वीकृति दी है जिनके बारे में योजना आयोग यह अनुमान लगाएगा कि उन राज्यों के संसाधनों में अनिवार्य रूप से कमी आ सकती है । 1970-71 वर्ष के लिए ऐसा अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(घ) पुनरीक्षित योजना की रूपरेखा में राज्यों को वित्त देने की पद्धति निर्धारित करते समय धनराशि को ध्यान में रखा गया है ।

(ङ) प्रश्न के (ख) तथा (ग) भाग की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Shiv Kumar Shastri : I would like to know whether keeping in view the condition of draught stricken area of Rajasthan and the condition of canal it has been recommended to help the Rajasthan Government for its deficit budget ?

श्री र० के० खाडिलकर : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक कमी और अकाल की स्थिति का सम्बन्ध है दल ने समय-समय पर इस क्षेत्र का दौरा किया है । 1969-70 में कमी वाले इलाकों को मदद देने के लिए 58 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया गया था तथा वही राशि निश्चित कर दी गई है ।

Shri Shiv Kumar Shastri : That is not my question whether its name is there or not in the list of the states recommended for giving assistance ?

श्री र० के० खाडिलकर : उनका नाम है ।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whether recommendations have been made to assist the backward states like Uttar Pradesh and especially the eastern region of Uttar Pradesh and will Government consider it also ?

श्री र० के० खाडिलकर : साधनों की कमी को पूरा करने का विशेष महत्व है क्योंकि वित्त आयोग की अन्तिम सिफारिशों से इन राज्यों को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ तथा योजना में उन्हें कम राशि दिए जाने के कारण उनके साधनों में पड़ गए अन्तर को इस सहायता से पूरा करना है । उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आता ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether any criterion has been fixed regarding the special assistance fund of few crores kept apart in the budget. If it has not been done, whether it may be understood that this assistance will be given only

to the Government which will not do good house keeping and will be an Indicate Government ? I would like to know the names of the states from whom requests for assistance have been received ? I would specially like to know about Orissa where 44 percent tribals and Harijans live. Whether Government have received any application for special asisstance from them ? If so, the details thereof ?

श्री र० के० खाडिलकर : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है ।

Shri Rabi Ray : So far no cirtearian has been fixed.

श्री र० के० खाडिलकर : उनका, सरकार कैसी है अथवा किस दल की है इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । उनका प्रश्न यह है कि वह कैसे और किस आधार पर तय किया जाता है । वह आधार यहां अच्छी तरह बना दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप 'हां' या 'ना' में उत्तर दें ।

श्री र० के० खाडिलकर : कुछ निश्चित आधारों पर योजना आयोग निर्धारण करता है । इस प्रकार के कार्यकारी निर्णय, जिसके आधार पर यह सहायता दी जाती है, लेने के लिए कोई पूर्व निर्धारित नियम नहीं है । उड़ीसा से हमें याचिका मिली है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir. I would like to know whether the Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shukla mentioning the condition of state demanded any special assistance, which is very necessary and hon. Minister also gave assurance about it. As such when they are being given this assistance ? And whether Government is ready to give special assistance to Madhya Pradesh in the same way as they have given to Madras under pressure due to its situation in the centre ?

श्री र० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था तथा उन्होंने श्यामाचरण शुक्ल के वक्तव्य का भी हवाला दिया है । वह सही नहीं है । प्रधान मन्त्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया । जहां तक इस सहायता का सवाल है साधनों की कमी का निर्धारण करने के बाद यह कुछ निश्चित आधारों पर दी जाती है । यह निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है तथा उसके बाद सहायता दी जाती है । मध्य प्रदेश इसकी हद में आता है ।

श्री एस० आर० दामानी : यह बहुत अच्छा है कि सरकार अकाल और कमी की स्थिति का सामना करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है । इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च पर केन्द्रीय सरकार का क्या कन्ट्रोल है ?

श्री र० के० खाडिलकर : यह कर्ज के रूप में दिया जाता है । यदि माननीय सदस्य का मतलब अकाल की स्थिति में दी जाने वाली सहायता से है तो उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार का दल स्थानीय सरकार के दल के साथ क्षेत्र का समय समय पर दौरा करता है तथा जहां तक सम्भव होता है वे और केन्द्रीय सरकार पैसा बांटने में आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं । इसके बारे में यदि कोई शिकायतें हैं तो हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री एस० आर० दामानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या धन के उचित व्यापार पर केन्द्रीय सरकार इस पर पूर्ण नियन्त्रण रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अगले सदस्य को बुला चुका हूं ।

श्री रंगा : इसे हम शीर्षक आर्थिक सहायता समझें या अगले पांच वर्षों के लिए दिया गया

ऋण ? यह सत्य है कि अकाल की विशेष परिस्थितियों के कारण ही वहां यह सहायता दी जा रही है परन्तु केन्द्रीय सरकार के पास कुछ अधिकारियों की यह शिकायतें भी पहुंची है कि जिस ढंग से अकाल सहायता कार्य किया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है और सहायता निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे ही प्रश्नों के एक उत्तर में प्रधान मन्त्री ने यह सुझाव दिया था कि यदि आवश्यकता हुई तो वहां भी सहायता के लिए बिहार वाली कार्य प्रणाली को ही अपनाया जायेगा। अब मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह राजस्थान सरकार के साथ विचार-विमर्श करके कुछ ऐसी कार्यवाही करेगी कि जिससे सहायता धन का उचित उपयोग किया जा सके। श्री दामानी ने ठीक ही कहा है कि इसके लिए सरकार के पास शिकायतें तो आ ही गई हैं और अब और शिकायतों की इन्तजार के बिना ही इन्हें बिहार वाली पद्धति अपना लेनी चाहिये।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सरकार ने यह निर्णय किया है जहां कहीं भी राजस्थान की तरह अधिक धनराशि देनी होगी वहां सूखा सहायता योजना के निरुपण और क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके केन्द्र एक समन्वय समिति बनायेगा। इसके लिए राजस्थान सरकार हमारे साथ सहमत हो गई है।

श्री रंगा : क्या केन्द्र ने समिति नियुक्त कर दी है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसकी नियुक्ति की जा रही है।

श्री जि० मो० विश्वास : जब पश्चिमी बंगाल का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया तो उसमें 56 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। सदन ने पश्चिमी बंगाल के पुरीला और बांकुरा जिलों में पड़े अकाल की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के इस घाटे के बजट को पूरा करेगी ? पुरीला और बांकुरा के बारे में सरकार ने क्या सोचा है जहां कि केवल 20 प्रतिशत खेती हुई है। पश्चिमी बंगाल में आजकल केन्द्र का ही राज्य है। प्रधान मन्त्री अब यही है और मैं उनका ध्यान पुरीला और बांकुरा जिले की ओर दिलाना चाहता हूं जहां कि लोगों में भुखमरी फैली है और वह अपने घरों को खाली कर रहे हैं। मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि वह इन लोगों की ओर ध्यान देगीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने कहा कि इन दोनों जिलों में लोग भूख से मर रहे हैं परन्तु हमें तो इसकी कोई सूचना नहीं है। यदि सदस्य महोदय हमें कोई सूचना देंगे तो हम निश्चय उस पर विचार करेंगे। श्री रंगा ने कहा कि प्रमुख प्रश्न तो राज्यस्थान से सम्बद्ध है। फिर भी अगर देश के अन्य भागों में सूखा पड़ने की संभावना हुई तो हम निश्चय ही उन पर विचार कर उन्हें सम्भव सहायता देंगे।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मैं पहले प्रश्न से सम्बद्ध एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है.........

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी पूरक प्रश्न की आज्ञा नहीं देता। श्री मीठालाल मीना, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : जब बंगाल की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया था तो मैंने वित्त मन्त्री को पुरीला की स्थिति से अवगत करवाया था। अब प्रधान मन्त्री कैसे कहते हैं कि उन्हें इसकी सूचना नहीं है ?

Shri Meetha Lal Meena : Is it a fact the Rajasthan Government cannot take loan from an origanisation like Reserve Bank of India? If so what are its reasons?

श्री जि० मो० विश्वास : क्या आप प्रधान मन्त्री के पुरोला और बांकुरा से सम्बद्ध उत्तर से सन्तुष्ट है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को इस प्रकार पूरक प्रश्न नहीं पूछने चाहिये।

श्री जे० मो० विश्वास : सदन में जब पश्चिमी बंगाल के बजट पर विचार किया गया था तभी तो श्री दासचौधरी ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था। प्रधान मन्त्री कैसे कहती हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय बैठने की कृपा करें।

पंजाब तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा कृषि धन कर का विरोध

+

*965. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** :
श्री सीताराम केसरी : **श्री रा० बरुआ** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा अन्य राज्य सरकारों ने कृषकों पर धन कर लगाने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने, प्रधान मंत्री के नाम लिखे 17 मार्च 1970 के एक पत्र में, वित्त अधिनियम 1969 के अन्तर्गत 1-4-1970 से लागू होने वाले, कृषि भूमि आदि पर धन-कर लगाने पर विरोध प्रकट किया था। अन्य मुख्य मंत्रियों ने भी आपत्तियां उठायी हैं। जो आपत्तियां उठाई गई हैं, उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : अब प्रश्न यह है कि क्या इसका कोई विरोध हुआ या इस पर कोई आपत्ति उठाई गई ? माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि मुख्य मन्त्रियों ने कुछ आपत्तियां उठाई है। यह आपत्तियां क्या हैं और केन्द्रीय सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को वही नहीं पूछनी चाहिये जिसके स्पष्टीकरण की उन्हें आवश्यकता हो।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मैं अपने ही पूरक प्रश्नों के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहता मेरा प्रथम प्रश्न तो आरम्भिक है और मैं मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह आपत्तियां क्या हैं और केन्द्रीय सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने कुछ आपत्तियों को उठाया है। इनमें से एक यह है कि उसके द्वारा नियुक्त एक समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि योग्य भूमि के रूप में जो

लगान पूंजीयन परिसंपत्ति है उस पर कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है। सदन में इस विषय पर वादविवाद हुआ और यह स्वीकार किया गया था कि संसद को ऐसा कर लगाने का पूर्ण अधिकार है और तभी ही यह कर लगाया गया था। अतः इस सम्बन्ध में हम पंजाब के मुख्य मन्त्री के दृष्टि-कोण से सहमत नहीं है।

दूसरी आपत्ति यह थी कि अधिकांश कृषिकार अनपढ़ होते हैं और धन-कर-अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम आभारों के कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहां प्रमुख समस्या यह है कि जहां तक कृषि-धन-कर का सम्बन्ध है उसमें 2.50 लाख रुपये तक तो छूट चलती है क्योंकि एक लाख रुपये तक तो सामान्य छूट चलती है और 1.50 करोड़ रुपये की छूट कृषिकारों के लिए होती है। इसीलिए उसकी सामान्य छूट 2.50 लाख रुपया हुई और 2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कृषि भूमि पर कुल 1250 रुपये वर्ष का कर हुआ। इसीलिए हम इस विषय पर भी हम उनसे सहमत नहीं है। परन्तु जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, आन्ध्र प्रदेश तथा कुछ अन्य मुख्य मन्त्रियों के दृष्टिकोणों की परीक्षा की जा रही है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : अपने बजट भाषण में प्रधान मंत्री ने ठीक ही इस तथ्य पर जिक्र किया कि राष्ट्रीय आय की दृष्टि से इस देश में केवल उसका 14 प्रतिशत या उससे कम कर के रूप में प्राप्त होता है तथा इसीलिये इस स्रोत से आप को बढ़ाना जरूरी है। इस तथ्य को देखते हुए कि कर लगाने योग्य 17000 करोड़ रुपये की कृषि से अलग आय पर 780 करोड़ रुपये का आय कर प्राप्त होता है, जब कि देश में 15000 करोड़ रुपये की कृषि आय पर केवल 111 करोड़ रुपये की कर राशि अब तक वसूल की गई है, और इस भारी अन्तर को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार राष्ट्रीय आय की कर योग्य इस कुल राशि को 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि जहां सक सम्पत्ति कर की दरों का प्रश्न है, इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सम्पत्ति कर में जब भी आधा प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसे काफी से अधिक समझा गया। परन्तु इस बार तो हमने काफी अधिक कर दिया है।

श्री देविन्दर सिंह गर्चा : इस तथ्य की दृष्टि से कि इस कर से जो वसूली होती है वह काफी नहीं है, और फिर भी इससे किसानों को काफी कष्ट पहुंचता है क्योंकि इसके कारण उन्हें आय कर अधिकारियों तथा वकीलों द्वारा दी जाने वाली परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है; क्या हम इस कर को आय कर विभाग के माध्यम की बजाय सामान्य राजस्व प्रणाली से एकत्रित करने को राजी हैं ? क्या सरकार इस बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक सम्पत्ति कर की वसूली का संबंध है, पहले अधिकांश राज्यों में इसे राज्य सरकारों के ही राजस्व अधिकारियों के माध्यम से ही वसूल किया जाता रहा था। परन्तु यह व्यवस्था संतोषजनक सिद्ध नहीं हुई। इसीलिये अधिकांश राज्यों में हमने अपने ही विभाग से इस कर की वसूली के प्रबंध किये हैं। फिर भी सम्पत्ति कर के संबंध में हम राज्य सरकारों को साथ रखते हैं क्योंकि हमें उनके सहयोग की आवश्यकता होती है, और इसीलिये हम मुख्य मंत्रियों द्वारा उठाये गये विभिन्न मामलों पर विचार कर रहे हैं।

श्री रा० बरुआ : इस सारे प्रश्न से डाक आधार-भूत मामला खड़ा हो जाता है क्योंकि राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र से विशेषतया धनी कृषकों के से स्रोतों को काम में लाने में संकोच कर रही हैं। कुछ राज्यों ने कहा है कि वे राज्य की व्यवस्था को इस राजस्व को एकत्रित करने के कार्य में लगने की अनुमति नहीं देंगे। यदि हां, तो केन्द्र सरकार किस प्रकार अपना आदेश वहां चलायेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुछ मुख्य मंत्रियों द्वारा आपत्ति किये जाने के बाद भूमि सीमा नीति को कैसे क्रियान्वित करेगी जबकि यह राज्य का डाक विषय है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नहीं, जहां तक सम्पत्ति कर लगाने का प्रश्न है, मैं यह पूर्णतया स्पष्ट कर चुका हूं कि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 248 के अधीन संसद को प्राप्त अवशिष्ट अधिकारों के लाभ से कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर लगा सकती है। इसके पश्चात् संविधान के अनुसार स्थिति यह है कि अनुच्छेद 257 के अधीन प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का इस प्रकार उपयोग होना चाहिये कि उनसे संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का पालन हो। इसलिये, हम राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे हमसे सहयोग करें। और फिर जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, राज्य सरकारें अपना राजस्व बढ़ाना नहीं चाहतीं तथा इस कर वसूली की सारी धनराशि राज्यों को जायेगी। यह तो उनके राजस्वों को बढ़ाने और उन्हें ही लाभ देने के लिये होना है।

श्री मु० न० नाघनूर : क्या राज्य सरकारों को इस अधिनियम से बचने की छूट प्राप्त होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यदि किसी भी रूप में इस प्रकार की छूट दी गई तो हमें अपने कुछ कार्य करने में कठिनाई होगी। फिर भी मैं कह चुका हूं कि क्योंकि कुछ मुख्य मंत्रियों ने इस संबंध में प्रधान मंत्री को लिखा है, इसलिये मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

Shri Beni Shanker Sharma : As According to Sec. 7 of the Wealth Tax Act the rates of wealth Tax would be assessed on the market value of that agricultural Land, May I know whether Government have issued certain guide lines to concerned officers to fix that rate ?

Secondly as the market value of the agricultural land under wealth Tax, is a notional one, so it should be assessed according to the production.

श्री प्र० चं० सेठी : जहां-जहां राज्य सरकारों के पास भूमि रिकार्ड हर प्रकार से सम्पूर्ण है, हम प्रायः उनके रिकार्ड के अनुसार कार्य करते हैं, तथा इस भूमि का मूल्यांकन उन्हीं दस्तावेजों तथा रिकार्ड पर आधारित किया जाता है; परन्तु जहां ये भूमि- रिकार्ड पूरे नहीं हैं तब बाजार-मूल्यांकन पर विचार किया जाता है और यह बाजार मूल्यांकन विभिन्न राज्यों में विभिन्न-विभिन्न होता है तथा प्रत्येक स्थान तथा वहां की भूमि पर निर्भर करता है।

Shri Beni Shanker Sharma : My point is that the market value should be related to the production and not with notional value. Therefore. I want to know whether the value would have some relation with the production also ?

Shri P. C. Sethi : The Hon. Member is very well aware that the market value of a land or house is based on the market rent received on it. And that market rent also depends upon what the land produces or fetches income and whether it is an irrigatid or non-irrigated piece.

श्री को० सूर्यनारायण : आन्ध्र के मुख्य मंत्री ने जो प्रश्न उठाये हैं उनका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं । एक में वह कहते हैं वर्तमान कानून के अधीन कृषि भूमि के बारे में 1.5 लाख तक की छूट में एक लाख तक के मूल्य वाली छूट वाले शहरी मकान सम्पत्ति के मूल्य के समान कमी कर दी गई है । इस प्रकार कृषि भूमि पर छूट में केवल 50,000 रुपये की कमी हुई है, इसलिये छूट की सीमा को बढ़ाके 2.5 लाख रुपये या कम से कम 2 लाख कर दिया जाना चाहिये ।

वस्तुत: इस समय छूट सीमा 1.5 लाख जमा 1 लाख अर्थात 2.5 लाख रुपये है । कदाचित मुख्य मंत्री का विचार है कि 1.5 लाख की संख्या को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या 2.5 रुपये कर दिया जाये ।

उन्होंने दूसरा प्रश्न यह उठाया है कि कृषि भूमि का मूल्यांकन ऐसे ढंग से किया जाये कि कृषकों की समझ में सरलता से आ जाये । इस उद्देश्य से उन्होंने सुझाव दिया है कि या तो भूमि राजस्व के गुणांशों के बयान कोई फार्मूला निकाला जाये या फिर इसे राज्य सरकारों के राजस्व लेखों में दर्ज भूमि की श्रेणी पर आधारित किया जाये । उनका सुझाव है कि इस प्रक्रिया से कृषक लोग उस दण्ड विधान से बच सकेंगे जिनमें जायदाद जब्त कर लिये जाने की व्यवस्था है ।

श्री लोबो प्रभु : राज्यों तथा केन्द्र को विषयों के आवंटन की सूची में भूमि को स्पष्ट रूप से राज्यों के लिये सुरक्षित रखा गया है । यह कर इसलिये, राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण है जब तक वह यह न समझ लें कि उनको कुछ अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब तथा अन्य राज्यों ने जन्हें बताया है कि सरकार ने उनके विषय का अतिक्रमण किया है और इस दृष्टि से सरकार द्वारा लगाया गया वह कर असंवैधानिक है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । माननीय सदस्य इस विषय पर शायद श्री मोरार जी देसाई के विशेषज्ञ-मत तथा सलाह प्राप्त करना चाहते हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मुझे नहीं मालूम आया कि आपने अभी भी उन्हें अपना सलाहकार बनाये रखा है ।

Shri Yajna Datt Sharma : As the hon. Minister has stated that he is imposing wealth tax on agricultural produce after allowing a simple exemption upto Rs.1 lakh and a special exemption upto Rs.1.5 lakhs ; I would like to know if he has no idea of imposing any further tax on the agriculture, produce or on the income of the agriculturists below this exemption ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसके अधीन अधिकांश किसान कैसे आते हैं ?

Shri Yajna Datt Sharma : The difficulty is that the Government any how just out the way. Even now the farmer will not be able to heave a sigh of relief upto next 10 years. Next year the Government will tax the small farmers also. I, therefore, want to know that whatever the farmer invests during the next 5—10 years, by borrowing money from here and there, whether the Government have any proposal to Tax the farmers' income or his agricultural produce valving below this exemption ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने पहले भी स्पष्ट किया है तथा एक बार पुन: कर देता हूं कि छोटे किसान पर यह कर नहीं लगता । मूल कर तो केवल 1,50,000 व्यक्ति ही प्रभावित होते हैं ।

श्री बेदब्रत बरुआ : हमारे देश ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है और उनके अभी और

विकसित होने की आवश्यकता है। उनसे बहुत कम कर वसूल किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक कर लगाने की आवश्यकता है। इस संबंध में क्या राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा मुख्य मंत्रियों की ओर से कोई दबाव डाला गया है ? क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है कि सरकार ग्रामीण भूमि पर सम्पत्ति कर लगाने के अपने निर्णय से फिर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कहा है कि मुख्य मंत्रियों ने विभिन्न प्रश्न उठाये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है तथा अभी अभी मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के विचार बताये थे। उनके तथा अन्य लोगों के सुझावों की जांच की जा रही है और इसीलिये मैं अभी उनके पक्ष में या विरोध में कुछ नहीं कह सकता। क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा ?

Seizure of gold and jewls at Santa Cruz airport Bombay

966. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold and jewels worth Rs.9 lakhs were seized at Santa Cruz Airport in Bombay in the first half of March, 1970 ;

(b) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the smuggling of gold and jewels ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri P. C. Sethi) : (a) on 12-3-1970 gold valued at about Rs.5 lakhs at the Indian market rate and diamonds valued approximately at Rs.4 lakhs were seized by the Customs authorities at Santa Cruz Airport in Bombay.

(b) One person who was carrying these was arrested. He was produced before the court and was offered bail of Rs.4,00,000-with one surety of like amount. He has not been able to furnish the surety and as such has not been released on bail. Further investigations are in progress.

(c) The following steps have been taken to prevent smuggling of gold and diamonds into the country :

Systematic collection and follow-up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers, searching of suspected vessels or aircrafts, and patrolling of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers and enactment of the Gold Control Act. These measures are kept constanlty under review.

Shri Hukam Chand Kachwai : The smuggling in gold has been constantly increasing since the enactment of gold control Act, Every day we find news regarding smuggling of gold, but I understand that only those cases of smuggling of gold are published in which Government officials do not have their hands.

Mr. Speaker : Please ask a straight question.

Shri Hukam Chand Kachwai : What for are you ringing this bell ? Should I not put questions ?

Mr. Speaker : Do not speak like that; you ask a question straigh away.

Shri Hukam Chand Kachwai : Since the gold smuggling is increasing in this way and even after the enactment of law. different international gangs are carrying on their operations ; so would the Government find out which countries have their hands behind all this and whether some foreigners have been arrested in this black trade ? If so, to which countries do they belong and what action has been taken against them ?

Shri P. C. Sethi : We have no knowledge of any foreign Government having her hand behind this trade. As regards smuggling goods with Rs.4 crores and 70 lakhs were caught in 1965 and in 1969 we caught goods worth Rs.25 crores. This shows that a lot of raids are being made on smuggled goods and the authorities are taking enough pains. Besides that, as regard the apprehended persons, 2132 persons have been caught. We do not have details as to how many of them were foreigners. In the end also I would say that a bulletin published from Japan has also mentioned that silver smuggled from India and Pakistan was 40 million ounces in 1967 and this year it is 14.5 million ounces. This also shows that smuggling of silver from India and Pakistan has gone down as compared to that in the previous years.

Shri Hukam Chand Kachwai : Many a times it has been raised in this House that high officers of Customs Department have their hands in the smuggling trade. I want to know whether the Government would make inquiries and find out whether such a trade is not operated without the help and collusion of the officers ?

Shri P. C. Sethi : Whenever we received such compliaints , are always made full inquiries.

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Questions

अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल निक्षेप

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 18. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस कथित आशंका की ओर दिलाया गया है कि चार वर्ष बाद अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल के निक्षेप समाप्त हो जायेंगे; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, तेल तथा प्राकृतिक गैस द्वारा लगाये गये तकनीकी अनुमानों पर सही उतर रहा है । आयोग द्वारा परिकल्पित दुहरी समापन और जल प्रवेश योजना के कार्यान्वियन के पश्चात् इस क्षेत्र में कच्चे तेल का प्रारम्भिक अधिकतम उत्पादन 30.3 लाख टन था। अधिकतम उत्पादन की यह दर पहले ही प्राप्त की जा चुकी है और उत्पादन की यह दर 1975-76 तक चलते रहने की सम्भावना है । तत्पश्चात् अंकलेश्वर से उत्पादन की यह दर उत्तरोत्तर कम होनी प्रारम्भ हो जायगी ।

Shri Yashwant Singh Kushwah : Would the hon. Minister he pleased to state the number of wells drilled in Ankleshwar under the programme and also the number of wells out cf them which were found oil-hearing, gas-hearing and dry, and what is the number of the wells from which we are still getting crude oil and also of those which have gone dry by now ? What are the first figures of the production duting the last 3 years ; and whether it is a fact that the specialists have expressed fear to the effect that the production capacity of this area will be reduced to half by 1978 ?

श्री दा० रा० चव्हाण : कलेश्वर में 200 कुयें खोदे गये हैं। कितने कुओं में तेल मिला, कितनों में गैस मिली या कितने खाली मिले, इस संबंध में आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है। परन्तु हां, 200 कुयें खोदे गये थे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तेल की दृष्टि से अंकलेश्वर क्षेत्र अच्छा रहा है। इस समय उत्पादन दर 30.3 लाख टन है। दो वर्ष पूर्व यह दर 28.6 लाख टन थी। फिर इसके बाद, यह बढ़कर 30.3 लाख टन हो गई। आशा है यह दर 1975-76 तक इसी प्रकार बनी रहेगी। फिर उत्पादन में लगातार गिरावट आयेगी और वर्ष 1978-79 में यह दर 14.2 लाख टन रह जायेगी।

Shri Yashwant Singh Kushwah : May I know whether more wells would be drilled in Akleshwar or whether some survey is being made to find out the possibility of drilling wells in the neighbouring area, so that the shortage in production could be made good ; and also whether the recent earthquake in that area would affect the oil production of this area;

श्री दा० रा० चव्हाण : अंकलेश्वर तेल क्षेत्र पूरी तरह विकसित हैं तथा वहां तेल का पता लगाने के लिये और आगे कुयें खोदने की गुंजाइश नहीं है। जहां तक उत्तर गुजरात का संबंध है वहां अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विकास किया गया है जैसे, कालोल नवागाम, सानन्द, कथाना, ढोलका, Sobhasan तथा कादी लेवल। इन सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ये क्षेत्र इतने उर्वर नहीं हैं जितने कि होने चाहिये थे। इन उत्तर गुजरात क्षेत्रों के वर्ष 1970-71 में 7.9 लाख टन तेल के उत्पादन होने की सम्भावना है। वर्ष 1973-74 में यह उत्पादन बढ़कर 14.7 लाख टन होने की आशा है जबकि अन्ततः वर्ष 1978-79 में यह उत्पादन घटकर 5 लाख टन रह जाने की सम्भावना है। इस वर्ष 1978-79 में अंकलेश्वर में उत्पादन 14.2 लाख टन तथा उत्तर गुजरात क्षेत्रों में 5 लाख टन यानी कुल 19.2 लाख टन की होने सम्भावना है। इस उत्पादन पर भूकम्प का कोई प्रभाव न होगा।

श्री मनुभाई पटेल : मंत्री महोदय अंकलेश्वर और उत्तर गुजरात को परस्पर मिला देने का प्रयत्न कर रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयोग के एक सदस्य तथा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोग को कूओं के सूख जाने की चेतावनी दी थी, तथा क्या यह सच है कि आयोग के इस सदस्य ने इसी बात पर त्याग पत्र दे दिया था ? आरंभ में अंकलेश्वर तेल-क्षेत्रों की कुल आयु कितनी थी ? अब अचानक ही आयोग ने रिपोर्ट दी है कि ये कूयें वर्ष 1978 तक सूख जायेंगे। इस समय दैनिक उत्पादन 8300 टन है। यह दर कितने समय तक जारी रहेगी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने अभी तक जिक्र किया था कि वर्तमान दर 30.3 लाख टन है जो कि लगभग 8333 टन दैनिक होती है। यह दर वर्ष 1970-76 तक जारी रहेगी। इसके पश्चात् इसमें कमी आयेगी। 1976-77 में यह संभवत: 26.6 लाख टन होगी; 1977-78 में 2.18 लाख टन तथा 1978-79 में लगभग 1.42 लाख टन। मैं उत्तर गुजरात के बारे में बताया था क्योंकि माननीय

सदस्य ने विशेष रूप इस संबंध में मुझ से पूछा था। जहां तक आयोग के एक सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने का संबंध है, जहां तक मैं जानता हूं, श्री देश पाण्डेय, जो कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भूतत्व विशेषज्ञ थे, एक वर्ष की अपनी निर्धारित अवधि के बाद आयोग में न रह सके। इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया तथा भेजे गये। यह इस कारण न था जैसा कि मेरे मित्र ने आरोप लगाया है।

श्री मनुभाई पटेल : आरम्भ में इन तेल कुओं का कितना जीवन था ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यहां कुल 450 से 500 लाख टन का भण्डार था जिसे 20 वर्ष से अधिक की अवधि में प्राप्त किया जायेगा। अत: उत्पादन दर 25 लाख टन के लगभग होगी। इस दर क्षेत्र प्राय: 17-18 या 19 वर्ष तक उर्वर रहेगा।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अंकलेश्वर सहित तेल क्षेत्रों की कुल औसत आयु की गणना कर ली गई है तथा क्या यह सच है कि तेल क्षेत्र 30 वर्ष की आयु के बाद सूख जाते हैं तथा बेकार हो जाते हैं जैसे कि इन्डोनेशिया के डा० सुकर्ण ने महिलाओं के बारे में कहा था ? क्या अंकलेश्वर के तेल कूप भी अब से चार वर्ष बाद इसी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने कहा है कि वर्ष 1970-71 के बाद चार वर्ष तक उत्पादन पर 30.3 लाख टन रहेगी। इसके बाद निरन्तर घटती जायेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये क्षेत्र सूख जायेंगे। यदि ये क्षेत्र 30 वर्ष तक भी उर्वर न रहे तो अगले 5 से 10 वर्ष तक रह सकते हैं परन्तु उत्पादन दर कम होती जायेगी।

श्री राणा : क्या यह सच नहीं है कि अंकलेश्वर के उसी क्षेत्र में कुछ मील के भीतर नदी तट से दूर समुद्र में भी कूयें खोदने का कार्य जारी है।

श्री दा० रा० चव्हाण : यह प्रश्न अंकलेश्वर से संबंधित हैं दूसरे मामले में, हम केवल 90 से 100 मीटर नीचे गये हैं। जब तक हम बहुत गहरे नहीं पहुंचते तथा हाइड्रो-कार्बन की खोज नहीं कर लेते, हम नहीं कह सकते कि वहां वाणिज्यिक-मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में वर्ष 1974-75 से जो निरंतर कमी आयेगी उसकी पूर्ति गुजरात के तेल क्षेत्रों से तो नहीं होगी क्योंकि कुल गुजरात क्षेत्र में भी भारी कमी हो जायेगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जिस निरंतर कमी को भारत अभी भी भुगत रहा है। उसे पूरा करने के लिये क्या मंत्री महोदय का विचार देश के अन्य भागों में उत्पादन बढ़ाने का है तथा क्या बोडरा में कूयें खोदने का कार्य पुनः आरम्भ किया जायेगा ?

श्री दा० रा० चव्हाण : बोडरा में कार्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण छोड़ दिया गया है। 4500 मीटर की गहराई तक जाने पर भी हमें हाइड्रो-कार्बन नहीं मिला। इसलिये विशेषज्ञ-मत यही है कि नये कूयें खोदने के लिये नये ढांचे ढूंढ़ने हेतु पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर और आगे भूस्पन्दन संबंधी तथा भूकाम्पिक सर्वेक्षण कराया जाये।

आसाम में तेजपुर न्यायालय की इमारत पर लाल झंडा फहराया जाना

***1051. श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तेजपुर न्यायालय की इमारत पर लाल झंडा फहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आसाम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 मार्च, 1970 को उस भवन से जिसमें जिला न्यायाधीश तथा अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय तथा उप-आयुक्त के कार्यालय की कुछ शाखाएं स्थित हैं, एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा हटा दिया है तथा एक आयताकार लाल झंडा लगा दिया जिस पर असमी भाषा में "स्वाधीन भारत" शब्दों की कशीदाकारी की हुई थी । उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

श्री हेम बरुआ : लाल झंडा उस राष्ट्रीय तिरंगे को उतार कर फहराया गया था, जिसके लिए हजारों भारतीयों ने हंसते-हंसते अंग्रेजों की गोलियों और संगीनों का सामना किया । लाल झण्डा दिन में फहराया गया था ।

वक्तव्य में कहा गया है कि अपराधी को पकड़ लिया गया है, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस अपराधी के पकड़े जाने से आसाम में सक्रिय उग्रवादियों का कुछ सुराग मिला है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे एक दाण्डिक अपराध मानती है ? क्या इसे वे राष्ट्रीय झण्डे का अपमान और देशद्रोह की कार्यवाही मानते हैं और यदि आवश्यक हो तो क्या सरकार का संविधान में परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आसाम सरकार से मिली सूचना के अनुसार यह बात सही है कि दिन में ठीक 2।। बजे झण्डा उतार दिया गया था ।

श्री हेम बरुआ : लाल झण्डा फहराने का यह एक शुभ समय था ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह एक अपराध था । जो अपराध करना चाहते हैं उन्हें समय मिल गया ।

श्री हेम बरुआ : क्या आप इसे दाण्डिक अपराध मानते हैं और क्या आपका संविधान में परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक मैं समझता हूं यह दाण्डिक अपराध है । मैं नहीं जानता कि इसे राष्ट्रीय झण्डे का अपमान माना जायगा या नहीं । पर मामला राष्ट्रीय झण्डे की चोरी के रूप में धारा 379 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ।

श्री हेम बरुआ : जबकि गृह-कार्य मन्त्री ने इस सभा में यह वक्तव्य दिया है कि नागा विद्रोहियों को चीन से हथियार आदि मिलते हैं—एक नागा ने भी मुझे यह बताया है—तथा उग्रवादी आसाम और निकटवर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं और जबकि निस्सन्देह आसाम के लोगों की शोचनीय

आर्थिक अवस्था ने समस्याओं को एक नया रूप दे दिया है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि आसाम के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसका विचार इस आन्दोलन को आरम्भ में ही खत्म करने का है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह इस सरकार अथवा उस सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा । वास्तविकता यह है कि हमारे राष्ट्रीय प्रयत्न उसी दिशा में है । ये बातें थोड़े समय में हल नहीं हो जातीं । इनमें लम्बा समय लगता है ।

जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में दो स्तरों पर कार्यवाही होती है—एक तो मुकदमा आदि चला कर प्रशासनिक स्तर पर तथा दूसरे इन लोगों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करके आसाम सरकार, योजना आयोग तथा अन्य निकाय सम्भवतः इस सम्बन्ध में मदद देने का प्रयत्न करें । इस समय मैं कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता ।

Shri K. N. Tiwary : This is not the question of Assam only but news regarding red flag are coming from all parts of India and even Gandhian literature, his photographs on his statues are being damaged and in its place portraits of Mao-Tse-Tung are being put What steps Government would like to take about all these matters ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक राष्ट्रीय झण्डे का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया जाने वाला है । अभी इसके लिए विशेष दण्ड का विधान नहीं है ।

जहां तक माओत्से तुंग के चित्र का सवाल है तो इस देश में किसी व्यक्ति के चित्र का प्रदर्शन करना अपराध नहीं माना जाता । अन्तत: इन सभी मामलों में हम देश के लोगों की देशभक्ति की भावना पर भी निर्भर करते हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वक्तव्य में कहा गया है कि उन्होंने आसाम में 'स्वाधीन भारत' लिखा एक आयताकार झण्डा फहराया था । क्या नक्सलपंथी गतिविधियों का पश्चिमी बंगाल से आसाम और अन्य जगहों में फैलने को दर्शाने का यह एक बंधा हुआ ढंग है ? यदि हां, तो गृह-कार्य मन्त्री को क्या यह पता लगाना है कि यह मामला झण्डे अथवा ऐसी ही किसी चीज की चोरी का है ? दूसरे गृह-कार्य मन्त्री के अब और पहले दिये गये वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि यह मामला कानून और व्यवस्था का न होकर पूरी तरह से आर्थिक है । पर दुर्भाग्य से--यदि मैं गलत हूं तो वे मुझे सही कर दें—गृह-कार्य मन्त्री द्वारा दिए गये इस प्रकार के वक्तव्यों से जनता में धारणा घर कर गई है कि इन मामलों को सरकार हल नहीं कर सकती—न तो राजनीतिक स्तर पर न कानून और व्यवस्था के स्तर पर । इस सम्बन्ध में उनका वक्तव्य किस सीमा तक सही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में कभी भी सरकार की जिम्मेदारी को कम नहीं माना । मैं पहले उसी पर जोर डालता हूं । पर जब हम इस पर विचार करें तब अन्य पहलुओं को यों ही न छोड़ दें । उसी दृष्टिकोण से मैंने उसके सम्बन्ध में कहा था । इसमें कोई शक नहीं है कि इसका पहला पहलू कानून और व्यवस्था का है तथा इसके सम्बन्ध में दृढ़ता पूर्वक कदम उठाने चाहिए । यह मैं पहले ही कह चुका हूं । यदि फिर भी कोई गलत धारणा लोगों के मन में हो गई है, तो मैं उसे सही करना चाहता हूं ।

Shri Rabi Ray : You must be knowing that earlier to this on 6th January in Guhati , the capital of Assam, the same incident had happened and it had happened in Tez-

pur on 16th March and now one month has passed, so I would like to know that state Government made some arrests but whether the government had done any thing through C. B. I. or through your Intellegence Department. If anything has been done what are the details ?

My second question is that whether Government propose to set up any commission to enquire into the menace of Naxalites in Assam, a boarder state ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि जो बात बिल्कुल स्पष्ट है उसके लिए आयोग बैठाने को कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जहां आवश्यक है वहां दृढ़ कार्यवाही करने की। किसी आयोग के नियुक्त करने की बात कहने का अर्थ है मामले को स्थगित करना। दूसरे इसमें यह धारणा बनती है कि वास्तव में हम मामले के सम्बन्ध में नहीं जानते और न ही यह जानते हैं कि इसका कारण क्या है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए आयोग की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक इस मामले का सवाल है, छानबीन जारी है। जब तक कि छानबीन करने वाले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते तब तक सामान्यतः हम यह नहीं करते हैं। पर यदि वे किसी भी स्थिति में इसे चाहेंगे तो हम मदद देंगे।

Shri Sitaram Kesari : Mr. Speaker, Sir, Constitution and national flag have a sacred status, we come here under that and take oath of it, as such we would like to know whether Central Government prosecuted the culprits for hoisting the red flag in place of National flag ?

Shri Y. B. Chavan : I have already said that the culprit was arrested and action is being taken against him.

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या मन्त्री महोदय इस कार्य को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत मानते हैं ? क्या उस अधिनियम के अन्तर्गत नक्सलवादियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आ सकता। यह इस प्रकार के किसी एक विशेष कार्य के सम्बन्ध में नहीं है।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगें

***1052. श्री भोगेंद्र झा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता समिति और कोठारी आयोग की सिफारिशों पर मुख्यतः स्कूलों के अध्यापकों की सेवा की शर्तों के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल अध्यापक एसोसिएशन ने 2 मार्च, 1970 को अध्यापकों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया था; और

(घ) यदि हां, तो, सरकार की माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने

राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद तथा शिक्षा आयोग की सिफारिशों को अमल में लाया जाय।

(ख) जहां तक स्कूल के अध्यापकों की सेवा शर्तों पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों का संबंध है, सरकारो स्कूलों के अध्यापकों के विद्यमान विनियम सामान्यत: किसी ऐसे कार्यकलाप में भाग लेने का निषेध करते हैं जो धर्म निरपेक्षता का विरोधी हो अथवा सांप्रदायिक असोहार्दता उत्पन्न करने वाला हो जहां तक सहायता प्राप्त स्कूलों का संबंध है, मान्यता प्राप्त और सहायता अनुदान देने के नियमों में सामान्यतः प्रबंधकों या निरीक्षण अधिकारों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

जहां तक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संबंध है, बहुत से राज्यों में वेतन मानों का परिशोधन हो चुका है। जहां तक सेवा-निवृत्ति के लाभों का संबंध है, अधिकतर राज्यों ने या तो अंशदान भविष्य निधि अथवा तिहरी लाभ योजना लागू की हुई है। सरकारी तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों के अध्यापकों की सेवा-शर्तों में धीरे थी।

(घ) शिक्षा राज्य विषय होने के कारण स्कूलों के अध्यापकों की अधिकतर मांगें राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जाएंगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Along with this, question No. 1071 may also be taken.

Shri Bhakt Darshan : Sir, I have no objection. But that question refers to the teachers of Delhi only whereas the question no. 1052 is in regard to the teachers in the whole country.

Mr. Speaker : Let only question no. 1052 be taken.

Shri Bhogendra Jha : The All India Secondary School Teachers Association had placed theirs demands serveral times and on 2nd March, 1970, they staged a demonstration to draw the attention of the Government towards their grievances. The Ministers may be knowing that in Bihar from April onwards, the teachers have been on strike. Teachers from Primary School level up to college level have planned to go on strike right from 28th April onwards. Nowhere in Bihar examination could be conducted owing to this situation the future of lacs of students is doomed. May I know from the Minister as to what recommendation he has made to the state Governments regarding the demands put forward by the All India Secondary Teachers Association on 2nd March, 1970, and what efforts he has made to alleviate the burden of State Governments who are in financial trouble.

Shri Bhakt Darshan : Mr. Speaker, Sir, the demands put forward by the Association on last March, were of great magnitude, and therefore it is difficult to give a direct reply in this regard. For example they demanded "Investment of at least six percent of the gross national income of the country : allotment of ten percent of the expenditure in the Central Budget and at least 13 per cent in the State Budgets of those States which are spending less under the head of Education should be made immediately." It is the State Government that is entitled to take a decision on this matter. The rest of the demands are such that without amending the Constitution, their implementation is impossible. As you know :

"Secondary education commission on the pattern of University Grants Commission to be appointed atonce." This was one of their demands. Keeping this in view, we consulted the Law Ministry. The opinion was that unless the Constitution is amended, this kind of appointment will amount to unlawful activities.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, the Teachers Association has put these demands which are coming within the purview of the jurisdiction of Central Government. Those demands which are connected with the State Government need not be discussed here. Only a very small amount is provided for education in the Budget and this year it is again lessened. Has the Ministry of Education sought the opinion of the Finance Ministry or the State Government as to how much amount must be increased according to this calculation. The Teachers Association has demanded 50 per cent increase. What is his opinion in this regard. Has he made any suggestion for the amendment of the Constitution ? After all the Constitution has been amended several times and it can be done now also. The Minister evaded the question saying that it is not a specific question . Later when agitation will spread all over the country, then we will have to discuss this here.

Mr. Speaker : Please ask supplentary question directly.

Shri Bhogendra Jha : I would like to ask the Ministry whether he has made any suggestion to amend the Constitution, if it is necessary. May I know whether the Minister asked for any amount keeping in view the demand of the Association that 50 percent should be paid. If so, what is the reply ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, the hon. member is fully aware of the fact that in the present circumstances, to amend the Constitution is quite impossible.

............................(Interruption).

An Hon. member : We are ready to support you.

Shri Bhakt Darshan : I welcome your support. But this can be done only when the State Governments also agree to this.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, the Minister did not reply as to how much percentage of amount is necessary according this calculation. The second part of it was......

Mr. Speaker : Order, Order, the Minister has given reply. Perhaps the reply given by the Minister might not have satisfied the hon. member. But if he goes on insisting on that ground, it is wrong. What the Minister had to say he has said.

Shri Bhogendra Jha : My question was that how much amount is necessary according to his calculation, and what reply he has received for his demand.

Shri Bhakt Darshan : Sir, So far as the point that more and more amount be provided for education, is concerned, the Education Ministry is trying their best to do it. But we are facing some obstacles, of which the hon. members are fully aware. For example, when the fourth plan draft was prepared, the National Development Council made a provision of Rs.1,210 crores for education. But ultimately when the members, objected to it, this amount was decreased to Rs.800 crores.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has just now said that so far as the Payscales of teachers is concerned, that is the responsibility of the State Government. But the Central Government fixed the pay scales of the teachers in Delhi. When the Delhi teachers went on strike demanding the Payscales of Punjab and Hariyana, the then Minister of Education presented an interpretation of the report. On the basis of this inter-pretation, the Delhi Administration set up a Committee to go into the detail of this report. May I ask you what recommendations the Delhi Administration has submitted and what action you have taken in this regard ? If the Government have not taken any action, when they are supposed to take ?

Shri Bhakt Darshan : The hon. member has very cleverly come on the question

no. 1071. Mr. Speaker, Sir, I would like to reply with your permission. The fact is that the Pay scale of Delhi teachers is already increased sufficiently. Then, it is a matter beyond doubt that there is difference between the Pay Scales of Delhi teachers and those of Punjab and Haryana teachers. The third Pay Commission proposed to be set up soon will go in details of the Pay Scales of the employees of Union Territorias. in consultation with the Home Ministry. The teachers of Delhi and Himachal Pradesh will also come under this. Therefore we cannot discuss this problem part by part. It is decided that the third Pay Commission will think over the whole issue.

Shri Kanwar Lal Gupta : This was not my question at all. My question was about the assurance given by Dr. Triguna Sen. The Minister is not giving the reply which is wanted.

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, प्रश्न का जवाब दिया जा चुका है ।

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : माध्यमिक स्कूल अध्यापकों की एक मुख्य मांग यह थी कि सरकारी माध्यमिक स्कूल अध्यापकों और गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल अध्यापकों का वेतन बराबर किया जाय । निजी स्कूल अध्यापकों को मांग थी कि सभी राज्यों में त्रिविध लाभ योजना को लागू किया जाए । मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों में माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि करने हेतु धनराशि दी है, मगर राज्य सरकारें अपना हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होती ? क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए कोई कदम उठायेगी ताकि राज्य सरकारें अपने हिस्से दे दें और उक्त योजना को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जा सके तथा त्रिविध लाभ योजना को सभी राज्यों में लागू किया जा सके ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपनी निधि में से सहायक अनुदान नहीं दे सकती । यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी की बात है और जहां तक कि मुझे मालूम है, राज्य सरकारें सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों का वेतन-स्तर बराबर करने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं । त्रिविध लाभ योजना के संबंध में, मेरी जानकारी यह है कि सभी राज्य सरकारें इसको लागू कर रही हैं ।

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : यह गलत जवाब है । मैं जानना चाहता हूं कि किस राज्य सरकार इस योजना को लागू किया है ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां श्रीमान्, हमारी अब तक की जानकारी के अनुसार हर राज्य सरकार, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, इस योजना को लागू कर रही है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : श्रीमान्, सदन में वे गलत वक्तव्य दे रहे हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं सीधे माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं । मेरी आशा है कि वे इसका सही जवाब देंगे । शिक्षा भले ही राज्य का विषय हो, मगर मुद्रा स्फीति के कारण इस में व्यय अधिक हुआ है जो केन्द्रीय सरकार की नीति का परिणाम है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यापकों का भत्ता अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं कर दिया जायगा । दूसरे मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने पुराने वेतन-मान पर आधारित निवृत्ति वेतन के संशोधन के संबंध में जिसका कि मुद्रा के वर्तमान मूल्य में कोई संबंध नहीं है, क्या कार्यवाई की । * तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि अगर 20 प्रतिशत अध्यापकों के लिये सेलैक्शन ग्रेड बनाया जाये और

इस ग्रेड के अध्यापकों के 20 प्रतिशत वेतन अधिक दिया जाये, तो शिक्षा का स्तर भी ऊंचा रखा जा सकता है और साथ ही साथ अध्यापक संतुष्ट भी हो सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इन तीनों कार्यों के लिए विशेष अनुदान क्यों नहीं देती।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार किसी सहायक अनुदान की व्यवस्था नहीं कर सकती।

श्री लोबो प्रभु : क्यों नहीं कर सकती ? यह मंत्रालय फिर किस काम के लिए है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दिया है।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय बहस में भाग क्यों नहीं लेते ?

श्री रंगा : उन राज्यों को जहां अध्यापकों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, वे 80 प्रतिशत तक अनुदान देती हैं......(व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर

श्री लोबो प्रभु : श्रीमान्, उन्होंने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आप एक सेवा निवृत्त सिविल सर्विस अधिकारी हैं। मैं आशा करता हूं कि आप कानून को और अच्छी तरह समझ लें। आपका प्रश्न कुछ सुझावों के रूप में था।

श्री लोबो प्रभु : क्या वे मेरे सुझावों से सहमत नहीं हो सकते ? क्या वे सुझाव इतने महत्वहीन हैं कि वे इसकी ओर ध्यान देना ही नहीं चाहते ?......(व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय : श्री नम्बियार।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए राज्य सरकारों को दो गयी धनराशि के अनुभाजन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद चल रहा है और क्या आवंटित धनराशि के मामले में राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की सलाह नहीं मानतीं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। जहां तक शिक्षा कार्य के लिए धन विभाजन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि उसके लिए और अन्य व्ययों के लिए धनराशि का विभाजन करना राज्य सरकार का कार्य है।

Shri S. M. Joshi : The reply given by hon. Minister is contradicting one. He said that the Central Government cannot give grants from these funds. I recall that when in 1967 an education Panel was formulated, it has recomended that a Secondary Education Grants Commission may be appointed on the pattern of University Grants Commission. Now the Minister says that for this purpose the Constitution is to be amended, and that in the present circumstances it is impossible. Will he say what is the obstacle in amending the Constitution ? Who is going to oppose that move ?

Shri Bhakt Darshan : Sir, As far as the problem of Secondary Education Commission is concerned, it cannot be solved until education comes under at least concurrent list.

Shri S. M. Joshi : Money has to be spent for this purpose.

Shri Bhakt Darshan : Sr, Even if we are willing to spend money, we cannot spend. This House, Planning Commission and National Development Council are the controlling authority. So far as Secondary Education Commission is concerned; we cannot touch it, unless Education is brought to concurrent list at least. The Constitution would have to be amended for this purpose.

Shri S. M. Joshi : I had simply asked if Constitution was standing in the way of granting money.

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : क्या मैं अपने साथी द्वारा दिये गये उत्तर को और स्पष्ट करूं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि अब आप इसे और न उलझा दें। (अन्तर्बाधाएं)

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन संविधान में इस प्रावधान के पश्चात् ही किया गया था कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था और उसमें समन्वय करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होगी। जहां तक माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है, हमें यह सलाह दी गई है कि वित्तीय प्रबन्ध और अन्य बातों के अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन इसलिए भी उचित न होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पूर्णतया राज्य-विषय है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के बिना भी द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ उद्देश्यों के लिए हम राज्य सरकारों को अनुदान देते रहे हैं। ये अनुदान केन्द्र द्वारा चालू की गई योजनाओं के लिए थे। मगर दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने, जिसमें सभी मुख्यमन्त्रियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, काफी दृढ़ रुख अपनाया कि वे राज्य क्षेत्र में केन्द्र द्वारा चालू की गई योजनाओं को नहीं चाहते। वे यह चाहेंगे कि यह सारा धन राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया जाये और यह उनका कार्य है।

एक माननीय सदस्य : क्या कानून सम्बन्धी भी कोई कठिनाई है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : कानून सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं है, परन्तु हमें यह सलाह दी गई है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर अन्यथा भी, केन्द्र द्वारा चालू योजनाओं को अब लगभग पूर्णतः अस्वीकार किया जा चुका है। इसलिए, मेरे साथी ने बार-बार सदन को यह बताया कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और वह शिक्षा मन्त्रालय में हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली उद्विग्नता को प्रकट कर रहे थे। जहां तक माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है, हम सलाह देने के अलावा और कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं और धन के बिना सलाह मानी नहीं जाती।

श्री के० रमानी : प्रश्न के भाग (क) में कहा गया है कि "विशेषतः स्कूल-अध्यापकों की सेवा-शर्तों के बारे में; इसलिए यह प्रश्न केवल वेतन के बारे में नहीं है। आजकल बढ़े हुए कार्यभार के कारण अध्यापकों को परेशानी हो रही है। प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में कोठारी आयोग की स्पष्ट सिफारिशें हैं। क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और क्या कोई योजना तैयार की है और क्या सरकार ने उसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से सिफारिश की है, जिससे अध्यापकों के कार्यभार में कमी हो और शिक्षा

का स्तर ऊंचा हो और अध्यापकों को अधिक रोजगार प्राप्त हो सके ? क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रकार का कोई निदेश दिया है ?

श्री भक्त दर्शन : महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले ही बताया है कि शिक्षा आयोग की सभी सिफारिशें, जिनमें वह विशिष्ट सिफारिश भी शामिल है जिसकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है, राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई हैं और अब उन्हें क्रियान्वित करना राज्य सरकार का कार्य है ।

Antiques With Private Collectors

+1053. **Shri Ram Avtar Sharma** : **Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri Atam Das** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some rare and valuable antiques are available with the private collectors in the various parts of the country but these are not being well preserved due to shortage of funds ; and

(b) whether Government would give financial aid to the collectors of such objects so that our National heritage could be preserved for the benefit of Research Scholars and future generation ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) देश में पुरातन वस्तुओं के बहुत से प्राइवेट संग्रहकर्ता हैं किन्तु सरकार को उनके संग्रह के ब्यौरों की जानकारी नहीं है और न ही किसी ने सरकार को सूचित किया है कि उनके कब्जे में जो पुरातन वस्तुएं हैं उनको धन की कमी के कारण भली भांति परिरक्षित नहीं किया जा सकता ।

(ख) पुरातन वस्तुओं के संग्रहकर्ताओं को आर्थिक सहायता देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय संग्रहालय की रसायन प्रयोगशाला, चित्रों तथा अन्य कला विषयक वस्तुओं के सम्बन्ध में अथवा उनके परिरक्षण या मरम्मत के लिए तकनीकी सलाह प्रदान कर रही है । राष्ट्रीय संग्रहालय भी कला-वस्तुओं का पता लगाने में सहायता कर रहा है । भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, प्राइवेट संग्रहकर्ताओं के अपने रिकार्डों और पाण्डुलिपियों के आपट्टीकरण, रासायनिक लेप, माइक्रोफिल्म तैयार करने तथा मुफ्त तकनीकी सलाह प्रदान करके उनकी मदद कर रहा है । सरकार ने, प्राइवेट पार्टियों के स्वामित्व वाली महत्वपूर्ण पुरातन वस्तुओं/पाण्डुलिपियों/रिकार्डों की खरीद के लिए भी धन की व्यवस्था की है।

Shri Ram Avtar Sharma : It has been told just now in the reply that Government is not aware of the details of the collection of antiques and in whose possession they are. What are the reasons for not getting this information ?

Has any body approached the Government for help for preservation of such goods and if so, has it been given to any person till now ?

शिक्षा तथा युवक-सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि प्राइवेट संग्रहकर्ता अपने कब्जे की पुरातन वस्तुओं आदि की घोषणा करें । अब हमारा विचार सदन में एक ऐसा विधेयक पेश करने का है,

जिसमें उस विशेष कमी को दूर किया जायगा जिसकी ओर माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। दूसरे प्रश्न के बारे में मेरी अच्छी से अच्छी जानकारी के अनुसार, प्राइवेट संग्रहकर्ताओं द्वारा सहायता मांगे जाने के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई है। अगर कोई पूछताछ या अनुरोध किया जाता है, तो मैं यह बताने की स्थिति में नही हूं कि सहायता दी जा सकती है या नहीं। प्रकाश आदि के माध्यम से परिरक्षण आदि के बारे में तकनीकी सलाह देने की स्थिति में हम हैं।

Shri Ram Avtar Sharma : By antiques I mean old manuscripts also. For example, I want to know if Government is aware of the existence of a manuscript of Ramayan's Ayodhya Kand Composed by Goswami Tulsi Das ; if so, what are the reasons for not preserving such antiques ?

We daily read in the news papers that such antiques are being stolen in huge numbers and are being exported to foreign-countries. Government would also be aware of all these facts. What measures are being taken to prevent this and if nothing is being done, what are the reasons for that ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहले प्रश्न के बारे में, मुझे यह कहना है कि माननीय सदस्य मुझे इस विशेष पाण्डुलिपि का ब्यौरा दे दें, तो मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इस विशिष्ट मामले में क्या किया जा सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : What else should he give ? He has finished the information.

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं बड़ा आश्चर्य चकित हूं कि मेरे मित्र श्री गुप्ता, मुझे जो ब्यौरा चाहिए उसके बारे में मुझसे ही पूछ रहे हैं। मुझे अभी-अभी यह बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामायण के अयोध्याकाण्ड की प्राचीन पाण्डुलिपि बहुत खराब हालत में है और इसके बारे में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। मैंने यह कहा कि वह किसके कब्जे में है और कहां पर है—आदि बातों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् मैं पूछताछ करूंगा और यह पता लगाऊंगा कि हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं। चोरी की गई पुरातन वस्तुओं के प्रश्न के बारे में सदन के माननीय सदस्यों के साथ साथ मुझे भी गम्भीर चिन्ता है। पुरातन वस्तुओं के चुराए जाने और इस देश से निर्यात किए जाने पर हम सभी व्यग्र हैं। इसलिए, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारा विचार इस सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करने का है—मैं यह नहीं कह सकता कि वह इस सभा में पेश हो सकेगा या नहीं, यद्यपि मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस विधेयक में इस प्रश्न पर विस्तृत विचार किया जायगा, जिसमें गम्भीर दण्ड दिये जाने की भी व्यवस्था होगी और जिसमें सम्भवतः जहां तक राज्यों से निर्यात किये जाने का सम्बन्ध है, उसे एक वांछित दिशा दिए जाने की भी व्यवस्था होगी और जिसमें कलात्मक वस्तुओं आदि का व्यापार करने वाले प्राइवेट दुकानदारों आदि के पंजीकरण और लाइसेंस दिए जाने की भी व्यवस्था होगी। हमें आशा है कि जब नया विधेयक पेश किया जाता है, पारित हो जाता है और क्रियान्वित हो जाता है, तो इस समस्या के समाधान की ओर यह एक प्रभावशाली कदम होगा।

Shri Ram Gopal Shalwale : Sheikh Abdulla has sold old Sanskrit Manuscripts of Kashmir to foreigners, in very large numbers................ (Interruptions).

श्री बलराज मधोक : इसमें हंसने की क्या बात है ? वह जो कुछ कह रहे हैं, वह शत प्रतिशत सच है। (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो यहां अपना बचाव नहीं कर सकता।

Shri Ram Gopal Shalwale : Sheikh Abdulla has sold Sanskrit literture of Kashmir to foreigners in large numbers. I want to know what arrangements Government has made for preservation of Brahman granth and other books written on Bhojpatras, which are kept in Raghunath Temple ? If not, would it make arrangements ?

Two years back Prof. Sher Singh had assured in this house that Government would try to obtain the correspondence between Swami Dayanand Sarswati and famous Revolutionary Shri Shyam Verma. I want to know now much success has been achilved in that regard ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस बारे में जांच करूंगा।

श्री जि० मो० विश्वास : श्रीमान् जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं, जो यहां उपस्थित होकर अपना बचाव नहीं कर सकते ? (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि बाहरी व्यक्तियों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री जि० मो० विश्वास : यहां अनुपस्थित एक व्यक्ति के बारे में यह आक्षेप है। सदस्य भले हो विरोध करें, आपको इस प्रकार के प्रश्न की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जि० मो० विश्वास : मैं श्री शेख अब्दुल्ला का पक्ष नहीं ले रहा हूं। परन्तु यह एक आक्षेप है।

Shri Kanwar Lal Gupta : He has all the time been supporting all the anti-nationa activities.

श्री जी० मो० विश्वास : हम जनसंघ को इस संसद् का राजनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं करने देंगे। (अन्तर्बाधायें)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमें भी यहां उतने ही राजनैतिक दांव पेंच चलाने का अधिकार है, जितना आपको। आप इस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। (अन्तर्बाधायें)

श्री जि० मो० विश्वास : जनसंघियों की अपेक्षा शेख अब्दुल्ला ज्यादा देशभक्त हैं...... (व्यवधान)। अगर आप इस प्रकार के वाद-विवाद को उठाने की अनुमति देंगे, तो इससे देश में साम्प्रदायिक समस्या भड़क उठेगी। इसका पुरातन वस्तुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है......(व्यवधान)

Shri Ram Avtar Shastri : They have no right to say that no body else is patriot except them. (Interruption).

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, when Naxalites indulge in unlawful activities, set the National Flag on fire or when Sheikh Abdulla indulages in anti-national acivities and when we object to all this, why these people feel offended. All of them are anti national. (Interruptions)

Mr. Speaker : Before raising of a point of order, I had already drawn the attention of Hon'ble Member for referring the name of an individual.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, you get it expunged please. (Interruption).

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री जि० मो० विश्वास : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह कार्यवाही में दर्ज हो चुका है। अगर उनके पास कोई प्रमाण है, तो वे उसे गृह मन्त्रालय को प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् मामले की जाँच की जाय।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं; हम इसे साबित कर देंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप जांच किये जाने का समर्थन करो।

श्री बलराज मधोक : जब शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्य मन्त्री थे*......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री बलराज मधोक : **

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Who has started this trouble ? Can the name of Sheikh Abdulla not be mentioned in this House ? If allegations are wrong, hon' ble Minister can contraduct them. Since when these people have turned as supporters of Sheikh Abdulla ?

श्री उमानाथ : जब एक ऐस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं, जो यहां उपस्थित नहीं हो सकता; तो आप लोग स्वयं उस पर विरोध प्रकट करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker. Our friends abuse Tatas and Birlas daily here (Interruption).

Shri J. M. Biswas : These people are destroying the country. (Interruptions).

Shri Kanwar Lal Gupta : Sheikh Abdulla is in collusion with Communist Party and is destroying the country. (Interruptions). It is their conspiracy. (Interruption).

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, you remember that General Cariappa was not present here, even then they had criticised him. Shankaracharya was not present in this house, they criticised him also and today they are supporting Sheikh Abdulla. There should be a similar rule for all. (Interruption).

Shri Kanwar Lal Gupta : These people speak against Tatas, Birlas and Shankaraharya. They have different sets of standard. They always support anti-national activities. It is very improper. (Interruptions).

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker. Shri Atal Bihari Vajpayee said just now as to since when Marxist Communist have become the supporters of Sheikh Abdulla. They have become supporters of Sheikh Abdulla since China became the friend of Pakistan. (Interruptions).

Shri Bhogendra Jha : We became the supporters of Sheikh Abdulla, since when he did not allow Muslim League to be organised there. (Interruptions). Then these people were traitors. (Interruptions). When Maharaja Hari Singh had fled away, Sheikh Abdulla had faced Pakistan boldly with arms. (Interruptions).

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री स० कुण्डू : हम किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, चाहे वह टाटा, बिड़ला, शंकराचार्य, करियप्पा, शेख अब्दुल्ला कोई भी क्यों न हो और हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक आजाद देश है। (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : श्री क० लकप्पा।

श्री क० लकप्पा : हमारे महान् राष्ट्र की संस्कृति और परम्परा को प्रदर्शित करने वाली इन दुर्लभ और बहुमूल्य पुरातन वस्तुओं का, भूतपूर्व शासकों और महाराजाओं से संग्रह करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और क्या इन दुर्लभ और बहुमूल्य पुरातन वस्तुओं को प्राप्त करने और उन्हें परिरक्षित करने के लिए सरकार का विचार भूतपूर्व शासकों और महाराजाओं के निवास स्थानों पर छापा मारने का है ? महान् भारत की परम्परा और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए इन दुर्लभ और बहुमूल्य पुरातन वस्तुओं के संग्रह करने के बारे में क्या सरकार का विचार शीघ्र ही विधेयक लाने का है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले माननीय सदन को बताया कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह राजकुमार या भूतपूर्व राजकुमार······

श्री क० लकप्पा : महाराजा भी।

डा० वी० के० आर० वी० राव : प्रत्येक व्यक्ति। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के सभी व्यक्ति, यदि उनके पास पुरातन वस्तुयें या कला की अन्य बहुमूल्य वस्तुयें आदि हैं, तो वे अपने कब्जे की वस्तुओं की घोषणा करें, जिससे हमें यह पता लग सके कि पुरातन वस्तुओं के रूप में देश की समस्त सम्पत्ति क्या है और वे किनके पास हैं और वे उनके परिरक्षण के लिये क्या उपाय कर रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल में हथियार तथा गोला-बारूद का बरामद होना

+

***1054. श्री सीताराम केसरी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री समर गुह :
श्री दे० अमात :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आप 1970 के दूसरे पखवाड़े में कलकत्ता में विभिन्न भागों से बड़ी मात्रा में बम तथा गोला-बारूद बरामद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन हथियारों और गोला-बारूद के आने के स्रोत की जांच की है; और

(घ) पश्चिमी बंगाल में हथियारों, गोला बारूद के निर्माण और/अथवा चोरी छिपे उनके लाये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 मार्च, 1970 से 31 मार्च, 1970 तक कलकत्ता में पुलिस द्वारा 377 बम/44 पटाखे और गोला-बारूद के 800 राउंड बरामद किये गये तथा पकड़े गये। 377 बमों में तीन पैट्रोल बम तथा एक ग्रैनेड था। बरामद किये गये सारे बम देश में बने समझे जाते हैं। इन वस्तुओं की बरामदगी के सम्बन्ध में बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनके स्रोत का पता लगाने के जांच-पड़ताल जारी हैं।

Shri Sita Ram Kesari : Sir, it has been stated in the statement given with the reply that all the 377 bombs recovered by the police are foreign-made. On the 23rd March the police Commissioner of Calcutta made a statement before the Press representatives and said therein that along with the bombs pipe guns and Part pocketed Pistols were also recovered. As appears in the newspapers that Calcutta has become a trading centre of bombs, may I know whether the Government have found out any bomb manufacturing centre in Calcutta, and if so, whether they have traced those persons who were engaged in bomb trading ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वर्तमान जानकारी का सम्बन्ध 16 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि में बरामद किये गये सामान से है। यह सामान एक पखवाड़े में बरामद किया गया था।

यह सच है कि यह सामान राज्य के विभिन्न भागों से और विशेषकर कलकत्ता नगर तथा उसके आसपास से बरामद किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सभी वस्तुओं को बरामद करने के लिये एक अभियान चलाना आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आज तक तो कोई बम बनाने वाला कारखाना नहीं पकड़ा गया (व्यवधान) इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थों को बरामद करने के लिये एक विशेष अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है।

श्री स० कुन्दू : क्या वहां कुटीर उद्योग की भांति बमों का निर्माण किया जा रहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसा ही प्रतीत होता है।

Shri Sitaram Kesari : The hon. Minister has mentioned that certain persons are arrested. The police Commissioner has also stated that about two hundred persons were detained and released and then they are again arrested. May I know whether the arrested persons belong to any political party ? Will the hon. Minister find out the names of the persons and their party who indulge themselves in such an anti-national activities ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि कौन कौन व्यक्ति पकड़े गये थे तथा बाद में छोड़ दिये गये अथवा फिर पकड़ लिये गये थे। अतः मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न नहीं करना चाहता। जिन 25 व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्य चल रहा है वे इस विशिष्ट मामले से सम्बन्धित हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : इनका किस दल से सम्बन्ध है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उग्रवादी राजनीतज्ञ हैं। (व्यवधान)

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister is not mentioning the names of the

persons involved in this matter deliberately. Actually, they are naxaliles. May I know whether the Government will undertake planned investigation against these communists and will punish them if they are found with bombs and other kind of arms ? May I know whether the Government propose to ban the Communits party ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो भी व्यक्ति बमों का निर्माण करते या उनका उपयोग करते पकड़े जायेंगे उनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जायेगी चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी राजनीतिक दल से हो ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के 13 महीने के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में बम विस्फोट की हजारों घटनाएं हुई हैं ? क्या यह भी सच है कि उनके शासनकाल में इन घटनाओं को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये थे क्योंकि गृह-मंत्रालय इस कार्य को जन आन्दोलन में तीव्रता लाने के हेतु अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का अंग मानती थी । यदि हां तो क्या यह सच है कि 16 मार्च के बाद लगभग हर रोज पुलिस द्वारा सैकड़ों बम बरामद किये जा रहे हैं ? क्या यह भी सच है कि प्रेसीडेंसी कालेज तथा अन्य कालेजों की प्रयोगशालाओं को बमों के निर्माण के छोटे कारखानों के रूप में पाया गया है और क्या यह भी सच है कि कुछ बमों का पाकिस्तान से भी आयात किया गया है । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी है किन्तु उसे मैं व्यक्त नहीं करना चाहता । (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय को इस जानकारी से अवगत करा सकता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार पश्चिम बंगाल में शांति और व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली जनता को शांतिपूर्वक तथा सुरक्षापूर्वक रहने देने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं यह गारंटी के साथ कैसे कह सकता हूं कि पाकिस्तान से कोई हथियार नहीं आ रहे हैं ? यदि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है तो वह मुझे बता सकते हैं । मैं अवश्य ही उसकी जांच करूंगा । इसके अतिरिक्त वह मेरी राय भी जानना चाहते हैं । मैंने कई बार यह निवेदन किया है कि वहां स्थिति पूर्ण रूप से बिगड़ी हुई है तथा यह स्वाभाविक है कि इस अवसर पर हम समस्या के मूल कारण का पता लगा सकते हैं तथा स्थिति में सुधार कर सकते हैं । आज भी एक घटना का समाचार मिला है जो प्रेसीडेंसी कालेज तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में घटी है । विश्वविद्यालयों के अहाते बड़ी गम्भीर समस्या बन गये हैं तथा मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री से विचार विमर्श करना उचित रहेगा । सामान्य रूप से यह परिपाटी रही है कि पुलिस विश्वविद्यालय के अहाते में नहीं घुसती । आज मुझे जाधवपुर विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्नों का उत्तर देना है तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी मैं अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करूंगा । मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कुछ विश्वविद्यालयों के अहातों में उग्रवाही तत्व सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं तथा हमें इनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा । ध्यान देने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में कुछ अत्यंत योग्य विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं ।

श्री समर गुह : पुलिस ने कुछ स्टेन गन तथा ब्रन गन भी बरामद की हैं । यह सूचना समाचारपत्रों में छप गई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि कुछ स्टेन गन और ब्रेन गनें भी बरामद की गई हैं।

श्री दे० अमात : अध्यक्ष महोदय ! झगड़ों और अपराधों में खुले आम प्रयोग के लिये बमों की क्रय विक्रय पश्चिम बंगाल में एक लाभदायक व्यापार बन गया है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता तथा उसके उपनगरीय क्षेत्रों में बम बनाने वाले हजारों कारखाने खुल गये हैं । अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बमों का निर्माण करने के लिये उसमें प्रयुक्त होने वाले मंहगे उपकरण उस नगर में इस गुप्त व्यापार के लिये कहां से उपलब्ध होते हैं तथा कितने होते हैं ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : इस विशिष्ट मामले की सावधानी से जांच की जा रही है तथा इस पर विचार किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में सामान्य रूप से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि देश में बने बमों में उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक पदार्थ इस प्रकार के हैं जो सामान्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों, निर्माण कार्यों आदि के लिये उपलब्ध हैं तथा इनमें से कुछ पदार्थ आधारभूत पदार्थ हैं । हमें इन सब बातों की जांच करनी पड़ेगी । लेकिन इस सम्बन्ध में मैं पहले इस ओर ही संकेत कर सकता हूं ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that, as published in the newspapers, that the C. P. I. (M) issued a circular in which the entire scheme pertaining to the establishment of bomb-manufacturing factories and to the places where the bombs were to be thrown was indicated ? May I also know whether certain factories, wherein small bombs are manufactured, are under the protection of certain police officers ? I also want to know whether the bombs and other arms recovered by the police include some foreign-made bombs, and if so, the name of the country wherein they were made.

श्री यशवंत राव चव्हाण : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे उस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । किन्तु सम्भवतः माननीय सदस्य मुझे ऐसा संकेत दे रहे हैं कि इस पहलू से जांच की जानी चाहिये । मैं निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार की जांच की जायेगी । मैं निवेदन कर चुका हूं कि बरामद किये गये अधिकतर बम किसी विशिष्ट प्रकार के नहीं हैं । वे हाथ से बने हुये देश के उत्पाद ही प्रतीत होते हैं । कहा जा सकता है कि यह ग्राम उद्योग में बनी हुयी चीजों की तरह हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि गत एक वर्ष में इन बमों का मूल्य 2 रुपया प्रति बम हो गया था ?

श्री विश्वनाथ राय : क्या पश्चिम बंगाल में बरामद किये गये बमों में और बम निर्माण के लिये उपयोग में लाये जाने वाले विस्फोटक पदार्थों में कोई समानता पाई गई है ? क्या बमों का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने किया है अथवा किसी समूह ने किया है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : जहां तक समानता का सम्बन्ध है मूलतः कुछ समानता तो है ही किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका सब का निर्माण एक ही स्थान पर हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बनाने में सम्भवतः एक ही तकनीक का उपयोग किया गया है ।

जहां तक किसी व्यक्ति या दल का सम्बन्ध है इन मामलों की जांच की जानी है । इस समय मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके आधार पर मैं किसी एक दल का नाम ले सकूं ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

अयस्क के निर्यात के लिए जापान के साथ करार

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या } 20. **श्री एस० आर० दामानी :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अयस्क का बड़ी मात्रा में निर्यात करने के लिए जापान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ जापान द्वारा किये गये करारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने अध्यक्ष श्री आर० आर० बहल के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1970 को टोकियो में जापानी इस्पात मिलों के साथ 7.17 करोड़ मे० टन कुल मात्रा के लौह अयस्क की नई संविदाएं कीं। संविदाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(क) बेलाडिला संविदा

1971-74 के वर्षों के लिए विजाग आन्तरिक पत्तन द्वारा निर्यात।	147 लाख मे० टन
1974-80 के वर्षों के लिए विजाग बाह्य पत्तन द्वारा निर्यात।	466 लाख मे० टन
	613 लाख मे० टन
	मूल्य 467 करोड़ रु०

(ख) मूल ग्रेड संविदा, जिसमें बराज-मदा / बेल्लारी होस्पट अयस्क का पोत-लदान पारादीप, मद्रास, कलकत्ता सह काकीनाडा द्वारा किया जायेगा :

1971	35 लाख मे० टन
1972	35 लाख मे० टन
	70 लाख मे० टन
	मूल्य 49 करोड़ रु०

(ग) बेल्लारी-होस्पट उच्च ग्रेड अयस्क संविदा, मद्रास तथा अन्य छोटे पत्तनों द्वारा :

1970-74	34 लाख मे० टन
	मूल्य 26.2 करोड़ रु०

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1970 के लिए 2.4 करोड़ रु० मूल्य के 300000 मे० टन मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिए भी एक अन्य संविदा की गई है।

(ग) तथा (घ) : जी हां। जापान ने लौह अयस्क की विपुल मात्रा की पूर्ति के लिए आस्ट्रेलिया के साथ कई दीर्घकालीन संविदाएं की हैं। इन संविदाओं की शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, प्रत्येक संविदा में अलग-अलग हैं। कुल मिलाकर, जापान से आस्ट्रेलिया को लौह अयस्क की औसत वार्षिक पूर्ति 4 करोड़ मे० टन की होगी और सुपुर्दगी अवधियां 7 वर्ष से 15 वर्ष तक होंगी।

श्री एस० आर० रामानी : खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पहली बार इतनी अधिक मात्रा तथा इतनी लम्बी अवधि के लिये करार किया है। ब्यौरे से यह स्पष्ट होता है कि जापान की इस्पात मिलों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें इस मूल्य पर 9 वर्षों तक लौह अयस्क स्पाई किया जायेगा।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इतनी लम्बी अवधि के लिये करार करने से पूर्व क्या इस बात का सर्वेक्षण कर लिया गया था कि अगले 10 वर्षों में मूल्यों का क्या रुख रहेगा। यदि सर्वेक्षण कर लिया गया था तो उसका क्या निष्कर्ष निकला था ?

क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में बेलाडिला अयस्क के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि नौ वर्षों में अयस्क की कीमत में कितनी वृद्धि होगी। क्या अयस्क की लागत में वृद्धि होने के सम्बन्ध में कोई हिसाब लगाया गया है ? गैर-सरकारी कम्पनियां लौह अयस्क का आयात करती हैं। क्या गैर-सरकारी कम्पनियों से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया था तथा क्या उनसे इतने लम्बे समय के करार में भाग लेने के लिये पूछा गया था ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ? इतनी दीर्घ अवधि का करार करने से हमारे मैंगनीज अयस्क का निर्यात समाप्त हो जायेगा। क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये गये थे अथवा जापान से कोई बातचीत की गई थी कि जापान मैंगनीज-अयस्क के सम्बन्ध में भी इतनी दीर्घ अवधि का करार करें क्योंकि जापान मैंगनीज अयस्क का भी भारी मात्रा में आयात करता है ?

अन्त में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस करार के फलस्वरूप हमारे देश से जापान को होने वाले निर्यात में कोई वृद्धि होगी। और यदि वृद्धि होगी तो कितनी वृद्धि होगी ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने 5 प्रश्न पूछे हैं।

सर्व प्रथम उन्होंने पूछा था कि क्या यह दीर्घ कालीन करार पहली बार किया गया है। यद्यपि यह दीर्घकालीन बड़ा ठेका अपने प्रकार का पहला है परन्तु इस देश अथवा अन्य किसी दूसरे देश द्वारा लौह अयस्क के करार पहली बार ही नहीं किये गये हैं। पहले भी इस प्रकार की एक अनुबन्ध किया गया था जब किरिबुरु खान से 2 करोड़ टन तथा बेलाडिला खानों से 6 करोड़ टन का करार किया गया था। पिछले वर्षों में इस अनुबन्ध का कुछ भाग पूरा हो गया है। जहां तक बेलाडिला का सम्बन्ध है, विवरण देखने से ज्ञात होता है कि 6 करोड़ 13 लाख टन का करार 9 वर्ष की अवधि अर्थात् 1980 तक सप्लाई करते हुए पूरा होगा। अतः यह कोई नया करार नहीं है। यह पूर्व अनुबन्धों की तरह ही है, इतना अवश्य है कि इसमें कुछ विवरण तथा अन्य दूसरी बातें नई हैं।

इसके पश्चात उन्होंने विश्व में कीमतों की स्थिति के सर्वेक्षण के विषय में पूछा है। इस मामले पर अन्तर-मन्त्रालय समिति की बैठक में पूरा विचार किया गया, दीर्घकालीन अनुबन्ध के प्रत्येक पहलू, इसके लाभ, तथा हानि सभी पर विचार विमर्श हुआ। मंत्रिमण्डल ने भी इस विषय में पूरी तरह से विचार किया है। इस प्रकार के अनुबन्ध से हो अन्त में लाभ होता है। जैसा कि सदन को विदित है कि लोहे की खानों में दीर्घ काल तक एक बड़ी पूंजी लगती है और जब तक हमें लोहे की खपत के लिये बाजार के विषय में आश्वत नहीं हो जाते, हमारी सारी लागत निष्फल साबित होगी। आगामी वर्षों में मूल्यों का सर्वेक्षण, दूसरे निर्यात कर्ताओं की दरों और दीर्घकालीन एवं बड़ी लागत तथा उसको निष्फल साबित न होने देने के उपायों को दृष्टि में रखते हुए किया गया है।

मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस समय देजारी खानों से खनिज निकाला जा रहा था उस समय कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह चिन्ता व्यक्त की गई थी कि क्या पारादीपपत्तन और देजारी खानों पर जहां इतना अधिक धन व्यय किया गया है उनका उपयोग भी किया जायगा और इसी आधार पर सदन ने एक दीर्घकालीन करार की मांग की थी।

अतः हमने यहां जो कुछ किया है वह अपनी लागत तथा हितों को बनाये रखने के लिये किया है। हमने दीर्घकालीन मूल्य प्रवृत्ति तथा अन्य दूसरी बातों को भी दृष्टि में रखा है।

इसके पश्चात उन्होंने लागत वृद्धि के विषय में पूछा है। इस पर भी विचार किया गया है। बड़े बड़े परिवाहक, दीर्घकालीन लागत, अधिक उत्पादन और लागत एवं कीमतों पर इनके परिणामों को दृष्टि में रखते हुए भविष्य की स्थिति पर विचार किया गया है और इस आधार पर निर्णय किया गया है कि हमें लाभ हो।

जहां तक गैर-सरकारी उद्यमियों का सम्बन्ध है इस अनुबन्ध में उनका परामर्श लेने का प्रश्न ही नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करा सकता हूं कि केवल गोवा में ही निजी उद्यमी हैं जिन्हें लौह अयस्क का व्यापार करने की स्वीकृति प्राप्त है और दूसरे भी ऐतिहासिक कारण हैं। उनमें से कुछ उद्यमिकों ने जापान के साथ अनुबन्ध किये हैं।

इसके पश्चात उन्होंने निर्यात वृद्धि के विषय में पूछा है। यह वृद्धि बेलाडिला से इस वर्ष 47 लाख टन तथा 1979 में 78 लाख टन होगी।

उन्होंने यह भी पूछा है कि मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में ऐसा ही अनुबन्ध क्यों नहीं किया गया ! मैंने विवरण में इसका उत्तर दिया है कि हमने 2 करोड़ 40 लाख के मूल्य के 3 लाख टन मैंगनीज अयस्क का अनुबन्ध किया है, जिसका दीर्घ कालीन मूल्य सैकड़ों करोड़ रुपये होता है। केवल बेलाडिला के ठेके ही की राशि 467 करोड़ रुपये है। इस प्रकार दीर्घकालीन ठेके का एक लाभ यह है कि इस से बहुत बड़ी धन राशि का लाभ होता है। छोटे ठेके से इस प्रकार का कोई लाभ नहीं होता और इस देश में मैंगनीज अयस्क के दीर्घकालीन ठेके के लिये कोई भी तैयार नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी : मंत्री महोदय ने कहा है कि 3 लाख टन मैंगनीज अयस्क की 2 करोड़ 40 लाख रुपये का ठेका दिया गया है जब कि हमने लौह अयस्क का 467 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। जब हमारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात कम होता जा रहा है और खानें बन्द होती जा रही हैं तो सरकार ने जापान पर मैंगनीज अयस्क का दीर्घ-कालीन अनुबन्ध करने के लिए जोर क्यों नहीं दिया जिससे देश को लाभ होता ?

दूसरे विवरण में मूल्य की ओर कोई निर्देश नहीं किया गया है। वार्ता हमारी ओर से अथवा जापान की ओर से आरम्भ की गई, वर्ता आरम्भ होने के समय मूल्य क्या थे, और ठेके का मूल्य क्या है और इनके मध्य कितना अन्तर रहता है ? क्या जापान को ऋण देने की, और अयस्क को भारतीय पोतों में ले जाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : मैंगनीज अयस्क के दीर्घ कालीन अनुबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। यह उत्तम प्रकार की मैंगनीज अयस्क है जिसकी विदेशों में बहुत मांग है क्योंकि लोह मैंगनीज उद्योग का व्यापार उत्कर्ष पर है और ये कारखाने उत्तम प्रकार के मैंगनीज अयस्क का उपयोग करते हैं। जिससे निर्यात में वृद्धि हो रही है।

जहां तक घटिया मैंगनीज अयस्क का प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हमारा निर्यात बढ़ रहा है परन्तु मूल्य गिर गये हैं। परन्तु बढ़े हुये निर्यात से हम पहले अनुपात में हो विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

गत वर्ष के मूल्य पर, हमने जापान के साथ एक अनुबन्ध किया है। जिससे बहुत लाभ होगा क्योंकि विशेषतया इस प्रकार के मैंगनीज अयस्क के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, कम होते जा रहे हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : जापान की एक फर्म तथा राष्ट्रीय खनिज विकास परिषद के मध्य एक विशद करार किया गया और कीमतें जापान द्वारा निर्धारित की गई हैं क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक लाभ है। जिन अधिकारियों ने यह ठेका निर्धारित किया, वे इतने भोले थे कि वे ठेके को लाभकारी नहीं बना सके। आज सभी आर्थिक क्षेत्रों में यह माना जाता है कि अयस्क निर्यात में जापान से जो कीमतें प्राप्त की जाती हैं वे जापान द्वारा दूसरे देशों को ऐसे ही अयस्क के लिये दी जाने वाली कीमतों की अपेक्षा बहुत कम हैं।

क्या भारत ने, लौह अयस्क की कीमतों के सम्बन्ध में विश्व समझौता करने के लिये प्रयत्न किये ? मुझे ज्ञात है कि भारत, ब्राजील, चिली पेरू और योरोप के कुछ देश जेनेवा में सम्मिलित हुये और लौह अयस्क की कीमतें निश्चित करनी चाहीं जिससे उन देशों को लाभ हो सके जिनके पास लौह अयस्क है और वे इसका निर्यात करते हैं। क्या वहां कोई निश्चय हुआ ? हाल ही में अमरीका का

मारकोना निगम तथा जापान का 'मान उद्योग समूह' (Maun group of industries from Japan) भारत आये और मंगलौर पत्तन से 60 मील दूर मैसूर राज्य के कुडिरायमुख लौह अयस्क भंडार पर गये। कई वर्षों से मैसूर सरकार अपने राज्य में उपलब्ध लौह अयस्क निकालने के लिये भारत सरकार से आग्रह कर रही है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री ब० रा० भगत : दूसरा प्रश्न विषय से अलग है परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करा सकता हूं कि यह परियोजना विकसित हो रही है। परीक्षणार्थ लगाये गये एक संयंत्र की जांच की गई और उसमें सफलता प्राप्त हुई और अब वहां निर्यात के उद्देश्य से एक बड़े आकार का संयंत्र स्थापित करना उचित है (व्यवधान) ऐसे मामलों में कार्य करने का एक ढंग होता है हम अन्तिम स्थिति पर एकदम छलांग नहीं लगा सकते।

मूल प्रश्न है कि सौदा करने का चातुर्य न होने के कारण हमें अच्छे मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि दूसरे देशों की अपेक्षा हमें कम मूल्य मिलता है। मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे देशों की अपेक्षा हमें अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है। यह सच है...... (व्यवधान)

यह सत्र है कि नयी-नयी खानें तथा नये पत्तनों की तुलना में हम जितना सौदा करते हैं वह कम है इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में हमारा तकनीकी ज्ञान पिछड़ा हुआ है जिसके परिणाम-स्वरूप हमें हानि होती है। इसके साथ-साथ अब जापान हमारे देश पर निर्भर नहीं है। आस्ट्रेलिया, पेरू, तथा ब्राजील से भी जापान को सप्लाई की जाती है। वहां पर जापान वालों ने बहुत अच्छे प्रबन्ध किये हुये हैं और अब वे साइबेरिया की खानों की ओर बढ़ रहे हैं। इसके उपरान्त भी मैं सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है और हमें जो मूल्य प्राप्त हुये हैं वे दूसरे देशों की तुलना में उत्तम हैं।

श्री स० कुण्डू : मैं दीर्घकालीन अनुबन्ध का स्वागत करता हूं। क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के साथ वार्षिक ठेका किया गया है और मूल्यों को प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जाता है जबकि भारतवासियों के लिए 8 या 9 वर्ष के लिये मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। क्या ढुलाई खर्चे तथा अन्य दूसरी बातों के कारण आस्ट्रेलिया की तुलना में भारतवासियों के लिये कीमतें कम हैं? दूसरे विवरण-पत्र में यह कहा गया है कि विजाग से 467 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया जायगा और पारादीप, मद्रास, कलकत्ता और काकीनाडा से 49 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया जायगा और वह भी 1971-72 में। मैं यह जानना चाहता हूं कि विजाग तथा अन्य दूसरे पत्तनों के बीच में यह भेद-भाव क्यों है और क्या मंत्री महोदय पारादीप, मद्रास, कलकत्ता और काकीनाडा आदि सभी पत्तनों से किये जाने वाले निर्यात का व्यौरा देंगे और सदन को विश्वास दिलाते हुए यह बतायेंगे कि क्या इन सभी पत्तनों से निर्यात की भी एक दीर्घकालीन योजना बनाई जायगी?

अध्यक्ष महोदय : इस सामान्य प्रश्न में आपने कुछ नई बातें जोड़ दी हैं।

श्री ब० रा० भगत : यह मात्रा एवं मूल्य दोनों प्रकार से ही एक दीर्घकालीन ठेका है। दोनों ही दीर्घकालीन हैं। हमें कोई ऐसा ठेका नहीं मिला जिसमें केवल मात्रा के लिये दीर्घकालीन करार हो तथा मूल्यों को प्रतिवर्ष निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाय। जापान वाले इस प्रकार के ठेके से सहमत नहीं होते। हमें सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है। मैं फिर यही बात कहता

हूं कि हमारे अयस्क में जितना लोहा है उसके अनुपात में हमें अपने अयस्क का अच्छा मूल्य मिल रहा है।

जहां तक यह प्रश्न है कि दूसरे पत्तनों के लिये हमने दीर्घकालीन ठेके क्यों नहीं किये, जैसा कि मैं बता चुका हूं प्रत्येक के बारे में वार्ता की जानी थी। मद्रास पत्तन से दूसरे बाजारों को निर्यात किया जाता है। दूसरे देशों से अन्य दूसरे करार भी हैं। यह भी सच है कि यह दो वर्ष के लिये है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बेल्लारी-हास्पेट ठेका चार वर्ष के लिये है, दो वर्ष के लिए नहीं। बेल्लारी-हास्पेट का उत्तम श्रेणी के अयस्क का अनुबन्ध 1970-71 के लिए है।

Shri A. S. Sehgal : I would like to know from the hon. Minister that what is the share percentage of Madhya Pradesh in the contract made with Japan and other countries for the Beladille iron ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उमा नाथ : मैं समझता हूं कि जापान वालों का भारतीय लौह अयस्क लेने का करार उनके इस अनुमान पर आधारित है कि वे इस्पात उत्पादन की अपनी वर्तमान क्षमता को 8 करोड़ टन से बढ़ाकर 15 करोड़ टन करने योग्य हैं। परन्तु जापानी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से यह पता चलता है कि जहां तक इस्पात उद्योग की क्षमता का प्रश्न है यह पूरी नहीं हो सकती। समाचार पत्रों में यह क्षमता 10 करोड़ 20 लाख टन बताई गई है। यदि यह सच है तो लौह अयस्क निकालने का हमारा जो समझौता जापान के साथ हुआ है, जिसे जापान वालों ने अपनी 15 करोड़ की क्षमता के अनुमान पर किया है, वह बेकार साबित होगा क्योंकि यदि उनका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो निश्चित रूप से हमारा निर्यात कम होगा और इस प्रकार दीर्घकालीन समझौते में लाभ कम होगा। इससे बहुत सी कठिनाइयां होंगी जिससे समझौता समाप्त भी हो सकता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि समझौते पर हस्ताक्षर करते समय क्या इस पहलू पर विचार किया गया था, यदि हां, तो यदि ऐसी घटनायें होती हैं उनको रोकने के लिये समझौते में क्या गारंटी है?

श्री ब० रा० भगत : जापान में 1969 में लौह अयस्क का आयात 8 करोड़ टन से भी अधिक हुआ। अन्य दूसरे देशों से जापान में इस प्रकार का आयात 15 करोड़ टन होना था। भारत एक समय जापान के लिये लौह अयस्क सप्लाई का मुख्य साधन था उसके पश्चात भारत एक बड़ा साधन रह गया। भारतवर्ष इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्यातकर्ता रहा है। परन्तु आस्ट्रेलिया जैसे जो दूसरे देश हैं वे 4 करोड़ टन लौह अयस्क की सप्लाई करेंगे। केवल आस्ट्रेलिया की तुलना में 1972 तक भारत की स्थिति नीची हो जायगी एक समय भारत मुख्य सप्लाई करने वाला था। इस प्रकार हमने उनकी आवश्यकता सहित सभी पहलुओं पर विचार किया है। मेरे विचार से लौह अयस्क की मांग के विकास में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं होगी। जापान वाले लौह अयस्क के आयात के लिये नये बाजारों की खोज कर रहे हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : किसी भी दीर्घकालीन लौह अयस्क के मूल समझौते में, अयस्क की श्रेणी मुख्य है। हमारे सभी लौह अयस्क के मूल समझौते अयस्क की 63-65 श्रेणी के आधार पर किये गये हैं। परन्तु वर्तमान समझौता 65-67 लौह श्रेणी पर आधारित है, उसके द्वारा एकक (Unitage) मूल्य के आधार पर भी जो लाभ हमें 63-65 लौह श्रेणी से होता वह नहीं होगा।

लौह अयस्क निर्यात के दीर्घकालीन करारों के मामलों में दूसरे प्रकार के लाभ भी होते हैं जैसे लदाई भाड़ा, यूनिटेज (Unitage) तथा अन्य दूसरी तरह के लाभ। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह लदाई भाड़ा क्या है जिस पर हमें प्रेषण-मुद्रा प्राप्त हो सकती है, क्या हमें विलम्ब शुल्क आदि भी देना होगा ? यह सब स्पष्ट नहीं किया गया है। मुझे चिन्ता यह है कि जब तक इन पहलुओं पर विचार नहीं किया जायगा इस प्रकार के ठेकों से हमें केवल उतनी ही विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी जितना की हमने अयस्क निकालने, परिवहन तथा पत्तन शुल्क भुगतान करने में व्यय की है। हमें केवल खर्चे के मूल्य की हो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ना कि लौह अयस्क की जिसका कि हम निर्यात करते हैं।

श्री ब० रा० भगत : उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है ? उन्होंने कोई संदेश दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अल्प सूचना प्रश्न को नियमित वार्ता का रूप न दें। वे सीधे अनुपूरक प्रश्न करें।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : श्री पुनाचा के प्रश्न का क्या उत्तर है।

श्री राजशेखरन : इसमें हम सभी की रुचि है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पुनाचा, आपका प्रश्न सुझाव के रूप में है, आप कृपया उचित रूप से प्रश्न करें।

श्री चे० मु० पुनाचा : सभी बातों को दृष्टि में रखते हुये 470 करोड़ के मूल्य वाले इस दीर्घकालीन ठेके में, जिसे एक फर्म के आधार पर किया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के दीर्घकालीन ठेके से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित बनाये रखने में हमें हानि नहीं होगी ?

श्री ब० रा० भगत : नहीं श्रीमान, यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि सरकार ने पत्तन तथा परिवहन सुविधाओं के लिये बहुत अधिक धन राशि का निवेश किया है और यदि इनके द्वारा अधिक से अधिक कार्य किया गया है तो हमें अधिक लाभ होगा, तब तो मैं सहमत हूं। इन परिस्थितियों में जहां हमने खानों, परिवहन तथा पत्तन सुविधाओं पर अधिक धनराशि व्यय की है, यह सच है कि यदि माल ले जाने के लिये बड़े-बड़े भार-वाहक हैं तो हमें अधिक लाभ होगा। परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं कि यदि हम ऐसा ठेका न करते तो यह देश के लिये लाभकारी होता। यदि हमने यह ठेका न किया होता तो इतनी बड़ी लागत निष्फल हो जाती। उदाहरण के लिये, विजारा पत्तन पूर्णतया लौह अयस्क पत्तन है।

यदि लौह अयस्क का निर्यात नहीं किया जाता है तो जो राशि इस पत्तन पर लगायी गयी है वह निष्फल हो जायगी। अतः यह अर्थ नहीं है और यह कहना भी उचित नहीं है कि यदि हम अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते तो अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती थी और ना ही यह देश के लिये अहित-कर है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जैसा कि आपने निर्देश किया है, मैं एक सीधा सादा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो मूल्य हमें प्राप्त होता है यद्यपि उसे गुप्त रखा गया है फिर भी हमने उसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की है हमें एक टन के लिये 10 डालर मिलते हैं जबकि आस्ट्रेलिया को 15

डालर । यह तो तब है जबकि आस्ट्रेलिया का माल 63-65 के प्रकार का है और हमारा 65-67 दूसरे यदि हम निर्धारित समय के अन्दर लौह अयस्क की सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो हमें माल न देने के लिये बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ता है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सच नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ कारणों वश, वाणिज्यिक मामलों में हम कीमतों को प्रकाश में में नहीं लाते । चाहे जैसा भी हो, इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कीमतें उदधृत की है वे सही नहीं है । आस्ट्रेलिया की अपेक्षा हमें अधिक मूल्य मिलता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारा परिष्कृत-इस्पात संसार के बाजारों में जापान तथा अन्य इसे विकासशील देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता । क्योंकि पत्तन मूल्य से भी 10 रुपये कम की दर से हम लौह अयस्क का स्वतंत्रतापूर्वक निर्यात कर रहे हैं । लौह अयस्क निर्यात व्यापार में जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, लौह तत्वों तथा भार के मामले में बहुत कदाचार फैला हुआ है । मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री ब० रा० भगत : हमारा निर्यात अधिकतर खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा होता है । अतः माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गोवा के द्वारा किये जाने वाले निर्यात के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : गोवा में गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा जो निर्यात किया जाता है उसमें भी लौह तत्वों की मात्रा कम नहीं है और मूल्य भी उचित ही लिया जाता है । भार के विषय में भी मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है । परन्तु यदि माननीय सदस्य यह शिकायत करते हैं कि गैर-सरकारी पार्टियां माल कम देती हैं तो मैं इसकी अवश्य जांच करूंगा ।

श्री क० लकप्पा : इस मन्त्रालय को उन कारणों का पता नहीं है जिससे हमारे जापान को किये जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कमी हुई है । जहां तक आस्ट्रेलिया के साथ प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है, मैं आरोप लगाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें, आरोप न लगायें ।

श्री क० लकप्पा : मेरा यह आरोप है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम बहुत से विदेशी एजेन्टों की छाया में कार्य कर रहा है और ये ऐजेन्टों खनिज एवं धातु व्यापार निगम में अधिकारी बने हुये हैं । दो वर्ष पूर्व उन्होंने जापान के साथ एक ठेका किया निगम के सर्वोच्च अधिकारी जापान गये (व्यवधान) और वे भारतीय लौह अयस्क का उचित मूल्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके । आस्ट्रेलिया का लौह अयस्क घटिया है और हमारा श्रेष्ठ । जापान हमसे ही अयस्क खरीदना चाहता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न करें ।

श्री क० लकप्पा : खनिज तथा धातु व्यापार निगम में कार्य करने वाले कुछ अधिकारियों ने आस्ट्रेलिया से रिश्वत ली है । इसीलिये उन्होंने सही मूल्य उदधृत नहीं किया और जो हमें मिलना चाहिये था उससे वंचित रहे । क्या यह सच नहीं है ? सरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं करा सकती कि इन अधिकारियों ने आस्ट्रेलिया के एजेन्टों के रूप में कार्य किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई जायगी ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य के प्रश्न को मुख्य आधार ही गलत है। उन्होंने कहा है कि लौह अयस्क के निर्यात में गिरावट आ रही है। वास्तव में लौह अयस्क का 102 करोड़ रुपये का निर्यात अब तक के आंकड़ों में सबसे अधिक है। आगामी वर्ष में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की सम्भावना है। अतः जापान तथा अन्य किसी दूसरे देश को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क में कोई कमी नहीं आई है। अतः यह आरोप पूर्णतया निराधार तथा गलत है कि हम आस्ट्रेलिया तथा दूसरे देशों के सामने झुक चुके हैं।

कई माननीय सदस्य उठ खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर हमने पहले ही 40 मिनिट से अधिक व्यतीत किये हैं। यदि मैं इसी प्रकार प्रश्न पूछने दूं तो मुझे विश्वास है कि वे शाम तक प्रश्न करते रहेंगे। हमें अनुपात का विचार रखना चाहिये क्योंकि दूसरी बातों पर भी विचार किया जाना है। इसलिये मैं अगले विषय पर आता हूँ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

महात्मा गांधी के विशेष सिक्के जारी करना

*967. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शताब्दी के अवसर पर कितने मूल्य के और कितनी संख्या में महात्मा गांधी के विशेष सिक्के जारी किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जनता की बड़ी पंक्तियां होने के बावजूद यह सभी गांधी सिक्के सामान्यतः स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों को दिये जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक के चपरासी 10 रुपये वाले गांधी सिक्के को खरीदकर इन्हें जनता में तुरन्त 13 रुपये में बेच देते हैं;

(घ) इस कुप्रबन्ध तथा चोर बाजारी को समाप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार संसद सदस्यों के लिये विभिन्न मूल्यों के गांधी सिक्कों का वितरण संसद भवन में करायेगी ताकि वे इन मूल्यवान स्मारकों को प्राप्त कर सकें, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) महात्मा गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर 10 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे, और 20 पैसे के मूल्य के सिक्के जारी किये गये थे। मार्च, 1970 के अन्त तक, रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये सिक्के का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
10 रुपया	17.95
1 रुपया	39.77
50 पैसे	130.17
20 पैसे	375.31

(ख) जी, नहीं। इन सिक्कों को देते समय, ग्राम जनता और भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को एक ही कतार में अपनी बारी के अनुसार खड़ा होना पड़ता है।

(ग) सरकार को, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) संसद सदस्यों के लिये महात्मा गांधी जन्म शताब्दी स्मारक शृङ्खला के साधारण परिचालित सिक्कों के 800 सैट पहले ही भारतीय स्टेट बैंक के संसद भवन स्थित भुगतान कार्यालय को दिये जा चुके हैं। इसके अलावा, संसद सदस्यों के लिये अपरिचालित सिक्कों के 250 सैट भी इस भुगतान कार्यालय को दिये गये थे।

Revision of The Prices of Articles Supplied Through D. G. S. & D.

*968. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of various articles have increased as a result of new budget proposals and that the D. G. S.& D. will thus have to re-determine the prices of various articles being supplied to Government offices ;

(b) if so, whether the D. G. S. & D. has initiated action in this regard and if not the reasons therefor ; and

(c) if so, the time by which the prices of the said articles would be re-fixed so that the supply thereof to Government offices is not delayed ?

The Minister of Supply (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) By and large, the Directorate General of Supplies and Disposals enters into contracts on a firm price basis with the suppliers on the basis of competitive quotations, subject to variation in statutory leviee Any increase /decrease in excise /customs duties, as a result of the budget proposals is allowes. to the suppliers in terms of the Sale of Goods Act 1930 and in terms of the provisions of the contracts. There is, therefore, no delay in the purchases for or supplies to Governmen offices.

Facilities Provided By I. O. C. For Meeting Fuel Requirements of Rural Area

*969. **Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri R. R. Singh Deo** :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the details of the facilities provided by the Indian Oil Corporation Limited for meeting the requirements of fuel in the rural areas ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : A part from the availability of High Speed Diesel Oil and lubricants from the retail outlets set up at the National and State Highways and on other roads, the Indian Oil Corporation has taken the initiative in installing for the first time outlets for the sale of light diesel oil in rural areas. This oil is primarily used for lift irrigation and also for operating low speed motors used for agricultural operations. In the last

one year, the I. O. C. has put up 265 such outlets. Their number is being progressively increased. At key locations the service of a mechanic is also being provided to attend to minor repairs to tractors, pumps and other machines and implements used by the farmers. A number of retail outlets have also been devloped in the rural areas specifically to dispense high speed diesel oil and lubricating oils to the farmers. Special service stations are being progressively opened in rural areas to serve as service centres for the farmer A part from dispensing fuels and lubricating oils, these centres will undertake the maintenance and repairs of farm machinery.

मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री डी० पी० मिश्र द्वारा अपने चुनाव पर किये गये व्यय का स्रोत

***970. श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री डी० पी० मिश्र ने विधान सभा के लिये अपने चुनाव में, 7,24,972 रुपये खर्च किये थे जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आय कर विभाग ने इस व्यय के साधन के बारे में श्री मिश्र से पूछ-ताछ की है;

(ग) यदि हां, तो उनको प्राप्त चन्दे, उनकी अपनी बचत और ऋण आदि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में श्री मिश्र की आय कितनी थी; और

(ङ) धन कर अधिनियम के अन्तर्गत उनके कितने धन पर कर लगाया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) माननीय सदस्य का यह आरोप सही नहीं है कि श्री डी० पी० मिश्र ने 7,25,972/-रुपये व्यय किये थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जिसमें, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गयी है यह सिद्ध हुआ था कि श्री डी० पी० मिश्र ने 7,249 रुपये 72 पैसे की रकम व्यय की थी अथवा व्यय करने की स्वीकृति दी थी।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुये ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पिछले जिन तीन वर्षों का कर-निर्धारण पूरा हो चुका है, उनमें श्री मिश्र की आय इस प्रकार थी :—

1965-66	36,215 रुपये
1966-67	38,720 रुपये
1967-68	65,362 रुपये

परवर्ती दो वर्षों के कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी पूरी होनी है।

(ङ) श्री मिश्र ने अपनी 1968-69 संबंधी धन-कर विवरणों में 2,21,989 रुपये का धन दिखाया है।

Unauthorised Colonies In Delhi

*971. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of unauthorised colonies in Delhi and the number of the people residing there ;

(b) the period since when the colonies which have been declared irregular by the Delhi Administration have cropped up ;

(c) whether it is a fact that the Delhi Administration is uprooting the people residing in the said colonies since for a long time and allotting their land to the Co-operative Housing Societies ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether it is a fact that the Delhi Pradesh Unauthorised Colonies Association have passed a resolution in their rally on the 7th March where by they have approached the Central Government for intervention ; and if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) There were in all 204 unauthorised colonies on the basis of a survey made as of the 1st February, 1967. Of these, 103 have already been regularised and the question of the remaining 101 colonies is under consideration. No estimate of the people residing in these colonies has been made.

(b) According to the survey conducted by the Municipal Corporation of Delhi, the 101 colonies referred to had come up between the 1st September, 1962 and January, 1967, the other 103 had come up prior to September, 1962.

(c) No, Sir. On the contrary the feasibility of preparing regularisation plans in these cases, consistently with the provisions of the Master Plan and after acquisition of the areas, leasing out plots, wherever possible, to the concerned persons is under study.

(d) Does not arise.

(e) No such resolution has been received by the Government.

18 गेज की आयातित इस्पात चादरों के बदले में हिन्द में गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों का सम्भरण

*972. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2099 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हिन्द गल्वेनाइजिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेट को उनके लिये तेल के ढोल बनाने के लिये 18 गेज की इस्पाती चादरें दी थीं; और हिन्द गल्वेनाइजिंग कम्पनी लिमिटेड ने उनको धोका देने के इरादे से उन्हें 20 गेज की अपनी इस्पाती चादरों में बने तेल के 11 ढोल दिये थे और जब तक इस बात का पता नहीं लगा तब तक 20 गेज की इस्पाती चादरों के ढोल देते रहे; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम के साथ उनके इस आपत्तिजनक व्यवहार को ध्यान में रखते हुये उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तरल पेट्रोलियम गैस के औद्योगिक तथा कृषि प्रयोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम

*973. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल पेट्रोलियम गैस जिसका भारत में मुख्यता घरेलू प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाता है कि औद्योगिक तथा कृषि प्रयोग के सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की व्यवस्था किस फर्म ने की है और कितने तथा कौन-कौन से देशों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया; और

(ग) इस कार्यक्रम को कितनी सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) दो प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम, एक बर्मा-शैल द्वारा दिसम्बर, 1969 में और दूसरा एस्सो द्वारा जनवरी, 1970 में, चालू किये गये थे । विभिन्न देशों में अपनी संस्थाओं के लाभ के लिये उन्होंने पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की थी । एस्सो स्टैंडर्ड इस्टरन इंक द्वारा व्यवस्थित प्रशिक्षण पाठ्य क्रम में आस्ट्रेलिया, हांगकांग, भारत, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिप्पाइंज, सिंगापुर, थाईलैन्ड, ब्रिटेन, अमरीका तथा दक्षिणी वियतनाम के 20 उम्मीदवारों ने भाग लिया और बर्मा-शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कं० आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा व्यवस्थित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में थाईलैन्ड, सिंगापुर, मलेशिया, भारत और फिलिप्पाइंज के 9 उम्मीदवारों ने भाग लिया ।

(ग) इन कम्पनियों ने बताया है कि भाग लेने वालों ने इसे पसन्द किया है और सदस्यों ने पाठ्यक्रम को लाभदायक पाया है ।

ग्लोब फाइनेंस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही

*974. **श्री टी० पी० शाह :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री ज० ब० सिंह**

क्या **वित्त** मन्त्री ग्लोब फाइनेंस कम्पनी के बारे में 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है और जमाकर्ताओं को तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी इस बीच जमाकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो सैकड़ों जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने और उनको उनकी जमाराशि तत्काल दिलवाने के लिये फर्म पर जोर देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो जमाकर्ताओं को भुगतान की पहली किश्त किस तारीख को दे दी जायगी; और

(ङ) क्या जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि पर उस अवधि का ब्याज मिलेगा जिस अवधि में यह मुकदमा न्यायालय में चलता रहा था, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) मेसर्स ग्लोब फाइनेंशियर्स प्राइवेट लिमिटेड के जमाकर्ताओं / लेनदारों को अदायगियां, सरकारी परिसमापक द्वारा इस प्रयोजन के लिये परिसमापनाधीन।

पलाई सेन्ट्रल बैंक के जमाकर्ताओं को लाभांश का भुगतान

***975. श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेन्ट्रल बैंक जिसका परिसमापन किया जा रहा है, के जमाकर्ताओं को अब तक कितना लाभांश दिया गया है ;

(ख) क्या जमाकर्ताओं को गत दो वर्षों में कोई लाभांश दिया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जमाकर्ताओं को निकट भविष्य में और लाभांश देने की घोषणा की जायगी और यदि हां, तो लाभांश की दर क्या होगी; और

(घ) अब तक के अनुमान के अनुसार जमाराशि में से कितनी प्रतिशत राशि वापस दी जा सकती है; और

(ङ) परिसमापन सम्बन्ध कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) पलाई सेन्ट्रल बैंक के जमाकर्ताओं को अब तक चार किश्तें दी जा चुकी हैं जो रुपये में 61 पैसे के बराबर हैं और जिनकी राशि कुल मिलाकर 424.50 लाख रुपया बनती है। यह राशि, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 43-क (2) के अन्तर्गत प्रत्येक जमाकर्ता को की गयी 250 रुपये की तरजीही अदायगी की रकम के अलावा है। इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 77.21 लाख रुपये की रकम की अदायगी की गयी थी। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक में कम्पनी के परिसमापन खाते में, अदावी किस्तों (डिवीडेंड) की 26.30 लाख रुपये की रकम जमा कर दी गयी है।

(ख) और (ग) 1968 और 1969 में कोई किश्त अदा करने की घोषणा नहीं की गयी। बैंक की देनदारियों की अदायगी, उसकी परिसम्पत्तियों की वसूल होने वाली रकमों में से ही की जाती है और जमाकर्ताओं को और किश्त दिये जाने की घोषणा, बैंक की परिसम्पत्तियों की वसूली की गति पर निर्भर होगी।

(घ) और (ङ) चूंकि जमाकर्ताओं को और अदायगी करना, बैंक की शेष परिसम्पत्तियों की वसूली पर निर्भर होगा, इसलिये इस समय इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि जमाकर्ताओं को अन्ततः जमा रकमों के कितने प्रतिशत की अदायगी की जायगी। यह बताना भी संभव नहीं है कि परिसमापन की कार्रवाई कब पूरी होगी।

Evasion of taxes by various firms In Delhi and Bombay

Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received letters in respect of evasion of taxes of more than 50 lakhs of rupees by Volga Restaurant, New Delhi ; Volga Hotel, Janpath, New Delhi ; Hotel Diplomat, New Delhi ; Volga Restaurant, Bombay, Alibaba Restaurant, Bombay ; Nipoli Restaurant, Bombay ; Volga Frozen Food and Ice-cream Company, Bombay and New Delhi Continental Furnishers, New Delhi and Shri Madan Lal Lamba etc ;

(b) whether it is a fact that the letters to the said effect had been sent previously also but they were hushed up by the Officers in collusion with the said parties ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to realise the said taxes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Letter alleging tax evasion by this group have been received without any evidence to est blish the said tax evasion. So far as the quantum of tax evasion is concerned, initially the figure of Rs.30 lakhs was mentioned. This was later on increased to Rs.50 lakhs, then to Rs.64 lakhs and finally to Rs.84. lakhs.

(b) and (c) No, Sir. On the contrary the allegations have been investigated in the past and are being further investigated. NTwo assessments have already been completed and assessments for four years have been reopened. The additions made in the two assessments which have been completed have been disputed and appeals have been filed by the assessees. Investigations by the Income-tax Officer in respect of assessments for other years are being made and it is hoped the assessments would be completed early.

रासायनिक पदार्थों का आयात

*977. **श्री जुगल मन्डल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का आयात किया जा रहा है जब कि इनके उत्पादन की क्षमता देश में ही उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। जहां तक उन रसायन उत्पादों का सम्बन्ध है जिनसे पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय सम्बन्धित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाली गांजे का पकड़ा जाना

*978. **श्री श्रीचन्द गोयल : श्री विश्वनारायण शास्त्री :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में 9 लाख रुपये की कीमत का 80 मन से भी अधिक नेपाली गांजा पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या उनके द्वारा बताई गई बातों से ऐसे ही गिरोहों का पता लगने में मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे माल की तस्करी पर रोक लगाने संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) अब तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) जांच अभी जारी है। मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग सदैव चौकस रहते हैं।

हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन की सप्लाई किये गये ढोलों (बैरलों) की संख्या

*979. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री 23 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों के साथ हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी की आपत्तिजनक गतिविधियों को देखते हुए सरकार द्वारा हिन्द गैल्वेनाइजिंग कम्पनी पर इस बात के लिये जोर न दिये जाने के क्या कारण हैं कि वह इण्डियन आयल कार्पोरेशन को सप्लाई किये गये उन ढोलों की संख्या बताये जो उसने क्रमशः डी० जी० टी० डी० से इण्डियन आयल कारपोरेशन के लिये मिली तथा डी० जी० टी० डी० द्वारा उनको आवंटित इस्पात की चादरों से बनाये थे;

(ख) जब इण्डियन आयल कारपोरेशन के साथ उनका लेनदेन संतोषजनक नहीं था तो सरकार द्वारा उनके पिछले व्यवहार पर विचार न किये जाने तथा अपने स्वार्थ के लिये सरकार को प्रत्येक अवस्था पर धोखा देने तथा इस प्रकार सरकार को भारी हानि पहुंचाने के लिये उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट)

लिमिटेड से अपने लेनदेन को समाप्त न करके अन्य निर्माताओं के ढोलों (बैरलों) के मूल्यों को कम करने के अपने प्रयास में सफल हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) क्रयादेश संख्या ओ पी/3605 (एच जी) दिनांक 24–10–66 के अन्तर्गत मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लि० द्वारा सप्लाई किये गये ढोलों (बैरलों) के बारे में, भारतीय तेल निगम ने उक्त कम्पनी के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है। मामला अभी न्यायाधीन है।

(ग) सार्वजनिक टेण्डर के उत्तर में, कलकत्ता के तीन बैरल निर्माताओं द्वारा सामान्य दरें एवं शर्तें पेश करने से उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखा गया है। उपयुक्त उपायों को अपनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

ओखला पम्पिंग स्टेशन (दिल्ली)

***980. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला पम्पिंग स्टेशन के पानी में क्लोराइड की मात्रा अभी भी अधिक है जिससे लोगों को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में खतरा है;

(ख) क्या यह सच है कि पानी के खराब होने का एक कारण ताजेवाला वाटर वर्क्स से पानी का छोड़ा जाना ;

(ग) क्या पानी को दूषित होने से रोकने के लिये दीर्घकालीन उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) ओखला पर कच्चे पानी में क्लोराइड की मात्रा समय-समय पर बदलती रहती है। पानी शुद्ध करने योग्य है या नहीं इसका पता लगाने के लिये कच्चे पानी में क्लोराइड, नाइट्राइट अमोनिया तथा क्लोरीन की मात्रा सम्बन्धी परीक्षण विभिन्न पैरामिटरों द्वारा दिन में अनेक बार किये जाते हैं। उपभोक्ताओं को देने से पहले साफ किये गये पानी की फिर से जांच की जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि लोगों को पीने के लिये दिया जा रहा पानी हानिकारक नहीं है। साफ किये गये पानी के परिणामों से ऐसा कुछ ज्ञात नहीं होता जिससे व्याकुल होने का कोई कारण हो।

(ख) ताजेवाला हेडवर्क्स से छोड़ा जाने वाला पानी आमतौर से अच्छी किस्म का होता है और इसलिये इससे किसी प्रकार का जल दूषण नहीं होता। तथापि बाढ़ के दिनों में अथवा बहुत अधिक पानी छोड़े जाने की हालत में यह सम्भव है कि खेतों में से बहता हुआ पानी अपने साथ खाद तथा अन्य प्रकार का मल ले आता हो। रिंग रोड पर "सी" पावर स्टेशन के समीप वजीराबाद बैरेज के नीचे की ओर यमुना बांध से घिरा हुआ पानी भी इधर उधर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ओखला इन्टेक के समीप मिलने वाला कच्चा पानी भी दूषित हो जाता है।

(ग) इस समय ओखला वाटर वर्क्स से जिन क्षेत्रों को पानी दिया जाता है उन क्षेत्रों के लिये वजीराबाद से साफ पानी की व्यवस्था करके ओखला वाटर-वर्क्स को आगामी नौ-दस महीनों में बन्द करने का निश्चय किया गया है। दिल्ली नगर निगम की जल पूर्ति एवं मल निष्कासन समिति ने आवश्यक प्राक्कलन मंजूर कर लिए हैं। इस योजना के अधीन जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम द्वारा नल की लाइनें बिछाने सम्बन्धी कार्य शुरू करने के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Cases of water pollution in Delhi

981. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of water pollution incidents in Delhi and New Delhi during the last one year ;

(b) the reasons for each incident as also the various areas affected thereby ; and

(c) the measures proposed to be adopted by Government to ensure pure water supply in Delhi ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) The Delhi Municipal Corporation have stated that water which is supplied in Delhi and New Delhi for drinking purposes is given complete treatment and is made safe and potable and is not polluted. However, during March, 1970 the supply from Okhla pumping station had to be stopped on four occasions due to deterioration in the quality of the raw water near the intake point of the pumping station. The Okhla Pumping Station supplies water to South Delhi colonies namely Kalkaji, parts of Malviya Nagar, Greater Kailash, Amar Colony, parts of Lajpat Nagar. Maharani Bagh, Friends Colony, Kalindi Colony, etc.

(c) It has been decided to abandon Okhla Water Works by extending filtered water supply from Wazirabad to areas which, at present, are served from Okhla Water Works, by September 1970. The works relating to Kailash Reservoir and Booster Pump Station are in progress and are expected to be commissioned in about 12—15 months.

देश में नेफ्था की मांग

*982. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दो बर्षों में कितने तथा कितने मूल्य के नेफ्था की आवश्यकता होगी और जिन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जायेगा उनके नाम क्या हैं और वे कहां पर स्थित हैं;

(ख) उक्त अवधि में देश में से कितने तथा कितने मूल्य के नेफ्था की वार्षिक व्यवस्था की जायेगी; और

(ग) आवश्यकता पड़ने पर कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया है। मूल्यों के वर्तमान स्तर पर, 1970

और 1971 के दौरान अपेक्षित नेफ्था का कुल मूल्य क्रमशः लगभग 10.5 करोड़ रुपये और 16.2 करोड़ रुपये होगा।

विवरण

1970 और 1971 में विभिन्न उर्वरक संयंत्रों और पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिये नेफ्था की अनुमानित मात्राएं निम्नलिखित हैं :—

(आंकड़े हजार मीटरी टनों में)

उद्योग का नाम	स्थान	1970	1971
1. गोरखपुर फर्टिलाइजर्स	गोरखपुर	90	90
2. इंडियन एक्सपलोसिब्स लि०	कानपुर	110	185
3. बरौनी फर्टिलाइजर	बरौनी	–	44
4. सिन्दरी फर्टिलाइजर्स	सिन्दरी	20	20
5. राउरकेला फर्टिलाइजर्स	राउरकेला	25	50
6. दुर्गापुर फर्टिलाइजर	दुर्गापुर	27	120
7. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन	बड़ौदा	170	220
8. डी० सी० एम० फर्टिलाइजर्स	कोटा	115	115
9. ट्राम्बे फर्टिलाइजर्स (मेथेनोल शामिल करते हुए)	बम्बई	106	116
10. यूनियन कारबाइड इंडिया लि०	बम्बई	80	80
11. नेशनल आर्गेनिक कैमिकल्स इंडिया लि०	बम्बई	180	225
12. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स	बम्बई	–	2
13. फैक्ट	अल्वाय	60	75
14. कोचीन फर्टिलाइजर्स	कोचीन	27	120
15. पैरीज फर्टिलाइजर्स	एन्नौर	15	15
16. मद्रास फर्टिलाइजर्स	मद्रास	–	150
17. कारोमण्डल फर्टिलाइजर्स	विशाखापत्तनम	80	80
	योग : भारत	1105	1707

(ख) मूल्यों के वर्तमान स्तर पर, 1970 के दौरान देश में उत्पादित नेफ्था का कुल मूल्य लगभग 17.9 करोड़ रुपये होगा और 1971 में यह बढ़कर लगभग 18.1 करोड़ रुपये हो जायेगा।

(ग) अगले दो वर्षों में नेफ्था में किसी कमी का पूर्वानुमान नहीं है।

उपभोक्ता वस्तुओं की प्रति-व्यक्ति खपत

*983. **श्री स० कुन्दू :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्न, खाद्य तेलों, सूती कपड़े, चीनी आदि की प्रति-व्यक्ति खपत 1964-65 की तुलना में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई है;

(ग) क्या कारों, एयर-कण्डीशनरों, रेफ्रीजरेटरों तथा कांतिवर्धक विलास सामग्री के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति आय वास्तव में कम हो गई है, और

(ङ) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में प्रति व्यक्ति क्या वास्तविक आय रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें, 1964-65 की तुलना में 1968 में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की प्रति-व्यक्ति उपलब्धि की जानकारी दी गयी है।

विवरण

1964-65 और 1968-69 में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की प्रति-व्क्ति उपलब्धि

		1964-65	1968-69	प्रतिशत परिवर्तन
अन्न	ग्राम	475.9	438.0	-8.0
खाद्य तेल	किलोग्राम	3.8	2.6	-31.6
वनास्पती	किलोग्राम	0.8	0.9	+12.5
चीनी	किलोग्राम	5.1	5.0	-2.0
सूती कपड़ा	मीटर	15.1	14.1	-6.6
नकली रेशों से बना कपड़ा	मीटर	1.6	1.9	+18.8
बिजली (घरेलू उपयोग के लिए)	किलोवाट घंटे	4.7	6.1	+29.8

(ग) 1964 की तुलना में 1969 में कारों और रेफ्रिजरेटरों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वातानुकूलकों (एयरकंडीशनर्स) और प्रसाधन-सामग्री के उत्पादन में 1967 तक वृद्धि होती रही लेकिन उसके बाद इनके उत्पादन में कमी हो गयी।

(घ) और (ङ) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में प्रति-व्यक्ति आय (1960-61 के मूल्यों पर) क्रमशह 302.4 रुपये, 321.3 रुपये और 319.3 रुपये थी।

थोक मूल्यों के सूचकांक के लिये आधार वर्ष में परिवर्तन

*984. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोक मूल्यों के सूचकांक के लिये आधार-वर्ष 1952-53 से बदल कर 1963 कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय नया सूचकांक अपनाकर वर्तमान मूल्यों से पहले के मूल्यों की तुलना को अधिक कठिन बनाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) थोक मूल्यों के सूचकांक के लिये आधार-वर्ष 1952-53 से बदल कर 1961-62 कर दिया गया है, 1963 नहीं।

(ख) किसी सूचकांक के लिये अपेक्षाकृत हाल के वर्ष को आधार-वर्ष बनाना एक सामान्य सी बात है और ऐसा इसलिये किया जाता है कि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि वर्तमान स्थिति में सूचकांक से जो तुलनाएं की जांय वे आर्थिक दृष्टि से उल्लेखनीय और अर्थपूर्ण हों। इस प्रकार आधार-वर्ष को बदलने से वर्तमान मूल्यों की पहले के मूल्यों से तुलना करने का काम कठिन नहीं हो जाता क्योंकि पुराना सूचकांक अलग अलग वस्तुओं समूहों के संबंध में उपयुक्त रूपान्तरण घटकों (फैक्टर) और सामान्य सूचकांक के माध्यम से नए सूचकांक से जुड़ा होता है।

रिंग रोड साउथ एक्सटेंशन एरिया, नई दिल्ली के मकानों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग में लाया जाना

*985. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में रिंग रोड पर स्थित बहुत से मकानों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये भी प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन मकानों का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग किये जाने के कारण उन मकानों के मालिकों से भूमि तथा विकास कार्यालय और दिल्ली विकास प्राधिकार जुर्माना मांग रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र को वाणिज्यिक क्षेत्र घोषित करने के लिये अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि सम्बन्धित लोगों को दोहरी और अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिये इस समस्या का निबटारा एक ही अभिकरण अर्थात् या तो भूमि तथा विकास कार्यालय या दिल्ली विकास प्राधिकार करे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्र, भूमि तथा विकास अधिकारी के अधिकार-क्षेत्र में नहीं पड़ता, क्योंकि भूमि फ्रीहोल्ड है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में उन मकान मालिकों के विरुद्ध, जिन्होंने बृहत योजना का उल्लंघन किया है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अन्तर्गत मुकदमें चलाये हैं।

(ग) इस बारे में किसी अभ्यावेदन का सरकार को ज्ञान नहीं है।

(घ) भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, यह बता दिया जाये कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि तथा विकास कार्यालय के उत्तरदायित्व का कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न है। पूर्वोक्त का सम्बन्ध वृहत योजना के उल्लंघनों से है तथा उत्तरोक्त का सम्बन्ध उसके नियंत्रण में भूमि के पट्टों के अतिक्रमणों से है। इस प्रकार कोई आवृत्ति (डुप्लीकेशन) नहीं है।

राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम

*986. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आई है कि राजस्थान में कम जनसंख्या होने के कारण उस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के रास्ते में कठिनाइयां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कठिनाइयों को देखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से विचार विमर्श किया है;

(ग) इस कार्यक्रम के बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उस राज्य में परिवार नियोजन के प्रति जनता का सामान्य दृष्टिकोण क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम एक कल्याण कार्यक्रम है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर की दृष्टि से राज्य में आबादी की कम सघनता कार्यक्रम की क्रियान्विति में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। यह कार्यक्रम स्वयं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार कार्यक्रम की क्रियान्वित उत्साहपूर्वक कर रही है।

(घ) राज्य में जनता की सामान्य प्रतिक्रिया अनुकूल रही है।

नागरिक के लिए अधिक अच्छी चिकित्सक सुविधायें

*987. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने नागरिकों को अधिक अच्छी चिकित्सा सुविधायें देने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) योजना पर अनुमानतः कितना खर्च किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आसाम में नदी जल-मार्गों से तेल की ढुलाई

*988. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय देशान्तर्गत जल परिवहन ने आसाम में नदी जल-मार्गों से तेल की ढुलाई का कार्य करने की उत्कट इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक वास्तव में कितना कारोबार दिया गया है; और

(ग) यदि इसे अभी तक कोई भी कारोबार नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) अब तक कुछ नहीं।

(ग) रुद्रसागर तेल क्षेत्र से गौहाटी शोधनशाला को कच्चे तेल की अतिरिक्त मात्राओं की सप्लाई के लिए, केन्द्रीय देशोन्तर्गत जल परिवहन निगम की सेवाओं का प्रयोग, उक्त शोधनशाला की क्षमता के विस्तार पर निर्भर है। सरकार के हाल ही के फैसले के अनुसार असम में अतिरिक्त शोधन क्षमता की सम्पूर्ण समस्या का विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं। यह अभी विचाराधीन है। अतः केन्द्रीय देशोन्तर्गत जल परिवहन निगम को गोहाटी को भेजने के लिए कोई कच्चा तेल नहीं दिया गया था।

आयकर विधियों में संशोधन

*989. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे० शी० शाह ने आयकर विधियों में बार-बार संशोधन करने की आलोचना की है;

(ख) क्या यह मत व्यक्त किया गया है कि आयकर विधियों में बार-बार संशोधन एक मुख्य कारण हैं जिससे मामलों के निबटारे में विलम्ब होता है;

(ग) क्या न्यायाधिकरण के कार्य को और दक्ष बनाने के लिये आयकर अधिनियम की धारा 119 में उचित संशोधन करने का सुझाव दिया गया ताकि आदेशों/निदेशों तथा अनुदेशों से न्यायपालिका की शक्ति पर अंकुश न लगे;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार ने कम से कम पांच वर्ष तक की समय-सीमा लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) आय-कर न्यायाधिकरणों को समाप्त करने और उनका कार्य उच्च न्यायालयों को सौंप देने संबंधी सुझाव का उल्लेख, चंडीगढ़ में अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठ का उद्घाटन करते समय न्यायाधीश श्री शाह के भाषण में हुआ था। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि "कर-संबंधी अधिनियमों में संसद जिस गति से संशोधन करती है, जिससे प्राय: सुनिश्चित धारणाएं उलट-पुलट जाती हैं, उससे प्रस्तुत समस्याओं के प्रति सतर्क व्यवस्था आवश्यक हो उठी है।"

(ग) जी हां।

(घ) सरकार को इस बात का पूरा ध्यान है कि साधनों में वृद्धि की आवश्यकता के साथ ही कराधान संबंधी कानून में स्थायित्व का गुण लाना एवं कानून को सुस्पष्ट तथा सरल बनाना वांछनीय है और सामाजिक न्याय की तथा अर्थ व्यवस्था के विकास की प्रगति के लिये भी वित्तीय साधनों को आवश्यकता के अनुरूप ढालना आवश्यक है।

(ङ) जी नहीं।

निवेली (तमिल नाडु) में दूसरी खान काटना

*990. **श्री मुरासोली भारन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली में दूसरी खान काटने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि तमिल नाडु में उद्योगों के विकास तथा विद्युत पैदा करने के लिये एक ऐसी और खान का होना बहुत ही आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ख) 600 मेगावाट के एक नये तापीय बिजली घर, सेलम में एक इस्पात संयंत्र तथा नैवेली लिग्नाइट निगम के विद्यमान उर्वरक संयंत्र की क्षमता के विस्तार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये नैवेली में दूसरी खान के कटाव का प्रस्ताव था। सेलम इस्पात संयंत्र तथा उर्वरक संयंत्र के विस्तार के संबंध में स्थिति के स्पष्ट होने तथा लिग्नाइट और वैकल्पिक स्रोतों से उपलब्ध होने वाली बिजली की तुलनात्मक लाभप्रदता के सुस्पष्ट होने तक इस प्रस्ताव को निलंबित रखा गया है।

इटावा में प्लास्टिक केन्द्र का बन्द होना

6029. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटावा में सरकारी प्लास्टिक केन्द्र वर्ष 1965 के मध्य से बन्द पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय ने 1965 के आरम्भ में उस केन्द्र में गर्भाशयान्तर निरोध युक्ति (लूप) का निर्माण आरम्भ किया था;

(ग) यदि हां, तो कितने तथा कितने मूल्य के लूप बनाये गये; और

(घ) इस केन्द्र को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। इसका स्थानांतरण कानपुर में कर दिया गया था।

(ख) जी नहीं। यह कारखाना उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य कर रहा है, न कि इस मंत्रालय के अधीन।

(ग) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेंसिलिन तथा अन्य प्रति-जीवाणु ओषधियों की प्रतिक्रिया

6030. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के दो वैज्ञानिकों, प्रोफेसर आर० के० सान्याल और डा० पी० सेन ने पेंसिलिन के प्रयोक्ताओं को उसकी घातक प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है और डाक्टरों को सलाह दी है कि वे पहले थोड़ी मात्रा का इंजेक्शन देकर यह पता लगाये बिना कि इससे प्रतिकूल प्रतिक्रिया तो नहीं होगी, पेंसिलिन प्रयोग न करें;

(ख) क्या सरकार द्वारा चलाये जाने वाली चिकित्सा संस्थाओं और अस्पतालों में काम कर रहे डाक्टरों द्वारा इस सलाह पर अमल किया जा रहा है और यदि हां, तो रोगियों को दिये जाने वाले परीक्षण इंजेक्शन सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों में सरकारी सूचना के अनुसार पेंसिलिन तथा अन्य प्रति-जीवाणु ओषधियों के प्रयोग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) मनुष्य के शरीर में पेंसिलिन की घातक प्रतिक्रिया पहले से ही ज्ञात है। ये अनुदेश पहले ही जारी कर दिये गये थे, कि पेंसिलिन इन्जेक्शनों की आवश्यकता वाले सब रोगियों को जिन्होंने ऐसे इन्जेक्शन पहले न लिए हों, इन्जेक्शन देने से पहले उनकी त्वचा संवेदनशीलता को देख लिया जाय। चिकित्सा अधिकारियों को भी अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे तब तक किसी पर पेंसिलिन का इंजेक्शन न लगायें जब तक उनके पास आन्त्रैतर उपयोग के लिए एण्टी हिस्टमाइन्स, एड्रोपैलिन और स्टीमुलैण्ट्स तुरन्त सुलभ न हों।

(ग) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

सरकारी इमारतों की सजावट सम्बन्धी समिति

6031. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समय-समय पर सरकारी इमारतों की सजावट के लिये उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने सुझावों को वास्तव में क्रियान्वित किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में सजावट पर कुल कितनी लागत आई तथा कितनी इमारतों को सजाया गया। इस कार्य के लिये लगाये गये कलाकारों, मूर्तिकारों और चित्रकारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकारी इमारतों से भद्दे भित्ति-चित्र तथा अर्थहीन माजेक हटाने तथा उनके स्थान पर अधिक अच्छे और चिरंतन महत्व के चित्रादि लगाने का सुझाव है; और

(घ) इस सुझाव की क्रियान्वित पर कितना व्यय होगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन आयल तथा उसके उत्पादों की एजेंसियों का अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण

6032. **श्री रामचरण :** **श्री ओंकारलाल बोहरा :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को व्यापार में प्रोत्साहन देने तथा उनके आर्थिक उत्थान में योगदान करने के लिये सरकार उनके लिये इंडियन आयरन तथा उसके अन्य उत्पादों में एजेन्सियों की कुछ प्रतिशतता आरक्षित करने पर सक्रिय रूप में विचार करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : 24-11-1969 से भारतीय तेल निगम द्वारा लागू की गई नई योजना में, जिसमें कम आय वाले परिवारों के बेरोजगार स्थानीय युवक इन्जीनियरों और अन्य स्नातकों को पैट्रोल पम्पों, मिट्टी का तेल, लाइट डीजल आयल और इण्डेन गैस की एजेंसी देना निहित है, अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सदस्यों को तरजीह दी जाएगी।

हरियाणा में करों का अपवंचन करने वाले व्यक्ति

6033. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में अब तक एक लाख रुपये से अधिक राशि के करों के अपवंचन के कितने मामले पकड़े गये हैं; और सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : माननीय सदस्य ने उस वर्ष का उल्लेख नहीं किया है जिसके सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है। पिछले सब वर्षों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा।

दिल्ली में निरोध के विज्ञापन पट्टों का प्रदर्शन

6034. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 15 पैसे में तीन 'निरोध' के विज्ञापन-पट्ट लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन विज्ञापन-पट्टों तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य विज्ञापनों का स्कूल जाने वाले बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार विज्ञापन-पट्टों के स्थान पर अन्य तरीकों से करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे मालूम हो कि निरोध के होर्डिंग्स का स्कूल जाने वाले बच्चों पर कोई बुरा असर पड़ता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Loan given to powerloom owners in the States of Maharashtra and Madhya Pradesh

6035. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after bank nationalisation a powerloom owner in the State of Maharashtra has been given a loan of Rs.2,250 per loom where as a powerloom owner in Burhanpur town of Madhya Pradesh has been given a loan of Rs.700 or 750 per loom ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) The matter is being looked into By Government.

Central Industrial Projects in Madhya Pradesh

6036. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of those Central Industrial projects in Madhya Pradesh in respect of which the Planning Commission has granted permission for expansion ;

(b) the total amount of expenditure incurred so far on these projects ; and

(c) the benefits likely to accrue after the completion of these projects ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Of the Central Government industrial Public Enterprises, investament on implementation, completion or expansion has been provided in the Draft Fourth Five Year Plan (1969—74) in respect of the following schemes in Madhya Pradesh :

(i) Bhilai Steel Plant, Bhilai.
(ii) Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.
(iii) National Newsprint and Paper Mills Ltd., Nepanagar.
(iv) Bharat Aluminium Company Ltd. (Korba Unit).
(v) Cement Corporation of India (Cement Factory at Mandhar).
(vi) Fertilizer Corporation of India (Fertilizer Plant at Korba).

The total amount of expenditure incurred on the above project 1969 which is the latest year for which information is available was Rs.475.7s upto 31 crores.

(c) These schemes will increase the supply of goods, provide employment, promote the development of the region and generally strengthen the national economy.

Overdraft by Madhya Pradesh

6037. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh had requested the Reserve Bank of India to allow overdraft ;

(b) if so, the amount they have been allowed to overdraw ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Reserve Bank did not receive any such request during the last six months.

(b) and (c) Do not arise.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा के लिए भर्ती

6038. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा में भर्ती के बारे में 16 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) का उत्तर अधूरा है ;

(ख) क्या यह सच है कि निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी करने पर उच्चतर अर्हता प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को पदोन्नत नहीं किया जाता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा कोई व्यक्ति सेक्शन आफिसर नहीं रहेगा जो उच्चतर अर्हता प्राप्त करने पर 7 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो और यदि नहीं, तो ऐसे कितने स्नातक सेक्शन आफिसर हैं जो 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं; और

(घ) क्या रिक्त स्थान बनाने के लिए अनुभवी विभागीय अधिकारियों को निम्नतर पद पर रिवर्ट (पदावनत) करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : 16 मार्च, 1970 को दिएगए प्रश्न संख्या 3181 के भाग (क) का उत्तर पूरा है।

जो सैक्शनल अधिकारी ए० एम० आई० ई० की अर्हता प्राप्त कर लेते हैं वह डिप्लोमा धारियों की अपेक्षा सहायक इंजीनियरों के रूप में पदोन्नति के लिए जल्दी पात्र बन जाते हैं। और इस सीमा तक ऊंची अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्राप्त है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सैक्शनल आफिसर ज्योंही वह सेवा के न्यूनतम निर्धारित वर्ष पूरे कर लेता है, स्वयंतैव पदोन्नत हो जायगा।

(ग) यह सत्य नहीं है कि सभी सैक्शनल अफसर, जो स्नातक हैं तथा जिन्होंने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है उस अवधि में पदोन्नत हो जायेंगे। इस विभाग में 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सनातक सैक्शनल अफसरों की संख्या 264 (सिविल) तथा 18 (बिजली) है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती बन्द करना

6039. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3009 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा जारी किए गए प्रकाश में यह घोषणा की गई है कि सहायक इंजीनियरों और सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की सीधी भर्ती बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को गुमराह करने के लिये ऐसी गलत जानकारी देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सीधी भर्ती बन्द करने के इस समय विचाराधीन प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगने की संभावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : यह ठीक है कि सहायक इन्जीनियर (सिविल) और सहायक इन्जीनियर (बिजली) श्रेणी II के पदों में सीधी भर्ती पर रोक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित न्यूज लेटर में गलती से अधिसूचित की गई थी। इस गलती का पहले ही संशोधन कर दिया गया है।

(ग) क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग से पहले परामर्श किया जाना है, अन्तिम निर्णय लेने तक लगने वाले समय का सही संकेत नहीं दिया जा सकता।

दयानन्द कालोनी, नई दिल्ली

6040. **श्री प० मु० सईद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दयानन्द कालोनी, नई दिल्ली के 'ए' और 'बी' ब्लाकों में एक सौ वर्ग गज भूमि में बनायें गये मकानों के मालिकों को दिल्ली नगर निगम भूमि के 75 प्रतिशत भाग में निर्माण करने की अनुमति देता है जब कि उसी कालोनी के उसी क्षेत्र के प्लाटों के मालिकों को अपनी भूमि के 66.6 प्रतिशत भाग में निर्माण करने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

1970-71 में केन्द्रीय सरकार के तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

6041. श्री न० रा० देवधरे : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 1970-71 में दिल्ली/नई दिल्ली में क्वार्टर बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो 1970-71 में इन दो श्रेणियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर मिलेंगे ; और

(ग) क्वार्टरों के आवंटन के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों को कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) रिहायशी एककों का आवंटन सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित वेतन सीमाओं के अनुसार किया जाता है, ना कि सेवा की उस श्रेणी के आधार पर जिसमें वे हैं । सामन्य पूल वास में I, II और III टाइप के वास की पात्रता निम्न प्रकार है :-

टाइप I	175 रुपये से नीचे
टाइप II	175 रुपये से 349 रुपये तक
टाइप III	350 रुपये से 499 रुपये तक

सामान्यता श्रेणी III और IV के कर्मचारी उपर्युक्त तीन टाइप के क्वार्टरों के पात्र हैं ।

1969-70 वर्ष के दौरान टाइप I के 200, टाइप II के 1096 तथा टाइप III के 464 क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया गया, तथा इन क्वार्टरों को 1970-71 के वर्ष में आवंटन के लिए चरणों में दिये जाने की आशा है ।

(ख) टाइप I, II तथा III के बारे में वर्तमान परितुष्टि प्रतिशतता क्रमशः 50, 34 और 30 है । इन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें 1970-71 में वास प्राप्त होगा, वह आवंटन के लिए उपलब्ध किए गए क्वार्टरों की संख्या के बराबर होगा ।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वास का भावी निर्माण निधियों और अन्य साधनों पर निर्भर है यह अभी नहीं बताया जा सकता कि सरकार इन श्रेणियों के पात्र सभी कर्मचारियों को वास की व्यवस्था कब तक कर पायेगी।

सरकारी आवास पर दबाव कम करने के लिये केन्द्रीय सहकार के कर्मचारियों को भूमि का आवंटन

6042. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी आवास पर दबाव कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भूमि के आवंटन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की योजना के अन्तर्गत, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लिए विकासित किये गये प्लाटों का 50% वेतन भोगी श्रेणियों के लिए, जिनमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, सुरक्षित हैं। ये आवेदकों को पूर्व निर्धारित दरों पर लाटरी द्वारा आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की सहकारी आवास समितियों के कई मामलों में भूमि उपलब्ध की है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अविलम्ब आवश्यकता के मामलों में वेतन की कुछ राशि का अग्रिम भुगतान

6043. **श्री न० रा० देवधरे :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविलम्ब आवश्यकता के मामलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन में से कुछ अग्रिम धनराशि देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) जिन केन्द्रीय कर्मचारियों को सम्पत्ति भूचाल, चक्रवात, बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण नष्ट हो जाती है उन्हें पेशगियां मंज़ूर करने के लिए, नियमों में पहले से ही व्यवस्था मौजूद है। ये पेशगियां, उनके वेतन में से मासिक किस्तों में वसूल की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिए डाक्टरी सहायता और इलाज के लिए भी पेशगियां देय होती हैं जिन्हें कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी दावों में समायोजित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, आपत्कालीन मामलों में, कर्मचारियों को, वेतन में से पेशगियां देने के कोई नये सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सेक्शनल अधिकारियों के लिए स्कूटर भत्ता

6044. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण,

आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री 9 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेक्शनल अधिकारियों द्वारा छोटी मोटी खरीददारी के लिए बाजार जाने के लिए तय की गई दूरी स्कूटर भत्ता लेने के लिए उनके द्वारा तय की गई दूरी में शामिल नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीधे भर्ती किये गये नवयुवक सहायक इंजीनियर और सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी छोटी मोटी खरीददारी के लिये बाजार नहीं जा रहे हैं जबकि नियमों में ऐसी व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। उन्हें दिये जाने वाले यात्रा भत्ते के लिये दूरी निश्चित करते समय अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानीय सीमाओं के अन्दर ड्यूटी अदा करने के दौरान की गई समस्त यात्रा का ध्यान रखा जाता है। केवल उनके निवास स्थान से ड्यूटी स्थान तक और वापसी का सफर छोड़ दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जब आवश्यकता होती है उन्हें छोटी-मोटी खरीद के लिए जाना होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय निर्माण मंत्रालय की स्थापना

6045. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक समिति ने प्रतिरक्षा, रेलवे और सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी निर्माण को छोड़कर सरकारी धन से किये जाने वाले निर्माण, कार्यों में बचत करने, कुशलता लाने और गति तेज करने के लिए निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के स्थान पर एक केन्द्रीय निर्माण मन्त्रालय स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) देश के प्रसिद्ध प्रोद्योगिकियों द्वारा की गई इस सिफारिश को स्वीकार करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या 1968 में तैयार की गई निर्माण लागत में मितव्ययता सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां; समिति के अध्यक्ष मेजर-जनरल हरकीरत सिंह थे।

(ख) तथा (ग) : क्योंकि प्रशासनिक सुधार आयोग विभिन्न प्रश्नों पर, जिनमें भारत सरकार मन्त्रालयों का उचित संगठन शामिल है, पर विचार कर रहा था, सिफारिश का आगे अनुसरण नहीं किया गया था।

(घ) रिपोर्ट की कापियां पार्लियामेंट लाइब्रेरी में रख दी गई हैं ?

Allotments of servant Quarters to C. P. W. D. Employees in north and South Avenues. New Delhi

6046. **Shri P. C. Adichan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of Central Public Works, Department employees who have been allotted servant quarters of the Members of Parliament situated in South and North Avenues New Delhi for the last three years ;

(b) the reasons for not allotting them quarters by the Estate Office on the basis of their date of priority ; and

(c) the reasons for allotting the said servant quarters to those employees ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) 9 members of the essential duty staff of the Central Public Works Department have been allotted servant quarters in North and South Avenues.

(b) and (c) These servant quarters stand allotted to the essential maintenance staff of the Central Public Works Department in the interest of efficient service to the Members of Parliament in the localities of North and South Avenues with the consent and approval of the Joint Committee of Chairman, House Committees of both the Houses of Parliament. In order to attend to the complaints effectively received from the Members of Parliament at odd hours, it has become necessary to keep essential duty staff in those localities as no type I accommodation in the general pool is available in the vicinity of North and South Avenues

सरकारी मुद्रणालय, नासिक में भर्ती सम्बन्धी नीति

6047. **श्री ज० मं० काहनडोल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी नगर, नासिक (महाराष्ट्र) स्थित सरकारी मुद्रणालय का मैनेजर गैर तकनीकी नौकरी की तलाश करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्याशियों को इन्टरव्यू तक के लिये नहीं बुलाता है और यदि हाँ, तो वहां सरकार की नियोजन प्रतिशत सम्बन्धी नीति का पालन नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे रोकने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की नियोजन की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ए० ई० एस० और ए० ई० ई एस० श्रेणी 2 के ग्रेड में भर्ती

6048. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ए० ई० एस० और ए० ई० ई० एस० श्रेणी 2 के ग्रेड में भर्ती बन्द करने का निर्णय किया है जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण के विभाग नवीनतम "न्यूज लैटर" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1970 की परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को कोई लिखित प्रार्थना नहीं भेजी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1969 की परीक्षा के संबंध में भी संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई लिखित प्रार्थना वापिस लेने का विचार है क्योंकि (क) और (ख) के सम्बन्ध में किये गये निर्णय वही हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हों, तो भविष्य में इस प्रकार के गलत विवरण प्रकाशित न करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और ये दस वर्ष पुराना नियम कैसे बदला जायेगा

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। परन्तु यह प्रश्न कि सहायक इंजीनियर (सिविल) तथा सहायक इंजीनियर (बिजली) के ग्रेड में सीधी भर्ती बन्द की जानी चाहिये; विचाराधीन है।

(ख) 1970 की परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों के लिये संघ लोक सेवा आयोग से कोई मांग नहीं की गई है। परन्तु ऐसी मांग करना आवश्यक हो जाएगा, यदि अन्ततः श्रेणी II की सेवाओं में सीधी भर्ती को बन्द न करने का निर्णय किया गया।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के न्यूज लैटर में दिये गये गलत विवरणों को ठीक करने की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है, यह नहीं कहा जा सकता कि कब भर्ती नियम, संशोधित, यदि कभी करने हों, किये जा सकें।

तामिल नाडु में भवन-निर्माण सामग्री को बनाने वाले कारखाने की स्थापना

6049. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाडु में भवन-निर्माण सामग्री को बनाने वाले एक कारखाने को स्थापित करने से प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) सैल्यूलर कंक्रीट कम्पोनेंटस के उत्पादन के लिये तामिलनाडु आवास बोर्ड द्वारा फैक्ट्री ऐन्नोर में स्थापित की जा रही है। यह पोलैण्ड की सहायता से लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जा रही है, जिसकी व्यवस्था तामिलनाडु राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में की जानी है। 1971 में फैक्ट्री का उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है।

मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा लाइलाज रोगों से ग्रस्त लोगों की नसबन्दी

6050. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में ऐसे कितने लोगों की नसबन्दी की गई है जो लाइलाज रोगों से ग्रस्त हैं या जो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : परिवार नियोजन एक स्वेच्छिक कार्यक्रम है। नसबन्दी मुफ्त की जाती है। इस सेवा को प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तियों का, जो असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं और जो मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं, अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः ऐसे मामलों के आंकड़ों का हिसाब नहीं रखा जाता है।

विदेश यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन

6051. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में (1961-62 से 1965-66 तक) एकाधिकार जांच आयोग प्रतिवेदन, 1965 में दी गयी सूची में अंकित 75 बड़े व्यापार गृहों में से प्रत्येक को विदेश यात्राओं के लिये और गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के अन्य व्यापार गृहों को कितनी कितनी मुद्रा दी गयी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : कारबार के सिलसिले में, विदेश यात्रा करने के लिए अनुमति प्राप्त करने उद्देश्य से जो प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं, उनके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक उन्हीं नियमों और नीतियों के अनुसार निर्णय करता है जो इस सम्बन्ध में लागू होते हैं। जिस वर्गीकरण के अनुसार सूचना मांगी गयी है, बैंक के रिकार्ड उस प्रकार नहीं रखे जाते। चूंकि बैंक में तीन साल से ज्यादा के रिकार्ड नहीं रखे जाते, इसलिये 1967-68 से पहले की अवधि की सूचना देना सम्भव नहीं होगा। फिर भी, जिस अवधि का रिकार्ड उपलब्ध है, उसके सम्बन्ध में बैंक को, 27,500 प्रविष्टियों की छानबीन करनी होगी और आवश्यक सूचना इकट्ठी करने में जितना प्रयत्न करना पड़ेगा वह उससे निकलने वाले परिणाम की तुलना में कहीं अधिक होगा। किन्तु, कारबार के सम्बन्ध में विदेश यात्रा के लिये दी गयी कुल विदेशी मुद्रा के उपलब्ध इस प्रकार हैं :–

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1961	1.28
1962	1.15
1963	1.18
1964	1.55
1965	1.80
1966	1.50

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1967	2.87
1968	4.34
1969	5.33
1970	चूंकि आंकड़े इकट्ठे करने में समय लगता है इसलिये जनवरी-मार्च, 1970 की तिमाही के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली शाहदरा क्षेत्र में सहकारी गृह निर्माण समितियों के नये सदस्य बनाने के बारे में निदेश

6052. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री रामधन :**
श्री रामचरण :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में लागू सरकारी अधिनियम अथवा दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों के उपनियमों के अन्तर्गत समितियों की प्रबन्ध समितियां नये सदस्यों को बनाने के लिये सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा भवन विभाग ने दिल्ली शाहदरा क्षेत्र में सहकारी गृह निर्माण समितियों को निर्देश दिये थे कि वे उसकी पूर्व अनुमति के बिना नये सदस्य न बनायें और शेयरों का हस्तान्तरण न करें;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही उक्त अधिनियम से प्रतिकूल नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ सहकारी समितियों ने उनके स्वायत्त कार्यकरण में किये गये इस हस्तक्षेप के प्रति विरोध व्यक्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा सदस्य बनाने पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। तथापि, भूमि के आवंटन और उपयोग के सीमित उद्देश्य के लिये, दिल्ली प्रशासन बिना उनकी पूर्व अनुमति के नये सदस्यों के बनाने या शेयरों के हस्तान्तरण को मान्यता नहीं देता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने इन समितियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

विदेशों में भारतीय डाक्टर

6053. **श्री न० रा० देवधरे : श्री रामकिशन गुप्त :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में देशवार कितने भारतीय डाक्टर हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : विदेशों में काम कर रहे भारतीय डाक्टरों की संख्या के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–3167/70.**]

प्रीत नगर सहकारी गृह-निर्माण समिति

6054. **श्री रामधन : श्री राम चरण :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रीतनगर सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली के इसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में खरीदी गई भूमि से पृथक् कुल कितनी भूमि खरीदी;

(ख) समिति के गठन से पूर्व कितने सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से कितनी कितनी भूमि खरीदी थी और समिति के गठन के बाद कितने सदस्यों ने कितनी कितनी भूमि खरीदी;

(ग) इस समिति के ऐसे कितने सदस्य हैं जो दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा भवन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकार के कर्मचारी हैं; और

(घ) क्या 13 नवम्बर, 1959, 1 मई, 1961 को और 21 दिसम्बर, 1966 को इस समिति के सदस्यों के नाम, पते तथा पदनाम क्या थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) प्रीतनगर के इलाके में लगभग 69 एकड़ सड़कों और पार्कों आदि की भूमि, कालोनाईजर द्वारा प्रीतनगर सहकारी भवन निर्माण समिति को हस्तांतरित की गई थी ।

(ख) समिति के लगभग 1200 सदस्यों द्वारा लगभग 105 एकड़ भूमि, 13 नवम्बर, 1959 से पहले क्रय की गई थी । समिति बनने के पश्चात किसी सदस्य ने भूमि नहीं खरीदी ।

(ग) समिति के अनुसार, कोई भी सदस्य दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन निर्माण विभाग या दिल्ली विकास प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं है ।

(घ) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । 1967 से पूर्व, किसी सहकारी भवन निर्माण समिति के लिए अपने सदस्यों की सूची प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं था ।

प्रीतनगर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली

6055. **श्री रामधन : श्री राम चरण :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रीतनगर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी दिल्ली को इस सोसायटी द्वारा अर्जित क्षेत्र के अतिरिक्त 30 प्रतिशत भूमि अधिक अलाट की जा रही है यद्यपि इस सोसायटी को दिया जाने वाला मुआवजे में सड़कों और पार्कों आदि के लिये छोड़ी गई भूमि की लागत की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली शाहदरा क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिये दिल्ली प्रशासन की वर्तमान नीति के अनुसार इस सोसायटी को, जिसमें लगभग 1420 सदस्य हैं, प्रत्येक 12 सदस्यों के लिये एक एकड़ भूमि के हिसाब से भूमि अलाट की जा सकती है जिसमें 15 प्रतिशत की सामान्य कटौती की जा सकती है, जो कुल मिलाकर लगभग 100 एकड़ के बराबर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें लगभग 175 एकड़ भूमि अलाट की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : जी नहीं। 13 नवम्बर 1959 से पूर्व इस समिति के लगभग 1,200 सदस्यों ने 105 एकड़ भूमि खरीदी थी। इसके अतिरिक्त, सड़कों और पार्कों के अन्तर्गत 69 एकड़ भूमि कालोनाइजर द्वारा समिति को हस्तान्तरित की गई। सामान्यता, यह समिति उतनी ही भूमि के आवंटन की पात्र है, जितनी उससे अर्जित की गई है। तथापि, 174 एकड़ क्षेत्र के विपरीत उसे लगभग 118 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है। यह कमी शहदरा क्षेत्र में विभिन्न समितियों को आवंटित की जाने वाली भूमि पर समान रूप से लगाई गई 15 प्रतिशत कटौती के कारण है।

दिल्ली तथा शाहदरा क्षेत्र में रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति को भूमि का आवंटन

6056. **श्री रामधन :** **श्री राम चरण :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड कर्मचारी सहकारी गृह-निर्माण समिति को दिल्ली-शाहदरा क्षेत्र में भूमि के आवंटन के बारे में निम्नलिखित बचन दिये गये थे कि इस समिति को सैक्टर ई–12 में स्थान दिया जायेगा और जहां तक सम्भव होगा इस समिति को दिल्ली–शाहदरा क्षेत्र में 99 एकड़ अविकसित भूमि आवंटित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त आश्वासन पूरे किये जायें और दिल्ली प्रशासन एकतरफा तरीके से इस आश्वासन को बिगाड़ने न पाये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में बाल चिकित्सालय

6057. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में गुजरात में सरकार का विचार बाल चिकित्सालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 में गुजरात में कितने चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में विदेशी मुद्रा गिरोह

6058. **श्री बै० कृ० दासचौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा गिरोह का पता लगाने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जनवरी, 1970 में दिल्ली तथा अन्य स्थानों में कोई छापे मारे गये थे;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्वन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने जनवरी 1970 में दिल्ली में कुछ तलाशियां ली थीं जिनके परिणामतः कुछ दस्तावेजों के अलावा लगभग 13395 रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा और यात्री चैक तथा 3221 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की गई। इस मामले के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

विदेशों द्वारा भारत में पूंजी निवेश की पेशकश

6059. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली, आस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया, ईरान, अफगानिस्तान तथा संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत में पूंजी निवेश करने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों द्वारा प्रायोजित विशिष्ट परियोजनायें कौन सी हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जनवरी 1969 से मार्च 1970 तक की अवधि में भारतीय निवेश केन्द्र (इंडियन इन्वेस्टमेंट सैंटर) से जो पूछताछ की गयी या उसे जो प्रस्ताव पेश किये गये उनमें 16 ब्रिटेन की पार्टियों द्वारा, 11 पश्चिम जर्मनी की पार्टियों द्वारा और 3 आस्ट्रिया की पार्टियों द्वारा किये गये थे। इस अवधि में, भारतीय निवेश केन्द्र से इटली, यूगोस्लाविया, ईरान, अफगानिस्तान और संयुक्त अरब गणराज्य से कोई पूछताछ नहीं की गयी अथवा वहां से इस केन्द्र को कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। विदेशी पार्टियों द्वारा भारतीय उद्यमकर्ताओं को सीधे की गयी पेशकशों की जानकारी प्राप्त नहीं है। जनवरी 1969 से मार्च 1970

तक की अवधि में ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और आस्टिया की पार्टियों द्वारा भारतीय निवेश केन्द्र से संयुक्त उद्यमों के सम्बन्ध में की गयी पूछताछ और उस केन्द्र को पेश किये गये प्रस्तावों का वस्तु-वार ब्यौरा, सभा की मेज पर रखे गये एक विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3168/70.]**

(ग) भारतीय निवेश केन्द्र से जो पूछताछ की जाती है और उसके सामने जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, वे प्रारम्भिक किस्म के होते हैं जब इनमें से किसी पूछताछ और प्रस्ताव का कोई फल निकलता है तो उस पर सरकार की, विदेशी निवेश और / या सहयोग सम्बन्धी सामान्य नीति के अनुसार विचार किया जाता है। अभी तक आस्ट्रिया के मेसर्स स्टीयर हेमलर पच ए० जी० द्वारा भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए दिये गये प्रस्तावों को ही सरकार ने मंजूरी दी है।

Central Assistance to States During Fourth Plan

6060. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount allocated in the Fourth Five Year Plan for providing assistance to the States ;

(b) the details of the amount proposed to be granted to each State ; and

(c) the details of the amount granted to various States in the first year of the Fourth Plan ?

The Minister of Supply and Minister of State in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Central Assistance for State Plans

(Rs. in crores)

Name of the State	Central assistance allotted for the Fourth plan period (1969—74)	Central assistance sanctioned in 1969-70		
		Loan	Grant	Total
Andhra Pradesh	240.00	28.99	12.54	41.53
Assam	220.00*	17.26	15.49	32.75
Bihar	338.00	42.20	18.09	60.29
Gujarat	158.00	19.74	8.46	28.20
Haryana	78.50	9.78	4.18	13.96
Jammu and Kashmir	145.00	15.44	7.22	22.66
Kerala	175.00	21.67	9.28	30.95
Madhya Pradesh	262.00	32.12	13.77	45.89
Maharashtra	245.50	30.66	13.14	43.80

*Including Meghalaya.

Mysore	173.00	21.07	9.04	30.11
Nagaland	35.00	0.60	5.40	6.00
Orissa	160.00	19.22	8.44	27.66
Punjab	101.00	11.99	5.13	17.12
Rajasthan	220.00	26.52	11.37	37.89
Tamil Nadu	202.00	25.03	10.72	35.75
Uttar Pradesh	526.00	63.15	27.34	90.49
West Bengal	221.00	27.06	11.59	38.65
Total :—	3500.00	412.50	191.20	603.70

Payment of House Rent Allowance to Staff of I. D. P. L. as recommended by Administrative Reforms Commission

6061. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the reasons for not implementing the recommendations made by the Administrative Reforms Commission regarding payment of house rent allowance at the rate of 25 per cent of pay by the management particularly when the said recommendation has already been accepted by Government ;

(b) whether it is a fact that the management of I. D. P. L. pay the said house rent allowance at the rate of 25 per cent to the higher officers only and not to the lower staff ; and

(c) if so, the reasons for such a discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) The recommendation is in the nature of guide-lines only. It has not been possible for the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. to accept and adopt the recommendation so far as it relates to the grant of House Rent Allowance in 'A' class cities at the rate of 25 per cent of pay, as the financial position of the company is not such as to bear the additional expenditure involved and the grant of the concession is likely to give rise to similar demands from the staff posted elsewhere.

(b) and (c) No. The company has sanctioned House Rent Allowance at the rate of 25 per cent of pay to three officers only after due consideration of their cases by the Board of Directors.

दैतारी क्षेत्र में अयस्क का भण्डार

6062. **श्री दे० अवास** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दैतारी क्षेत्र में लोह अयस्क भंडार की उपलब्धता के बारे में नवीनतम अनुमान क्या है और उसको निकालने की योजनायें क्या हैं ;

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : धायत्री क्षेत्र में अधिभार तथा नीली धूलि सहित लौह अयस्क की उपलभ्य राशियों का अनुमान 499.9 लाख मैट्रिक टन है। उड़ीसा सरकार का उपक्रम, उड़ीसा खनन विभाग में इन निक्षेपों पर आधारित प्रति वर्ष 15.00 लाख मैट्रिक टन पिण्ड अयस्क की उत्पादन क्षमता के साथ एक खान का विकास प्रारम्भ किया है। इस प्रायोजना के अब अक्तूबर 1970 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

मारीशस को औषधि तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों का सम्भरण

6063. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारीशस के स्वास्थ्य मन्त्री ने औषधि तथा शल्य चिकित्सक उपकरणों का संभरण करने का अनुरोध सरकार से किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने उस देश को औषधियां तथा विशेष उपकरण भेजे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

सरकार द्वारा हाल में घोषित रियायत के बाद कोचीन क्षेत्र में सीमा शुल्क कर्मचारियों की नौकरी पर बहाली

6064. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री पी० सी० एस्थोस :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के परिणामस्वरूप उत्पीड़ित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल में घोषित रियायतों के अनुसरण में कोचीन क्षेत्र में सीमा शुल्क विभाग में बर्खास्त किये गये कितने कर्मचारी फिर से नौकरी पर रखे गये हैं और निलम्बन के कितने आदेश रद्द किये गये हैं;

(ख) क्या कोचीन क्षेत्र में ऐसे कोई और कर्मचारी निलम्बित हैं जिनके विरुद्ध अपराध के कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं अथवा डराने धमकाने या हिंसा का कोई आरोप जांचाधीन नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोचीन क्षेत्र में सीमाशुल्क विभाग में अभी कितने कर्मचारी निलम्बित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : 19-9-1968 को हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया था। परन्तु, सात व्यक्तियों को मुअत्तिल किया गया था। मुअत्तिलो के आदेश एक व्यक्ति के सिलसिले में 3-1-1969 को और बाकी छः व्यक्तियों के सिलसिले में 4-7-1969 को वापस लिए गए थे । इस प्रकार इस समय कोई भी व्यक्ति हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तिली पर नहीं है ।

Research Work on Family Planning By Pathfinder Fund

6065. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether 'Pathfinder Fund' has been doing research work on family planning without the permission of the Government ;

(b) whether Dr. Pohlman has made some study on behalf of 'Pathfinder Fund';

(c) whether Government have exempted the salary of Dr. Pohlman from Income-tax; and

(d) whether the Minister of State in his Ministry has obtained grant from 'Pathfinder Fund'?

The Minister for Health, and Family Planning and Works Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) No.

(c) Yes.

(d) No.

धनराजगिराजी अस्पताल, शोलापुर के बेसिक नर्सिग के प्रशिक्षणार्थी

6066. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में धनराजगिराजी अस्पताल, शोलापुर, (महाराष्ट्र) को बेसिक नर्सिग के परिशिक्षणार्थियों के लिये राशि नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो वह कब दी जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्कूलों में नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दे रही थी। तृतीय योजना के अन्तर्गत सहायता का प्रतिमान द्वितीय योजना से बहुत सीमा तक भिन्न था। दुर्भाग्यवश, इस विषय पर अनुदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं किया गया, परिणामतः, संस्थाएं द्वितीय योजना अवधि में निर्धारित प्रतिमान के अनुसार सहायता प्राप्त करती रहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न संगठनों को जिन्हें केन्द्रीय सहायता मिलती थी लगभग 50 लाख रु० का अधिक भुगतान हो गया। इस पर आपत्ति उठाई गई है और सारे मामले की जांच हो रही है। इसलिए बहुत से स्वैच्छिक संगठनों को जो कि नर्सों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित थे अनुदानों की बकाया का दिया जाना सम्भव नहीं हो सका है। जहां तक धनराजगिराजी अस्पताल, शोलापुर का सम्बन्ध है, इस संस्था को वर्ष 1967-68 और 1968-69 की सहायता राशि का कुछ बकाया मिलना है। सहायता की मात्रा लेखा परीक्षा आपत्ति के हिसाब से तय की जानी है। इस आपत्ति पर इस समय विचार किया जा रहा है। ज्योंही लेखापरीक्षा आपत्ति दूर हो जाएगी, बकाया, यदि कोई निकलेगा तो दे दिया जाएगा।

औद्योगिक विकास बैंक का कार्य

6067. **श्री शिव चन्द झा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 से औद्योगिक विकास बैंक का कार्य **कम होता जा** रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1966-67 से लेकर वर्ष 1969-70 तक के बजट में अलग अलग वर्ष-वार कुल कितनी व्यवस्था की गयी थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : 1966-67 की तुलना में 1967-68 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औद्योगिक कम्पनियों को कम संख्या में सहायता की मंजूरियां दी गयीं और कम रकम का भुगतान किया गया। इसके दो मुख्य कारण थे, अर्थात् उद्योगों में आने वाली मंदी की प्रवृत्ति और वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साधनों की स्थिति में होने वाला सुधार। इन दोनों कारणों के फलस्वरूप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर प्रत्यक्ष सहायता और पुनर्वित्त की व्यवस्था करने का दवाव कम हो गया। तथापि, उस आय से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकलापों में नये-नये कार्य शामिल किये गये हैं। और जिसकी वजह से मंजूर की गयी सहायता की रकम में 1967-68 के स्तर की तुलना में वृद्धि हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इंजीनियरी सामान और सेवाओं के निर्यातों को सीधे ऋण देने और वित्तीय गारंटी देने की एक योजना चालू की है और अपनी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता तथा मशीनों की हुंडियों को फिर से भुनाने की सुविधा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू कर दी है। इसके अलावा बैंक में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में छोटी और, मध्यम स्तर की प्रायोजनाओं को आसान शर्तों पर सहायता देने की योजना की रूप रेखा की घोषणा की है। इस बात का सुनिश्चित करने के लिये कि सम्पूर्ण देश में, विशेषतः अपेक्षाकृत अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों में उद्योग की समस्याओं पर अधिक सुचारु रूप से ध्यान दिया जा सके, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं और साथ ही राज्यों की राजधानियों में अपने कर्मचारी रखने का भी विचार है।

अप्रैल 1966 से फरवरी 1970 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्षवार मंजूर की गयी तथा बांटी गयी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3169/70]**

केन्द्रीय सरकार के बजट में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए जो व्यवस्था की जाती है वह बैंक को उपलब्ध होने वाले साधनों में से केवल एक है। केन्द्रीय सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 1966-67 में 47.54 करोड़ रुपये के 1967-68 में 25.00 करोड़ रुपये के और 1968-69 में 25.00 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे तथा 1969-70 में कोई ऋण नहीं दिया गया। चूंकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हाल में अर्थात् 1-7-64 को ही की गयी थी अत: शुरू के वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए बजट में अधिक रकम की व्यवस्था करना आवश्यक था। धीरे-धीरे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अधिकाधिक, अपने अन्य साधनों पर निर्भर रहने लगा है। ये साधन हैं : बैंक की आन्तरिक प्रारक्षित निधियां, ऋण लेने वालों द्वारा सीधे ऋण और पुनर्वित्त सम्बन्धी सहायता की वापस की जाने वाली रकम फिर से भुनायी गयी हुंडियों के लौटाये जाने से प्राप्त होने वाली रकम।

भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधिक कार्य) निधि। इसलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अब सरकार के बजट से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रही है।

वर्तमान उर्वरक कारखानों की कार्य कुशलता में सुधार करने के लिये उपाय

6068. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : श्री राज देव सिंह :
श्री जय सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्वरकों का वर्तमान वार्षिक उत्पादन 5.43 लाख टन है जिससे यह पता लगता है कि 52 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का ही उपयोग होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय रसायन निर्माता संघ के तत्वावधान में 'बल्यू प्रिंट ग्रान फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री' पर हुए सेमिनार में अपने भाषण में उन्होंने यह कहा था कि सरकार ने वर्तमान उर्वरक कारखानों की परिचालन की कम कार्यकुशलता के कारणों का पता लगा लिया है और क्षमता का कम से कम 85 से 90 प्रतिशत अधिकतम उत्पादन करने के लिये पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो (1) पता लगाये गये कारणों (2) क्षमता के अधिकतम के लिये किये गये उपायों और (3) अब तक प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, 1968-69 के दौरान ।

(ख) जी हां, मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में संकेत किया था कि वर्तमान कारखानों में उत्पादन को कम से कम 80 या 85 प्रतिशत दक्षता स्तर तक बढ़ाने के लिए कदम उठाते जा रहे हैं ।

(ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1969 में देश में उर्वरकों की कुल स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	1969 के अन्त में स्थापित क्षमता	1969 के दौरान उत्पादन
1. नाइट्रोजनी एन उर्वरक	11,44,000 मीटरी टन	6,60,000 मीटरी टन
2. फास्फेटिक उर्वरक पी$_2$ ओ$_5$	4,21,000 " "	2,20,000 " "

(ख) **कम उत्पादन के कारण नाइट्रोजनी उर्वरक**

1. सिन्दरी ट्राम्बे, फैक्ट और रौरकेला कारखानों में तकनीकी कठिनाइयों के कारण, स्थापित क्षमता की तुलना में उपलभ्य क्षमता कम है ।

2. कोटा और नामरुप कारखाने उत्पादन के प्रथम/द्वितीय वर्ष में है और इस प्रकार उन्हें प्रारम्भिक कठिनाइयां हैं ।

3. रौरकेला कारखाने में कोक भट्टी गैस की कमी, नंगल कारखाने में भाखड़ा प्रबन्धक

बोर्ड द्वारा बिजली की कटौती और सिन्दरी कारखाने में घटिया किस्म के जिप्सम की सप्लाई ने उत्पादन पर कुप्रभाव डाला।

4. विभिन्न यान्त्रिक/विद्युत, उपकरणिका एवं प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां भी, कई कारखानों में कम उत्पादन के कारण रहे हैं।

फास्फेटिक उर्वरक

1. एकाकी सुपरफास्फेटिक की मांग के लिए कमी

2. सम्मिश्र कारखानों में यान्त्रिक कठिनाइयां

(ग) वर्तमान कुछ उर्वरक कारखानों में अनुकूलतम स्तर पर उत्पादन लाने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं।

(1) सिन्दरी : अमोनिया और अन्य सर्जित उत्पादों के उत्पादन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण प्रयोग करने के बारे में, कारखाने में कृत्रिम गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक नेफ्था गैसीकरण कारखाना स्थापित किया जा रहा है। नेफ्था गैसीकरण योजना के शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।

(2) रौरकेला : अमोनिया और कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अनुकूलतम प्रयोग करने के बारे में, कारखाने में हाइड्रोजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक नेफ्था गैसीकरण यूनिट कार्यान्विनाधीन हैं। परीक्षण परिचालन किये जा रहे हैं।

(3) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०, अल्वाय : कारखाने के कार्य-करण के अध्ययन के लिए स्थापित एक तकनीकी दल ने कई सुझाव दिये हैं। ये कार्यान्विनाधीन हैं।

(4) नयवेली : एक तकनीकी समिति ने कारखाने के कार्य-करण का अध्ययन किया है और कई सिफारिशों का सुझाव दिया है। ये कार्यान्विनाधीन हैं।

(5) ट्राम्बे : एक से अधिक समिति ने ट्राम्बे कारखाने के कार्य-करण की जांच की तथा उन क्षेत्रों में, जिनमें विदेशों से एकसपरटाईज लाभदायक समझा गया, यू एस ऐड (USAID) के तत्वाधान में टी० ए० वी० (TAV) से एक विशेषज्ञ दल बुलाया गया था समिति/दल ने ट्राम्बे में परिचालव परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिये। इन जांचों के परिणामस्वरूप, कई उपायों के बारे में निर्णय किया गया; जो कार्यान्विनाधीन है।

उपर्युक्त सारे उपायों की पूर्णतया कार्यान्विति के बाद, यह आशा है कि कारखाने लगभग पूर्ण क्षमता तक पहुंच जायेंगे।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, लिमिटेड, नई दिल्ली

6069. **श्री उमानाथ :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री के० रमानी :
श्री नम्बियार :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने वर्ष 1968-1969 के लिये साम्य पूंजी पर 8 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फैक्टरी का उत्पादन भी बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो 1967-68, 1969-70 में इस कारखाने को कुल कितना लाभ हुआ और उसके उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई;

(घ) क्या श्रमिक संघ ने कर्मचारियों के लिये मजूरी तथा अन्य सुविधायें बढ़ाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां ।

(ग) वर्ष	उत्पादन	कर आदि की अदायगी के बाद शुद्ध लाभ
1967-68	1.80 करोड़ रुपये	6.35 लाख रुपये
1968-69	1.93 करोड़ रुपये	6.93 लाख रुपये

1969-70 के वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि हिसाब को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) तथा (ङ) फैक्ट्री के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई दरों पर मंहगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। उस मामले में प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद को दिल्ली प्रशासन द्वारा इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जनवरी 1967 में फैसले के लिए भेजा गया था, और अभी न्यायाधीन है।

एल्यूमिनियम की कमी

6070. **श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों को क्रियान्वित करने की अनुमति न देने की सरकार की नीति के कारण देश में एल्यूमिनियम की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में कुन्दारी ग्राम में, हरिजनों का नसबन्दी आपरेशन

6071. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भगवान दास :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीतापुर जिले (उत्तर प्रदेश) के कुन्दारी ग्राम में पुलिस तथा स्थानीय जमोंदारी की सहायता से सरकारी डाक्टरों ने कई हरिजनों के अनिवार्य रूप से नसबन्दी आपरेशन किये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का आपरेशन किया गया;

(ग) क्या सरकार इसे निर्धन हरिजनों के विरुद्ध डाक्टरों तथा स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया गम्भीर अपराध समझती है;

(घ) यदि हां, तो इस निर्दयतापूर्ण कार्य करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जिला सीतापुर (उत्तर प्रदेश) के सन्धाना खण्ड में 31-1-70 और 5 2-70 को 45 व्यक्तियों की नसबन्दी की गई थी। सरकार द्वारा मामले की जांच-पड़ताल करने पर पता चला है कि इन आपरेशनों के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस या डाक्टरों द्वारा बल अथवा जोर-जबरदस्ती का प्रयोग नहीं किया गया।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एक नये नायलोन धागा कारखाने के लिये अमरीका के निर्यात-आयात बैंक से ऋण

6072. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के आयात-निर्यात बैंक ने एक नये नायलोन धागा कारखाने में धनराशि लगाने में सहायता करने के लिये कलकत्ता की एक भारतीय फर्म को ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है तथा उसने कितनी राशि का ऋण प्राप्त किया है;

(ग) क्या इस फर्म ने ऋण प्राप्त करने के लिये सरकार की अनुमति ले रखी थी; और

(घ) यदि हां, तो यह अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : मैसर्स श्री सिन्थैटिक्स लिमिटेड, कलकत्ता अपने नये नायलोन धागा संयंत्र की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था करने के लिये 1,943 मिलियन अमरीकी डालरों के एक ऋण के लिये बैंक के साथ बात-चीत कर रहे हैं।

(ग) सरकार ने मैसर्स श्री सिन्थैटिक्स लिमिटेड को ऋण के लिये अमरीका के निर्यात-आयात बैंक के साथ बात चीत करने की अनुमति दे दी है।

(घ) उन्हें यह अनुमति इसलिये दी गई है ताकि वे नायलोन धागा संयंत्र, जिसके लिये उन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है, स्थापित करने के लिये अपेक्षित संयंत्र और मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

Appointment of Deaf And Dumb Persons in Government of India Press

6073. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be** pleased to state :

(a) whether it is a fact that deaf and dumb persons had been called for interview for the posts of Binders in Government of India Press, New Delhi on the 6th July, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that four persons out of them had been selected and were medically examined on the 28th August, 1968 and were found to be fit ;

(c) whether it is also a fact that after the report of the medical examination, they had been told that appointment letters would be sent on their addresses which have not been hitherto received;

(d) the reasons for causing disappointment to the crippled persons in this manner ; and

(e) the steps being taken by Government to ensure that the said four applicants are provided the said jobs ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) Yes but the interview was for the post of Warehouseman.

(b) and (c) Yes.

(d) and (e) The persons were not appointed as they did not possess the minimum educational qualification required for the post of Warehouseman.

भारतीय रेलवे में मुख्य लेखा परीक्षकों के रूप में काम कर रहे अधिकारियों द्वारा रेलवे सलूनों का प्रयोग

6074. **श्री लोबो प्रभू** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में मुख्य लेखा-परीक्षकों के रूप में काम करने वाले भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों को यात्रा के मामले में (जिसमें वातानुकूलित डिब्बे शामिल हैं) क्या सुविधायें दी जाती हैं;

(ख) वर्ष 1969 में नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षा द्वारा बुलाये गये महा लेखापाल तथा मुख्य लेखा परीक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिये विभिन्न रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षक जब पिछली बार दिल्ली आये थे तो किन-किन मुख्य लेखा परीक्षकों ने अपने सेलूनों में यात्रा की थी : और वे लेखा परीक्षा विभाग में मुख्य लेखापरीक्षकों की भांति जब वे सरकारी काम से यात्रा करते है सामान्य प्रथम श्रेणी में यात्रा क्यों नहीं कर सके;

(ग) क्या इन अधिकारियों को सरकारी काम से दिल्ली आने में भी सैलून सुविधा दी जाती है बावजूद इसके कि दिल्ली में रेलवे अधिकारी विश्राम गृह हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : भारतीय रेलवे में मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने वाले भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारी सरकारी कार्य के सम्बन्ध में यात्रा करते समय, प्रशासनिक ओहदे के अन्य राजपत्रित रेलवे अधिकारियों की तरह पहले दर्जे के वातानुकूलित डब्बे में यात्रा करने के हकदार हैं। लेकिन यदि इन अधिकारियों के परिवार भी इनके साथ हों तो उन्हें निर्धारित नियमों के अधीन पहले दर्जे तथा वातानुकूलित दर्जे के

किरायों के अन्तर की रकम अदा करनी होगी। अन्य रेलवे अधिकारियों की भांति वे भी सरकारी कार्य पर जाते समय निरीक्षण-डिब्बों में, यदि वे उपलब्ध हों तो, यात्रा करने के हकदार हैं।

(ख) : (उत्तर रेलवे के मुख्य लेखा-परीक्षक को छोड़कर जो दिल्ली में तैनात हैं) सभी मुख्य लेखा परीक्षक, जिन्होंने सरकारी कार्य के सम्बन्ध में यात्रा की, निरीक्षण-डिब्बों में बैठकर आये। मुख्य लेखा परीक्षकों ने 3-2-1969 से 6-2-1969 तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के महा लेखाकारों तथा अन्य विभागाध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के बाद 7-2-1969 से 8-2-1969 तक केवल रेलवे लेखा परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर अलग से दिल्ली में हुए सम्मेलन में भी भाग लिया। भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अन्य विभागाध्यक्ष जैसे महालेखाकार अपने विवेक पर हवाई जहाज से यात्रा करने के हकदार हैं, जबकि रेववे में अन्य विभागाध्यक्षों की भांति रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षकों को प्रत्येक मामले में विशेष रूप से अनुमति लेनी पड़ती है। रेल गाड़ी से यात्रा करने के मामले में, महालेखाकार वातानुकूलित पहले दर्जे में यात्रा करने के हकदार हैं; लेकिन अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों को 1 पैसा प्रति किलोमीटर अदा करना होता है।

(ग) तथा (घ) : वे साधारणतया सैलूनों का नहीं बल्कि निरीक्षण-डिब्बों का प्रयोग करते हैं तथा रेलवे विभाग के उन अधिकारियों की संख्या जो इस प्रकार के आवास की मांग कर सकते हों, तथा उनके रुकने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, वे उस समय अन्य उपयुक्त आवासीय स्थान के उपलब्ध होने के बारे में स्वविवेक का प्रयोग करते हैं।

भारतीय तेल निगम में भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नियोजित करना

6075. **श्री अब्दुल गनी द्वार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय तेल निगम लि० तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदेश दिये हैं कि भूत-पूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों (सेवामुक्त) को उनकी वैध तकनीकी तथा गैर-तकनीकी अर्हताओं के अनुसार विभिन्न पदों पर नियोजित करें; और

(ख) यदि हां, तो पदों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : इस अफसरों की कठिनाइयों के बारे में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को सूचित कर दिया गया है और उनसे यथा संभव इन अफसरों को इनकी अर्हताओं के अनुसार काम पर लगाने का अनुरोध किया गया है। उपक्रमों से, सेवा युक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को काम पर लगाने के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के पदों में उनके लिये किये गये इसी प्रकार के पद-आरक्षणों को ध्यान में रखते हुये, अपने अधिकारी काडर में पद-आरक्षण करने की संभाव्यता पर विचार करने का भी अनुरोध-किया गया है।

दिल्ली सहकारिता अधिनियम और सहकारी गृह निर्माण समितियों के उपनियम

6076. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 26 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशाशन के अनुदेश प्रबन्धक समिति के सांविधिक अधिकारों को रद्द कर सकते हैं;

(ख) क्या इन समितियों की सदस्यता के आधार पर उन्हें जमीन का आवंटन किया गया है और प्रत्येक समिति ने जमीन के मूल्य का पहले ही भुगतान कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रत्येक समिति को अपने उपनियमों के उपबन्धों के अनुसार उन रिक्त स्थानों को भरने के लिये जो त्यागपत्र अथवा अदायगी न किये जाने के परिणामस्वरूप खाली होते हैं नये उपयुक्त सदस्य बनाने का सांविधिक अधिकार है, विशेषकर इन समितियों को भूमि का कब्जा देने में सरकार की ओर से तीन वर्ष से अधिक का असाधारण विलम्ब होने के कारण जिसके परिणामस्वरूप हो सकता है कुछ सदस्यों को परिस्थितियां बदल जायें और उन्हें या तो दिल्ली विकास प्राधिकार की भूमि अथवा बने हुए मकान खरीदने पड़े और या दिल्ली से बाहर भूमि लेनी पड़े; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि भविष्य में भी आवास विभाग अथवा अन्य कोई प्राधिकारी इन समितियों को तंग नहीं करेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : सहकारी आवास निर्माण समितियों द्वारा सदस्यों के बनाने पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। तथापि, आवंटन और भूमि के उपयोग को नियमित करने के सीमित उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन उनकी पूर्व अनुमति के बिना, नये सदस्यों के बनाए जाने अथवा शेयरों के हस्तान्तरण को स्वीकार नहीं करता। ऐसी शर्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल भूमि की आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने, उपलब्ध क्षेत्र से अधिक सदस्य बनाए जाने को रोकने, तथा शेयरों/प्लाटों के चोरी छिपे हस्तान्तरण को रोकना है।

ओखला में दूषित जमुना जल के बारे में जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति

6077. **श्री सामिनाथन :**
श्री दंडपाणि :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० कुन्दू :
श्री दे० अमात :
श्री रवि राय :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री मनुभाई पटेल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति

नियुक्त की गई है कि क्या दूषित जमुना जल के कारण मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह में ओखला जल परिष्करण संयंत्र तीन दिन के लिये बन्द हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली प्रशासन ने इस बारे में एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है। समिति का गठन और इसके निर्देश पद तय कर लिये गये हैं। अध्यक्ष/सदस्यों से इसकी स्वीकृति आने पर, समिति को अधिसूचित कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

नागपुर स्थित डाक व तार लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्यालय के विभाजन के सम्बन्ध में संसद सदस्यों द्वारा प्रधान मन्त्री को ज्ञापन

6078. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वित्त** मन्त्री 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के संसद सदस्यों ने नागपुर स्थित डाक व तार लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्यालय के विभाजन की योजना के बारे में दिसम्बर, 1969 में प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। इससे पहले के प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि सरकार को संसद्-सदस्यों की ओर से कोई ज्ञापन नहीं मिला। किन्तु, प्रधान-मन्त्री सचिवालय में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। तथा इस सदन में उत्तर दे चुकने के बाद ही, इस मन्त्रालय को इस बात का पता चला। इससे पहले के प्रश्न के उत्तर को एक वक्तव्य के जरिये सही किया जा रहा है, तथा उसे सदन की मेज पर रखा जा रहा है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–1370]**

(ख) मुख्य मांग यह थी कि कर्मचारियों के हित में तथा नागपुर शहर की रोजगार क्षमता को कायम रखने के लिये भी डाक-तार विभाग के नागपुर-स्थित लेखा परीक्षा तथा लेखा कार्यालय का विभाजन करने की योजना रद्द कर दी जाय।

(ग) डाक-तार सम्बन्धी लेन-देनों में वृद्धि होने तथा नये डाक-तार परिमंडलों की स्थापना होने के कारण, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रत्येक डाक-तार परिमंडल के लिये लेखा-परीक्षा कार्यालयों का निर्माण करना तथा उनको प्रशासनिक कार्यालयों के निकट ले जाना वांछनीय हो गया है। एतदनुसार डाक-तार विभाग के कलकत्ता, मद्रास, नागपुर आदि के लेखा-परीक्षा तथा लेखा निदेशक के कार्यालयों का (परिमंडल-वार आधार पर) पुनर्गठन किया जा रहा है। इस प्रकार के पुनर्गठन से कर्मचारियों के किसी बड़े भाग पर आर्थिक दृष्टि से विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। कर्मचारियों को परेशानी से बचाने के लिये, नियंत्रक-महा-लेखा परीक्षक ने निर्णय किया है कि किसी भी

कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध नये एककों में स्थानान्तरित नहीं किया जायगा। कर्मचारियों की न तो छंटनी की जायेगी और न ही नागपुर कार्यालय में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत वर्तमान कर्मचारियों की पदावनति ही की जायगी। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महा-लेखा-परीक्षक ने इस बात की ओर भी संकेत किया है, कि विकेन्द्रीकरण के बाद भी, इस कार्यालय का एक बड़ा भाग, महाराष्ट्र परिमंडल के डाक-तार सम्बन्धी लेन-देनों की व्यवस्था करने के लिये नागपुर में ही कार्य करता रहेगा।

Foreign Exchange to Haj Pillgrims

6079. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the year-wise number of persons who were granted permission by Government during the financial years 1967-68, 1968-69 and 1969-70 for going to Haj Pilgrimage.

(b) the number of applications received by Government in this connection during the said period ; and

(c) the year-wise amount of foreign exchange sanctioned by Government to the Haj Pilgrims ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Year	No. of persons who were granted permission to perform Haj	No. of applications received by the Haj Commitee	Total amount of foreign exchange sanctioned to Haj Pilgrims
1967-68	15,171	30,859	Rs.2,34,13,315
1968-69	15,222	33,662	Rs.2,34,85,285
1969-70	15,223	35,520	Rs.2,35,75,673

देशी नरेशों द्वारा विदेशी मुद्रा के खर्च में कमी

6080. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्बन्धित देशी नरेशों से कहा है कि वर्ष 1967-68 में उनको प्राप्त विदेशी मुद्रा कम खर्च करें, और

(ख) यदि हां, तो देशी नरेशों की क्या प्रतिक्रिया है और वर्ष 1967-68 में उनके द्वारा आयात की गई वस्तुओं पर सीमा-शुल्क की कितनी राशि की छूट दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : नरेशों के विशेषाधिकार के अन्तर्गत नरेशों द्वारा वर्ष 1967-68 में आयात की गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क सम्बन्धी दी गयी छूट की रकम 4703.00 रुपये थी। आयात की गई इन वस्तुओं में विदेशी मुद्रा की ग्रस्त रकम अपेक्षाकृत कम थी, इसलिये सरकार ने सम्बन्धित नरेशों से कोई निवेदन नहीं किया।

सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों की बैठक

6081. **श्री बाल्मिकि चौधरी :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों के साथ जो 7 तथा 8 मार्च, 1970 को दिल्ली में हुई विचार गोष्ठी में भाग लेने आये थे, प्रधान मंत्री की बातचीत हुई थी;

(ख) इस बैठक में किन मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की ओर से उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के बारे में आम शिकायत थी और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी हां। प्रधान मंत्री ने, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दायित्व और प्रबन्ध विषयक विचार-गोष्ठी में भाग लेने के लिये आये हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की 7 मार्च, 1970 को हुई संक्षिप्त बैठक में इन अधिकारियों से अनौपचारिक रूप से बातचीत की थी। इस बैठक के लिये कोई कार्यसूची निश्चित नहीं की गयी थी और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिये अनुरोध किया गया था।

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने, चर्चा के दौरान, इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत नहीं की थी।

Powerloom Operators of East Nimar District of Madhya Pradesh

6082. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the powerloom operators of East Nimar District of Madhya Pradesh have been experiencing a lot of difficulties in getting loans of the same amount from the State Bank of India which is easily advanced to powerloom operators in Maharashtra ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to take any action to remove the difficulties faced by the powerloom operators ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (e) The matter is being looked into by Government.

नाइट्रोजन तैयार करने वाली उर्वरक परियोजना की जांच

6083. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नाइट्रोजन तैयार करने के लिए उर्वरक परियोजनाओं की सरकारी जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग) : नये उर्वरक कारखानों की स्थापना या मौजूदा कारखानों में विस्तार करने के प्रस्ताव जब प्राप्त होते हैं, सरकार उनकी जांच करती है। उर्वरकों की मांग और सप्लाई में अन्तर के कारण यह एक सतत कार्य प्रक्रिया है। उर्वरक कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति निम्नलिखित है :—

	नाइट्रोजन (मिलियन मीटरी टन)
वर्तमान क्षमता	1.344
निर्माणाधीन क्षमता	1.210
सिद्धान्त रूप में अनुमोदित क्षमता लेकिन जो अभी स्थित नहीं हुई है।	2.146

अवर श्रेणी लिपिकों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धि

6084. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उन अवर श्रेणी तथा उच्च श्रेणी लिपिकों को उनके निर्धारित वेतन मानों में कुछ अग्रिम वृद्धि देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिनके पास इन ग्रेडों में भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं से ऊंची अर्हतायें हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जबकि यह पद्धति राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपनाई जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों का ढांचा, संबंधित बैंकों द्वारा विभिन्न धारणाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये धारणायें केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के बारे में लागू नहीं होगी जिनके वेतनमानों को इस समय दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

दिल्ली में शरणार्थी बस्तियों में मकानों को नये मालिकों के नाम चढ़ाना

6085. **श्री जय सिंह** : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि तथा विकास अधिकारी ने कुछ मामलों में दिल्ली में शरणार्थी बस्तियों में मकानों का बैनामा हो जाने के पश्चात् भी उन मकानों को खरीददारों के नाम में नहीं चढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो नामांतरण के बारे में विभेताओं को आपत्तियां करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप विक्रेता कदाचार करने लग पड़े हैं और खरीददारों को अनुचित ढंग से परेशान कर रहे हैं और यदि हां तो खरीददारों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां । खरीददारों के नाम कुछ मामलों में जहां विक्रय-विलेखों में कुछ खामी पाई गई या वह उन लोगों द्वारा निष्पादित किये गये जो ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, खरीदारों के नाम नामांतरण नहीं किया गया ।

(ख) बेचने वालों द्वारा की गई आपत्तियां, सिवाय वहां, जहां वह कानूनो तौर पर वैद्य थी, से नामांतरण के विरुद्ध निर्णय पर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Production of opium in States and Incentive to Farmers of M. P. For Producing Opium

6086. **Shri Yashwant Singb Kushwah** : Will the Minist-r of **Finance** b pleased to state :

(a) the quantity of opium produced, Statewise, in the country and the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(b) the details of the facilities provided as an incentive to the farmers producing opium in Madhya Pradesh which is the largest producing State in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The quantity of opium produced Statewise during the two preceding years is given below :

Crop Year	Quantity of opium produced at 70° c. (Kgs.)		
	Madhya Pradesh	Rajasthan	Uttar Pradesh
1968-69	5,48,091	3,50,585	2,17,643
1969-70 (Estimated)	5,90,000	4,00,000	2,10,000

The total amount of foreign exchange earned on the export of opium in 1968-69 amounted to Rs.4.77 lakhs and in 1969-70 to Rs.6.15 lakhs (provisional).

(b) Price of opim is fixed after taking into account the comparative returns from other crops like wheat, potatoes and sugarcane. Besides, the price payable ranges from Rs.32 to Rs.70 per Kg. according to the average yield. Cash prizes are also awarded to the cultivators tendering highest average yields in various zones. Under this scheme, as the average yields in Madhya Pradesh are higher, the cultivators in that State receive a better return.

लद्दाख में खनिजों का सर्वेक्षण

6088. **श्री कुशक बाकुला :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में लद्दाख में एक व्यापक खनिज सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर उक्त खनिजों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) और (ख) : भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा लद्दाख में, विशेष रूप से गन्धक, सोहागा, पोटाश, आधार धातुएं तथा फासफोराइट के लिये खनिज सर्वेक्षण प्रगति पर है। उन सर्वेक्षणों के परिणाम उनके पूर्ण हो जाने के उपरांत ही ज्ञात होंगे।

(ग) से (घ) : इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक व्यय वृद्धि

6089. **श्री एन० लकप्पा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक व्यय बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कितना है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : जी हां, वित्तीय वर्ष 1964-65 से 1968-69 तक के सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय और नवीकरण व्यय अनुपात (जो मितव्ययिता को आंकने का मापदण्ड है) के (निरपेक्ष) आंकड़े नीचे लिखे अनुसार थे :–

वर्ष	प्रशासनिक व्यय	नवीकरण व्यय का प्रतिशत अनुपात
1964-65	44.70 करोड़	14.09
1965-66	49.53 करोड़	14.69
1966-67	54.61 करोड़	15.91
1967-68	58.62 करोड़	15.90
1968-69	64.67 करोड़	15.91

आय-कर अधिकारी के कर्तव्य

6090. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों को भी वही काम करना होता है जो प्रथम श्रेणी के आयकर अधिकारी करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि द्वितीय श्रेणी के आय कर अधिकारियों को विशेष सर्किलों में काम सौंपा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इन अधिकारियों को वही वेतन जो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को दिया जाता है न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय आयकर सेवा श्रेणी-11 के आयकर अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का स्वरूप केन्द्रीय आयकर सेवा श्रेणी-I के आयकर अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के समान ही होता है क्योंकि दोनों श्रेणियों के अधिकारी अपनी शक्तियां, आयकर अधिनियम के संगत उपबन्धों से प्राप्त करते हैं । लेकिन श्रेणी-I के आयकर अधिकारियों को अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र सौंपे जाते हैं । प्रशिक्षण अथवा परिवीक्षाधीन अवस्थाओं में उन्हें कम महत्व का कार्य करना होता है ताकि वे उच्चतर कार्यों के लिये दक्षता हासिल कर सकें ।

(ख) केन्द्रीय आयकर सेवा श्रेणी-II के ऐसे अधिकारियों को जो पर्याप्त वरिष्ठ हों, और जिनका विशेष रुझान होता है अथवा जिन्हें दक्षता प्राप्त होती है, उन्हें समय समय पर विशेष परिमण्डलों में कार्य दिया जाता है । यह विशेषरूप तब किया जाता है जब किसी आयकर आयुक्त के किसी विशेष कार्य क्षेत्र में केन्द्रीय आयकर सेवा श्रेणी-I के आयकर अधिकारियों की कमी हो ।

(ग) प्रत्येक विभाग में ऐसा बहुत सा कार्य होता है जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है और जिसे श्रेणी-II के अधिकारियों को सौंपा जा सकता है । यही कारण है कि लगभग सभी विभागों के संवर्गों में श्रेणी-II की सेवा प्रायः विद्यमान रहती है । विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी-वर्ग को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए भी श्रेणी-II की सेवा रखी गयी है । अराजपत्रित कर्मचारियों को सीधे ही श्रेणी-I में पदोन्नति नहीं किया जा सकता । जैसे ही श्रेणी-II का कोई अधिकारी पर्याप्त वरिष्ठ हो जाता है और उपयुक्त दक्षता प्राप्त कर लेता है वैसे ही उसे श्रेणी-I सेवा में पदोन्नति का अवसर मिलता है और उसके बाद उस पर श्रेणी-I सेवा के वेतनमान लागू होते हैं ।

आयकर अधिकारी की पदोन्नति

6091. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रथम श्रेणी के पदों में द्वितीय श्रेणी आयकर अधिकारियों की पदोन्नति की प्रतिशत में वृद्धि करने का है ताकि द्वितीय श्रेणी में उपलब्ध अनुभवी अधिकारियों को जिनकी सेवा रिकार्ड दस वर्ष से भी अधिक समय से अच्छा रहा है, इनमें नियुक्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने सभी सेवाओं में श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति के लिये 40 प्रतिशत के एक समान पदोन्नति-कोटे की सिफारिश की है । इस समय आयकर विभाग में श्रेणी-II के आयकर अधिकारियों की श्रेणी-I में पदोन्नति के लिये पदोन्नति-कोटा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत है । श्रेणी-II के अधिकारियों को श्रेणी-I में पदोन्नत करने के सम्बन्ध में पदोन्नति-कोटे को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी ।

दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से निकलने वाली राख से ईंटों का निर्माण करने के लिये संयंत्र

6092. **श्री यशपाल सिंह : श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ताकि दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ बिजली घर से निकलने वाली राख का ईंटों आदि के निर्माण के लिये उपयोग हो सके;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र को कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या ओखला स्थित वर्तमान और 'फैबरीकेटिड हाउसिंग फैक्टरी' को कार्य नहीं सौंपा जा सका ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Bonus paid to workers in public sector Undertakings

6093. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1006 on the 24th November, 1969 and state :

(a) the total amount of taxes paid to Government (both to Union and State Governments) and the total amount of bonus paid to the workers by the 31st public sector undertakings which earned profits during the years 1967-68 and 1968-69 as also their names and locations ;

(b) the names of those 24 public sector undertakings which incurred a loss during the year 1967-68 and the number of those, out of them, which paid bonus to workers and engineers and the amount thereof as also the amount of taxes paid to Government by them; and

(c) the various facilities provided by Government to these undertakings free eo cost as also the various taxes from which they are exempted but which are levied on the private sector industries ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Presumably the Hon'ble Members are referring to income tax paid by Public Enterprises. According to information available in the Annual Accounts, 31 undertakings which earned profits during 1967-68. referred to in the answer given to Unstarred Question No. 1006 on 24th November, 1969, made income tax provisions amounting to Rs.18.5 lakhs in 1967-68 and Rs.17.0 lakhs in 1968-69. The names of 31 profit-makig concerns and 24 losing concerns during the year 1967-68 together with the amount of bonus paid/provided for by them, are given in Annexures I and II respectively. **(Placed in Library. See. No. LT-3171/70).**

(c) Certain public undertakings had sought to obtain from State Governments various infra. structure facilities, such as land, water-supply, etc. free of cost or at con-

cessional rates. It has now been decided that Central Ministries/Central Government authorities should refrain from approaching the State Governments for provision of land and services free of cost or at concessional rates. Exemption has been granted from the excise duty leviable on certain jet and aero-engines manufactured by Messrs Hindustan Aeronautics and communication receivers intended for use by technically trained persons and parts of wireless receiving sets used in the manufacture of communication receivers manufactured by Bharat Electronics. The Central Government has not granted any exemption from sales tax to Public Enterprises. Information with regard to exemption from other taxes, if any, is being collected and will be placed on the Table of the House.

Behaviour of Doctors and Nurses Towards Patients in Safdarjang Hospital, New Delhi.

6094. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4908 on the 22nd December, 1969 regarding allegation against the behaviour of doctors and nurses towards patients in Safdarjang Hospital, New Delhi as reported in the daily Vir Arjun dated the 28th November, 1969 and state :

(a) the agency through which the said newspaper was got examined and whether Government propose to get the said newspaper report and the charges of nepotism prevailing in Safdarganj Hospital looked into through some impartial agency ; and

(b) whether Government propose to hold a sudden inquiry without notice into the working of the hospitals being run by the Central Government to ascertain whether the ambulance vans of the said hospitals are being misused and whether the money received as hire charges is deposited in the treasury ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The allegations made in the letter published in this paper were enquired by a senior Physician of this hospital and were found to be without substance. No further inquiry was considered necessary. The Ambulance Vans in the Central Government Hospitals are reported to be working satisfactorily. The money received as hire charges is deposited in the treasury. Surprise checks are made by Medical Superintendent. Besides the senior officers of Directorate General of Health Services frequently visit the Hospital. Suitable action is taken as and when required.

Expenditure Incurred on the Nursing Home and Willingdon Hospital, New Delhi.

6095. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4907 on the 22nd December, 1969 and state :

(a) the total expenditure incurred on the Nursing Home of Willingdon Hospital, New Delhi during in 1969-70 and the total budgetary provision for 1970-71 in this respect ;

(b) the total expenditure incurred on the remaining portion of the hospital during the said year and the total budgetary provision for 1970-71 in this respect ;

(c) whether the general public would also be granted admission in the Nursing

Home in case they are prepared to bear the full expenditure for it irrespective of their income ; and

(d) whether Government propose to spend equal amount on each patient in Willingdon and Safdarjanj Hospitals for equal facilities to all in respect of medical treatment ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) A consolidated budget provision is made for the Willingdon Hospital and Nursing Home, and as such the expenditure on the Nursing Home is not booked separately. The total budget provision for the Hospital and Nursing Home for 1970-71 is Rs.83.9 lakhs.

(c) The existing procedure is to allot 10 per cent of the beds to the general public provided they are entitled for Nursing Home admission on the basis of their income, which should be above Rs.620 per mensem.

(d) The treatment may vary in each case depending upon the clinical nature of treatment required and no uniformity in expenditure can be prescribed.

Suggestion For Charging Standard Rents For Bungalows Allotted to High Officials and Ministers

6096. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : **Shri Bansh Narain Singh** :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether in the countries like Britain, America and Japan etc., administrative staff have to manage for their residential accommodation themselves and during their tour period they stay in hotels meant for general public ;

(b) if so, whether Government propose to charge standard rent from all the Ministers, Members of Parliament and higher officers for the flats and the bungalows allotted to them and propose to make available all the guesthouses, rest houses and dak-bungalows in the Capital and throughout the country direct to all the persons at standard rent ; and

(c) if so, the time by which it would be done and if not, the extent to which this discrimination between the general public and the Ministers, the members is justified under Socialism and spirit of Constitution ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No data on this subject has been collected.

(b) No.

(c) As such residences have been constructed with a view to meet the specific needs of Ministers, Members of Parliament and Government servants etc., no discrimination would appear to be involved in the matter.

हीरों तथा 'सेमी प्रेशस' पत्थरों की वार्षिक नीलामी के प्रस्ताव

6097. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन** :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तराशे हुए और पालिस किए गए हीरों तथा अन्य 'प्रेशस' तथा 'सेमीप्रैशेस' पत्थरों की वार्षिक नीलामी संगठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमण्डल ने विदेशों की यात्रा की थी और उसने इन देशों के बारे में हुए अपने अनुभवों के बारे में सरकार को सुझाव दिये थे; और

(ग) इस प्रस्ताव से सरकार को किस हद तक सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के उस शिष्टमंडल ने, जो कीमती पत्थरों की नीलामी में भाग लेने के लिये फरवरी 1970 में रंगून गया, अन्य बातों के साथ अपनी रिपार्ट में तराशे हुए तथा पालिश किए गए हीरों एवं अन्य कीमती पत्थरों को वार्षिक नीलामियां आयोजित करने की सिफारिश की है। यह विषय अभी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विचाराधीन है, जिससे इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

आयकर अधिकारियों की विभागीय परीक्षा

6098. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1969 में आयकर अधिकारियों (द्वितीय श्रेणी) के लिये हुई विभागीय परीक्षा में कुछ उत्तर पत्रों में परीक्षकों द्वारा उम्मीदवारों को दिये गये अंकों में सीधी कटौती कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन किन परीक्षा पत्रों में और कितने अंकों की कटौती की गई थी और यह किन नियमों के अन्तर्गत तथा किन परिस्थितियों में की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह एक आम परिपाटी है कि किसी विभागीय परीक्षा के परिणामों का संकलन करते समय, मुख्य परीक्षा अधिकारी, विभिन्न परीक्षकों द्वारा जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं में, विभिन्न केन्द्रों के उम्मीदवारों के प्राप्तांकों की समीक्षा करता है, तथा उनमें जांचने के मापदण्ड में एक रूपता का इतमीनान करने के लिये आवश्यक समायोजन करता है। किसी केन्द्र विशेष के लिये समायोजन समग्र रूप से किया जाता है, व्यक्तिगत मामलों के लिये नहीं किया जाता। सदैव की भांति, जून 1969 में ली गई विभागीय परीक्षा के परिणामों का संकलन करते समय भी समायोजन किये गये।

Collection of excise duty in khandsari

6099. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount collected by Government as excise duty on Khandsari during the last three years, yearwise, and the amount likely to be collected during this year ;

(b) whether the Khandsari tax structure has been rationalised this year ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a)

1967-68	Rs.83.76 lakhs.
1968-69	Rs.153.02 lakhs.
1969-70	Rs.210.00 lakhs. (Revised Budget Estimate) ;
1970-71	Rs.160.00 lakhs (Budget Estimate).

(b) and (c) The rates of basic and additional excise duty leviable on Khandsari have been raised from 10 per cent and 4 per cent to 15 per cent. and $4\frac{1}{2}$ cent. ad-valorem respectively with effect from 1st March, 1970. However, effective rate of additional excise duty has been fixed at $2\frac{1}{2}$ per cent ad-valorem as it was in force before the Budget. Also, from 1st March, 1970, the rates of compounded levy prescribed for different sizes of centrifugals employed in the manufacture of Khandsari sugar with or without the aid of sulphitation plant have been reduced keeping in view the trend in price of Kandsari. The revised rates of compounded levy are given in the Annexure. **(Placed in Library See. No. LT-3172/70)**.

उड़ीसा में उत्पादन शुल्क विभाग में सब-इन्सपेक्टरों का चयन

6100. **श्री अ० दीपा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में उत्पादन शुल्क विभाग में सब-इन्सपेक्टरों के पदों के लिए कितने ऐसे उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिये थे जिनका हाल में चयन हुआ है;

(ख) चुने गये उम्मीदवारों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवार हैं;

(ग) फुलबनी जिले के कितने उम्मीदवार थे तथा उनकी क्या प्रतिशतता थी; और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के चयन के लिये क्या कसौटी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, समाहर्ता-कार्यालय कलकत्ता तथा उड़ीसा में हाल ही में उप-निरीक्षकों की कोई भरती नहीं की गयी है और इसलिये कोई आवेदन-पत्र नहीं मांगे गये थे।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) रोजगार दफ्तरों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों की भरती सम्बन्धी परीक्षाएं ली जाती है और जिन्हें चुन लिया जाता है, उनको रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये रोस्टर में सुरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है।

बन्ध्यीकरण, लूप पहनाये जाने तथा अन्य गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल करने के लक्ष्य

6101. **श्री वेदव्रत बरुआ** : **श्री वेणी शंकर शर्मा** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में बन्ध्यीकरण, लूप पहनाये जाने तथा अन्य गर्भ-निरोधकों के इस्तेमाल करने के लक्ष्य पूरे हो गये थे;

(ख) क्या 1969-70 में तत्सम्बन्धी लक्ष्य पूरे हो जायेंगे; और

(ग) क्या यह सच है कि इस वर्ष लक्ष्यों के प्राप्त न होने के कारण जन्म दर प्रति हजार 41 बढ़ जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3173/70]

(ग) जन्म दर 41 प्रति हजार जनसंख्या तक बढ़ जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

योजना परिव्यय में वृद्धि करने के लिये राज्यों द्वारा ऋण

6102. **श्री वेदव्रत बरुआ : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विकसित राज्यों ने अपने राज्य के योजना परिव्यय में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें खुले बाजार में ऋण लेने की अनुमति दी जाय;

(ख) क्या उन राज्यों द्वारा इस प्रकार ऋण लिये जाने का पिछड़े राज्यों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : प्रायः सभी राज्य, जिनमें विकसित राज्य भी शामिल हैं, अपने आयोजना-कार्यक्रमों के लिये बाजार से और अधिक ऋण लेने की अनुमति मांगते रहे हैं । योजना आयोग ने राज्यों के साथ चौथी पंचवर्षीय आयोजना के बारे में जो बात-चीत की थी, उसमें इस प्रश्न पर भी विचार किया था । चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में विकसित राज्यों सहित विभिन्न राज्यों द्वारा बाजार से लिये जाने वाले ऋणों के अन्तिम अनुमान तैयार कर लिये गये हैं । ये अनुमान, उन राज्यों द्वारा पहले लिये गये ऋणों की रकमों, पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं सहित उनकी आयोजना-सम्बन्धी आवश्यकताओं, और उन राज्यों के उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर लगाये गये थे । राज्यों द्वारा लिये जानेवाले ऋणों की वास्तविक रकमों का निर्धारण, पांच वर्षों के लिये तैयार किये गये इन अनुमानों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके किया जायगा ।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा अपने मुख्यालय का नवीकरण

6103. **श्री धी० ना० देव : श्री दे० अमात :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन और निर्माण आवास** तथा **नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने अपने मुख्यालय के इमारत को नवीकरण का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो पुरानी इमारत के नवीकरण पर कितनी धन राशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या इस राशि के लिये चालू वर्ष के आय-व्ययक में व्यवस्था की गई थी और उसका उनके मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के पुराने भवन में कुछ परिवर्तन एवं मरम्मत की गई है।

(ख) वर्ष 1969-70 के अन्तर्गत भवन में विभिन्न कार्यों पर 36,961 रुपये खर्च किए गये हैं।

(ग) भवन के रख-रखाव के लिये मुख्यालय के बजट में व्यवस्था की जाती है। चूंकि परिषद एक स्वायत्त संगठन है, अतः स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित विभिन्न योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

6104. **श्री धी० ना० देव :**
श्री दे० अमात :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री सी० मुत्तुस्वामी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न अनुसंधान योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता की मंजूरी देने के बारे में उनकी जांच करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में विशेषज्ञ दल, सलाहकार समितियां इत्यादि हैं,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी योजनाओं को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की गई तथा उनमें कितनी राशि निहित थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक स्वयं उक्त विशेषज्ञ दलों तथा समितियों के सदस्यों का चयन करते थे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे दलों के सदस्यों के नामों का विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों में परिषद् द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	मंजूर की गई योजनाओं की संख्या	राशि (रुपये में)
1967-68	396	62,64,662
1968-69	453	72,98,553
1969-70	546	87,79,132

(ग) और (घ) : इसे प्रस्तुत किये गये अनुसंधान प्रस्तावों की छान-बीन में परिषद् अपने वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की सलाह से काम करती है और यह बोर्ड विभिन्न विशिष्टताओं के लिये विशेषज्ञ समितियों और तदर्थ ग्रुपों की नियुक्ति करता है। विशेषज्ञ समितियां वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त की जाती हैं, जिसके अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक हैं। सभी विशेषज्ञ समितियों का गठन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के अनुमोदन से किया जाता है। विभिन्न समितियों की सूचियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में विशेषज्ञ दल तथा सलाहकार समितियां

6105. **श्री धी० ना० देव :** **श्री दे० अमात :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के विशेषज्ञ दल तथा सलाहकार समितियां अनुसंधान योजनाओं की शिफारिश तथा अनुमोदन करती है;

(ख) क्या यह सच है कि देश भर में मेडिकल कालेजों के अनेक प्रमुख प्रोफेसरों की अवहेलना करके इन विशेषज्ञ दलों तथा सलाहकार समितियों में कई कनिष्ठ डाक्टरों को नामजद किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन विशेषज्ञों में से अधिकांश किसी एक विशेष राज्य के होते हैं और शेष कई राज्यों की पूर्णतया अवहेलना की जाती है; और

(घ) सरकार ने इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) विशेषज्ञ समितियां अनुसंधान योजनाओं की तकनीकी तथा वित्तीय घटकों की छानबीन करती हैं तथा इनको स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के पास भेजती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजनाओं की संस्वीकृति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का शासी निकाय देता है।

(ख) और (ग) : विशेषज्ञ समितियों में सदस्यों की निनुक्ति एक मात्र चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर की जाती है। इस चयन में आयु राज्य तथा प्रादेशिकता पर

कोई विचार नहीं किया जाता। नया रक्त लाने और कुल मिला कर उन्हीं व्यक्तियों को पुनः मनोनीत करने का प्रयास किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिपिकों के पदों पर भर्ती

6106. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में लिपिकों के पदों पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अथवा सभी अन्य तरीकों से गत तीन वर्षों में लिपिकों के भरे गये सभी पदों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में लिपिकों के पदों पर नियुक्ति, रोजगार कार्यालय के माध्यम से एवं पदोन्नति से और परिषद के अधीन नियुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण और परिषद के छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुर्ननियुक्त करके की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

वर्ष	रोजगार कार्यालय के माध्यम से	पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि द्वारा	योग
1967-68	1	4	5
1968-69	3	6	9
1969-70	7	19	26

चिकित्सा शिक्षा के स्तर में सुधार

6107. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन किया है तथा अब इस शिक्षा के विस्तार के लिये अधिक सुविधायें देने के बजाय इस स्तर को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जायेगा; और

(ख) क्या नीति में किये गये परिवर्तन से डाक्टरों की उपलब्धता पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही जनसंख्या की तुलना में डाक्टर बहुत कम हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा कालेजों की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा वर्तमान कालेजों में सुधार करने पर बल दिया जायेगा। वैसे, चौथी योजना अवधि में डाक्टरों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए दस नये चिकित्सा कालेज खोलने का विचार है।

(ख) इस समय देश में 95 चिकित्सा कालेज हैं जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 11,500 है। दस और चिकित्सा कालेजों के खुल जाने पर वार्षिक प्रवेश, क्षमता 13000 हो जायेगी। इस योजना अवधि के अन्त तक वर्तमान तथा प्रस्तावित नये चिकित्सा कालेजों से जितने डाक्टर निकलेंगे उनसे डाक्टरों और जनसंख्या के इस समय के 1:5150 के अनुपात में सुधार होकर 1:4300 हो जाने की आशा है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के कमरे की सजावट पर खर्च

6109. **श्री एन० शिवप्पा : श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के कमरे की सजावट पर कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ख) क्या इसके लिये उनके मन्त्रालय की मंजूरी ली गई थी;

(ग) क्या इस कमरे की सजावट के लिये विभिन्न वस्तुएं भाव मंगाये जाने के बान खरीदी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वित्तीय वर्ष 1969-70 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के कमरे की सजावट पर 6,378.45 रुपये खर्च किये गये;

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् एक स्वायत्त शासी संगठन है। मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खनिज सम्पत्ति का प्रयोग किये जाने के बारे में मैसूर के खेल तथा मत्स्यपालन के राज्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य

6110. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार के खेल तथा मत्स्यपालन के राज्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार, खनिज

तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय विकास परिषद् पर यह आरोप लगाया है कि वे खनिज सम्पत्ति के प्रयोग किये जाने के बारे में राज्य के सर्वोत्तम हितों की उपेक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नारायणा रिहायशी योजना के अन्तर्गत न हानि न लाभ के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लैटों को बेचा जाना

6111. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री रमेश चन्द्र व्यास :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणा रिहायशी योजना, नई दिल्ली के ब्लाक ए, बी, और ई के दिल्ली विकास प्राधिकार के फ्लैटों के आवंटियों को न लाभ न हानि के आधार पर बेचा गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार के फ्लैट का मूल्य कितना है तथा प्रत्येक प्रकार के फ्लैट की लागत का विस्तृत ब्यौरा अर्थात् भूमि की लागत, इस्तेमाल किये गये कच्चे माल की लागत, ठेकेदार को दिया गया मुनाफा, निर्माण लागत तथा उपरिव्यय का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन फ्लैटों के ठेके दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा दिये गये थे अथवा किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से दिये गये थे;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने इन फ्लैटों का कब्जा स्वयं ले लिया था अथवा ठेकेदारों को इन फ्लैटों के आवंटियों को सौंपने में दिल्ली विकास प्राधिकार की सहायता करने को कहा गया था;

(ङ) क्या सम्बन्धित आवंटियों ने निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री को त्रुटिपूर्ण/घटिया बताया है और यदि ये शिकायतें सही हैं तो मरम्मत का खर्च कौन वहन करेगा; और

(च) इनकी निर्माण सम्बन्धी विशिष्टियां क्या थी तथा इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होना था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) फ्लैट के प्रत्येक टाईप का मूल्य और उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3174/70]** क्योंकि निर्माण के लिए ठेके प्राप्त हुए टेंडरों के आधार पर थे, यह नहीं कहा जा सकता कि ठेकेदार द्वारा अपने टेंडरों में कितना लाभांश शामिल किया गया था । टेंडर के दरों में सामग्री की लागत, मजदूरी और ठेकेदार द्वारा निर्धारित लाभांश शामिल है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ।

(घ) फ्लैट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिए गए और उसने उन्हें आवंटियों को हस्तान्तरित किया।

(ङ) जी, हां। जिन खामियों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी था उन्हें ठेके की शर्तों के अनुसार उसकी लागत पर ठीक कराया गया।

(च) मकान ठेकों के साथ संलग्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों और अनुसूचियों के अनुसार निर्मित किये गये हैं।

नारायणा रिहायशी योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के एलाटी

6112. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री रमेश चन्द्र व्यास :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री नारायणा रिहायशी योजना के आवंटियों के बारे में 15 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3913 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूनचा 28 मार्च, 1970 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

Allocation of Funds For Construction of Buildings in Public Sector

6113. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total amount of money allocated in the Fourth Five-Year Plan for the purpose of constructing buildings in the public sector and for providing assistance in the construction of buildings in the private sector ; and

(b) the amount out of that proposed to be spent on constructing Government buildings and that proposed to be given to the private sector in the form of loans for the purpose of constructing buildings ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) No resources have been earmarked specifically for the grant of assistance to the private sector for the construction of buildings. However, a provision of Rs.170.03 crores has been made in the revised 4th Plan for housing and urban development programmes in the State sector. Assistance to private enterprise for building construction would depend upon the extent to which the States and Union Territories concerned make funds available for the purpose.

In addition, the following provisions have also been made for housing under the Central sector in the revised 4th Plan :

	(*Rs.* in *crores*)
(i) Office and residential accommodation in the general pool ..	30.00
(ii) Dock labour housing	2.50
(iii) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers	2.00
(iv) For setting up of Housing and Urban Development Finance Corporation	10.00
	44.50

Seizure Gold From a Fountry Boat Between Daman and Kalai

6114. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that customs Officers of Vapi and Daman had recovered gold valued at about Rs.60 lakhs from a country-boat between Daman and Kalai ; and

(b) the total quantity of the gold recovered, the number of persons arrested in this connection and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) in 1st February, 1970, Customs Officers of Vapi and Daman recovered 373 Kgs. of gold with foreign markings, valued at Rs.64 lakhs at Indian market rate and Rs.31.50 lakhs at the international monetary rate, between Daman and Kalai from a mechanised vessel. Seven persons were arrested and subsequently released on bail by the magistrate, pending completion of investigations.

मार्क्सवादी कार्मिक संघ के तत्वों द्वारा मजदूरों को तंग किये जाने के विरुद्ध रानीगंज में कोयला खानों के प्रबन्धकों द्वारा अपील

6115. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को मार्क्सवादी कर्मिक संघ के सदस्यों द्वारा कानून का पालन करने वाले मजदूरों को व्यवस्थित ढंग से डराये जाने तथा उन पर अपराधिक प्रहार किये जाने के बारे में रानीगंज के तथा इसके आसपास के कोयला खनन के क्षेत्रों के कोयलों खानों के प्रबन्धकों से अनेक अपीलें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अपील करने वालों के नाम क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों में अपराधिक प्रहार की कितनी घटनायें घटीं जिनके परिणामस्वरूप जान और माल की हानि हुई;

(घ) क्या इसके कारण कोयला उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि मजदूरों द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी विनियमों का जानबूझ कर

उल्लंघन किया जा रहा है और इसी कारण प्रस्तावित 'सुरक्षा सप्ताह' समारोह को स्थगित करना पड़ा था; और

(च) इस बात की गारंटी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि कोयला खानों का काम शान्तिपूर्ण ढंग से चले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : श्री अमृतनगर सिलेक्टेड कोलरी, नाम ब्रुक कोलरी, पटमोहन एण्ड भारत-चाक कोलरीज, नार्थ थेबो कोल कम्पनी, गिरमिट कोलरी, भारत कोलरीज, लोढना कोलरी कम्पनी तथा ईक्विटेबल कोल कम्पनी ने राज्य सरकार प्राधिकारियों, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा आसनसोल के पुलिस प्राधिकारियों को कोयला खनन क्षेत्रों में तथा रानीगंज के इधर-उधर संगठित अभित्रास तता अनुचित आक्रमण के संबंध में अभ्यावेदन किये थे और इंडियन माइनिंग एसोसियेशन, कलकत्ता ने अपने संघटकों की ओर से इन अभ्यावेदनों का मामला केन्द्रीय सरकार के साथ उठाया था।

(ग) हमें सूचित किये गये ग्यारह मामलों में जान और/या माल की हानि हुई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस वर्ष रानीगंज कोयला क्षेत्र में 'सुरक्षा सप्ताह' नहीं मनाया गया था क्योंकि अशांत परिस्थितियों के कारण से ऐसा करना व्यावहारिक न था।

(च) पुलिस सतर्क है और विधि की उपबंध के भंग होने के विशेष मामलों में विधि के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

C. G. H. S. Dispensary as a Functional Dispensary Malviya Nagar, New Delhi.

6116. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing, and Urban Development** be pleased to state :

(a) the criterion followed by Government in declaring a C. G. H. S., dispensary as a 'Functional Dispensary' or the number of beneficiaries required for keeping a dispensary open for twenty-four hours ;

(b) the number of such dispensaries in Malviya Nagar, Hauz Khas, Chirag Delhi, Mahrauli and other areas in South Delhi and the locations of each of them ;

(c) whether Government are aware that the patients of these areas are required to go to Kidwai Nagar during odd hours and the condition of the patient worsens till he reaches there ; and

(d) whether Government propose to declare the Malviya Nagar Dispensary as 'functional Dispensary' so as to enable the beneficiaries to get medical aid at a comparatively nearer place ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The criteria followed in selecting C. G. H. S. dispensaries for setting up of emergency Centres to provide service to C. G. H. S. beneficiaries in emergent cases are availability of requisite accommodation for emergency staff, central location vis-a-vis other dispensaries and easy accessibility to beneficiaries.

(b) A statement showing the names of the C. G. H. S. dispensaries where emergency centres are functioning is attached. **(Placed in Library See. No. LT-3175/70).**

(c) and (d) The emergency centre functioning in Kidwai Nagar caters to the emergent cases from Kidwai Nagar, Malviya Nagar and Hauz Khas dispensary areas. Some inconvenience may be caused to persons coming from longer distances but it is not considered feasible to set up emergency centres in all the C. G. H. S. dispensaries. The accommodation in Malviya Nagar dispensary is too small to permit opening of an Emergency Centre there.

पन्ना हीरों पर रायल्टी

6117. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या मध्य प्रदेश सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने कहा है कि उसे पन्ना हीरों पर 20 प्रतिशत रायल्टी दी जाये ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह विषय अभी भी विचाराधीन है और राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह पिछले वर्ष के दौरान स्वामित्व उपार्जनों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दे ।

जीवन बीमा निगम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सामूहिक बीमें का विकास

6118. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ताकि सामूहिक बीमा को उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना तथा उसको क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जीवन बीमा निगम 1957 से समूह बीमा योजनाओं के अधीन पालिसियां जारी कर रहा है । इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के प्रश्न पर जीवन बीमा निगम सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

साऊथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय को संसद् भवन लाना

6119. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार साऊथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय को वहां से हटा कर संसद भवन में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक संसद भवन में लाया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) साऊथ एवेन्यु का पूछताछ कार्यालय केन्द्रीय स्थान पर स्थित है, जो साऊथ एवेन्यु के संसद सदस्यों के फ्लैटों और सेंट्रल विस्ता के दक्षिण की ओर के संसद सदस्यों के बिखरे हुए बंगलों की निगरानी भी करता है। पूछ-ताछ कार्यालय के कुशल संचालन के हित में इसे संसद भवन में स्थानान्तरित करना उचित नहीं होगा। संसद सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन में एक केन्द्रीय शिकायत कक्ष है, यहां संसद सदस्य अपने निवास स्थानों पर किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

देश में 'ट्रेलर' मकानों का निर्माण

6120. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहात के बेघर गरीब व्यक्तियों के लिये गाड़ियों पर ठोस बने बनाये सस्ते मकानों की जैसे कि अमरीका में ट्रेलर हाउस है, व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : सरकार के पास ठोस बने बनाए गाड़ियों वाले मकान बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। देश की मौजूदा परिस्थितियों में ऐसे निर्माण व्यवहार्य नहीं होंगे।

बैंक दर बढ़ाना

6121. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बैंक दर को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी अग्रेतर व्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थ-व्यवस्था की विद्यमान स्थिति को देखते हुए बैंक दर की लगातार समीक्षा करते रहते हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बैंक दर में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

बजट के बाद शेयर बाजार के मूल्यों में वृद्धि

6122. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1970-71 के आय व्ययक के प्रस्तुत करने के दो सप्ताहों के बाद शेयर बाजार के मूल्यों में वृद्धि हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी, हां। 28 फरवरी, 1970 से 14 मार्च, 1970 के दौरान परिवर्तनशील लाभांश वाली औद्योगिक प्रतिभूतियों का रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय सूचक-अंक (आधार 1961-62 = 100) 28 फरवरी, 1970 के 89.3 से बढ़कर 14 मार्च, 1970 को 93.6 हो गया अर्थात् इसमें 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी।

(ग) सामान्य शेयरों के मूल्य में आम वृद्धि मुख्यतः बजट में परिकल्पित आयोजना-परिव्यय में वृद्धि किये जाने और बचतों और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में की गयी कुछ व्यवस्थाओं, जैसे किसी भारतीय कम्पनी से मिलने वाले लाभांश, यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से होने वाली आय और बैंकों में जमा रकमों पर ब्याज आदि के सम्बन्ध में आय-कर की छूट की सीमा बढ़ा कर 3,000 रुपये कर दिये जाने के कारण हुई है। सम्भव है कि निगमित क्षेत्र पर लगाये जाने वाले करों के सम्बन्ध में, केन्द्रीय बजट में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के न किये जाने का भी, कुछ हद तक, बाजार की स्थिति पर प्रभाव पड़ा हो।

Model Villeges

6123. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to convert the villages into model villages like cities and towns :

(b) if so, the details of the said scheme ;

(c) the steps being taken by Government to implement the said scheme ; and

(d) whether any work has been done under the said scheme ; and if so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The Village Housing Project Scheme, formulated by the Department of Works, Housing and Urban Development, provides inter alia for grants to the State Governments for the provision of streets and drains in selected villages to improve environmental hygiene. The Scheme also provides for the re-modelling/re-planning of villages whereever it is feasible.

(b) The Scheme broadly provides for the following :

(i) Loans for the construction/improvement of houses upto 80 per cent of the cost, subject to a maximum of Rs.3,000 per house, repayable in 20 years ; (the remaining 20 per cent is to be contributed by the villagers themsselves—either in cash or in the form of building materials or labour of themselves and members of their families ;

(ii) Outright grants to State Governments for the provision of house-sites free of cost (or at nominal cost) to landless agricultural workers, who are also entitled, in addition, to the loan mentioned at (i) above. The State Governments can utilise about 1/3rd of the total allocation under the Scheme for the implementation of this programme ;

(iii) Outright grants to State Governments for the provision of streets and drains in selected villages to improve environmental hygiene. About

1/6th of the total provision under the Scheme can be utilised for the provision of streets and drains ;

(iv) Provision of technical guidance to local authorities and villagers, through layout plans, designs, specifications, etc., by the State Rural Housing Cells established for this purpose (50 per cent of the cost of pay and allowances of the staff of the Cell is met by Central Grants).

(c) This Scheme is in the State Sector and the State Governments are competent to formulate, sanction and execute projects under the Scheme. Since the beginning of the 4th Five Year Plan, central assistance to States for various development programmes (including housing) is being given in the form of 'Block Loans' and 'Block Grants' without being tied to any particular scheme or head of development. It is for the State Governments to allocate money for various programmes according to their own priorities.

(d) Upto the end of December ,1969, 43,492 houses had been constructed and 230 K. M. of streets and 185 K. M. of drains completed. Also 1340 house sites have been provided to land-less agricultural workers and the Government of Bihar have acquired 9.9 acres of land for the purpose.

Legalisation of Compulscry operation for parents having more than required number of Children

6124. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have obtained the approval of State Governments in regard to enacting law for making the operation comupulsory for the parents having more than required number of children in order to check increase in population ;

(b) if so, the nature of their approval ;

(c) if not, whether Government would obtain their approval in this regard ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) As Family Planning Programme does not envisage any compulsion in regard to acceptance of any of the methods of contraception, the question of obtaining approval of State Governments in this regard does not arise.

(b) to (d) Do not arise.

Promotions in the Central Board of Customs and Excise

6125. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that after the amalgamation of the Departments of Central Excise and Customs, the officers of the Excise Department are being meted out injustice ;

(b) whether Government are also aware that mostly the Customs officers from Customs Department are getting promotions and the officers of Excise Department are being ignored ;

(c) if so, the action taken by Government to check this and

(d) in case no action has been taken , whether Government propose to conduct any enquiry in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) There has been no amalgamation of the Customs and Central Excise Departments as such. However, the supervisory control in these two departments is exercised by a common integrated Class I Service, namely, the Indian Customs and Central Excise Service. No injustice is being meted out to officers of the Central Excise Department.

(b) There is no basis for this statement.

(c) and (d) Does not arise.

Promotion of Excise Inspectors

6126. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased state :

(a) whether Government are aware that there is widespread discontentmen among the Excise Inspectors of the Central Excise Department, as most of them have not got promotions and it is likely to affect the working of the Department adversely ;

(b) if so, the reasons for which the said Excise Inspectors could not be promoted ;

(c) the number of those Excise Inspectors who have rendered more than ten fifteen, and twenty years of service but have not so far been promoted ;

(d) whether Government would look into these matter and remedy the situation ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and, (b) Government are aware that there is a feeling among Inspectors of Central Excise that their promotion prospects are not adequate. Due to the large number of persons that had to be recruited during 1943 to 1949 on account of rapid expansion of the Department there has been certain amount of stagnation in the grade of Inspector. This kind of situation is not peculiar to the Central Excise Department alone. Both the First and Second Pay Commissions had considered such situations and recommended, as a remedial step, the creation of a Senior/Selection Grade in such cadres of a department where promotion opportunities were inadequate. In Central Excise Department in the Inspector's cadre, 25 per cent of the permanent posts are in the Senior Grade.

(c) The information is being collected and statement will be laid on the Table of the House.

(d) and (e) Government conducts a review periodically and takes such remedial measures as are called for.

Percentage of Doctors in Rural and Uuban Areas

6127. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the ratio between a doctor and number of persons in rural and urban areas separately in vaious States :

(b) the steps being taken by Government to bring the said ratio in the rural areas at par with that in the urban areas ; and

(c) in case no steps have been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing, and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The distribution of doctors between urban/rural areas as obtained from 1961 Census is as follows :

Serial no.	*Category of doctors*	*Percentage of total*	
		Urban	*Rural*
1.	Allopathic doctors	68	32
2.	Ayurvedic doctors	39	61
3.	Unani doctors	46	54
4.	Homoeopathic doctors	41	59
	All doctors ..	53	47

The estimated number of allopathic doctors available in the country at present is 1,02,520 giving doctor population ratio 1 : 5112. The rural-urban and State-wise break up is not available.

(b) The following steps have been or are proposed to be taken by the States/Union Territories to remedy the shortage of doctors in the rural areas :

(1) Formation of unified cadre for doctors working in rural as well as urban areas.

(2) Provision of total package of incentives such as grant of rural allowance, transport facilities, free furnisehed quarters, protected water supply, electricity etc.

(3) Improvement of physical facilities of Primary Health Centres, particularly in respect of buildings, residential quarters etc.

(4) Grant of advance increments.

Some States have also offered scholarships/stipends to the medical students for binding them for service in rural areas for a certain number of years.

(c) Does not arise.

Uniform Arrangement in regard to advancing of loans to small Farmers

6128. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the existing provision for uniform arrangements in all parts of the country in regard to advancing loans to small farmers by the nationalised banks and the amount of loans advanced so far to the farmers for increasing agricultural production in Ladakh under the said arrangements ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : The nationalised banks have formulated schemes for giving direct finance to small farmers. The main features of the schemes are similar in all the parts of the country where those banks have offices. However, some of the schemes may have to be specially adapted taking into account the geographical and other conditions existing in the region.

Under the "Lead Bank" scheme, the State Bank of India has been allotted nine districts including Ladakh in Jammu and Kashmir State. Under this scheme, the

State Bank of India will coordinate the activities of all the banks in the area with a view to ensuring equitable distribution of credit and other banking facilities including loans for the development of agriculture, small-scale industries and small business. The loan requirement of specially backward regions will also be taken care of under this scheme. The State Bank of India has also decided to open offices in Leh and Kargil of Ladakh district during 1970 and all possible efforts are being made to obtain suitable accommodation for the purpose. It is hoped that when offices of the State Bank of India are opened in these places, the loan requirement of small farmers as well as other persons of the locality engaged in allied occupations, such as annimal husbandry etc., will be met. As there is no branch of any commercial bank in Ladakh, no loans have so far been advanced by them in that area.

Loans received by Hindustan Housing Factory, Delhi

6129. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Brijraj Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total amount of loans received till date by the Hindustan Housing Factory, Delhi ;

(b) whether the production target in the said factory was achieved during the last year ;

(c) whether Government propose to formulate any scheme for the expansion of the said factory; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The total loans received by the Hindustan Housing Factory Limited to date amount to Rs.53.75 lakhs.

(b) Yes.

(c) and (d) The Factory contemplated to expand its activities by setting up a unit at a suitable place such as Bombay for undertaking construction of houses.

राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा धन कर का भुगतान

6130. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धन-कर का भुगतान करने वाले मुख्य मंत्रियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में धन कर ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मुख्य मन्त्री तथा भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने कितने धन की घोषणा की है और उनमें से प्रत्येक मुख्य मन्त्री के कितने धन पर कर निर्धारित किया गया था;

(घ) प्रत्येक मामले में धन की वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में किसी मुख्य मन्त्री तथा भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को जुर्माने का कोई नोटिस जारी किया गया था; और

(च) वर्ष 1962 में प्रत्येक मुख्य मन्त्री के पास कुल धन कितना था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (च) : मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा यह इकट्ठी की जा रही है। इसे यथा सम्भव शीघ्र ही सदन को मेज पर रख दिया जायगा।

दिल्ली वृहद योजना का पुनरीक्षण

6131. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में दिल्ली की वृहद योजना के पुनरीक्षण अथवा समायोजन के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन ने भी वृहद योजना के पुनरीक्षण की मांग की है; और

(ङ) वृहद योजना में परिवर्तन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और गत दो वर्षों में वृहद योजना में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : जी, हां। परन्तु अभ्यावेदनों की संख्या तथा उनके व्यौरे के बारे में कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखे जाते। वृहत योजना में संशोधन के प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन के परामर्श से बनाए जाते हैं, और उन पर दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) परिवर्तन जब कभी आवश्यक समझे जाते हैं, निर्धारित पद्धति का अनुसरण करने के बाद किये जाते हैं। वृहत योजना में 1968-69 और 1969-70 के वर्षों के दौरान कोई संशोधन नहीं किये गये।

Facilities of officers of Bihar Bank after merger into State Bank of India

6132. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the merger of Bihar Bank into State Bank of India the officers of the Bank of Bihar used to provide several facilities like Holi-advance, bonus, etc. to their employees ;

(b) if so, whether it is also a fact that the State Bank authorities have deprived them of the said facilities this year ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action taken by Government against the arbitrary action of the authorities ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d) Information is being obtained and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Demonstration by Andhra Pradesh Bank employees Federation

6133. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that bank employees had staged a demonstration under the leadership of Andhra Pradesh Bank Employees' Federation on the 14th March, 1970, in front of the office of the State Bank of India at Hyderabad ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the police had arrested certain demonstrators ;

(d) if so, the number of those demonstators who had been arrested ; and

(e) whether Government have taken any action to remove the discontent ment of the bank employees ; and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes Sir.

(b) The demonstration was in support of the agitation launched by a section of State Bank of India award staff in Andhra Pradesh, arising from internal differences in the Circule Staff Union of the State Bank.

(c) and (d) The police arrested 21 persons, including the General Secretary of the Andhra Pradesh Bank Employees' Union. None of the State Bank employees was amongst those arrested.

(e) The Central conciliation machinery mediated during the agitation. After the agitation was called off on 28th March, 1970 and work resumed in the State Bank on 30th March, 1970, formal conciliation has been initiated by the Regional Labour Commissioner (Central) Hyderabad.

आयकर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

6134. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को श्री सुखदेव प्रसाद गंगरोड मार्फत मैसर्स लक्ष्मी वस्त्रालय, न्यू मार्किट टी० टी० नगर, भोपाल, मध्य-प्रदेश से दिनांक 8 मार्च, 1970 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिससे आय-कर विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : शिकायतों की जांच की गयी है और यह पाया गया है कि आरोप निराधार हैं ।

उत्तर प्रदेश में पालिस्टर फाइबर के कारखाने की स्थापना

6135. **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री जुगल मण्डल** :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पालिस्टर फाइबर का कारखाना लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसको किस स्थान पर लगाया गया है और उसकी क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट पार्टी को पोलिस्टर फाइबर संयंत्र की स्थापना के लिये एक आशय पत्र 24-7-69 को दिया गया था और पार्टी विभिन्न सरकारी अनुमतियां प्राप्त करने तथा संयंत्र की स्थापना के लिये अन्य प्रबन्ध करने में लगी हुई हैं ।

(ख) संयंत्र की स्थापना गाजियाबाद में की जायेगी और इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 6,100 मीटरी टन पोलिस्टर स्टेपल फाइबर होगी ।

कृषि सम्बन्धी धन कर

6136. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने वर्ष 1970 के केन्द्रीय सरकार के बजट में प्रस्तावित कृषि सम्बन्धी धन कर की बजाय किसी अन्य विकल्प पर विचार करने का उनसे अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने प्रधान-मन्त्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कृषि-भूमि पर धन-कर लगाने के लिये छूट सम्बन्धी सीमा के बारे में तथा कृषि-भूमि के मूल्यांकन के तरीके के बारे में कुछ सुझाव पेश किये थे ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन

6137. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में प्राथमिकता देने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : यह निर्णय किया है कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को निम्नलिखित वर्गों को, उन वर्गों के लिए लागू पूर्व निर्धारित दरों पर, प्राथमिकता के आधार पर भूमि के प्लाटों का आवंटन किया जाए ।

(1) गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार और सफाई) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सफाई क्षेत्र घोषित किये गए क्षेत्रों के वे व्यक्ति जिनकी अपनी सम्पत्ति है या उन क्षेत्रों की सम्पतियों के किरायेदार ।

(2) जिन व्यक्तियों के पुरानी दिल्ली की घनी बस्तियों में 80 वर्ग गज से कम प्रमाप के अपने मकान/प्लाट हैं, और जिनके मकान खतरनाक घोषित कर दिये गये हैं तथा उन्हें

बृहत् योजना या दिल्ली नगर निगम के भवन उप-नियमों के अन्तर्गत उनके पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं है। आवंटन कतिपय प्रतिबन्धों की शर्तों पर किया जायेगा,

जैसे—

(i) सम्बन्धित व्यक्ति का दिल्ली संघ क्षेत्र में अपने नाम या उसकी पत्नी/पति या उसके/उसकी किसी आश्रित सम्बन्धियों, जिनमें अविवाहित बच्चे सम्मिलित हैं, कोई मकान या रिहायशी प्लाट न हो।

(ii) संबंधित अधिकरण को सम्पत्ति का साफ दखल दिया गया हो।

(iii) वे व्यक्ति जिन्हें मुआविजे के बदले में भूमि दी गई है, वे गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ/अथवा पुनर्वास की सुविधाओं के पात्र नहीं होंगे।

हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के एक "बेनामी" संगठन सप्लायर्ज कारपोरेशन द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन को ढोलों की सप्लाई

6138. **श्री सीताराम केसरी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा जनवरी/अगस्त 1967 में ढोलों की सप्लाई के लिये भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के बजाये हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के एक "बेनामी" संगठन सप्लायर्ज कारपोरेशन को अत्यधिक दरों पर क्रयादेश दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि पंजाब उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 1966 को भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को काली सूची में डाले जाने सम्बन्धी आदेशों को आगामी आदेशों के मिलने तक रद्द कर दिया था;

(ख) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने ढोलों की सप्लाई के लिये भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के साथ सम्पर्क स्थापित किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय तेल निगम द्वारा, मैसर्स भारत बैरलज एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लि० को आर्डरज देने के सामान्य प्रश्न के बारे में, लोक सभा में 26-8-1968 को पूछे गये ता० प्रश्न संख्या 675 के उत्तर में, सूचना दी गयी है। प्राक्कलन समिति ने अपनी 86वीं रिपोर्ट में इस विशेष विषय की जांच की है। इस सम्बन्ध में इस रिपोर्ट के 3.44, 3.45 और 3.54 कण्डिकाएं देखे जाएं।

हारवर्ड के भूतपूर्व डा० सुब्रमनियम स्वामी का वक्तव्य

6139. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हारवर्ड विश्वविद्यालय के भूतपूर्व डान दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिथि प्राध्यापक डा० सुब्रमनियम स्वामी द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है

जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 1980 तक तकनीकी व्यक्तियों और देहातों में बेरोजगारी अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता के उपयोग और आय वितरण योजनाओं सम्बन्धी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब अर्थ-व्यवस्था की प्रगति बढ़ा कर प्रगति की दर 10 प्रतिशत कर दी जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके द्वारा बताये गये कारणों का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत की अर्थ-व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में उनके विचार कहां तक उपयोगी पाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) डा० सुब्रमनियम स्वामी ने विकास और बचतों की जिन उच्च दरों का सुझाव दिया है, वे निश्चित रूप से वांछनीय हैं लेकिन यह जरूरी है कि किसी की रूपरेखा सम्भावनाओं और बाधाओं के यथार्थवादी अनुमानों पर आधारित हो; चौथी पंचवर्षीय आयोजना में ऐसा ही प्रयत्न किया गया है।

मनीपुर स्थित सरकारी अस्पतालों में एक महीने में पांच दिन की छुट्टियां देना

6140. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकारी अस्पताल कर्मचारी संघ, इम्फाल ने मनीपुर स्थित सरकारी अस्पतालों में प्रचलित वर्तमान व्यवस्था की बजाय एक महीने में पांच दिन की छुट्टियां देने के लिये चिकित्सा निदेशालय, मनीपुर से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या अस्पताल के प्राधिकारी इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने का विचार कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चिकित्सा निदेशालय, मनीपुर के अधीन नर्सिंग पाठ्यक्रम

6141. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा निदेशालय, मनीपुर के अधीन हाल में चलाये गये जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये कितने उम्मीदवारों ने आवेदनपत्र दिये थे;

(ख) इस पाठ्यक्रम के लिये कितने उम्मीदवारों को दाखिला दिया जायेगा;

(ग) इस पाठ्यक्रम के लिये पहले से कार्य कर रही कितनी नर्सों को प्रवेश दिया गया है; और

(घ) चयन किस प्रकार किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 91

(ख) 20

(ग) कोई नहीं।

(घ) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और उसके बाद समुचित रूप से गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा साक्षात्कार ले कर।

मनीपुर में मुख्य औषध-कारकों (फार्मेसिस्ट) की नियुक्ति

6142. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के सभी जिला मुख्यालय के अस्पतालों में मुख्य औषध-कारक नियुक्त कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको कब नियुक्त किया गया था तथा उनके वेतनमान क्या हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को त्यौहारों के लिये अग्रिम राशि न देना

6143. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को गणतन्त्र दिवस और होली के दोनों ही अवसरों पर त्यौहार के लिये अग्रिम राशि नहीं दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इसके कारण सम्बन्धित कर्मचारियों के बीच बहुत असंतोष व्याप्त है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर में स्वर्णकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये नियत राशि

6144. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित स्वर्णकारों और स्वर्ण नियंत्रण आदेश द्वारा प्रभावित स्वर्णकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु मनीपुर सरकार को वर्ष 1969-70 के लिये कितनी राशि दी गई है;

(ख) वास्तव में कितनी सहायता दी गई है और मनीपुर में कितने स्वर्णकारों को यह सहायता मिली है; और

(ग) प्रति व्यक्ति को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

ताम्बे के निक्षेप और उनका निकाला जाना

6145. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में स्थित ताम्बे के निक्षेपों का और उनको निकालने के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय सुविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के सिंहभूम जिले के मन्दुप में; महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पुलार पुरसोरी में; मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलंजखण्ड; मैसूर के हस्सन जिले में कल्यादि तथा असम में संयुक्त खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों में उम्पायर्था में तांबा निक्षेपों का पता लगाया है।

इन सभी क्षेत्रों में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा विस्तृत समन्वेषी व्यधन अभी भी प्रगति पर है और इन निक्षेपों के वर्ग एवं टनभार के सम्बन्ध में पर्याप्त आधार सामग्री के उपलब्ध होने के पश्चात् ही समुपयोजन के प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा।

रोस्तम अशोधित तेल और जमा हुए भण्डारों को साफ करने में भारतीय तेलशोधक कारखानों की असमर्थता

6146. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तेल शोधक कारखाने "रोस्तम" अशोधित तेल को साफ करने में पूरी तरह समर्थ नहीं है जिसके कारण तटदूर तेल परियोजना के लिए ईरान के साथ हुए सहयोग सम्बन्धी समझौते के अनुसार उपलब्ध होने वाले अपने भाग को साफ कराने के लिए अन्य साधन ढूंढने पड़ रहे;

(ख) क्या रोस्तम अशोधित तेल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से पेशकशें प्राप्त हो रही हैं वे अलाभप्रद है जिसके कारण तेल के भारी भण्डार जमा हो गये हैं;

(ग) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय के विलेषज्ञों ने तटदूर ड्रिलिंग के लिए ईरान से समझौता करने से पूर्व तेल के विपणन के बारे में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार नहीं किया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की सुनिश्चित करेगी कि इसके पश्चात् अपनाये जाने वाले तेलशोधक कारखानों के डिजाइन का विशेष विवरण इस प्रकार तैयार किया जाये जिससे शोधन के लिए उपलब्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के अशोधित तेल को साफ किया जा सके ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) शोधनशाला करारों के अन्तर्गत प्राइवेट तेल कम्पनियों की शोधनशालाएं अपने संसाधनों से कच्चा तेल लाने की हकदार हैं। इसी तरह मद्रास शोधनशाला को कच्चे तेल की सप्लाई शोधनशाला की स्थापना के लिये विदेशी सहयोगियों के साथ हुये करार द्वारा नियंत्रित है। सरकारी क्षेत्र की देशीय शोधनशालाएं विशेष रूप से समीप में उपलब्ध देशीय कच्चे तेल का शोधन करने के लिये रूपांकित की गई थी। परीक्षा पर यह पाया गया कि रोस्तम कच्चा तेल कोचीन शोधनशाला जो केवल एक ही तटीय शोधन शाला है जिसमें कुछ क्षमता बचन बद्धता से रहित है, के लिये उपयुक्त नहीं है।

(ख) और (ग) : विदेशों से प्राप्त कुछ पेशकशें आकर्षक नहीं थी। लेकिन, हाल ही में प्राप्त कुछ पेशकशें आकर्षक हैं और बातचीत में प्रगति है। विश्वव्यापी फालतू कच्चे तेल की वर्तमान परिस्थितियों में नये उत्पादित कच्चे तेल के लिये मार्किट ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना कोई असाधारण बात नहीं है। व्यापारिक मात्राओं में कच्चे तेल की उपलब्धि और कच्चे तेल की विशेषताओं का पता लगाने के बाद ही विपणन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जा सकता है।

(घ) रोस्तम कच्चे तेल के निपटान के बारे में उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रख कर, नई शोधनशालाओं का रूपांकन या मौजूदा शोधनशालाओं में विस्तार करते समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड में उर्वरकों के उत्पादन की अधिक लागत

6147. **श्री एस० एम० कृष्ण : डा० सुशीला नैयर :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा** धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड में उर्वरकों के उत्पादन की लागत अधिक होने के कारणों की जांच करने के लिये एक समिति या आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो यह समिति कब तक बना दी जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकारी उपक्रमों की समिति कम्पनी के कार्य से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं, जिनमें उर्वरकों के उत्पादन की लागत अधिक होना शामिल है, पर पहले ही जांच कर चुकी है। संयंत्र की दक्षता में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरों को विदेशी बीमा कम्पनियों की दरों के समान करना

6148. **श्री एस० एम० कृष्ण : डा० सुशीला नैयर :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरें विश्व की विदेशी बीमा कम्पनियों की तुलना में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरें अमरीका, यू० के०, फ्रांस तथा जापान की कम्पनियों की तुलना में कितनी अधिक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की दरों को विश्व की अन्य कम्पनियों के समान लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पूर्ति मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) संसार के अन्य देशों में जीवन बीमा की प्रीमियम दरों से सम्बन्धित ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह पता नहीं है कि निगम की प्रीमियम दरें विश्व भर में सबसे ऊंची है। लेकिन यह मालूम है कि पश्चिमी देशों में प्रीमियम की दरें अपेक्षाकृत नीची है।

(ख) से (घ) : किसी एक देश की प्रीमियम दरों की, दूसरे देश की प्रीमियम दरों से तुलना कोई वैध तुलना नहीं है। प्रीमियम की दरें तीन तत्वों अर्थात् मृत्यु दर, व्याज तथा खर्चों के सम्बन्ध में संभावित भावी अनुभवों पर आधारित होती है। ये अनुभव हर देश के मामले में अलग अलग होते हैं। इसलिए, निगम की प्रीमियम दरों को विदेशों में प्रस्तुत दरों के स्तर तक लाना व्यवहार्य नहीं है।

फिल्म निर्माताओं द्वारा आय-कर का भुगतान

6149. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के उन सर्वोच्च 50 फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं जो देश में सबसे अधिक आय-कर देते हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में कितनी आय निर्धारित की गई और कितने आय-कर का भुगतान किया गया था;

(ख) 31 मार्च, 1969 को उनमें से प्रत्येक की ओर आयकर की बकाया राशि कितनी थी; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : फिल्म निर्माताओं के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना कर-निर्धारण सम्बन्धी बहुत सारे रिकार्डों की छानबीन करके ही की जा सकती है और इसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी खास फिल्म निर्माता/निर्माताओं के बारे में सूचना चाहते हों तो यह विधिवत् प्रस्तुत की जायगी।

तांबे के निक्षेपों के लिये समूचे देश में सर्वेक्षण

6150. **श्री जुगल मंडल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश में अनेक भागों में तांबे के बड़े भंडार उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तांबा मिलने के निश्चित संकेत मिले हैं और अब तक कुल कितनी मात्रा में ऐसे भंडार पाये गये है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : हाल ही में बिहार में सिंहभूम तांबा पट्टी में सखा खानों, रोम सिद्धेश्वर सामापहाड़, तुरामदीह, रामचन्द्र पहाड़; राजस्थान में कोलिहान, मधान-कुधान, अकवाली, सतकुई, भगोनी, खो-दरीबा, आंन्ध्र प्रदेश में अग्निगुन्डला और मयलरम में धुकोण्डख, नल्लाकोण्डा, बन्डला-मोट्टू; मैसूर के हस्सन जिले में कल्यादि में और तमिलनाडु के दक्षिण अरकाट जिले में समन्दुर स्थानों पर किए गए सर्वेक्षणों ने तांबा अयस्क निक्षेप/प्राप्ति स्थल दर्शित किये है। इन निक्षेपों में भारतीय भूविज्ञा। सर्वेक्षण संस्था ने 2400 लाख मैट्रिक टन तांबा अयस्क का अनुमान लगाया है।

मैसर्स हिन्द गाल्वेनाईजिग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हानि

6151. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** हिन्द गाल्वेनाइजिग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ सौदे में भारतीय तेल निगम को हुई हानि के बारे में 9 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) से (घ) तक के बारे में इस बीच अपने कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रां० चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय तेल निगम ने मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कुछ दिन पहले बम्बई हाई कोर्ट में भारतीय तेल निगम के टेन्डर संख्या ओ पी/टैन-7/65 के क्रयादेश संख्या ओ पी/3605 (एच जी) दिनांक 24-10-1966 के अन्तर्गत बैरलों की सप्लाई के बारे में मुकदमा दायर किया है। चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष है, इस विषय पर कोई सूचना देना भारतीय तेल निगम के हित में नहीं है।

खनिज सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति का गठन और कार्य

6152. **श्री गु० च० नायक :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति का गठन कब हुआ था और उसके कार्य क्या हैं;

(ख) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और सदस्यों को चुनने या नियुक्त करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है; और

(ग) इस समिति की बैठकें कितनी बार हुई हैं और इसने क्या रिपोर्टें दी हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : खनिज सलाहकारी बोर्ड की स्थायी समिति 27 अक्टूबर, 1967 को गठित की गई थी और यह प्रथम बार 31 अक्टूबर, 1968 को और पुन: 21 नवम्बर, 1969 को पुनर्गठित की गई थी। सदस्यों के कृत्यों तथा ब्यौरों के साथ उनके चयन का मापदण्ड क्रमश: संलग्न ज्ञापन तथा नोट में दिये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3176/70.]**

समिति की चार बैठकें हुई और उन बैठकों के कार्यवृत की प्रतियां संलग्न हैं। यह समिति रिपोर्टों को प्रस्तुत नहीं करती है।

लौह अयस्क के स्वामिस्व की दर का पुनरीक्षण

6153. **श्री गु० च० नायक :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लौह-अयस्क के स्वामिस्व की दर का पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है चूंकि वर्तमान दर वर्ष 1962 से लागू है;

(ख) क्या स्वामिस्व की दर में वृद्धि करने के बारे में सरकार को राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) लौह-अयस्क पर कितना निर्यात शुल्क है और क्या इसमें कमी करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क की चालू दरें नीचे उपदर्शित की जाती हैं :—

ग्रेड	**प्रति मैट्रिक टन निर्यात शुल्क**
(पिण्ड अयस्क)	
63% तथा इससे ऊपर के	10.50 रुपये
60–62.99% के	6.00 रुपये
58–59.99% के	5.00 रुपये
58% से नीचे के	4.00 रुपये
सूक्ष्म	
62% तथा इससे ऊपर के	4.00 रुपये
61.99% तक के	3.00 रुपये

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गांवों में न्यायिक अधिकारियों तथा अध्यापकों के लिये मकानों के निर्माण हेतु राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजना

6154. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायिक अधिकारियों के लिये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में जिलों तथा विभागीय मुख्यालयों में मकान बनाने की एक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या शिक्षकों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह विषय सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र के प्रशासनों की गतिविधियों के बारे में है। निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) तथा (ग) : निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषकर अध्यापकों के लिए मकानों के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, इस विभाग द्वारा बनाई गई ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापकों सहित, ग्रामीणों को नये मकानों के निर्माण के लिए अथवा वर्तमान मकानों के सुधार के लिए ऋण देने, जो प्रति व्यक्ति को निर्माण की लागत के 80% तक, तथा अधिक से अधिक 3,000 रुपये प्रति मकान के ऋण तक है, की व्यवस्था है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया जाता है, जो ऋण की स्वीकृति देने में सक्षम हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिये हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण

6155. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में तेल अथवा प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त राज्यों के उन क्षेत्रों में तेल अथवा प्राकृतिक गैस निकालने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षणों से कुछ संरचनाओं का चित्रण हुआ है। व्यधन से कुछ संरचनाओं का परीक्षण किया गया था, लेकिन किसी भी कुयें में तेल या प्राकृतिक गैस के व्यापारिक महत्व का भंडार नहीं मिला।

(ग) क्योंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस के व्यापारिक भंडारों की विद्यमानता का पता नहीं लगा है, भंडार से तेल निकालने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय को हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी से वसूल करना

6156. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** 2 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी सलाहकारों ने भारतीय तेल निगम को बताया है कि हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को बैनामी फर्म मेसर्स सप्लायर कारपोरेशन से 21,000 ढोलों की आपातकालीन खरीद पर किया गया। 1,34,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड से वसूल नहीं हो सकता;

(ख) यदि नहीं, तो इस बीच सरकार ने उनसे अपेक्षित धनराशि वसूल करने के लिये कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में इस फर्म के साथ सौदे करना स्थगित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : भारतीय तेल निगम ने मेसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं० (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कुछ दिन पहले बम्बई हाई कोर्ट में भारतीय तेल निगम के टेन्डर संख्या ओ पी/टैन-7/65 के क्रयादेश संख्या ओ पी/3605 (एच जी) दिनांक 24-10-1966 के अन्तर्गत बैरलों की सप्लाई के बारे में मुकदमा दायर किया है। चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष है, इस विषय पर कोई सूचना देना भारतीय तेल निगम के हित में नहीं है।

(ग) यह ऐसा मामला है जिस पर भारतीय तेल निगम को स्वतन्त्र रूप से सोच-विचार करना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली में उपरली टंकियों का चालू किया जाना

6157. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में तीन उपरली टंकियां पूरी हो गई हैं और जिन्हें बहुत समय से चालू नहीं किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको शीघ्र चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में जल-पूर्ति की वृद्धि के लिये **'कैलाश जलाशय योजना'** के प्रथम चरण में चार ओवर हेड टैंकों का निर्माण सम्मिलित

है। इनमें से दो का इमारत सम्बन्धी कार्य पूरा हो चुका है और पाइप लगाने का कार्य चल रहा है। शेष दो का इमारती-कार्य प्रगति पर है। सहायक कार्य भी चल रहे हैं।

कैलाश में राईजिंग मेन्स पम्पिंग स्टेशनों और भूमिगत जलाशय के तैयार होने के पश्चात् ओवर हेड टैंकों को चालू कर दिया जायेगा। योजना प्रथम चरण में इन सभी मदों से संबंधित कार्य पूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और उनको चालू करने में 12-15 महीने तक लग जाने की सम्भावना है।

कारखानों से निकलने वाले गन्दे पानी द्वारा दिल्ली में पानी का दूषित होना

6158. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री मणि भाई जे० पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहते हुए पानी में कारखानों से निकालने वाले, गन्दे पानी के छोड़े जाने पर, जिस से दिल्ली में, पानी प्रायः दूषित हो जाता है, नियंत्रण करने पर सरकार ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सहयोग करने के लिये राज्य सरकार ने कोई आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार पानी के दूषित होने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Part-Time Posts of L. D. CS. and Messengers in Ministry of Finance

6159. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether persons have been appointed on daily wages (part-time) against the posts of Lower Division Clerks and Messengers in the Ministry of Finance ;

(b) if so, the number of said employees, category-wise, in each of the Departments of the Ministry of Finance and the number out of them working for a period of more than two years and those working for a period of more than three months ;

(c) whether Government propose to appoint the said employees against regular vacancies soon ; if so, by when ; and

(d) if not, whether Government propose to continue to neglect the interest of the said low-paid employees ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) The information regarding Secretariat offices of the Ministry of Finance

is given in the statement placed on the Table of the House (Annexure). **Placed in Library. See No. LT-3177/70).**

c) and (d) Under existing rules, appointment as regular Lower Division Clerks is made through the Union Public Service Commission and therefore persons appointed on daily wages are not automatically eligible for such appointment. In the matter of appointment to regular Class IV posts, however, persons employed on daily wages could be given preference, if they have put in a minimum period of two years' continuous service, subjects to certain other conditions. All recruitment to various posts under Government is to be made under specified rules in public interests, and there can be no question of any neglect of the interests of these employees.

Business Houses Having Largest Number of Shares

6160. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the business houses who have got the largest number of shares in the 14 nationalised banks;

(b) the names of the persons or institutes who own the shares worth one crores of rupees each and the names of those who own shares of the value of less than one crore of rupees ; and

(c) the reaction of Government in regard to the said shares ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) There are well over 1.40 lakhs shareholders of the 14 erstwhile banking companies whose undertakings were transferred and vested in the corresponding new banks constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 with effect from 19th July, 1969. Collection of information regarding the affiliation of each of the shareholders having large holdings in those banking companies with one or other of the business houses, listed by the Monopolies Inquiry Commission or by the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, in heir respective Reports, will involve an enormous amount of time and labour. For determining the affiliation, the beneficial interests of each of the shareholders on the Register of the banking companies will have to be ascertained and this is hardly possible. However , a statement is attached showing the names, the shareholder holds shares of the paid up value of Rs.1 crore or more in any of these banking companies.

(c) As the undertakings of these banking companies have been acquired the shareholders of the companies have no control over the management of the nationalised banks.

Changes made by Reserve Bank of India in regard to terms and conditions governing loans

6161. **Shri Rabhuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India has recently made certain changes in the terms and conditions governing loans ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government and the various industries in regard to the new

policy for advancing loans and its effect on the pace of industrial development in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Presumably the reference is to loans by banks and not refinance by the Reserve Bank of India to banks. The Reserve Bank effected the following changes in the terms and conditions governing loans granted by commercial banks :

(1) By a directive dated 21st January, 1970, applicable to all scheduled commercial banks, the Reserve bank has prescribed increased minimum margins and reduced ceilings on total loans and advances against food-grains, oilseeds, vegetable-oils including vanaspati and cotton and kapas. Simultaneously, the minimum rate of interest chargeable in respect of the above commodities has been fixed at 10 per cent.

(2) On the 21st January, 1970, the Reserve Bank removed the earlier stipulation of a maximum rate of interest of 9 per cent on loans made by Indian banks with deposits of more than Rs. 150 crores and foreign scheduled banks.

(3) By its directive dated 28th March, 1970, the Reserve Bank asked all scheduled commercial banks to levy a commitment charge of 1 per cent per annum from 1st April, 1970 on the unutilised portion of credit limits of Rs.10 lakhs and above sanctioned by them to their customers.

(c) No significant adverse reaction from any industry has come to the notice of Government.

फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान

6162. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्म कलाकारों के नाम क्या हैं जिनकी आय वित्तीय वर्ष 1969-70 में 1 लाख से अधिक निर्धारित की गई थी;

(ख) इनमें से प्रत्येक कलाकार की आय कितनी है और प्रत्येक से कितना कितना आय कर वसूल किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उनका आयकर का भुगतान उनकी वास्तविक आय के अनुरूप नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि बहुत से फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने आयकर का अपवंचन किया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या उपर्युक्त वर्ष में उनके घरों पर कभी छापे मारे गये और उन छापों के परिणामस्वरूप उनसे कितना लेखा वाह्य धन बरामद हुआ और यदि हां, तो प्रत्येक के पास से कितना-कितना धन बरामद हुआ और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Report submitted by sub-divisional oficer of Betia regarding industrial development to deputy Governor Reserve Bank of India

6163. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sub-Divisional Officer of Betia submitted a report on the industrial development of Betia Sub-Division to the Deputy Governor of the Rserve Bank of India during his visit there in the second week of February last ("Search Light" Daily, dated the 10th March) ;

(b) if so, the schemes brought out therein ; and

(c) the order of priority proposed to be accorded to the items mentioned therein and whether they would be financed by the Reserve Bank or loans would be advanced by the Bank for their implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) The Deputy Governor of the Reserve Bank of India visited Betia in February 1970 in his capacity as Chairman of the Agricultural Refinance Corporation primarily in connection with problems of agricultural credit. During his visit he had occasion to listen to the views of the members of the public, bankers and corporators regarding schemes for financing agricultural production and development in the area. While some memoranda regarding agricultural development were submitted to the Deputy Governor, no report on the industrial development of Betia sub-division is understood to have been received by him.

राज्यों द्वारा जमा धनराशि से अधिक राशि निकालना

6164. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में जमा धन राशि से निकाली गई धन राशि में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) क्या राज्य द्वारा जमा धनराशि से अधिक धनराशि की निकासी को उस राज्य के लिए अनुदान या विशेष सहायता का एक भाग समझा जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार रिजर्व बैंक में से जमा धनराशि से अधिक धनराशि नहीं निकाल रही है;

(घ) क्या उक्त राज्य को सहायता देते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जमा से अधिक निकाली गई रकमों की स्थिति, केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता की रकम के समायोजन सहित कई कारणों से, दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। इसलिए यह बताना कठिन है कि पिछले तीन वर्षों में किन राज्यों द्वारा जमा से अधिक निकाली गयी रकमों में वृद्धि हुई है। फिर भी, पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के अन्त में, राज्यों द्वारा जमा से अधिक निकाली गयी रकमों की जो स्थिति थी उसका विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा जमा से अधिक निकाली गयी रकमों सम्बन्धी स्थित

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	30-3-1968 को	31-3-1969 को	31-3 1970 को
आन्ध्र प्रदेश	–	0.53	12.17
असम	–	17.65	7.98
बिहार	4.97	–	10.22
केरल	–	5.52	8.40
मध्य प्रदेश	5.23	–	–
महाराष्ट्र	1.91	–	–
मैसूर	10.15	19.78	14.80
उड़ीसा	5.83	15.61	–
राजस्थान	3.43	32.27	21.98
तमिल-नाडु	–	25.11	16.10
उत्तर प्रदेश	–	28.21	–

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे, अनधिकृत रूप से, रिजर्व बैंक से जमा से अधिक रकमें नहीं निकालेंगी। इस प्रकार जमा से अधिक निकाली गयी रकम को अतिरिक्त सुविधा के रूप में नहीं मानना चाहिये और न यह समझना चाहिए कि जमा से अधिक रकमें निकालने से ही वे किसी प्रकार की विशेष सहायता पाने को अधिकारी हो जायंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) : भाग (ख) के उत्तर को देखते हुये ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

सरकारी उपक्रमों द्वारा खर्च

6165. **श्री स० कुन्दू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने एक उपक्रम के अनुत्पादक अंगों जैसे अतिथि गृहों, बंगलों तैरने के तालाबों, सड़कों पार्कों आदि जैसे असैनिक निर्माण पर खर्च करने के लिए कोई कसौटी निश्चित की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उक्त कसौटी का पालन नहीं किया जाता और उस पर अधिक राशि व्यय की जाती है; और

(घ) क्या सरकार ने यह निर्देश दिये हैं कि परियोजनाओं में आरम्भ में, असैनिक निर्माण साधारण और अस्थायी होने चाहिये और उपक्रम के लाभ की राशि से उन्हें क्रमश: बनाया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : सरकारी उद्यम कार्यालय

ने सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिए और सड़कों, बस्तियों आदि के लिये मान और प्रतिमान निर्धारित कर रखे हैं। कार्य-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मितव्यय के आधार पर सुविधाओं के स्तर और उनके विशिष्ट विवरण भी दिये गये हैं। रिहायशी क्वार्टरों के संबंध में, खर्च में किफायत करने के लिये वैकल्पिक किस्मों के डिजाइन भी सुझाये गये हैं। इसी प्रकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खरीदारी, मनोरंजन आदि को सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये यह सुझाव दिया गया है कि जहां एक से अधिक सरकारी उपक्रम स्थित हों, वहां साधनों का समूहीकरण करना वांछनीय होगा। हालांकि, अतिथि-गृहों और तैरने के तालाबों के संबंध में कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किये गये हैं, फिर भी प्रायोजना-अनुमानों की जांच करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस संबंध में आवश्यकता से अधिक रकमों की व्यवस्था न की जाय। इस बारे में भी हिदायतें जारी की गयी हैं कि किन सरकारी उपक्रमों के एककों की अवधि थोड़ी हो, जैसे तेल क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, खनन-क्षेत्र आदि, उन्हें अर्ध-स्थायी ढांचे ही खड़े करने चाहिये।

(ग) जब से यह प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं तब से लेकर, इन प्रतिमानों का पालन न करने का कोई मामला सरकारी उद्यम कार्यालय के देखने में नहीं आया है; हालांकि पहले किये गये निर्माण-कार्यों के प्रतिमान अपेक्षाकृत ऊंचे थे।

सरकार ने गैर-सरकारी उपक्रमों के लिये, कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों, बस्तियों, सड़कों आदि के संबंध में ऐसे कोई मानक निर्धारित नहीं किये हैं।

भारतीय तेल निगम के बिक्री विभाग में कथित भ्रष्टाचार

6166. **श्री स० कुन्दू :** **श्री ओंकार लाल बोहरा :**
श्री राम चरण :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा** धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि पेट्रोल और उसके उत्पादों, उर्वरक, गैस आदि की बिक्री, वितरण एजेंसियां कुछ व्यक्तियों के पास हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त व्यापार में निहित स्वार्थ समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या सरकार को यह भी विदित है कि भारतीय तेल निगम के बिक्री विभाग में अत्यधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं। सारे देश में इन उत्पादों का वितरण बहुत सारे व्यापारियों एजेन्टों की मार्फत होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रश्न, जो एक सामान्य किस्म का है और जिसके व्यौरे नहीं हैं, का यथार्थ उत्तर देना संभव नहीं है। तथापि पिछले 10 वर्षों में उत्पादन हुई थोड़ी सी शिकायतों, जिन पर सचित

रूप से जांच की गई है की जा रही है, के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय तेल निगम के बिक्री विभाग में भ्रष्टाचार है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि, निगम अपने संस्थानों में भ्रष्टाचार, यदि कोई हो, समाप्त करने का प्रत्येक कदम उठा रहा है।

Experts Views on use of Saccharine Caushing Cancer

6167. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Helth and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that some experts have expressed their fear of developing Cancer with the use of saccharine ; and

(b) the steps being taken to check the use of saccharine in hotels in the said Context ?

The Minister of State in the Ministry of Finance Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) Saccharine is allowed as an artificial sweetener for use only in carbonated beverages and in no other food. The reports so far available. from all countries of the world indicate that saccharine is very commonly used as an artificial sweetener and no scientific reports are available to indicate that it causes cancer or any other harmful effects.

Pauri Hospital of Pauri Garahwal

6168. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2110 on the 1st December, 1969 regarding Pauri Hospital at Pauri Garhwal and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) A statement containing the requisite information is enclosed.

Statement

Subject	Information
(a) whether it is a fact that the doctors of the Pauri Hospital of district Pauri, Garhwal of Uttar Pradesh do not supply the medicines to the patients and advise them to pruchase them from the market and the medicines of the Hospitals are sold in the market ; and	(a) The stock of medicines in the hospital adequate and poor and needy patients are always supplied medicines from the hospital. In certain cases the well-to do patients who can afford to purchase medicines from the market are asked to purchase only those medicines which are not in the hospital stock. No medicines from the hospital are sold in market.

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Family Planning Centre in Pauri Garhwal of Uttar Pradesh

6169. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2109 on the 1st December, 1969 regarding Family Planning Centres in Pauri Garhwal, U. P. and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the State Government ;

(b) if so, the complete details thereof ; anp

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) According to the reply received from the Government of Uttar Pradesh, the State Government are fully aware of the difficulties of the backward area and have already provided the necessary medical and health facilities. There are 19 hospitals and dispensaries—1 V. D. clinic, 5 Primary Health Centres and 13 Ayurvedic dispensaries functioning in Garhwal district. The National Malaria Eradication Programme and National Small pox Eeradication Programme cover the entire district. The State Government have also additionally sanctioned the establishment of 1 Allopathic dispensary, 1 T. B. Clinic at Pauri, 9 Primary Health Centres and 1 Ayurvedic Dispensary. There are also proposals to provide additional facilities to this area. The State Government have also stated that there has been no report about death in any part of the District due to lack of medical and health facilities.

(c) Does not arise.

लघु कोयला खानों का अनिवार्य एकीकरण करने की योजना

6170. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु कोयला खानों का अनिवार्य एकीकरण करने के संबंध में अपना जांच कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस सम्बन्ध में सशक्त करने वाले कानून के अधिनियमित किए जाने के पश्चात् अनिवार्य समामेलन की परियोजना कार्यान्वित किए जाने के उपरान्त ही अन्वेषणों का प्रश्न उत्पन्न होगा। अनिवार्य समामेलन के सम्बन्ध में शीघ्र ही विधेयक प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों को भारतीय माल की बिक्री से अर्जित विदेशी मुद्रा का प्रयोग

6171. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय माल की विदेशी पर्यटकों को की गई बिक्री से, उनके देश की मुद्रा में प्राप्त राशि का कैसे प्रयोग किया जाता है; और

(ख) वर्ष 1969 के दौरान उससे भारतीय मुद्रा में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत में विदेशी पर्यटकों के हाथ बेचे जाने वाले भारतीय माल से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वह देश के कुल विदेशी मुद्रा साधनों का ही एक अंग होती है जिनका उपयोग दूसरे देशों से सामान मंगवाने और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जाता है।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पर्यटक, कुल पर्यटन-व्यय का 28.2 प्रतिशत सामान खरीदने के लिए खर्च करते हैं। इस अनुपात के अनुसार 1969 में पर्यटकों से प्राप्त 33.11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा में से सामान की खरीद पर 9.34 करोड़ रुपया खर्च किए जाने का अनुमान है।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण के लिये आवेदन पत्रों की प्राप्ति

6172. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम को ऋण के लिये गत दो वर्षों में प्राप्त हुए संख्या वार तथा राशि वार आवेदन पत्रों की तुलना में गत वर्ष 1969 में कम आवेदन- पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितना ऋण मांगा गया; और

(ग) ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या में कमी होने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3179/70]**

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 1969 में निगम को ऋणों के लिए कम संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने के स्थूल कारण ये हैं :—

(i) उद्योगों में, और खासतौर पर कुछ इंजीनियरी उद्योगों में मंदी की स्थिति लगातार बनी रही; और

(ii) कागज और गत्ता, कांच की चादरें, सीमेण्ट, ट्रैक्टर, साइकिल उर्वरक आदि जैसे उद्योगों में जो क्षमता स्थापित की गयी उसका अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया, हालांकि इन उद्योगों में पहले के वर्षों की तुलना में 1969 में कुल मिलाकर अधिक उत्पादन हुआ।

किन्तु निगम को प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या में 1969 के उत्तरार्द्ध में कुछ वृद्धि हुई जब निगम को 2164.37 लाख रुपए के ऋण के लिए 36 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जबकि वर्ष के पूर्वार्द्ध अर्थात् जनवरी-जून 1969 में 843.44 लाख रुपए के ऋणों के लिए 21 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध तथा विनियमन के लिये योजना

6173. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध तथा विनियमन के लिये एक योजना बनाई जानी है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना संसद में प्रस्तुत करने के लिए कब तक तैयार हो जायेगी; और

(ग) क्या इस योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध तथा विनियमन के लिए व्यवसायी बैंकों का एक केन्द्रीय बैंकिंग बोर्ड बनाने की व्यवस्था होगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 में परिकल्पित योजना का ब्यौरा रिजर्व बैंक के परामर्श से अभी तैयार किया जा रहा है। आशा है कि अगले तीन या चार महीनों में योजना तैयार हो जायगी और उसे संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

पाकिट बुक आफ इक्नामिक इन्फार्मेशन (1969)

6174. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू इण्डिया पाकिट बुक आफ इक्नामिक इन्फार्मेशन (1969 संस्करण) के पृष्ठ 69 आदि पर पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के संसाधनों तथा उनके धन के उपयोग के बारे में आंकड़े केवल वर्ष 1965 तक के दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिये चालू आंकड़े संकलित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) आदिनांक आंकड़े उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के साधनों और उनके धन के उपयोग के बारे में बिल्कुल हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे 1966-67 के हैं और यह आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के अगस्त 1969 के बुलेटिन में प्रकाशित किये गये है । चूंकि 'इण्डिया' पाकेट बुक आफ इक्नामिक इन्फार्मेशन (1969 संस्करण) की छपाई का काम आगे से बढ़ चुका था इसलिए इन आंकड़ों को उक्त जेबी पुस्तक में नहीं शामिल किया जा सका ।

(ग) सरकार हमेशा यह प्रयत्न करती है कि अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित बिल्कुल होने के आंकड़े ज्योंही संकलित कर के तैयार हो जायें, त्योंही वे उपलब्ध कर दिये जायं ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा दिल्ली का समूचा विकास

6175. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहत योजना के अनुसार दिल्ली का समूचा विकास करने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकार को सौंपा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के शहरी बनाये गये भाग में कई खुले प्लैट उनके मन्त्रालय के भूमि तथा विकास अधिकारी के कार्यालय के नियंत्रणाधीन हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार तथा भूमि और विकास कार्यालय का दोहरा नियंत्रण होने के कारण कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और समाज के हितों के विरुद्ध धन का गलत उपयोग होता है; और

(घ) क्या सरकार जनहित की दृष्टि से भूमि तथा विकास कार्यालय का सारा कार्य दिल्ली विकास प्राधिकार को सौंपने के लिये कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) अन्य बातों के साथ साथ प्राधिकरण का उद्देश्य दिल्ली की बृहत योजना के अनुसार विकास करना और उसे प्रोत्साहन देना है।

(ख) जी, नहीं, परन्तु यदि संकेत उन प्लाटों की ओर है, जिन पर निर्माण नहीं हुआ है, तो उत्तर 'हां' है।

(ग) जी नहीं।

श्री निवासपुरी, नई दिल्ली में सार्वजनिक पार्क का विकास

6176. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री निवासपुरी, नई दिल्ली में एक सार्वजनिक पार्क का विकास करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उसका विकास किस अभिकरण से कराया जा रहा है;

(ख) इसके लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पुरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) श्रीनिवासपुरी कालोनी के ले-आउट प्लान में पार्कों के लिये 8 प्लाट हैं। इनमें से तीन को बागवानी की दृष्टि से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय द्वारा विकासित कर दिया गया है। चार प्लाटों को दिल्ली नगर निगम द्वारा भी बागवानी की दृष्टि से विकासित कर दिया है तथा उनके चारों ओर दीवार और रेलिंग्ज लगा दी है। आठवें प्लाट के बारे में स्थिति यह है कि कालोनी के ले-आउट प्लान में इसे सामुदायिक केन्द्र के लिये दिखाया गया है और दिल्ली नगर निगम जिसने प्लाट के इर्द गिर्द तार लगा कर घेर लिया है और उसमें नल लगाये हैं, ने आगे का विकास कार्य रोक दिया है। इस मामले को यथा शीघ्र सुलझाया जायेगा।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने श्री निवासपुरी में पार्कों के विकास के लिये गत तीन वर्षों में 78,469 रुपये की राशि निर्धारित की है। बागवानी निदेशालय ने 21,220 रुपये का व्यय किया है। इस प्रकार, कुल व्यय 94,689 रुपये आता है।

(ग) कृपया भाग (क) के उत्तर को देखें। आठवें प्लाट को किस उपयोग में लाया जायेगा, इस बारे में यथा शीघ्र निर्णय किया जायेगा; फिलहाल इसके लिए कोई समय नहीं बताया जा सकता।

दिल्ली के लिये झुग्गी झोपड़ी हटाने सम्बन्धी योजना

6177. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हटाने सम्बन्धी योजना की 31 मार्च, 1970 तक क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या उक्त अवधि में झुग्गी झोपड़ी शिविरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था और उस स्थान का नाम क्या है जहां बेघर हुए लोगों को फिर से बसाया गया है और 31 मार्च से जुलाई में वर्ष समाप्त होने तक झुग्गी झोपड़ी हटाने के बारे में क्या कार्यक्रम है; और

(ग) उन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को नागरिक सुविधायें देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है जिन्हें फिलहाल नहीं हटाया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 2,472 टेनमेंट बनाये गये हैं और 80 वर्ग गज के 3,740 प्लाट तथा 25 वर्ग गज के 40,700 प्लाट विकासित किये जा चुके हैं।

(ख) कई झुग्गी-झोपड़ी समूह हटाए जा चुके हैं। जुलाई 1960 के पहले के अनधिवासियों को मोती बाग (रिंग रोड़), श्रीनिवासपुरी, मदनगीर, सनलाईट, मादीपुर, नारायणा आदि जैसे क्षेत्रों की जे० जे० कालोनियों में पुनः बसाया जा चुका है। जुलाई 1960 के बाद के अनधिवासियों को सीमापुरी, नांगलोई, पंखा रोड जैसे कैम्पिग स्थानों पर पुनः बसा दिया गया है। 31 मार्च, 1970 व जुलाई 1970 के दौरान अनधिवासियों को हटाने का कोई कार्यक्रम अभी तैयार नहीं किया गया है।

(ग) बड़े जे० जे० समूहों में नागरिक सुविधाएं, जहां तक संभव हों, स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध की जाती हैं।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जनपथ, नई दिल्ली में दुकानों का आवंटन

6178. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम मैदान, नई दिल्ली के निकट जनपथ में 29 दुकानों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों के आवंटन के लिये अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से 31 दिसम्बर 1969 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको दुकानों के आरक्षण के आधार पर उन दुकानों का आवंटन किया गया था; और

(घ) अनुसूचित जातियों के उन आवेदन कर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (घ) : 29 दुकानों में से 4 अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को आवंटन करने के लिए सुरक्षित की गई हैं। 4 में से एक दुकान, अनुसूचित जाति के एक संसद सदस्य की विधवा को आवंटित की जानी है। शेष 3 दुकानें अनुसूचित जाति समुदाय के उन सदस्यों को दी जानी हैं, जो सार्वजनिक भूमि पर अनधिवासी हैं और गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत वैकल्पिक वास के आवंटन के पात्र हैं। इस उद्देश्य से दिसम्बर 1969 में दिल्ली प्रशासन ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके उत्तर में 21 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच करने पर उनमें से कोई भी गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत पात्र नहीं पाया गया।

अभी तक अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों अथवा अन्य लोगों को दुकान का कोई आवंटन नहीं किया गया।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कारखाना इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) विभाग में कथित भ्रष्टाचार

6179. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक कारखाना कर्मचारी संघ, गोरखपुर के मन्त्री ने 13 जनवरी, 1970 को भारतीय उर्वरक निगम गोरखपुर के महाप्रबन्धक और उसके प्रबन्धक को गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कारखाना इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा कदाचार के बारे में शिकायतें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सम्बन्धित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस कार्मिक संघ के मन्त्री ने 9 मार्च, 1970 को इस आशय की शिकायत उनको भेजी थी; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। उर्वरक कारखाना मजदूर संघ, गोरखपुर का भारतीय उर्वरक निगम के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक के नाम दिनांक 13-1-70 का एक पत्र, जिसमें बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के, गोरखपुर कारखाने के संयंत्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक अफसर के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे, निगम को प्राप्त हुआ था।

(ख) क्योंकि लगाये गये आरोप स्पष्ट हैं, निगम ने सम्बन्धित अफसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । तथापि, निगम के मुख्यालय ने गोरखपुर के महा प्रबन्धक से अफसर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि में विशिष्ट उदाहरण या तथ्यों का पता लगाने का अनुरोध किया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) शिकायत निगम को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी गई ।

देश को अन्धेपन से 10,000 करोड़ रुपये की हानि

6180. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1970 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स्" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश को अन्धेपन से 10,000 करोड़ रुपये की हानि हो रही है जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के कुल आवंटन का आधा है;

(ख) क्या सरकार ने स्वयं ऐसा मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में कितने अन्धे व्यक्ति हैं और इस समय कितने नेत्र चिकित्सक और नेत्र अस्पताल हैं;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में अन्धेपन के रोग को रोकने के लिये तैयार किये गये प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; और

(ङ) अन्धेपन को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) इस देश में अन्धेपन के प्रमुख कारण मोतियाबिन्द, ट्रेकोमा, चेचक और पौष्टिक तत्वों की कमी आदि हैं । मोतियाबिन्द, आपरेशन तथा कोर्निया ग्राफ्टिंग की सुविधाएं देश में उपलब्ध हैं । सरकार ने राष्ट्रव्यापी आधार पर चेचक उन्मूलन तथा ट्रेकोमा नियंत्रण के उपाय भी किये हैं । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनता के असुरक्षित वर्गों में रतौंधी को रोकने के लिये विटामिन "ए" मुफ्त बांटा जाता है । पोषण सम्बन्धी त्रुटियों को नियन्त्रित करने के लिये जो कि अंधापन के मुख्य कारण हैं, सरकार ने पूरक आहार कार्यक्रम, पौष्टिक खाद्यों का उत्पादन, पोषण शिक्षा, कुपोषण के प्रारम्भिक मामलों का इलाज इत्यादि कई कदम उठाये हैं ।

दिल्ली और नई दिल्ली में शराब की दुकानों के ठेके

6181. **श्री अदिचन : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में देशी शराब की दुकानों के ठेकों से इस वर्ष सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी राशि प्राप्त हुई थी और इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इससे बिकने वाली शराब की किस्म और उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, पिछले दो वर्षों में की गई वसूलियों के साथ यदि चालू वर्ष के आंकड़ों की तुलना की जाय तो पता लगेगा कि ये आंकड़े, 69-70 के आंकड़ों से 7.74 प्रतिशत अधिक हैं और 68-69 के आंकड़ों से 17.62 प्रतिशत कम हैं।

(ग) खुदरा मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है। उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा गुण नियंत्रण पर निगाह रखी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार

6182. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार करने वाले 20 करोड़ रुपये के विशाल कार्यक्रम को छोड़ने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम को कम व्यय से चलाने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

वाणिज्य, निर्माण तथा विविध महालेखाकार के कार्यालय में विभिन्न मन्त्रालयों के कर्मचारियों के बिल

6183. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3158 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्य, निर्माण तथा विविध महालेखाकार के कार्यालय के काउन्टर पर निम्नलिखित टोंकन नम्बरों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों की क्या स्थिति है, (एक) 811 दिनांक 17 जुलाई, 1969 (दो) 1304 दिनांक 21 अगस्त, 1969 (तीन) 1489 दिनांक 16 दिसम्बर, 1969 (चार) 838 दिनांक 8 जनवरी, 1970 (पांच) 2282 दिनांक 21 जनवरी, 1970 (छः) 784 दिनांक 22 जनवरी 1970 (सात) 1634 दिनांक 2 फरवरी, 1970 और इन बिलों को पास करने में कितना समय लगेगा;

(ख) यदि ये बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन पश्चात् पास कर दिये गये थे तो इनको इतने अधिक समय तक अनिर्णित रखने के क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में बिलों को प्रस्तुत करने के बाद उनमें काफी समय लगाकर उन्हें बिना पास किए आपत्तियों सहित वापिस कर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : बिलों के बारे में स्थिति तथा उन पर कार्यवाही स्थगित रखने के कारणों को संलग्न विवरण-पत्र में दिया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3180/70]** यह पता चलेगा कि इन सात बिलों में से, एक मामले में उस टोकन संख्या का कोई बिल कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ; अन्य बिलों के बारे में, जो कार्यालय में प्रति माह प्राप्त होने वाले औसतन लगभग 800 बिलों की कुल संख्या में से केवल छः हैं। विवरण-पत्र में दिये गये कारणों तथा उस सावधानी को देखते हुए जो इन बिलों को पास करने में बरतनी पड़ती है, हुआ विलम्ब असाधारण नहीं है।

(ग) सामान्यतया ऐसा नहीं है। किन्तु, बार-बार आपत्तियां दिखाने से बचने के लिये, कुछ पेचीदा बिलों, उदाहरणार्थ यात्रा-भत्ता बिलों, वेतन-निर्धारण के कारण उद्भूत बकाया बिलों आदि की पूर्णतः छान-बीन करनी होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ बिलों के बारे में पुराने बिलों अथवा पिछले दावों को देखना/उनका सत्यापन करना आवश्यक होता है। इससे बिलों की जांच करने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। सामान्यतः महीने के अन्त में संस्थापन सम्बन्धी वेतन-बिलों को प्राथमिकता दी जाती है तथा इससे अन्य बिलों को पास करने में कुछ विलम्ब हो जाता है।

(घ) सभी परिहार्य विलम्बों को समाप्त करने के उद्देश्य से, सख्त हिदायतें जारी की गई है कि बिलों के समय पर निपटान का इतमीनान किया जाय तथा सभी बकाया बिलों की नियतकालिक समीक्षा की जाय।

दफ्तरियों के लिये प्रवर संवर्ग पद

6184. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री 23 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दफ्तरियों के लिये प्रवर संवर्ग पदों का अनुपात निर्धारित करने के आदेश कब जारी किये गये थे;

(ख) दफ्तरियों के लिये प्रवर संवर्ग पदों की संख्या कितनी है और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय जैसे प्रत्येक स्वायत्त कार्यालयों में दफ्तरियों की कुछ संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार के किन किन विभागों और कार्यालयों में, जिसमें स्वायत्त कार्यालय भी शामिल हैं, दफ्तरियों के प्रवर संवर्ग पदों की संख्या कुल दफ्तरियों की संख्या के 15 प्रतिशत से कम है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्र० चं० सेठी) : (क) सेलेक्शन ग्रेड के दफ्तरों के पदों की कुल संख्या के 15% पर नियत करने के आदेश 31 मई 1955 को जारी किये गये थे।

(ख) तथा (ग) : निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है। अन्य कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

कार्यालय	दफ्तरियों के पद	सेलेक्शन ग्रेड के पद	स्थायी पदों के संदर्भ में प्रतिशत
निर्वाचन आयोग	13 (9 स्थायी 4 अस्थायी)	1	11%
सर्वोच्च न्यायालय	19	कुछ नहीं	सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक कोई अनुपात नहीं नियत किया है।

डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी

6185. **श्री जि० मो० विश्वास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी प्रस्तावित वेतन आयोग के निदेश पद के अन्तर्गत आते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या डाक-तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये पृथक समिति या मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सरकार को आशा है कि प्रस्तावित वेतन आयोग के निर्देशपदों को बहुत जल्दी निश्चित कर दिया जायगा।

प्रमुख बैंकों (लीड बैंकों) द्वारा ऋण आवश्यकता की सम्भावना के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट

6186. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री 2 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह बैंकों की क्षमता ऋणों की आवश्यकता और शाखा के प्रसार के लिये केन्द्रों का निश्चय करने के बारे में प्रमुख बैंकों (लीड बैंकों) ने अपनी प्रथम तिमाही रिपोर्ट इस बीच प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उत्तर बिहार के सम्बन्धित जिलों के लिये कौन-कौन से विशिष्ठ "प्रमुख बैंकों" (लीड बैंकों) निश्चित किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक को बैंकों से "बैंक नेतृत्व" योजना के अन्तर्गत पहली तिमाही की प्रगति की रिपोर्टें अभी नहीं मिली हैं। इन रिपोर्टों के जल्दी ही प्राप्त होने की सम्भावना है।

(ग) उत्तर विहार के जिलों के "नेता बैंकों" के नाम ये हैं :—

जिलों के नाम	जिले के नेता बैंक का नाम
1. चम्पारन	सेंट्रल बैंक श्राफ इंडिया
2. मुजफ्फरपुर	–तदेव–
3. दरभंगा	–तदेव–
4. सहरसा	–तदेव–
5. पूर्णिया	–तदेव–
6. सारन	–तदेव–
7. मुंघेर	युनाइटेड कमर्शल बंक

दरभंगा के महाराजा की सम्पत्ति का मूल्यांकन

6187. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा के महाराजाधिराज की मृत्यु के बाद से अब तक बेची गई सम्पत्ति, अर्थात कलकत्ता, बनारस और दरभंगा में इमारतें, बहुमूल्य वस्तुएं और भूमि सहित उनकी सम्पत्ति के वास्तविक मूल्यांकन की कोई जांच करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) इस मामले में 14-9-1966 को सम्पदा शुल्क का नियमित निर्धारण किया गया था। सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 73 ए (बी) में ऐसी व्यवस्था है कि शुल्क निर्धारण की तारीख से तीन वर्ष समाप्त हो जाने के बाद शुल्क की के पुनर्निर्धारण के मामले में किसी प्रकार का सम्पदा शुल्क लगाने के लिये कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जायगी। शुल्क के पुनर्निधारण के लिए सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का अब कोई प्रश्न नहीं उठ सकता।

उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की कमी

6188. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैंक-डिब्बों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है और उसके बारे में किसी पर दायित्व डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वास्तविक कार्यवाही क्या की गई है और क्या अभी भी बिहार के दरभंगा के उत्तरी भागों में मुजफ्फरपुर और सहरसा में मिट्टी के तेल की बहुत कमी है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : उत्तर बिहार के छोटी लाइन स्थित क्षेत्रों में रेल द्वारा मिट्टी के तेल को

भेजने के लिए, गरहरा नामक स्थान पर मीटरी गेज टैंक वैगनों की सप्लाई के प्रश्न पर रेलवे बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी रेलवे तथा भारतीय तेल निगम के परामर्श से विस्तार रूप से जांच किया है। इस जांच से यह मालूम हुआ है कि भारतीय तेल निगम के जो इस क्षेत्र के मिट्टी के तेल की 85 प्रतिशत आवश्यकताएं पूरी करता है, लदान पथिका (साइडिंग) के वर्तमान स्थान पर टैंक वैगनों की सप्लाई में गम्भीर परिचालन सम्बन्धी समस्याएं हैं। अतः भारतीय तेल निगम और उत्तर-पूर्वी रेलवे द्वारा गरहरा यार्ड में वैकल्पिक उपयुक्त स्थान पर लदान परिचालनों को बदलने के लिए, संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) विशेष मामले के रूप में, यद्यपि इससे अन्य प्रेषणों में गम्भीर परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, उत्तर-पूर्वी रेलवे ने भारतीय तेल निगम के लिये मीटर गेज टैंक वैगनों की सप्लाई को, दिसम्बर, 1969 में 85 टैंक वैगनों से बढ़ाकर मार्च, 1970 में 113 टैंक वैगन कर दिये हैं। साथ साथ, भारतीय तेल निगम अपने गरहरा प्रतिस्थापन से सड़कों द्वारा मिट्टी के तेल की सप्लाई कर रेल प्रेषणों को भी अनुपूरित कर रहा है। सम्बद्ध जिलों में मिट्टी के तेल की सप्लाई की आयतन स्थिति राज्य सरकार से पता लगाया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

6189. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के बारे में 16 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर इस बीच पूर्णतया विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को 'पी' फार्म को मंजूरी

6190. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैतूल सरूर 61/1 वार्डन रोड, बम्बई, 26 के श्री हाजी मस्तान मिर्जा को विदेश यात्रा के लिये अगस्त-सितम्बर, 1969 में "पी" फार्म दिया गया था;

(ख) क्या उक्त 'पी' फार्म की मंजूरी दी जाने से पूर्व श्री मिर्जा को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन्हें कुछ ही पहले जमानत पर छोड़ा गया था,

(ग) श्री मिर्जा को किन परिस्थितियों में "पी" फार्म दिया गया; और

(घ) "पी" फार्म के लिये आवेदन-पत्र किस तारीख को दिया गया था और इसकी मन्जूरी किस तारीख को दी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) हाजी मस्तान मिर्जा को 20 जुलाई 1969 को, सीमा-शुल्क के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 25 जुलाई 1969 को, जमानत पर छोड़ दिया गया था।

(ग) और (घ) : हाजी मस्तान मिर्जा, फातिमा मंजिल, दुकान संख्या 3, एस० एस० मुसाफर-खाना, बम्बई, ने अपनी बहन और बहनोई से मुलाकात करने के उद्देश्य से थाना जाने के लिये "पी" फार्म सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने के लिए 7 अगस्त 1969 को रिजर्व बैंक के पास प्रार्थना-पत्र भेजा था। उन्होंने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक सांविधिक घोषणा-प्रपत्र भी भेजा था। रिजर्व बैंक ने उनका प्रार्थना-पत्र 8 अगस्त 1969 को मंजूर कर लिया था। 'पी' फार्म सम्बन्धी स्वीकृति देते समय रिजर्व बैंक को इस बात का पता नहीं था कि श्री मिर्जा गिरफ्तारी के बाद, जमानत पर रिहा किये गये हैं।

राजस्थान के बीकानेर जिले में मौतें

6191. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में 1969 में विभिन्न बीमारियों के कारण लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बीमारियां, अकाल और भूख के कारण फैली थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचार कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है, प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान के स्वर्णकार संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

6192. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के स्वर्णकार संघ ने सरकार को अपनी मांगों के बारे में एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1 महीने के उपरान्त भी उस ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, विशेषकर जबकि संघ ने सत्याग्रह आरम्भ करने की धमकी दी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : राजस्थान प्रदेश स्वर्णकार संघ ने राजस्थान तथा दिल्ली में विभिन्न प्राधिकारियों के नाम दो छपे परिपत्र जारी किये थे, जो अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के वाराणसी सम्मेलन में पारित संकल्पों के सिलसिले में प्रतीत होते हैं। इन परिपत्रों में मोटे तौर पर वही मुद्दे उठाये गये थे जो कि उक्त संकल्पों में थे। इन मुद्रित परिपत्रों की प्रतिलिपियां वित्त मन्त्रालय में फरवरी 1970 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुई थी। ऊपर बताये गये संकल्पों/पत्रों में उठाये गये मुद्दों पर पहले भी विचार किया गया था और उनकी एक बार फिर से जांच की गयी है। जो मांगें की गयी हैं उनमें से कुछ का संबंध राज्य सरकार से है। कुछ अन्य मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है। परन्तु, उन मुद्दों के संबंध में आवश्यक

कार्यवाही की जा रही है जिनमें स्वत: नियोजित स्वर्णकारों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देना सम्भव पाया गया है ।

त्रिवेन्द्रम में हुए राजनीति शास्त्र सम्मेलन में केरल के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्त विचार

6193. **श्री अदिचन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में त्रिवेन्द्रम में हुए राजनीति शास्त्र सम्मेलन में केरल के मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये इस आशय के विचारों की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार की वास्तविक जिम्मेदारियों की किसी भी परिभाषा के अनुपात की तुलना में आर्थिक शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीयकरण है जबकि राज्यों की आर्थिक शक्तियां इनकी स्पष्ट जिम्मेवारियों की तुलना में बहुत ही कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार संविधान के उन वर्तमान उपबन्धों को कुल मिलाकर पर्याप्त समझती है जिनके अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय प्रबन्धों का नियमन किया जाता है ।

राष्ट्रीय बैंकों की समन्वय समिति की बैठक

6194. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की समन्वय समिति की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ख) केरल, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लघु-उद्योगों को ऋण की सुविधायें देने के लिये इस समिति की हाल में हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय क्या किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : राष्ट्रीयकृत बैंकों की समन्वय समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं ।

(ख) समिति ने अपनी अन्तिम बैठक में छोटे उद्योगों के वित्त प्रबन्ध से संबंधित सामान्य रूप से कुछ पहलुओं पर विचार किया था और उस बैठक में जो निष्कर्ष निकले, वे इस प्रकार हैं :—

(i) बैंकों को यथा सम्भव बिचौलियों की बजाय ऋण लेने वालों के साथ सीधे कारबार करना चाहिये, पर इस संबंध में उन सुस्थापित संस्थाओं को अपवाद माना जा सकता है जिनकी सहायता बैंकों को ऋण लेने वालों आदि का पता लगाने में उपलब्ध हो सकती हो ।

(ii) राज्य सरकारों की सिफारिश पर छोटे हथकरघा कारीगरों को 5000 रुपये तक के ऋण मन्जूर करने में सिद्धान्त रूप में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए; और

(iii) छोटे उद्योगों द्वारा ऋणों के लिये दिये जाने वाले आवेदन-पत्र उसी प्रकार से सरल बनाये जाने चाहिए जिस प्रकार के पत्र भारतीय स्टेट बैंक में इस्तेमाल होते हैं ।

समिति ने खास तौर पर, केरल, मद्रास और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के छोटे उद्योगों के लिये ऋण संबंधी सुविधायें देने के प्रश्न पर अलग से कोई विचार नहीं किया था ।

काकथिया मेडिकल कालेज, बारंगल (आन्ध्र प्रदेश) को मान्यता

6196. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में काकथिया चिकित्सा कालेज, बारंगल को ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल से मान्यता न मिलने के सही कारण क्या हैं;

(ख) इस कालेज का उस्मानिया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य चिकित्सा कालेजों के स्तर पर लाने के लिये सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली मेडिकल डिग्रियों की मान्यता के लिये ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउन्सिल से सरकार नहीं अपितु भारतीय चिकित्सा परिषद अनुरोध करती है। काकतिय मेडिकल कालेज, बारंगल के सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद ने कुछ त्रुटियां बतलायी थीं और वे हैं—कर्मचारियों की कमी, शैक्षिक पलंगों की कमी आदि, उपर्युक्त मेडिकल कालेज के छात्रों को दी जाने वाली उस्मानिया विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० डिग्री की मान्यता के लिये ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउन्सिल को लिखने की बात पर चिकित्सा परिषद तब विचार करेगी जब इन त्रुटियों के दूर किये जाने के बारे में उसे सन्तोषजनक रिपोर्ट मिल जायेगी।

खाद्यों में विटामिन मिलाना

6197. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक देशों में विभिन्न खाद्यों में विटामिनों को मिलाना अब अनिवार्य हो गया है।

(ख) क्या यह भी सच है कि बढ़िया आटे, चीनी तथा कृत्रिम मक्खन (मारगरिन) में कम विटामिन होते हैं;

(ग) क्या हमारे दैनिक खाद्यों में विटामिनों की कमी भारत में होने वाले कुछ रोगों के लिये जिम्मेवार है।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न खाद्यों में विटामिन मिलाने के बारे में कूछ अनिवार्य विधि बनाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां। अमेरिका, ब्रिटेन आदि जैसे कुछ देशों में विभिन्न खाद्यों में विटामिनों को मिलाना अनिवार्य है।

(ख) जी, हां। गेहूँ को पीसते और शुद्ध करते हुए तथा मैदा तैयार करते समय गेहूँ में विद्यमान अधिकतर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। चीनी के साथ भी वही बात है। मारगरिन में अपने

में कोई विटामिन नहीं होते। परन्तु बिकने वाला मारगरिन विटामिन 'ए' द्वारा पुष्ट किया जाता है।

(ग) हमारे दैनिक भोजन में विटामिनों की कमी के कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

(घ) इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) **वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश**, 1946 के अन्तर्गत वनस्पति में विटामिनों का मिलाना अनिवार्य है।

(2) भारत सरकार के एक उपक्रम, माडर्न बेकरीज द्वारा तैयार की जाने वाली डबल रोटियों को विटामिन-लायसिन प्रोमिक्स से पोष्टिक बना दिया जाता है; और

(3) निम्न आय वर्गों में कुपोषण को रोकने के लिये बम्बई में तैयार किये जाने वाले गेहूँ के आटे को भी विटामिनों और धातुओं द्वारा पुष्ट किया जा रहा है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

1963 के पश्चात आत्यावश्यक औषधियों की कीमतों में वृद्धि

6198. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 1963 में अत्यावश्यक औषधियों की कीमतों पर रोक लगाई गई थी, जिसमें यह व्यवस्था थी, कि एक अप्रैल, 1963 को औषधियों की जो फुटकर कीमतें हैं उनमें केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वृद्धि नहीं की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी औषधियों की, एक सूची सभा पटल पर रखेगी जिनकी फुटकर कीमतों में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से वृद्धि की गई है और प्रत्येक औषधि के मामले में कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत औषधि मूल्य (प्रदर्शन तथा नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा अब कीमतों का विनियमन किया जाता है, और यदि हां, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रतिजीवाणु औषधि के लिये क्या फुटकर कीमत निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि कई मामलों में थोक विक्रेता इस आदेश का पालन नहीं करते हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकत्रण में लगने वाला समय और प्रयास, परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) जी हां। नई दवाइयों के विक्रय मूल्य और पुरानी दवाइयों के मूल्यों के पुनरीक्षण, अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये औषध मूल्य (प्रदर्शन एवं नियन्त्रण), आदेश 1966 द्वारा विनियमित हैं। यह आदेश, भारत रक्षा नियमावली के अन्तर्गत जारी किये गये पूर्व आदेशों का प्रति स्थापन है। एण्टीबायोटिक्स जैसी औषधियों के, जो एक ही श्रेणी के हैं और जिन्हें विभिन्न एकक मिर्मित करते हैं, मूल्य एक रूपता आधार पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं। प्रत्येक निर्माण करने वाले यूनिट द्वारा प्रस्तुत की गई लागत दिक्षा और परिवर्तन लागत, पैकजिंग लागत आदि के बारे में कई मानकों को लागू करने के बाद, उस यूनिट से सम्बन्धित मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

(घ) ऐसी कोई शिकायत सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों द्वारा तरल ईंधन का आयात और तेल शोधन कार्य

6199. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के तरल ईंधन का वर्षवार आयात किया गया था;

(ख) इस आयातित तरल ईंधन के उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों द्वारा कितनी मात्रा में तेल शोधन कार्य किया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि उन्होंने जनवरी, 1970 के तीसरे सप्ताह में बैठकें बुलाई थी उसमें विदेशी तेल कम्पनियों के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित थे।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह अनुमान है कि "तरल ईंधन" से तात्पर्य लुब्रीकैन्टस, ग्रीजिज और बिटूमैन के सिवाये सभी पेट्रोलियम उत्पादों से है; तो पिछले तीन वर्षों में केवल विमानन ईंधन (अल्काइलेट्स को शामिल करते हुए), मिट्टी के तेल और ईंधन तेल का आयात किया गया था। आयात का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	(मूल्य करोड़ रुपयों में)
1967	12.85
1968	12.92
1969	25.21

(ख) आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं की कोई सुची तैयार नहीं की जाती है। किन्तु विमानन ईंधन आम तौर पर दोनों सैनिक और असैनिक वायुयानों में इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक और सामान्य उपभोक्ताओं की सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिये विमानन तेल और मिट्टी के तेल का आयात किया गया था।

(ग) पिछले तीन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र की चार तेल शोधनशालाओं ने कच्चे तेल की निम्नलिखित मात्राओं का शोधन किया :—

	मिलियन मीटरी टन
1967	8.1
1968	8.4
1969	8.0

(घ) तीन विदेशी तेल कम्पनियों, अर्थात बर्मा-शैल, एस्सो और कालटैक्स, के दिल्ली स्थित प्रतिनिधियों ने 19 जनवरी 1970 को मंत्री महोदय के साथ हुई बैठक में भाग लिया।

Seprate Pension Cells in Each Ministry

6200. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to form separate Pension Cells in each Ministry and autonomous offices so that the pension papers of the retiring employees could be referred to them before their retirement and amount of pension sanctioned to them after one or two months of their retirement ;

(b) if so, the time by which such a scheme would be implemented ; and

(c) whether Government also propose to direct the Rehabilitation Ministry to dispose of the housing cases of the employees expeditiously so as to ensure that no delay is caused in the payment of pensions and gratuity ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) A revised procedure for sanctioning and payment of pensions has come into force from 1st October, 1969. Under this procedure a retired Government servant will start receiving pension, final or provisional, from the first day of the month following the month of his retirement. The autonomous bodies are free to adopt the revised procedure for sanction of pension of their employees. In view of this there is no need to form separate pension cells.

(c) Under the existing rules pension cases of Government servants need not be held up pending disposal of housing cases by the Department of Rehabilitation.

दिल्ली में खाली बहुमंजिले क्वार्टर

6201. **श्री अचल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नजफगढ़ मार्ग पर तिलक नगर तथा केशवपुर ग्राम के बीच अनेक बहुमंजिले क्वार्टर गत कई वर्षों से खाली पड़े हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये क्वार्टर जरूरतमंद व्यक्तियों को अभी तक नियत नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) टेनमेन्ट अभी दखल के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि क्षेत्र के सामान्य लेवल को ऊंचा करना, पानी की सप्लाई, सड़कों का बनाया जाना, जैसे कई आवश्यक विकास कार्य हैं जिनके अगले 4 से 6 मास में ही पूरा होने की आशा है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने की अनिच्छा

6202. **श्री अचल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के कई डाक्टर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नहीं आना चाहते थे;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से डाक्टर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नहीं आना चाहते थे, यद्यपि उन्हें सहमति पत्र भेजे गये थे;

(ग) अनिच्छुक डाक्टरों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कार्य करने देने की अनुमति न देने के क्या कारण थे;

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत कार्य करने के अनिच्छुक डाक्टरों को 1967 में उनके कार्यों से निलम्बित क्यों किया गया था और उन्हें नियमों के अन्तर्गत मिलने वाला किसी किस्म का भत्ता, कठिनाई के दिनों में कब से नहीं दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल अफसरों की एशोशिएशन द्वारा जनवरी 1965 में दी गई नामों की सूची के अनुसार उन डाक्टरों के नाम जो उस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे, संलग्न सूची में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3181/70]**

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सब राजपत्रित पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित किया गया था और उन पदों के पदाधिकारियों को जिन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुना गया था, उस सेवा में नियुक्त किया गया था। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उन अधिकारियों में से ऐसे अधिकारियों को जिन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया था। अपने पदों पर रहने दिया गया और उन पदों को विशिष्ट रूप से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से बाहर रखा गया था।

(घ) और (ङ) : स्थानान्तरण के आदेशों का उल्लंघन करने के लिये केवल एक डाक्टर को 28 फरवरी 1967 से निलम्बित किया गया और निलंबन आदेशों को बाद में 21 जुलाई 1967 से रद्द कर दिया गया। चूंकि उसने अभी तक इस पद का जहां उसका स्थानान्तरण किया गया था, कार्य-भार संभाला नहीं है, अतः वह कोई वेतन एवं भत्ता नहीं ले सका है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा का गठन

6203. **श्री अचल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रशासन आदि के डाक्टरों को मिलाकर मई, 1963 में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा बनाई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों का उनकी पूर्व सहमति लिये बिना केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में स्थानान्तरण कर दिया गया था, जबकि यह एक नई नियुक्ति थी और उनके नाम जनवरी, 1965 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०-1 (3)-2 (बी)/64-सी० एच० एस० में अधिसूचित किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो स्वायत्त निकायों के डाक्टरों के साथ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में स्थानान्तरण करने में क्या सिद्धान्त अपनाये गये थे; और

(घ) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अब भी किसी रूप में विद्यमान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का निर्माण करने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1963, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा मिली शक्तियों का पालन करते हुये प्रकाशित किये गये थे। उपर्युक्त नियमों के नियम 2 (च) में दी गई परिभाषा के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के मामलों पर उपर्युक्त नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत गठित प्रवर-समितियों द्वारा विचार किया गया था और इस सेवा के विभिन्न वर्गों में नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता निश्चित की गयी थी। तदनुसार उपयुक्त समझे गये अधिकारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न वर्गों में नियुक्त किया गया। प्रतिनियुक्ति पर अथवा कण्ट्रैक्ट के आधार पर सेवा कर रहे कर्मचारियों के अलावा दूसरे कर्मचारियों से विकल्प नहीं लिये गये थे। तथापि उन कर्मचारियों को जो कि, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम, राज्य कर्मचारी बीमा निगम आदि जैसे गैर-सरकारी संगठनों, में कार्य कर रहे थे उन्हें यह विकल्प दिया गया था कि वे सेवा में सम्मिलित हों अथवा नहीं। जो विभागीय प्रत्याशी इस सेवा के प्रारम्भिक गठन में नहीं लिए जा सके थे वे उन्हीं पदों पर कार्य करते रहे जहां उन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया गया था और इस उद्देश्य के लिये उन पदों को इस सेवा से उस समय तक बाहर माना गया जब तक वे उन पदों पर रहे।

(घ) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (जो अब केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना कही जाती है) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित संगठनों में से एक है और यह अभी तक विद्यमान है।

Allopathic Treatment in the Moolchand Khairati Ram Aurvedic Hospital New Delhi

6204. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements for allopathic treatment have also been made in the Moochand Khairatiram Ayurvedic Hospital, New Delhi.

(b) if so, the number of patients, who have been admitted in the said hospital during each month for Ayurvedic and allopathic treatment separately from January, 1969 to February 1970 and the names, designations, qualifications and pay-scales of the doctors, nurses,, compounders, etc. who were working in both the departments during the said period ;

(c) whether it is also a fact that the Ministry of Health, Delhi Administration Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee give grants to the said hospital ;

(d) whether it is also a fact that the said hospital does not publish any annual statement of its income and expenditure ; and

(e) if not, the details of the annual statement of its income and expenditure pertaining to the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) The informations is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi

6205. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the land, medical equipment and building are actually in possession of the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh situated at 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that Netra Sudhar Sangh pays rent to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust for building and equipment ; and

(c) if so, the reasons for payment of rent for their own building and equipments?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का भुगतान

6206. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिल्म कलाकारों की संख्या कितनी है, उनकी वर्तमान वास्तविक आय कितनी है और वे इस समय प्रति वर्ष विभिन्न करों के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे हैं; और

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में कोई जांच की है कि विभिन्न फिल्म कलाकारों द्वारा दिये गये कर उचित हैं अथवा वे उनके वास्तविक आय के अनुपात में बहुत कम हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत में ऐसे कई फिल्म अभिनेता/अभिनेत्रियां हैं, जिन पर विभिन्न आयकर-आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में आयकर निर्धारण किया जाता है। उनके सम्बन्ध में आवश्यक सूचना केवल तब ही इकट्ठी की जा सकती है जबकि कर-निर्धारण सम्बन्धी बहुत सारे रिकार्डों की छान-बीन को जाय और इसमें काफी समय तथा श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी खास अभिनेता/अभिनेत्री अथवा अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के बारे में सूचना चाहते हों तो वह विधिवत प्रस्तुत की जायगी।

(ख) सरकार ने हाल में कोई जांच-पड़ताल नहीं की है। किन्तु फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के बारे में समुचित कर-निर्धारण करने के मामले में पूरा ध्यान रखा जाता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, भिवांडी के सुपरिन्टेंडेंट के विरुद्ध आरोपों की जांच

6207. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मन्त्री 8 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच अधिकारी द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, भिवांडी के सुपरिन्टेंडेंट के विरुद्ध आरोपों की जो जांच की गई थी और जिसका प्रतिवेदन केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया था, उसके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता पूना द्वारा मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिये भेजा गया था। इस सलाह को पाने के बाद और आयोग की सहमति से समाहर्ता द्वारा मामला समाप्त कर दिया गया है।

कृषि आयकर की वस्तुओं के रुप में वसूली

6208. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आयकर नकद धन की बजाय वस्तुओं के रूप में वसूल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : कृषि-आयकर लगाना राज्य-सरकारों का विषय है। इसलिए, यह प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सरुइनिसार झील में तेल निकालने का कार्य

6209. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : **श्री श्रीचन्द गोयल** :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा** धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जम्मू क्षेत्र में सुरम्य सरुइनिसार झील में तेल निकालने का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में सर्वाधिक मात्रा में तेल निकालने वाले क्षेत्रों में यह क्षेत्र शामिल है;

(ग) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा; और

(घ) तेल निकालने के कार्य पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्थिति में इस संरचना में तेल या गैस की विषमानता के बारे में कुछ निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता।

(ग) कुएं के व्यधन कार्य के पूरा होने में लगभग 18 महीने लगने की आशा है।

(घ) व्यधन परिचालनों पर लगभग एक करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास

6210. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में ऐसे कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं जो सामान्य शर्तों पर सरकारी आवास के हकदार हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास प्राप्त हैं;

(ग) कितने कर्मचारियों के नाम प्रतीक्षा सूची में तीन वर्षों या इससे अधिक समय से हैं; और

(घ) क्या दरों से अन्तर्गत दिये जाने वाले किराये से वास्तव में उनको अधिक जो किराया देना पड़ता है, उसके लिए उनको प्रतिकर दिया जाता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 20,347

(ख) 1,422

(ग) 18,925

(घ) जी, नहीं ।

आयकर अधिकारियों के वर्ग

6211. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1969 को आयकर विभाग में कितने आयकर अधिकारी सेवा में थे;

(ख) क्या आयकर अधिकारियों का कोई वर्गीकरण अथवा श्रेणियां हैं और यदि हां, तो उसका आधार क्या है और उनकी उपलब्धियों में क्या अन्तर है और वे किस प्रकार का कार्य करते हैं; और

(ग) 31 मार्च, 1969 को प्रत्येक श्रेणी अथवा वर्ग में कितने अधिकारी थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 2,464

(ख) आयकर अधिकारी, दो केन्द्रीय सेवाओं में से लिये जाते हैं। ये दो सेवायें हैं। आयकर सेवा श्रेणी I तथा आयकर सेवा श्रेणी II श्रेणी I सेवा में आयकर अधिकारियों का वेतन मान रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 है। श्रेणी I सेवा में इस वेतन मान से ऊपर, सहायक आयुक्तों के लिए तथा उनके बाद आयकर आयुक्तों के लिए उच्चतर वेतनमान होते हैं। श्रेणी II सेवा में आयकर अधिकारियों का वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-द० रो० -30-800-द० रो०-30-830-35-900 है। श्रेणी II के योग्य अधिकारियों को, कालान्तर में आयकर सेवा श्रेणी I में पदोन्नत कर दिया जाता है। तब उनका वेतन नियमानुसार उस सेवा में उपयुक्त स्तर पर नियत कर दिया जाता है और फिर उनके मामले में श्रेणी I का वेतनमान लागू हो जाता है।

वेतन-मानों में रखे गये अन्तर का आधार वही होता है जो कि एक ही विभाग या संगठन में विभिन्न सेवा श्रेणियों के निर्माण का होता है। प्रत्येक विभाग में ऐसा काफी कार्य होता है जो कि केवल श्रेणी II के अधिकारियों को ही सौंपा जाना उचित होता है। यह कार्य काफी कठिन और जिम्मेदारी का होता है जिसे श्रेणी III के अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता। फिर भी यह कार्य ऐसा नहीं होता जिसे केवल ऐसे उच्च योग्यता प्राप्त और विशेष प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकें, जो श्रेणी I की सेवा में रखे जाते हैं। श्रेणी II की सेवा का ऐसे अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग

के हितों की दृष्टि से और भी अधिक औचित्य है जिन्हें सीधे ही श्रेणी I में पदोन्नत नहीं किया जा सकता लेकिन जो सेवा के मध्यवर्ती स्तर की पदोन्नति पाने के योग्य हैं।

जहां तक कार्य के स्वरूप का संबंध है, श्रेणी I तथा श्रेणी II, दोनों श्रेणियों के अधिकारी आयकर अधिनियम के, समानरूप से शक्तियां प्राप्त करते हैं। अन्तर, कार्य के महत्व में ही पड़ता है। श्रेणी I के अधिकारियों को आम तौर से महत्वपूर्ण वार्ड और मामले ही सौंपे जाते हैं। लेकिन, पहले परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण काल के दौरान, उन्हें कम महत्व का कार्य भी सौंपा जाता है ताकि उच्चतर श्रेणी के कार्य के लिये दक्षता हासिल कर सकें। श्रेणी II के अधिकारियों को, श्रेणी I के अधिकारियों की कमी जैसी सेवा की कुछ अपरिहार्यताओं को छोड़, कम महत्व के वार्ड और मामले ही सौंपे जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी, महत्वपूर्ण कार्य के लिए श्रेणी II से चुने गये अधिकारी काफी वरिष्ठ तथा विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए विशेष स्थान रखने वाले होते हैं। उस अवस्था में, श्रेणी II के अधिकारियों को सामान्यतः अपने ही वेतनमानों के उच्चतर स्तरों का वेतन मिलता है और वे वस्तुतः श्रेणी I के कनिष्ठ अधिकारियों से अधिक वेतन ले रहे हैं।

(ग) 31 मार्च 1969 को, आयकर सेवा श्रेणी I के आयकर अधिकारियों की संख्या 662 और आयकर सेवा श्रेणी II के आयकर अधिकारियों की संख्या 1802 थी।

कोलार सोना खान उपक्रम

6212. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार सोना खान उपक्रम के प्रबंधकों ने इमारती लकड़ी मिस्त्रियों द्वारा जो अधिक कार्य होने की शिकायत पर कार्य का विभाजन करने को मांग कर रहे हैं और धीमे कार्य करों की नीति अपना रहे हैं, के कारण 16 दिसम्बर, 1969 को नूनडाईड्रंग खान को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस खान में कार्य आरम्भ हो गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : इमारती लकड़ी का काम करने वालों, स्टफमैनों और अन्य वर्गों के कामगरों के द्वारा 6 दिसम्बर, 1969 से गैर-कानूनी हड़ताल किये जाने के बाद कोलार स्वर्ण खान उपक्रमों के प्रबन्धकों ने 16 दिसम्बर, 1969 से नन्दीदुर्ग की खान में तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी। नन्दीदुर्ग खान मजदूर संघ (नन्दीदुर्ग माईन लेबर एसोसिएशन) द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि कामगर हड़ताल खोल देंगे और सामान्य काम शुरू कर देंगे, 23 दिसम्बर, 1969 से तालाबन्दी समाप्त कर दी गयी। परन्तु, इमारती लकड़ी का काम करने वालों और स्टफमैनों ने हड़ताल जारी रखी और प्रबन्धकों ने 29 दिसम्बर 1969 से फिर से तालाबन्दी कर दी। अन्ततः 5 जनवरी, 1970 को तालाबन्दी समाप्त कर दी गयी। सरकार को स्थिति की जानकारी बराबर दी जाती रही थी।

(ग) नन्दीपुर खान के कामगरों ने 5 जनवरी, 1970 की प्रातः से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया था।

चलचित्र उद्योग में कर-निर्धारण के अनिर्णीत मामले

6213, **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 को चलचित्र उद्योग में कर-निर्धारण तथा पुनः कर-निर्धारण के कितने ऐसे मामले अनिर्णीत पड़े हैं, जिनमें सरकार द्वारा तलाशी ली गई है तथा माल को जब्त किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1969 को कुछ मामले जिनमें 1 जनवरी 1966 और मार्च 1969 के बीच तलाशियां ली गई थीं; अनिर्णीत पड़े थे;

(ग) यदि हां, तो कर-निर्धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा इतने विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं।

(घ) क्या कर-निर्धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा तीन-चार वर्ष से अधिक अवधि के कर निर्धारण के मामलों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो 1966 से अब तक इतने अत्याधिक विलम्ब के कारण कितने अधिकारियों को दंड दिया गया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) सभी कर-निर्धारण निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही पूरे किये जाते हैं और यदि कर-निर्धारण उस अवधि के अन्दर पूरे कर लिये जाते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें अत्याधिक विलम्ब हुआ है। फिर भी, कर-अपवंचन के मामलों की विस्तृत जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होती है जिसमें साक्ष्य इकट्ठा करना, लेखाओं तथा गवाहों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। इसमें समय तो लगता ही है।

(घ) कर-निर्धारण-वर्ष 1967-68 तथा उससे पहले के वर्षों के संबंध में कर-निर्धारण को 4 वर्षों के अन्दर पूरा करने के लिये आय-कर अधिनियम में उपबन्ध किया गया है। 1968-68 के संबंध में कर-निर्धारण तीन वर्षों के अन्दर पूरा किया जाना है तथा 1969-70 और उसके बाद के वर्षों से संबंधित कर निर्धारण दो वर्षों के अन्दर पूरे किये जाने हैं। यदि कोई अधिकारी कानून के अनुसार कर निर्धारण कार्यवाही पूरी कर लेता है तो उस पर किसी प्रकार के दंड लगाने का प्रश्न नहीं उठ सकता।

(ङ) यदि कोई अधिकारी आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कर निर्धारण पूरा करने में असफल रहता है तो नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। जिन अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही की गई है उनकी संख्या संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन द्वारा पालिसीधारिया को नकद ऋण देने में विलम्ब

6214. **श्री एम० एस० जोशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन द्वारा पालिसी धारियों को उनकी पालिसियों पर नकद ऋण दिये जाने में बहुत समय लग जाता है;

(ख) जीवन बीमा पालिसियों पर ऋण के लिये जनवरी महीने में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) इनमें से (1) कितने आवेदनों के उत्तर जनवरी में दिये गये (2) कितने मामलों में जनवरी में ही ऋण दे दिया गया (3) 26-3-70 को उनमें से कितने आवेदन अनिर्णीत पड़े थे; और

(घ) आवेदन कर्त्ताओं को उनकी जीवन बीमा पालिसियों पर ऋण देने के कार्य में शीघ्रता लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं। नकद ऋण, भरी गयी दरख्वास्तों के मिलने की तारीख से औसतन 7 अथवा 8 दिन के अन्दर दिये जाते हैं।

(ख) 5,118

(ग) (i) 3,694

(ii) 1,231

(iii) कुछ नहीं।

(घ) जीवन बीमा पालिसियों पर ऋण के लिये दी गयी दरख्वास्तों पर जीवन बीमा निगम सतत पर्यवेक्षी नियंत्रण रखता है।

जीवन बीमा निगम के दिल्ली सर्किल द्वारा पालिसीधारियों के पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब

6215. **श्री एस० एम० जोशी : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम, दिल्ली सर्किल द्वारा पालिसीधारियों के पत्रों के उत्तर देने में बहुत विलम्ब किया जाता है;

(ख) जीवन बीमा निगम दिल्ली सर्किल में जनवरी, 1970 के महीने में पालिसियों पर मिल सकने वाले ऋण की राशि की पूछताछ करने के लिये कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ग) 1970 के जनवरी महीने में कितने पत्रों का उत्तर दिया गया; और

(घ) जीवन बीमा निगम दिल्ली सर्किल में अभी तक कितने पत्र लम्बित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं। जब कभी रिकार्ड समय पर उपलब्ध नहीं होते अथवा उसके अधिक कर्मचारी छुट्टी पर होते हैं तो पत्रों के उत्तर देने में विलम्ब हो ही जाता है;

(ख) 5,118

(ग) 3,694

(घ) कोई नहीं।

साइन सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली के श्री योगराज चव्हाण द्वारा आयकर का भुगतान

6216. **श्री रा० बरुआ : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइन सेल्स कारपोरेशन के प्रबन्धक साझीदार श्री योगराज चव्हाण ने गत तीन वर्षों में 31 मार्च 1969 तक कितना आयकर दिया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उसने बम्बई और कलकत्ता में ऊंचे दामों पर कई कारखाने तथा कार्यालय खरीदे तथा बनाए हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग ने उक्त कम्पनी और इसके साझीदारों की आय के साधनों का पता लगाने के लिये कोई जांच की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) श्री योगराज चव्हाण ने कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1969-70 के लिये, अग्रिम-कर तथा स्व-निर्धारण पर कर के रूप में कुल 38,829 रुपये का कर अदा किया है।

(ख) ऐसी कोई सूचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) सभी कर-निर्धारण लेखा-पुस्तिकाओं तथा अन्य संगत साक्ष्य की छान-बीन करने के बाद ही पूरे किये जाते हैं। यदि कर-अपवंचन के आरोप लगाये जाते हैं, तो विस्तृत जांच-पड़ताल की जाती है। कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1969-70 के लिये फर्म तथा भागीदारों का कर-निर्धारण अभी पूरा होना बाकी है।

राज्यों में वेतन आयोग स्थापित करने के लिये सहायता

6217. **श्री मुरासोली मारन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त राशि आवंटन करने का एक कारण राज्य सरकारों द्वारा वेतन आयोगों की नियुक्ति है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार को अतिरिक्त राशि आवंटित न करने के क्या कारण है जबकि राज्य सरकार ने पहले ही एक वेतन आयोग की स्थापना कर दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : पांचवें वित्त आयोग ने वेतन-पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्यों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए जो प्रणाली अपनाई है वह आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ 6.13 में बतायी गयी है। जैसा कि उसमें सूचित किया गया है, वित्त आयोग ने यह बात ध्यान में रखी है कि जिन राज्यों में वेतन-आयोग स्थापित किये जा चुके हैं उन पर वेतन-आयोग की सिफारिशों का अनुमानतः क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, मालूम हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने जिस समय वेतन आयोग स्थापित किया उस समय वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था।

मद्रास में केन्द्रीय सरकार के विभागों पर मद्रास निगम की बकाया राशि

6218. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालयों पर मद्रास नगर निगम को सेवा शुल्क और अथवा उनके भवनों पर सम्पत्ति-कर की बड़ी राशि बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो इन दावों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

साइन सेल्स कारपोरेशन बम्बई और दिल्ली द्वारा आयकर का भुगतान

6219. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० एस० चव्हाण, विक्रय निदेशक, साइन सेल्स कारपोरेशन, बम्बई और दिल्ली ने न तो गत कई वर्षों से अपना आयकर विवरण प्रस्तुत किया है और न ही अपना आयकर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय उनसे कितना आयकर लेना शेष है और गत तीन वर्षों में उन्होंने कितना आयकर दिया है; और

(ग) क्या इस कम्पनी अथवा चव्हाण के विरुद्ध करापवंचन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्तमान समय श्री आर० एस० चव्हाण की ओर कुछ भी आयकर बकाया नहीं है । पिछले तीन वर्षों के लिये उनके द्वारा अदा की गई आयकर की रकम नीचे बताई गई है :—

कर निर्धारण वर्ष	अदा किये गये कर की रकम (रु०)
1967-68	8,772
1968-69	12,978
1969-70	16,858

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली के सोहन गंज और सब्जीमंडी क्षेत्र में कारखाने

6220. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासन द्वारा नियत कार्य-काल के विपरीत बहुत से कारखाने सारी रात, विशेषकर छुट्टी अथवा रविवार वाले दिन से पहले की रात में, कार्य करते रहते हैं जिनसे दिल्ली के सोहन गंज और सब्जीमंडी दोनों के निवासियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में रात्रि के समय कई गाड़ियां खड़ी की जाती हैं जिसके कारण एक बीमार को गाड़ी में अस्पताल ले जाना कठिन हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पेंशन भोगियों को मंहगाई भत्ता

6221. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पेंशन के रूप में महंगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि का कितना अनुपात सेवा कर रहे कर्मचारियों को दिया गया है।

(ख) 200 रुपये और इससे कम पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों को कार्य कर रहे कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान राज्य सरकारो के पेंशन भोगियों का पेंशनों में तदर्थ वृद्धि देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : सीमान्त समायोजनों सहित 200 रु० मासिक तक की पेंशन पाने वाले पेंशनरों के संबंध में हाल ही में मंजूर की गई वृद्धि, पहले मंजूर की गई इसी तरह की वृद्धियों के समान ही, एतदर्थ किस्म की वृद्धि है और वह सेवारत कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते से संबद्ध नहीं है। सेवारत कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते सम्बन्धी उस सूत्र पर आधारित है जिसकी गजेन्द्रगडकर आयोग ने सिफारिश की और जिसमें जीवन निर्वाह व्यय की वृद्धियों को हिसाब में लिया जाता है।

(ग) राज्य सरकारों के पेंशनरों को एतदर्थ भत्तों की मंजूरी एक ऐसा मामला है जो पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य बीमे के लाभप्रद भाग का राष्ट्रीयकरण

6222. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामान्य बीमे के केवल लाभप्रद भाग, जैसे अग्नि बीमे और मोटर गाड़ियों के तीसरे पक्ष वाले बीमे का फिलहाल राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है, जैसा कि केरल तथा मैसूर राज्य सरकारों ने किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव का सही ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) तथा (ख) : माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि ऐसे मामलों में, सरकार द्वारा आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में किसी प्रकार की सूचना देने का रिवाज नहीं है ; ऐसी सूचना देना वांछनीय भी नहीं है।

ईरान में अमोनिया बनाने के लिये भारत और ईरान के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम पर मत भेद

6223. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान में तरल अमोनिया बनाने के लिये भारत तथा ईरान के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के आकार तथा उसकी क्षमता के प्रश्न पर दोनों देशों में बड़े मतभेद उत्पन्न हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे मतभेद क्या है और वे कितने बड़े हैं : और

(ग) उन मतभेदों को समाप्त करने और इस योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : अमोनिया के उत्पादन के लिये ईरान में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना का अध्ययन करने के लिये ईरान सरकार और भारत सहमत हो गये हैं। एक संयुक्त कार्यकारी दल ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट अभी तक दोनों सरकारों के परीक्षणाधीन है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया मद्रास सर्किल के पंचाट के अन्तर्गत आने वाले; और पंचाट के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारियों द्वारा पद त्याग

6224. **श्री दण्डपाणि** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से 31 दिसम्बर, 1969 की अवधि में पंचाट के अन्तर्गत आने वाले और पंचाट के अन्तर्गत न आने वाले कितने कर्मचारियों ने स्टेट बैंक आफ इंडिया, मद्रास सर्किल से पद त्याग कर दिया है ;

(ख) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों के उपदान, भविष्य निधि आदि का हिसाब किताब पूरा कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में और ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : पहली जनवरी 1967 से 31 दिसम्बर, 1969 तक की अवधि में, पंचाट के अन्तर्गत आने वाले 69 कर्मचारियों ने तथा पंचाट के अन्तर्गत न आने वाले 7 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया।

(ख) और (ग) : पंचाट के अन्तर्गत आने वाले 56 कर्मचारियों तथा पंचाट के अन्तर्गत न आने वाले 6 कर्मचारियों के उपदानों, भविष्य निधि आदि का हिसाब-किताब पूरा कर दिया गया है।

(घ) : पंचाट के अन्तर्गत आने वाले जिन 13 कर्मचारियों का हिसाब-किताब नहीं किया गया है, उनमें से एक कर्मचारी के मामले पर विचार किया जा रहा है और शेष 12 कर्मचारियों ने अपने हिसाब-किताब के निपटारे के लिए आवेदन-पत्र नहीं भेजे हैं। जहां तक पंचाट के अन्तर्गत न आने वाले एक कर्मचारी का सम्बन्ध है, उसने अपने हिसाब-किताब के निपटारे के लिए आवेदन-पत्र नहीं दिया है।

Loans for Solving Housing Problems in Ladakh

6225. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of loans or aid granted so far for solving the housing problem in Ladakh ;

(b) whether any proposal for increasing the amount of aid in future is under consideration of Government ; and

(c) If so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) The information asked for is not available, as details of the utilisation of funds area-wise in each State are not maintained by the Government of India. General Assistance for various development programmes (including Housing) is allocated to the State Governments for utilisation in various parts of the States in their discretion.

(b) and (c) : The question does not arise.

जापानी प्रतिनिधि मण्डल के साथ बातचीत

6226. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान प्रतिनिधिमंडल हाल में प्रधान मंत्री से मिला था और उसने "समाजीकरण" के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा था; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जापानी व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल ने, जो दिसम्बर, 1969 में भारत आया था, शिष्टाचार के नाते, प्रधान मंत्री से नयी दिल्ली में भेंट की थी। बैंक राष्ट्रीयकरण के बारे में सामान्य रूप से बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसी बातचीत से परिणाम निकलने की कोई सम्भावना नहीं होती।

भारत में स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा बाहर धन प्रेषण

6227. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 तक गत तीन वर्षों में विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियों ने देशवार तथा कम्पनीवार कितनी धनराशि विदेशों में भेजी ; और

(ख) विदेशी कम्पनियों की कम्पनीवार भारतीय सहायक कम्पनियों द्वारा विदेशों को न भेजी गई कितनी राशि को उक्त अवधि में पुनः उसी कम्पनी में विनियोजित किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें 1967-68 और 1968-69 में विदेशी नियन्त्रणाधीन समझी जाने वाली रुपया कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजी जाने वाली लाभांश की रकमों का देशवार ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3182/70]**

मार्च 1969 के बाद की ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। विदेशी नियंत्रणाधीन जिन रुपया कम्पनियों के बारे में सूचना दी गयी है, उनमें विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियां भी शामिल हैं।

अलग-अलग कम्पनियों से सम्बद्ध जानकारी गोपनीय रखी जाती है और वह प्रायः प्रकट नहीं की जाती।

विदेशी नियंत्रणाधीन रुपया कम्पनियों द्वारा अधिकार-शुल्क और तकनीकी जानकारी शुल्कों के रूप में बाहर भेजी गयी रकमों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पर यह सूचना उन सभी कम्पनियों के बारे में उपलब्ध है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, जिन्होंने विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग करार किये हैं।

(ख) : विदेशी नियंत्रणाधीन रुपया कम्पनियों द्वारा भारत में रखे गये कुल लाभ के बिल्कुल हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे 1966-67 के वर्ष के सम्बन्ध में हैं और ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के अपने मासिक बुलिटने के अगस्त 1969 के अंक में प्रकाशित "1966-67 और 1967-68 में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश सम्बन्धी स्थिति" नामक लेख की सारणी 3.4 में दिये गये हैं। इस अवधि में मोटे-मोटे 5 औद्योगिक समूहों की विदेशी नियंत्रणाधीन कम्पनियों द्वारा रखे गये लाभ की रकमें ये थी :—

औद्योगिक-समूह	**करोड़ रुपये**
बगान	0.4
खनन	–
पेट्रोलियम	–2.9
उत्पादन	17.2
सेवाएं	0.2
जोड़ :	14.9

1966-67 के बाद की ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है। इन रकमों में से उसी कम्पनी में वापस लगायी गयी रकमों और इन कम्पनियों द्वारा चालू वर्ष में या पहले के वर्षों में रखे गये लाभ की रकमों की अन्य भारतीय कम्पनियों के शेयरों में लगाये जाने के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो फण्ड-बैंक आर्डनेन्स के अधीन भारत में विदेशी निवेशों का सर्वेक्षण करने के लिए ऐसी सामग्री इकट्ठी करता है, भारतीय कम्पनियों को आश्वासन दिया है कि इस प्रकार प्राप्त सामग्री को गोपनीय रखा जायगा।

Transfer of Electric Meter Security Already Deposited on Allotment of New Quarters

6228. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sum of .Rs.25/- deposited as security of electric meter by a Member of Parliament for installing the same in his servant quarter is not transferred when he is allotted another servant quarter in exchange but is required to deposit the same amount again;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to transfer the meter security at the time of change of quarter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The New Delhi Municipal Committee has informed that the security deposit is personal to the consumer who has paid it, as well as specific to the premises against which it is made. Secondly, the electricity consumption charges upto the date of disconnection of the meter, and arrears if any, are to be adjusted out of security at the time when the bill for that period is issued.

(c) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाये जाने के बारे में/प्रक्रिया)

RE. CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (PROCEDURE)

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पहली बात तो यह है कि नियम 197 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण सूचना अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय के बारे में होना चाहिए किन्तु आपने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है अतः इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। दूसरी बात यह है कि इस विषय पर चर्चा आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा में होनी चाहिए। प्रस्तुत विषय पर चर्चा करना हमारे लिए अनधिकार चेष्टा होगी। यह उचित नहीं है कि हम किसी विधान सभा विशेष की लोक लेखा समिति पर चर्चा की जाये, जबकि हमारी अपनी लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तीसरे इसमें कोई केन्द्रीय राजस्व भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है अतः इस बात पर आप पुनः विचार करे। मेरे विचार से यहां पर देश में घटने वाली दर घटना पर विचार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : उक्त विषय पर निर्णय करते समय मैंने इन सभी बातों पर विचार किया था। मैं समझता हूं कि उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्त्व का है। इसका सम्बन्ध 3·77 करोड़ रुपये से हैं और यदि आप इस पर ध्यान देंगे, तो, भुगतान के सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है, उसे कुछ हद तक रोका जा रहा है।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : इसी विषय पर मैंने 19 दिन पूर्व एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव के लिए सूचना दी थी किन्तु उस समय उसे स्वीकार नहीं किया गया था। यदि इस बार बैलट में हमारा नाम था तो इसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन 30 से 35 तक प्रस्ताव होते हैं। उनमें से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण

होते हैं और कुछ महत्त्वपूर्ण होते हैं। कुछ के स्वीकार कुछ को अस्वीकार किया जाता है और कुछ को विचाराधीन रखा जाता है। फिर भी मैं इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ करूंगा कि मामला क्या है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना जाना

Calling Attention to Matter of Urgent of Public Importance

उर्वरकों के परिवहन के केन्द्रीय राजस्व से मिथ्या भुगतान

श्री पें० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : श्रीमान् मैं नियम 197 के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस विषय में एक वक्तव्य दें :

"उर्वरकों के परिवहन के लिए केन्द्रीय राजस्व से "3.77 करोड़ रुपए का मिथ्या भुगतान" जिसका आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल की लोक लेखा समिति के, दिनांक 16 मार्च, 1970 के तीसरे प्रतिवेदन में रहस्योद्घाटन किया गया है।"

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : किसानों को समय पर उर्वरकों की आपूर्ति करने की व्यवस्था करना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त वितरण पद्धति का विकास करना, राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार आयातित उर्वरकों से वितरण का कार्य सहकारिताओं को विभागीय एजेन्सियों या गैर-सरकारी विक्रेताओं को जिसे वह ठीक समझे, सौंप सकती है। केन्द्रीय सरकार का दायित्व राज्य की कुल उर्वरक की आवश्यकताओं को देशीय उत्पादन या आयात द्वारा पूरा करने तक ही है।

2. राज्य सरकार को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दिशा में सहायता देने के लिए, भारत सरकार ने बन्दरगाहों से, माल डिब्बों की तत्काल अनुपलब्धि की स्थिति में, सड़क परिवहन के प्रयोग की अनुमति दे दी है। हालांकि गाड़ी की अपेक्षा सड़क-परिवहन से उर्वरक लाने में अधिक लागत आती है, फिर भी किसानों को समय पर उर्वरक सप्लाई करने को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार राज्य सरकार को कर देती है।

3. आन्ध्र प्रदेश विधान-सभा की लोक लेखा समिति की तृतीय रिपोर्ट में राज्य में उर्वरक परिवहन की कुछ अनियमितता का उल्लेख किया गया है। वहां बताया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, 1966-67 से 1968-69 के तीन वर्षों में राज्य सरकार ने सहकारिताओं को परिवहन प्रभार के रूप में 3.77 करोड़ रुपये दिए हैं और यह विश्वास करने में कुछ आधार थे कि इन अदायगियों में अनियमितता थी। समिति ने सड़क-परिवहन की अदायगियों के ऐसे उदाहरण दिये हैं जब कि सम्बन्धित उर्वरक का परिवहन तो किया गया प्रतीत नहीं होता, लेकिन परिवहन-प्रभार के बिलों में उसका उल्लेख है। समिति ने चार जिलों की सहकारी समितियों द्वारा दिये गये 18.5 लाख रुपये के बिलों के उदाहरण भी दिये हैं, जिनकी अदायगी राज्य सरकार ने इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें झूठी मांगें की गई थीं। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, इन मांगों की जांच के लिए पुलिस को आदेश दे दिए गये हैं।

4. यद्यपि रिपोर्ट से यह प्रतीत नहीं होता है कि वर्ष 1666-69 के दौरान 3.77 करोड़ रुपये या इसका एक बड़ा भाग नकली बिलों के आधार पर अदा किया गया था, जैसा कि ध्यानाकर्षण सूचना में

आरोप लगाया गया है। समिति ने नोट किया है कि राज्य की सी० आई० डी० को सब संदेहात्मक दावेदारों के मामलों की जांच करने के लिये कहा गया है लेकिन इस मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से पूरी जांच के लिये सिफारिश भी की गई है।

5. माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि दावों की अधिप्रमाणिति की जांच करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा दिये गये सत्यता के प्रमाणपत्र के आधार पर राज्य सरकार को परिवहन व्यय देती है। राज्य पुलिस पहले ही इस मामले की जांच कर रही हैं। भारत सरकार को राज्य सरकार की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जिसमें कहा गया है कि मामले की जांच पहले ही की जा रही है और अगली रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया गया है। अगली रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच करने के लिये आदेश दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

श्री पें० वेंकटसुब्बया : श्रीमान्, इस सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को हंसी में ही टाल दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि धन किस प्रकार से एठों गया और उर्वरकों के बिना परिवहन के ही रुपये लिया गया। प्रतिवेदन में एक स्थान पर लिखा है कि उर्वरक के परिवहन का ठीक तरीका नहीं अपनाया गया। समीस्थ बन्दरगाह पर उर्वरक उतरवाने के बजाय उन्होंने दूरस्थ बन्दरगाह पर वह माल उतरवाया। इस कम्पनी की लोक लेखा समिति ने कड़े शब्दों में निन्दा की है। तत्कालीन कृषि मंत्री ने "सौभाग्य फर्टीलाइजर्स" नामक खाद मिश्रण तैयार करने वाली फर्म को उर्वरक का नियतन करने में विशेष रुचि ली। उर्वरक-वितरण सम्बन्धी नीति को जान-बूझकर दोषपूर्ण बनाया गया। अधिकांश मामलों में उर्वरक नियतन की स्वीकृति स्वयं तत्कालीन कृषि मंत्री ने दी। उक्त फर्म ने राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को धोखा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उर्वरक वितरण-सम्बन्धी नीति नित्य परिवर्तित होती रहती है और इसी कारण प्रत्येक राज्य के लिए यह नीति भिन्न भिन्न बन गई है। क्या उर्वरक- वितरण सम्बन्धी यह नीति केन्द्रीय आदेशों के अनुसार निर्धारित की गई है सहकारी समितियों को समाप्त किया गया। गैर सरकारी व्यापारियों को बुलाया गया। उर्वरक को बन्दरगाह पर ही बेच दिया गया था और वह किसानों तक नहीं पहुँच पाया।

उर्वरक के परिवहन में इन अनियमितताओं को देखते हुए क्या सरकार उक्त मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश देगी और राज्य सरकार से आग्रह करेगी कि वह सम्बद्ध मंत्री से त्यागपत्र मांगे क्योंकि इस बात की आशंका है कि अपने पद पर रहते हुए वह जांच-कार्यवाही में हस्त क्षेप करेगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : मन्त्री महोदय का नाम क्या है?

श्री पें० वेंकटसुब्बया : श्री थीमा रेड्डी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वितरण और नामों के चयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इन बातों पर राज्य सरकार से बातचीत की जा सकती हैं। जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने का सम्बन्ध है राज्य सरकार ने पहले से ही जांच के लिए आदेश दे दिया है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : स्वतन्त्र दल का प्रारम्भ से ही यह विचार रहा है कि परमिट कोटा लाइसेंस राज भ्रष्टाचार का आधार तैयार करना है। वहां भ्रष्ट व्यापारियों भ्रष्ट अधिकारियों

और भ्रष्ट राजनितिज्ञों का बोलबाला रहता है । इस प्रतिवेदन से यह बात पुष्ट होती है । वक्तव्य में कहा गया कि केन्द्रीय की जिम्मेदारी राज्य बिशेष की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकता को आयातित या देशी उर्वरक से पूरा करना है। आवश्यकता-पूर्ति का अर्थ क्या है ? क्या ऐस व्यक्तियों के नाम जिनका नाम रजिस्टर्ड भी नहीं है उर्वरक का कोटा नियत करना ही इसका अर्थ या इसका अर्थ यह है कि उर्वरक का परिवहन वितरण ठीक प्रकार से हो और वह किसानों तक पहुँचे । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि उर्वरक का वास्तव में परिवहन नहीं किया गया किन्तु ढुलाई भाड़ा ले लिया इस सम्बन्ध में जो जांच की गई उससे पता चला कि गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए निरीक्षण चौकियों से एक भी लारी नहीं गुजरी। जिला सहकारी विपणन समितियों जैसी संस्थाओं ने भी जाली दावे पेश किये । इसी आधार पर राज्य विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन मामलों में अनियमितताएं माने जाने के लिए पर्याप्त आधार है। मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उससे मुझे ऐसा लगवा है कि केन्द्रीय मन्त्री और राज्य का मन्त्री भी उक्त मामले में अन्तर्गस्त है । अत: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय राज्य के राजस्व मन्त्री से त्यागपत्र मांगेंगे ? क्या सरकार राज्य सरकार को सम्बद्ध फर्मों और सहकारी समितियों के नाम काली-सूची में दर्ज करने का परामर्श देगी ? उर्वरक का ठीक प्रकार से परिवहन हो, इसके लिए सरकार क्या कार्य वाही करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमने राज्य सरकार को सम्बद्ध लोगों और पार्टियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की सलाह दी है । जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को उसके द्वारा भाड़े के रूप में खर्च की गई राशि का भुगतान करने का सम्बन्ध है, इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है । परिवहन-लेखे की लेखा-परीक्षा पहले राज्य के महालेखापाल द्वारा की जाती है। राज्य सरकार इन लेखों की जांच करती है । इसके पश्चात् राज्य सरकार और महालेखापाल की लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन के आधार पर केन्द्रीय सरकार भुगतान करती है। जहां तक दोषी लोगों या फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है सरकार ने उर्वरक नियन्त्रण आदेश को परिवर्तित कर दिया है। आजकल नियमों के अनुसार बिना किसी की अनुमति लिए ही कोई व्यापारी बन सकता है । राज्य सरकार की अनुमति की आज आवश्यकता नहीं होती । जो व्यक्ति उर्वरक का व्यापार करना चाहता आज उसे केवल राज्य सरकार के पास उसे अपना नाम दर्ज कराना होता है । यह दुर्भाग्य है कि आन्ध्र प्रदेश जैसे उर्वरक के प्रति जागरूक राज्य में उर्वरक के वितरण में भ्रष्टाचार किया गया है

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) : मैं लोक लेखा समिति के इस प्रतिवेदन को बहुत ही महत्त्व पूर्ण मानता हूँ क्योंकि इससे एक बात स्पष्ट होती है कि केन्द्रीय सरकार किस प्रकार से राज्यों को अनुदान देती है । शायद केन्द्रीय सरकार इसके लिए राजनीति को आधार बनाती है। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को गम्भीर रूप से नहीं लिया है । लोक लेखा समिति में जो सिफारिशें की गई है सरकार ने उनके बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया। आप सीधे तो आन्ध्र प्रदेश राज्य के मन्त्री को नहीं हरा सकते किन्तु आप उनसे यह कह सकते हैं जब तक सम्बन्धित मन्त्री राज्य के मन्त्रिमंडल में रहेगा तक राज्य को कोई इस प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी । क्या सरकार सभी प्रकार की राजकीय सहायताओं; जो केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाती हैं, के बारे में पूर्ण जांच करायेगी । क्या भविष्य उर्वरकों के वितरण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर लेगी। राज्य सरकार

के बिरुद्ध शिकायत है तो केन्द्रीय सरकार उससे पुन: परामर्श क्यों करना चाहती है। इस मामले में तो सरकार को स्वयं ही कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की सराहना करता हूँ। किन्तु कृषि राज्य-सूची का विषय है। [अन्तर्बाधाएं] आप मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए।

श्री रंगा : यह उसको लाने ले जाने के बारे में था।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उर्वरकों को लाने ले जाने तथा उनके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की इन गतिविधियों को अपने हाथ में लेना उचित नहीं होगा।

श्री रंगा : परन्तु उन्होंने केन्द्रीय सरकार के ऐजन्ट के रूप में कार्य किया।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उनकी गतिविधियां राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं।

मैन्थोर-मिक्सिंग धर्म के बारे में राज्य सरकार पूरी तरह अवगत हैं। यदि इस धर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हुई तो हम राज्य सरकार को पूरा सहयोग तथा सहायता देंगे। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ही उर्वरक नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को दण्ड दिया जायेगा। इस बारे में कानून में पर्याप्त उपबन्ध हैं।

श्री रा० की० अमीन : क्या वह आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह कहेंगे कि जबतक उस मंत्री को नहीं हटाया जाता तब तक केन्द्रीय सरकार से उनको धन नहीं दिया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने जिस मंत्री महोदय का उल्लेख किया है वह अब कृषि मंत्री नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या वह सिद्धान्तरूप में इस बात से सहमत हैं कि माननीय मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु अब क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray (Puri) : Several allegation were levelled against Shri Thimmel Reddy now holding a portfolio of minister in Andhra Pradesh Government. I wrote a letter to the hon. Home Minister about fifteen days back to the effect that an enquiry by Central Bureau of Investigation may be held in the case of murder of Harijans in Andhra Pradesh. I have not yet received any reply from the hon. Minister.

So far as the question of distribution of fertilisers is concerned I may say that Shri B. Rathvasabhapatthi, a member of the Swatantra Party has been making serious charges in the Assembly but nothing has been done in this respect so far. The Public Accounts Committee has also passed few remarks which are as follows :

"Whatever might be the intentions of the Minister in following such unusual procedure, the Committee feels that it is not only extraordinary but judging from all canons of public administration is highly objectionable and imporper.

Inspite of all these allegations and remarks the minister concerned has not yet been removed from office.

I want to know whether it is a fact that Shri Thimmareddy started boosting up one or two companies in each district from 1967. Is it also a fact that four companies were registered in the name of one single person. Is it also a fact that Shri Thimmareddy personally went to Madras and got released 1210 metric tonnes of urea to the following firms :

1. Soubhagya Fertilizers. Guddapah.
2. Ashoka Fertilizers.
3. Rayalasema Fertilizers.
4. Venkeateswara Fertilizers.
5. Yetesetti Subbarao.
6. Boopalompet.

It is not proper to protect the corrupt ministers. Shri Thimmareaddy should be removed from office otherwise I will appeal to the students and young people to remove him from offices.

अध्यक्ष महोदय : चाहे मामला कुछ भी थे परन्तु यहां पर इस प्रकार का भाषण करना उचित नहीं है। यहां से इस प्रकार की अपील जारी करना कि विद्यार्थी ऐसा काम करें उचित नहीं है। मैं इस बात का अनुमादेन नहीं करता।

Shri Rabi Ray : How you propose to stop corruption of such people are not removed from office. The Government is condemning the naxalites on one hand and is encurraging the corrupt people on the other hand.

Mr. Speaker : Such speeches will not do any good to the people.

Shri Rabi Ray : I want to lay on the Table of the House with your permission these two documents.

Mr. Speaker : I want to see these papers first.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने जिन विशिष्ट बातों का उल्लेख किया है हम उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलायेंगे।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : श्री रविराय राज्य विधान मण्डल की लोक लेखा समिति के निष्कर्षों की ओर पहले ही सभा का ध्यान दिला चुके हैं। उसमें कहा गया है कि माननीय मन्त्री ने जो असाधारण प्रक्रिया अपनाई वह न केवल असाधारण ही है बल्कि बहुत आपत्तिजनक तथा अनुचित भी है। उसमें सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जानी चाहिए मैन्योर मिक्सिग फर्मों को जो भुगतान किये गये हैं उनको वसूल किया जाना चाहिए। सरकार तथा जनता को धोखा देने वाले निजी व्यापारियों तथा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को इस बारे में अपनी नीति का पुनर्गठन करना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि यह एक राज्य विषय है मामले को टालने का प्रयत्न किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि यदि ऐसा है तो फिर यहां पर मन्त्रालय रखने की क्या आवश्यकता है ?

वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि विवरण सम्बन्धी नीति में जल्दी जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं। जिसके फलस्वरुप 1969 तक 10 करोड़ रुपये का उर्वरक जमा हो गया है। इसपर राज्य सरकारों ने

समझा कि वे इस उर्वरक का जिस प्रकार चाहें प्रयोग कर सकती है और इसके बहन के लिए उन्होंने अतिरिक्त धन की भी व्यवस्था की। श्री वेंकटासुब्बया पहले ही बता चुके हैं कि इसमें सरकार को किस प्रकार धोखा दिया गया। मेरा निवेदन केवल यह है कि जब वह उर्वरक सप्लाई करती है तो उसका यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि इस बारे में ऐसी नीति हो जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजायश न हो। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ऐसी नीति बनाने के लिए जिसमें पुनः इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो एक समिति नियुक्त करेगी।

ऐसी अनेक कम्पनियों को उर्वरक सप्लाई किया गया जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं थी हालांकि नियमों के अनुसार ऐसा होना आवश्यक है। माननीय मंत्री ने अपने मित्रों को रात भर में ही व्यापारी बना दिया तथा उनको उर्वरक सप्लाई किया। इन मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता है। श्री जगजीवन राय सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष है अत: उनके शब्दों को कानून समझा जाना चाहिए जब तक एक भ्रष्ट मन्त्री कहां पर कार्य कर रहे हैं तबतक जांच करना सम्भव नहीं है। अत: सर्वप्रथम उनको पद से हटाया जाना चाहिए। दूसरे जांच कार्य केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए। तीसरे उर्वरकों के वितरण के बारे में नीति सम्बन्धी समूचे मामले पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा जांच कराने का सम्बन्ध है मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ। परन्तु इसके कानूनी पहलू पर विचार करना होगा क्योंकि राज्य सरकार पहले ही जांच करवा रही है। मैं गृह कार्य मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय से इस बारे में बात चीत करूंगा। जब किसी वस्तु की कमी होती है तो समाज-विरोधी तत्व स्थिति का नाम उठाते हैं और सदाचार करते हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति में प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है और इसी कारण उर्वरकों के भन्डार जमा हो गये हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रतिवेदन में केन्द्रीय सरकार की नीतियों का उल्लेख नहीं किया गया है। लोक लेखा समिति ने केवल राज्य सरकार की नीति का उल्लेख किया है। जहां तक स्वदेशी उर्वरकों का सम्बन्ध है उत्पादनकर्ता को एजेन्ट नियुक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। जहां तक आयातित उर्वरकों का सम्बन्ध है नये आदेश के अन्तगर्त कोई भी इनके वितरण के लिए एजेन्ट बन सकता है। इस बारे में अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आंध्र सरकार ने हाल में निर्णय किया है कि यह काम केवल सहकारी समितियों को ही सौंपा जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे एक बहुत आवश्यक बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना सूचना दिये किसी प्रश्न को नहीं उठा सकते। यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के वार्षिक लेखों का शुद्धिपत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं वर्ष 1967-68 के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो 11 अगस्त 1969 को सभा-पटल पर रखे गये थे, के शुद्धि-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3165/70]

गंगा नदी के जल के दूषित हो जाने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये आयोग के प्रतिवेदन पर की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं फरवरी-मार्च, 1968 के दौरान मुंगेर (बिहार) के निकट गंगा नदी के जल के दूषित हो जाने के कारणों की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गए जांच आयोग के प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3166/70]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

CMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING

कार्यवाही-सारांश

श्री एम० बी० राणा (भड़ौंच) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों के निम्नलिखित कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के बारे में 62 वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के बारे में 63 वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

62 वां और 63 वां प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौंच) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के बारे में 62वां प्रतिवेदन ।

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के बारे में 63वां प्रतिवेदन ।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर छः मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at six minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एस० एम० कृष्ण अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इससे पूर्व कि श्री एस० एम० कृष्ण अपना भाषण जारी करें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । मनीपुर से 65 स्वयंसेवी माननीय अध्यक्ष को एक याचिका पेश करने के लिये आज प्रातः आये थे । वे मनीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे थे । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई । अभी कल ही अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली के नागरिकों तथा पार्वदों से ऐसी ही एक याचिका स्वीकार की है । उनमें से 53 स्वयंसेवकों को बन्दी बना लिया गया है । मैं वह याचिका आपको भेज रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय जबकि इस स्थान पर बैठा हूं वह याचिका प्राप्त नहीं कर सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं वह याचिका आपके सचिव को दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस कुर्सी पर बैठकर इस याचिका को नहीं ले सकता । मैं उस याचिका को अपने चैम्बर में ले सकता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : यहां पर बोलने वाले लगभग सभी सदस्यों ने मनीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग का समर्थन किया है । मेरा निवेदन है गिरफ्तार किये गये स्वयं सेवकों को तुरन्त रिहा कर दिया जाये । मैं यह याचिका आपके सचिव को दे रहा हूं । आप इसपर विचार कर सकते हैं ।

श्री जि० मो० विश्वास (बांकुरा) : मनीपुर से आये लोग अध्यक्ष महोदय को मिलना चाहते थे । उनके पास कोई लाठी एवं हथियार नहीं थे । मैं नहीं जान सकता कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है । आप गृह-कार्य मंत्री से कहें कि उनको रिहा कर दिया जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में इसका उल्लेख हो चुका है और सभा इस बारे में पूरी तरह अवगत है । माननीय मंत्री ने भी सब कुछ सुन लिया होगा ।

श्री ज्योतिमर्य बसु (डायमंड हार्बर) : अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित कर दिया गया है.........

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने जो सूचना दी है वह विचाराधीन है। जब तक उसपर कोई निर्णय नहीं हो जाता आप इस मामले को नहीं उठा सकते।

श्री ज्योतिमर्य बसु : मैंने यह सूचना बहुत पहले दी थी। यदि उसपर अभी भी विचार हो रहा है तो यह मेरा दोष नहीं है। बिड़ला बन्धु पुलिस की सहायता से कलकत्ता स्थित अपने कार्यालयों से सभी कागज हटा रहे हैं। उनके एक निकट सम्बन्धी श्री येरानी को पुलिस के उपयुक्त को एक हजार रुपया घूस देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में एक कार्यवाही की गई है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) :—*contd.* You must have read in today's newspapers regarding the tragic death of Maharaja Bhanjdev in mysterious cricumstances there appears to be some foul play behind this matter. The doubts of the people should be removed.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Why should there be any discussion here on the death of a Maharaja. Thousands of poor people are dying daily but we do not care for them.

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस बारे में विदित हुआ है। हमें पहले सभा के सम्मुख कार्यवाही को समाप्त करना चाहिये।

सामान्य बजट–अनुदानों की मांगें (जारी)

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS contd.

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय–जारी

श्री एस० एम० कृष्ण : (मंडया) :—हमने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति की है लेकिन आज के विश्व व्यापार में जो असाधारण प्रगति हुई है यह प्रगति उसके अनुरूप नहीं है और इस प्रगति में हमारा योगदान केवल न्यूनतम रही है। मुझे विश्वास है कि थोड़ी समझदारी से हम काम करके व्यापारी प्रगति कर सकते हैं।

कॉफी, पटसन, चाय, काजू और नारियल जटा जैसे पारम्परिक निर्यात की कुछ वस्तुओं के निर्यात में कुछ कमी हुई है। महत्वपूर्ण प्रगति केवल रेशम के क्षेत्र में हुई है। निर्यात किये जाने वाले रेशम का 80 प्रतिशत भाग मैसूर राज्य में उत्पन्न होता है। वर्ष 1958 में हमने लगभग 30 लाख रुपये मूल्य के रेशम का निर्यात किया। 10 वर्ष से कुछ अधिक समय में ही हमने 15 करोड़ रुपये का निर्यात किया। यदि केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में पहल की होती, तो हम शायद 20 करोड़ रुपये तक का निर्यात कर सकते थे।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा जापान से है। लेकिन चौथी योजना में इसके लिये केवल 11 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। सरकार ने मैसूर राज्य में

एक अनुसंधान संस्था की स्थापना की है लेकिन उसके लिये इमारत की तथा कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई है, कि गत आठ वर्षों से उक्त संस्था का कोई निदेशक नहीं है। हाल ही में उल्स संस्था के लिये एक निदेशक की नियुक्ति की गई है लेकिन उसकी नियुक्ति के बारे में उच्च-न्यायालय ने आपत्ति की है। दुर्भाग्यवश उक्त संस्था की बड़ी इमारत का निर्माण चेन्नापटना में किया गया हैं और उसके निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं।

मैसूर की 'शिल्क मार्किटिंग सोसायटी' ने 1957 में केन्द्रीय सरकार से 20 लाख रुपये का ऋण मांगा था लेकिन उसे केवल 10 लाख रुपये का ऋण मिला।

हम केन्द्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बम्बई से मैसूर ले जाने के पक्ष में है क्योंकि मैसूर क्षेत्र में है। लेकिन सरकार का मत है कि रेशम निर्यात प्रधान है और चूंकि हमारे अधिकांश निर्यात कर्त्ता बम्बई है अत: इसका कार्यालय बम्बई में खोला जाना चाहिये।

रेशम के मूल्यों में स्थिरता होनी चाहिये। रेशम उत्पादों का अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रेशम उत्पादकों का शोषण रोकना होगा।

केवल बंगलौर शहर में ही ऐसे-विद्युत चलित करघों की संख्या जिन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं है, 2000 है। इन्हें लाइसेंस प्राप्त विद्युत चलित करघों को क्षति पहुंचा कर कच्चा रेशम दिया जा रहा है इन्होंने बम्बई के वस्त्र आमुल्य के अनेक बार अनुरोध किया है लेकिन सरकार ने उनके अनुरोध की ओर ध्यान नहीं दिया है।

चलचित्र निर्यात निगम को गत वर्ष 8 या 9 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है, हमारे बाहर भेजी जाने वाली फिल्में इस निगम के माध्यम से भेजे जानी चाहिये। गत वर्ष भारत की कुछ फिल्मों को भारत से बाहर ले जाते हुए पकड़ा गया था। पता नहीं सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। सरकार को फिल्मों के चोरी छिपे बाहर भेजे जाने वाली संस्थाओं का पता लगाना चाहिये।

ऊन की रद्दी सम्बन्धी कारखानों के लिये जो विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई है, वह थोड़ी है। आगामी वर्षों में सरकार को इसके लिये अधिक विदेशी मुद्रा निर्धारित करनी चाहिये।

मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार रेशम क्षेत्र की ओर और अधिक ध्यान देगी।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझुनू) : इस मन्त्रालय का नाम समय समय पर बदला गया है। किसी समय यह वाणिज्य मंत्रालय था, इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय, इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके बाद विदेश व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय और आज वह केवल विदेश व्यापार मन्त्रालय रह गया है। यह बात समझ में नहीं आती कि इन नामों के परिवर्तन से क्या लाभ है। क्या ऐसा करने से हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है या हमारे निर्यात में वृद्धि होती है या आयात में कमी होती है। यह नाम भी गुमराह करता है क्योंकि इस मन्त्रालय का सम्बन्ध न केवल विदेश व्यापार से है, बल्कि इसका सम्बन्ध पटसन, कपास और रेशम जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों से भी है।

मैं हाल ही में घोषित आयात नीति का स्वागत करता हूं। यह सभा में कई बार बताया जा चुका है कि राज्य व्यापार निगम कुछ वस्तुओं पर 100 से 200 प्रतिशत तक लाभ कमा रहा है। मुझे इस बारे में तथ्यों का पता नहीं हैं लेकिन मुझे इतनी जानकारी अवश्य है कि राज्य व्यापार

निगम कुछ वस्तुओं पर 25 प्रतिशत तक लाभ कमा रहा है। यह समाजवाद में विश्वास रखने वाली सरकार के सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम की दशा है। उसे इतना लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने उद्योग को देने वाले आयातित कच्चे माल को खरीदने के लिये एक बैंक खोलने का निर्णय किया है। उल्स बैंक से लघु उद्योगों को भी लाभ मिलना चाहिये उचित मूल्य पर उचित समय में कच्चा माल खरीद कर लाभ उठाने दिया जाना चाहिये।

अब निर्यात और आयात नीति एक वर्ष के लिये घोषित की जाती है। मेरा सुझाव है कि अब यह कम से कम तीन वर्ष के लिये घोषित की जानी चाहिये। मेरे विचार से नीति में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन करना उचित नहीं।

आयातित कच्चे माल का 50 प्रतिशत लघु उद्योगों के लिये आरक्षित रखने के लिये मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र है। अब तक लघु उद्योगों के लिये आयातित कच्चा माल केवल 33 प्रतिशत आरक्षित किया जाता था।

ऊनी उद्योग निर्यात प्रधान और प्रतिरक्षा प्रधान उद्योग है। अत: उल्स उद्योग के पास सभी प्रकार का कच्चा माल और मशीने होनी चाहिये।

इस समय केवल 25 प्रतिशत ऊनी उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया है और शेष 75 प्रतिशत उद्योग पुराने और अविकसित हैं।

अत: योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार उल्स उद्योग के लिये कम से कम 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे वे उद्योग अच्छी किस्म की मशीनों का आयात कर सकें।

वर्तमान समय "बूल्स टाप्स" खरीदने का सर्वोत्तम समय है। गत वर्ष "बूल्स टाप्स" का मूल्य 107 पैस था। आज "बूल्स टाप्स का मूल्य 93 पैसे है। हमें इस गिरते हुए मूल्य का लाभ उठाना चाहिये ताकि उसके लिये निर्धारित विदेशी मुद्रा से हम अधिक मात्रा में कच्चे माल का आयात कर सकें।

सरकार गुच्छेदार गलीचा उद्योग की ओर ध्यान नहीं दे रही है। हमने विदेशों को कच्चे ऊन का निर्यात किया। वे उल्स कच्चे ऊन को धागे में बदलते हैं और धागे से गुच्छेदार गलीचे बनाते हैं। जब हमारे पास उल्स गलीचे बनाने के लिय सब प्रकार का कच्चा माल विद्यमान है तो यह स्वयं गलीचों का उत्पादन क्यों नहीं करते? यदि गैर सरकारी क्षेत्र उल्स उद्योग को स्थापित करने के लिये तैयार नहीं हैं तो हमें इस उद्योग की स्थापना सरकार क्षेत्र में करनी चाहिये।

देश में ऊनी कपड़े के मूल्य बहुत अधिक हैं। शायद उनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सब से अधिक हैं। यदि सरकार ऊन का कम से कम 20 करोड़ रुपये तक का आयात करने लगे तो ऊनी कपड़ों के मूल्यों में 40 प्रतिशत कमी हो सकती है इससे उपभोक्ताओं को लाभ हो सकता है।

कपास के मूल्य बढ़ जाने के परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत मिलें संकट ग्रस्त हो गई हैं। मैं वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इनसे उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भविष्य में और मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये सरकार को सरकारी क्षेत्र में या

गैर सरकारी क्षेत्र में जन निर्मित धागे का अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करना चाहिये। इससे उत्स समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी।

पटसन उद्योग में हमें टाट और हेसिमान के निर्यात में हानि हो रही है। इसका एक मात्र उपाय यही है कि निर्यात शुल्क हटाया जाये।

भारत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सक्रिय भाग लेता रहा है। उत्स प्रदर्शनियों में किसी जिम्मेवार व्यक्ति को भेजा जाना चाहिये ताकि जो भी हमारे उत्पाद भेजें जायें उन्हें वहां दिखाया जा सके।

हमारे प्रदर्शन कक्ष कभी भी समय पर तैयार नहीं होते। उन्हें समय पर तैयार किया जाना चाहिये ?

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : हमारे व्यापार संतुलन में गत दो वर्षों में पर्याप्त सुधार हुआ है। यदि यही विदेशी व्यापार ही सफलता की कसौटी है तो हमें मंत्रालय की कार्यप्रणाली की सराहना करनी चाहिये। देश का व्यापार संतुलन अनुकूल बना रहना चाहिये।

चाय से हमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विश्व चाय बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा होने के कारण चाय के निर्यात में कमी हुई है और इसका मूल्य भी कम हो गया है। सरकार ने इस बारे में कुछ उपाय किये हैं और भारत श्री लंका चाय सहायता संघ का गठन किया गया है और आशा है वह हमारे चाय उद्योग का वर्तमान कठिनाइयों में से निकालने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त खाद्य तथा कृषि संगठन के अन्तर्गत परामर्शदात्री समिति ने भी समूची समस्या का अध्ययन किया है और हमें विश्वास है कि इससे हमारी चाय को भी लाभ मिलेगा।

सरकार ने चाय से निर्यात शुल्क हटाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। आसाम के चाय बागानों पर भेदभावपूर्ण उत्पादन शुल्क का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिये और अनियमितताओं को दूर करना चाहिये।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : गत दो वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता का बहुत कम प्रयोग हुआ है। 1968-69 के अन्त तक 68 मिलें बन्द पड़ी रहीं। कोई देश इतनी उत्पादन क्षमता को अप्रयुक्त नहीं रहने दे सकता।

दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 15·35 लाख तकलियों का प्रयोग नहीं किया जा सका। इसी प्रकार दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 17,602 करघों का प्रयोग नहीं किया जा सका।

तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें कोई उन्नति नहीं हुई। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि जिन मिलों की आर्थिक अवस्था कुछ अच्छी है उन्हें तुरन्त ही सरकार को ले लेना चाहिए। मेरे अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में महालक्ष्मी नामक सूती कपड़े की मिल है। जांच पड़ताल समिति ने यह सिफारिश की कि इस मिल की आर्थिक स्थिति अच्छी है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस मिल को लेने का प्रयत्न करें।

Shri Ramesh Chandra Vyas (Bihilwara) : There is good production of wool and cotton in Rajasthan. Rajasthan Government has submitted proposals to Central Government for establishment of wool and cotton industry mills. These proposals are lying pending

since long. Will the honorable Minister inform the House what action is being taken on these proposals ?

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : There is one Bihar Cotton Mill in Patna. The correspondence for increasing its spindles is going on with the Central Government. May I know why this extension lincence is not being given to this single cotton mill of our area ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बलीराम भगत) : यह हर्ष का विषय है कि वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय की अनुदानों के विषय पर सदन में जो आलोचना हुई, वह बहुत रचनात्मक ढंग की थी। अब तक हमने चौथी पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष पूरा कर लिया है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है यह वर्ष विशुद् वरदानों का वर्ष नहीं रहा है। घरेलू मांग का दबाव होते हुए भी उद्योग ने लचीलापन वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई और यह निर्यात में भी बनी रही। औद्योगिक माल के निर्यात में विशेषरूप से हमारे देश की उत्पादन अपर्याप्तताओं और विदेशों में माल के उतार-चढ़ाव के कारण हमारे कुछ प्रचलित माल से सर्वोत्तम निर्यात अर्जन में भी उतम चढ़ाव आता रहा है। इतना होने पर भी व्यापार संतुलन के सम्बन्ध में हमें संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई है। यह सौभाग्य की बात है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने जो कदम उठायें उन्हीं के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि हुई और जनवरी 1970 तक मानें 145 करोड़ का निर्यात किया।

मेरे कुछ मित्रों ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था की तुलना अन्य औद्योगीकृत तथा कुछ विकासशील राष्ट्रों से की है ? सभा को यह मालूम है कि पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अर्थ-व्यवस्था के आर्थिक आधार के निर्माण करने और उसे वेविध्य देने पर जोर दिया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप जिन वस्तु का आयात किया जाता था देश में उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र को विकसित किया गया। आयात में हुई कमी के लिए भी यही तथ्य विशेष रूप से उत्तरदायी है। हमारे उद्योग ने औद्योगिक निर्यात के अन्तर्गत अप्रचलित वस्तुओं के लिए भी उत्पादन और निर्यात क्षमता का विकास किया गया है। लम्बे समय से जो निरन्तर औद्योगिक कार्य यहां चल रहा है उसी के फलस्वरूप तो हमारे उपभोग मानों में वृद्धि हो रही है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हाल ही के वर्षों में विश्व आयात तेजी से बढ़ता रहा है परन्तु विश्व निर्यात में हमारा भाग घटता जा रहा है। इससे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता प्रकट होती है कि हमें अपना निर्यात बढ़ाने के लिए जो कुछ भी सम्भव हो करना चाहिए, वहां कुछ हद तक यह केवल तथ्य सूचक है कि हम अब तक भो विकासशील देशों की श्रेणी में है और इस श्रेणी के देश सामूहिक रूप में विश्व व्यापार में अपना स्थान धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। 1950 में इन देशों के विश्व निर्यात में कुल भाग 24.4 प्रतिशत था जो 1967 में घटकर केवल 12.5 प्रतिशत रह गया। इसका एक और कारण यह था अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के औद्योगिक उत्पादनों के क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादन की वस्तुओं के मुकाबले निर्यात की कहीं अधिक विकासशील देशों के निर्यात के अन्तर्गत प्राथमिक उत्पादन की वस्तुयें ही आती थी। 1960 से 1968 के बीच प्राथमिक उत्पादनों के विश्व निर्यात का अधिकांश भाग विकासशील देशों के अन्तर्गत था और इस बीच में उसके मूल्य की वृद्धि केवल 42 प्रतिशत हुई। जबकि बाजार माल के निर्यात में जो अधिकांशतः विकसित देशों के हिस्से में आता था 117 प्रतिशत वृद्धि हुई। जिन देशों के उदाहरण माननीय सदस्य ने दिये उन सब की अपनी विशेष परिस्थितियां है। प्रथमतः तो उन्हें अपने ही निम्न उपभोग के लोगों की मांगें पूरी नहीं करनी पड़ती है। उनमें से कईयों में ऐसा लोकतन्त्र नहीं है जहां की साधारण लोगों की मांगों

को पूरा करना आवश्यक नहीं है। उनकी सामाजिक आर्थिक नीतियां भी उतनी उन्नतिशील नहीं है जितनी की हमारे देश की है।

हमारे ऐसे उत्पादनों की सूची में वृद्धि होती गई जिनके लिए विश्व में मांग तेज गति से बढ़ रही थी। इसमें सर्वप्रथम स्थान औद्योगिक उत्पादनों और इंजीनियरी के सामान का स्थान था। 1968-69 में इस वर्ग के उत्पादन का निर्यात दुगना हो गया और 1969-70 में कच्चे माल की कमी और देश में मांग की वृद्धि के कारण उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब 1970-71 में मुख्य समस्या इस बात की कमी के कारण होगी, हम अपनी वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करके और फिर उसे बढ़ाकर अपने उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु जबतक क्षमता में वृद्धि न हो जाय तब तक सरकार प्रयत्न करेगी कि निर्यात के लिए उत्पादन की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की विशेष रूप से लोहा और इस्पात के मामले में पूरा किया जाये।

रसासयन तथा इससे सम्बद्ध अन्य भी कुछ पदार्थ है जिनके निर्यात की बहुत अच्छी संभावना है। अपने अभ्यास के आधार पर हम इन पदार्थों को पांच वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ये हैं औद्योगिक उत्पादन जिसके अन्तर्गत इंजीनियरी का सामान रसायन और सम्बद्ध उत्पादन, प्लास्टिक चमड़ा और चमड़ें का सामान शामिल है; कृषि उत्पादन के अन्तर्गत मछली और मत्स्य उद्योग की वस्तुएं यथा फल, सब्जियां और काजू की गिरि आदि को लिया जा सकता है। इसी प्रकार खनिज लौह और अन्य सामान्य उत्पादन कपड़े आदि जिसके अन्तर्गत सूती धागा और सिले-सिलाए कपड़े, हथकरघे का सामान, गलीचों के लिए कपड़ा और रेशम शामिल है और विविध वस्तु समूह जिसमें दस्तकारी शामिल है। आने वाले वर्ष में हम अपनी पूरी शक्ति इन सभी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने तक सीमित रखना चाहते हैं।

हमारा प्रमुख उद्देश्य श्रमिक उद्योग को बढ़ावा देना होगा इसके दो लाभ होंगे, प्रथम तो भारत में जो श्रम की अधिकता है इसका उपयोग हो सकेगा और दूसरे इसके द्वारा अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। निर्यात के जिन पांच वर्गों को हमने स्वीकार किया उनमें से चमड़े का ही उदाहरण लीजिये। चमड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात का अनुमान 1968-69 में 60 करोड़ रुपये वृद्धि का था और 1969-70 में 90 करोड़ रुपये की वृद्धि का था। इसके निर्यात में वृद्धि की बहुत क्षमता हैं। इसी क्षमता को पाने के लिए पशु पालन कार्य का आयोजन वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है। मृत पशुओं की लाशों को इकट्ठा करने के तरीकों में सुधार किया जा रहा है। हम तैयार चमड़े के निर्यात की योजना बना रहे हैं जिससे चमड़ा तैयार करने वाले कारखानों की क्षमता का पुरा सदुपयोग हो सके। हम छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के क्षेत्रों में भी अधिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

इसी प्रकार समुद्री उत्पादनों की निर्यात क्षमता बहुत अधिक है। शीघ्र ही एक समुद्री उत्पादन विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार है जो केन्द्रीय संगठन को भारत से समुद्री उत्पादनों के निर्यात और तैयार करने के उत्पादन के विकास और नियमन, की व्यवस्था करेगा। यही प्राधिकरण इस उद्योग की कठिनाईयों का समाधान करके, निर्यात हेतु किए जाने वाले उत्पादन की किस्म में सुधार करने का प्रयत्न करेगा।

फूल, फल और सब्बजियों के निर्यात की भी काफी संभावना है। इसके लिए उचित कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा काजू के बारे में कहा गया है और यह आशंका उठाई गई है कि केरल के कुछ मित्रों के दबाव के कारण सीधा फर्म अपनाने की नीति को छोड़ा जा रहा है। काजू के सम्बन्ध में मुख्य समस्या यह है कि हमारे देश में इसका उत्पादन लगभग स्थिर सा है। कच्ची गिरियों के आयात में वृद्धि होने पर ही इसके निर्यात में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आयात किये हुऐ कच्चे काजू के देश में ही उपयोग होने से या बचना है। निर्यात उद्योग में वृद्धि करने के उद्देश्य से काजू का भली प्रकार आयात कर सकने के मामले पर विचार कर रहे हैं। अतः हमने यह निश्चय किया है कि काजू का आयात सरकारी क्षेत्र की एजेन्सी के माध्यम से किया जाय। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही हम अधिक निर्यात कर सकने की स्थिति में होंगे खुले आम लाइसेंस देने की नीति में उपयुक्त संशोधन करेंगे।

जहां तक खनिज क्षेत्र का सम्बन्ध है, लौह अयस्क का हमने 100 करोड़ से भी अधिक निर्यात किया है। लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के निर्यात में और अधिक वृद्धि की संभावनायें हैं। खान तथा धातु व्यापार निगम ने जापानी इस्पात मिलों से अगले 8 वर्षों में 542 करोड़ रुपये के मूल्य के 717 लाख टन लौह अयस्क के निर्यात का लम्बी अवधि का करार किया है।

माननीय सदस्य द्वारा पटना में तकुओं की व्यवस्था के विषय में प्रश्न किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारी वर्तमान नीति यह है कि तकुओं की क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि पर रोक लगाई जाय क्योंकि कपास की कमी है, दरें भी मँहगी हैं। तकुओं की क्षमता वृद्धि के विषय में अभी हम योजना आयोग से बात चीत करे रहे हैं जैसे ही कोई हल निकलेगा 1500 तकुओं की क्षमता वाली मिलों में क्षमता विस्तार पर भी विचार किया जायगा।

वस्त्र निर्यात उद्योग को बढ़ाने के लिये हमने जो कदम उठाये हैं उसमें सफलता मिली है। सूती धागे का निर्यात 68-69 में 12.9 करोड़ रुपये बढ़कर। 1968-70 में 29.4 करोड़ हो गया। सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात जो हाल ही में आरम्भ किया गया है इसी अवधि में 3.3 करोड़ से बढ़ कर 5.3 करोड़ हो गया। हाथकरघा निर्यात में वृद्धि करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनसे भी कुछ सफलता प्राप्त हुई है। वह 8 करोड़ से बढ़ कर 10 करोड़ से भी अधिक हो गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है। इस प्रकार की आवश्यकता से मंत्रालय भली-भांति परिचित है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने के उद्देश्य से उद्योगों को विकसित करने के लिये उनकी कोटि एवं क्षमता बढ़ाने के हेतु उपाय जुटा रहे हैं। हम स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग है।

जहां तक रेशम उद्योग को बढ़ाने का प्रश्न है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड इसके उत्पादन में वृद्धि के लिये अनुसंधान, सुधार और प्रशिक्षण के विषय में एक विशेष कार्यक्रम तैयार कर रहा है। तब तक हम केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिये रेशमी धागे का आयात करने जा रहे हैं। जिससे हमारे बुनकरों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके और हम निर्यात करने का भी प्रयत्न करेंगे।

इसी प्रकार दस्तकारी की वस्तुओं का भी 1968-69 में 76 करोड़ रुपये की अपेक्षा इस वर्ष 90 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। हम दौहरे उद्देश्य से अर्थात निर्यात बढ़ाने तथा रोजगार देने के विचार से आने वाले वर्ष में इस उद्योग को और अधिक सहायता देंगे।

औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत प्रगति इस प्रकार है। इन्जीनियरिंग उत्पादनों में 25 प्रतिशत;

आइरन और स्टील में 7 प्रतिशत, रसायन तथा अन्य सम्बन्धित उत्पादों में 11 प्रतिशत, प्लास्टिक उत्पादों में 42 प्रतिशत, चमड़े की वस्तुओं में 12 प्रतिशत दस्तकारी आदि की वस्तुओं में 50 प्रतिशत वृद्धि हुआ है। परन्तु जूट और चाय के निर्यात में कमी हुई है। हमें आशा है कि निर्यात कर के समाप्त हो जाने पर तथा इन उद्योगों को Subsidy आदि के रूप में सहायता दिये जाने पर उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हो सकेगी।

मैं स्वीकार करता हूं कि जूट उद्योग की समस्याओं को सुलझाने में हमें अधिक सफलता प्राप्त हुई है। हमें कच्चे जूट की उत्पादन वृद्धि में सफलता मिली है। इस उद्योग ने बालदार कालीनों। के लिये प्रयुक्त होने वाला जूट कालीन कपड़ा नामक अपेक्षाकृत एक नये उत्पादन का निर्यात करने की अपनी क्षमता बढ़ायी है। हमारे सामने कुछ समस्यायें हैं जैसे पाकिस्तान तथा कृत्रिमभाव की प्रतियोगिता, तथा देश में बोरियों के लिये जूट की बढ़ती हुई मांग का सामना करना। इस संदर्भ में हम प्रतियोगिता का सामना करते हुये निर्यात में वृद्धि करने के उपाय खोज रहे हैं।

अब तक हमने निर्यात क्षेत्र के कुछ विशिष्ट उत्पादनों के विषय में बताया है अब मैं इस सम्बन्ध में, आने वाले वर्ष के लिये अपनी नीति के विषय में बताना चाहता हूं। यदि चौथी योजना में हम 7 प्रतिशत मिश्रित वृद्धि की दर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी नीतियों को कुछ नये मोड़ देने होंगे। इस सम्बन्ध में अपनी नीति में हमें चार बातों पर विशेष बल देना होगा।

आने वाले वर्ष में हमें छोटे तथा मध्यम क्षेत्र की इकाईयों का उत्पादन आदि बढ़ाने को लिये निश्चित कदम उठाने हैं। यह विशेष कार्य व्यापार विकास संस्था द्वारा पूरा किया जायगा। यह संस्था सरकारी-क्षेत्र में स्थापित की जायगी। बड़े क्षेत्रों में निर्यात उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। औद्योगिक नीति के सामाजिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुये इनके विस्तार को स्थिर करना है। हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि हम इनके विकास को ही रोक दें।

हमारी नीति की दूसरी बात यह होगी कि औद्योगिक उत्पादों में भी उन वस्तुओं से जिन पर श्रम अपेक्षित है, लाभ हो सके। औद्योगिक देशों के बाजारों में जो रुचिकर घटना हो रही हैं, सभा उनसे अवगत है। हमें विश्वास है कि विकासशील देशों के हित में शीघ्र ही आम तौर पर प्राथमिकता देने की व्यवस्था की जायगी और हमारे निर्यात पर जो तटकर सम्बन्धी बाधायें हैं वो यदि पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगी तो कम अवश्य हो जायेंगी आर्थिक गति विधियों में इतनी तीव्रता आने से प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, बाहर से श्रम न मंगाकर बल्कि श्रम से उत्पादित वस्तुओं का आयात से करना चाहते हैं। हमें इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिये और वैज्ञानिक ढंग से इस क्षेत्र में उत्पादन की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे हम औद्योगिक देशों की बढ़ती हुई मांगों को पुरा कर सकें। उन देशों की इच्छित वस्तुओं को प्रतियोगिता के आधार पर सस्ती दर में सप्लाई कर सकें। औद्योगिक उत्पादनों में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां किसी उद्देश्य को लेकर यदि पत्र बढ़ाये जाये तो अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है तथा देश की आय में वृद्धि हो सकती है।

अर्थ व्यवस्था की विविधता के आरम्भिक चरण में तैयार माल के लिये परियोजनायें स्थापित करने तथा उपकरण माल के लिये जो क्षमता हमें हाल ही में प्राप्त हुई है उससे हमें विकासशील देशों से सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। राज्य व्यापार निगम को रेलवे उपकरणों की

सप्लाई के लिये करार प्राप्त करने में सफलता मिली है। विकासशील देशों में परिवहन सुविधाओं के विकास में योगदान देने के लिये अब यह उचित ढंग से सुव्यवस्थित है। 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' को विकसित एवं विकासशील देशों में अपने उत्पादनों का निर्यात बढ़ाने में सफलता मिली है।

हमारी तकनीकि क्षमता बहुत ऊँची है। हमारे उद्यम-कर्ता अर्थव्यवस्था के विकास के आरम्भिकचरण में आने वाली समस्याओं से परिचित हैं। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ऋण की आवश्यकता है। हम विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से इस विषय में बातें कर रहे हैं कि वे इस क्षेत्र में हमारी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या सहायता दे सकते हैं। औद्योगिक राष्ट्रों की बिना-शर्त की सहायता से विकासशील देशों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर ऐसे देशों के मध्य ही प्राप्त हो जायेगा।

विकासशील देशों के मध्य सहयोग की सम्भावना है। ऐसी दस परियोजनायें पहले से ही कार्य कर रही हैं।

अब मैं अपने व्यापार की भौगोलिक विविधता के विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

[श्री श्रीचन्द्र गोयल पीठासीन हुए।
SHRI SHRICHAND GOYAL IN THE CHAIR]

वर्तमान समय में अमरीका और रूस हमारे मुख्य व्यापार केन्द्र हैं। मैंने स्वयं अमरीकी बाजार की क्षमता का सर्वेक्षण किया है और इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि यदि हम उत्पादन तथा उसकी खपत के लिये बाजारों की उपयुक्त व्यवस्था कर लें तो हमारे लिये उस बाजार में अपने निर्यात में वृद्धि करना कठिन नहीं होगा। रूस के साथ पारस्परिक व्यापार विकाम के क्षेत्र में हम साल के लिये दूसरे समझौते को अन्तिम रूप देने जा रहे हैं। जापान के साथ भी हम अपने व्यापारिक विकास का प्रयत्न करेंगे।

इंगलैण्ड का बाज़ार भी मुख्य बाज़ार है परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे व्यापारिक सम्बन्ध उससे गिरते जा रहे हैं। परिणामत: इस बाजार से हमारी निर्यात आय कम होती जा रही है। पश्चिमी तथा दक्षिण-पूर्वी ऐशिया में हमारे निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। लैटिन अमेरिका से भी हमारे व्यापारिक सम्बन्धों में विकास हो रहा है। कोलम्बो से भी भविष्य में हमें अपने निर्यात में कुछ न कुछ सहायता मिलेगी।

विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का विकास करने की हमारी नीति है। इस ओर हम एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों का विकास करने के पश्चात हम इस क्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि करना अपना कर्तव्य समझते हैं, जिससे इन क्षेत्रों को दिये गये सभी नये कार्य पूरे हो सकें। दो वर्ष राज्य व्यापार निगम के लिये एक समीक्षा समिति नियुक्त की गई थी। गत वर्ष इसका कार्य पूरा हो गया है और राज्य व्यापार निगम के कार्य संचालन में सुधार के लिये इस समिति ने जो सिफारिश की थीं, वे हमने मान ली हैं। हमने राज्य व्यापार निगम में अमुक कार्य की पूर्व निर्धारित बजट व्यवस्था भी आरम्भ कर दी है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी आय बढ़ी है।

निर्यात करने वाले लोगों को मंत्रालय की ओर से अनेक सुविधायें तथा सेवायें दी जा रही

है । इन सेवाओं में बाजार विज्ञापन वाणिज्यिक जानकारी की व्यवस्था, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेना और सबसे मुख्य वस्तु के गुणों को बनाये रखने की व्यवस्था करना शामिल हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी संगठन तथा निगम आदि वाणिज्यिक गतिविधियों में शीघ्र निर्णय उच्चकोटि के कार्य एक क्षमता के प्रति पूर्णतया जागरूक हैं क्योंकि यदि हम शीघ्र निर्णय नहीं लेंगे तो हमें बहुत हानि हो सकती है ।

मुझे सन्तोष है कि समस्त देश, विशेष रूप से संसद निर्यात की महन्ता के प्रति सजग है। यदि हम विदेशी सहायता पर निर्भरता से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि हमने चौथी योजना में घोषणा भी की है, हमें निर्यात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। हमारा 7 प्रतिशत निर्यात वृद्धि का उद्देश्य बिना प्रयत्नों के पूरा नहीं हो सकता। इसके लिये काम करते हुए भी कई बातें हैं, जैसे, देश की फसलों में कमी दरों का बढ़ जाना तथा अन्य बाहरी कारण, जिससे उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी आन्तरिक तथा बाहीय कारणों के प्रति सजग रहना हमारा कर्तव्य है और इसके लिये सदन के पूरे समर्थ एवं सहयोग की आवश्यकता है ।

पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक शान्ति न होने के कारण हमें निर्यात में घाटा पड़ा। अतः निर्यात में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक शान्ति को बनाए रखना भी अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगिक श्रमिक के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए और प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। यह सच है कि हमारे देश में जैसी स्थिति है उसमें कर्मचारियों और मालिकों के बीच संघर्ष अवश्यम्भावी है। पिछले वर्ष भी यदि हम हड़तालों को रोक सकते या विवादों को तत्काल सुलझा सकते तो हमें निर्यात में वृद्धि करके कई करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकते थे। परन्तु इन झगड़ों को शीघ्र ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्पादन में बिना किसी कमी के अथवा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में बिना हानि उठाये सुलझा दिया जाना चाहिए ।

यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता तथा संतुलन और निर्यात में वृद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

सभापति महोदय : वैदेशिक व्यापार मंत्रालय की मांगों पर हमने नियत समय से 40 मिनट अधिक ले लिए हैं। इस पर और अधिक समय लेने का असर दूसरे मंत्रालय की मांगों पर पड़ेगा। अतः आप बैठ जाइए।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : मंत्री से कुछ स्पष्टीकरण लेने के बाद ही हम इस पर वोट देंगे। रेशम बोर्ड और हाथकरघा बोर्ड के दोनों मुख्यालय बम्बई से मैसूर में ले जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को क्या कठिनाई है, इस बारे में मैं स्पष्ट और विशिष्ट आश्वासन चाहता हूं।

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : रेशम उत्पादन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है और दूसरे देशों में इसे खाद्य मंत्रालय के साथ जोड़ा जाता है परन्तु हमारे देश में इसे विदेश व्यापार मंत्रालय के साथ मिलाया गया है जिन्हें रेशम उत्पादन में विस्तार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अतः सरकार को रेशम विभाग को खाद्य मंत्रालय को सौंपने के बारे में विचार करना चाहिए ।

अन्य देशों को हम करोड़ों रुपये का तम्बाकू निर्यात कर रहे हैं लेकिन निर्यात कर के कारण

हमें नुकसान उठाना पड़ा रहा है। अतः निर्यात को सुधारने के लिये मंत्री को निर्यात कर समाप्त करने पर विचार करना चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : भारतीय चाय की कीमत श्री लंका और अफ्रीका से बहुत अधिक है और इसका कारण उत्पादन शुल्क का अधिक लगाया जाना है। जोन 4 और 5 में जहां चाय का उत्पादन सबसे अधिक है, सरकार उत्पादन शुल्क कम करने पर विचार करें। क्या सरकार कार्पेट बैंकिंग पर उत्पादन-शुल्क समाप्त करने पर विचार करेगी ?

Shri Ramesh Chandra Vyas (Bhilwara) : Rajasthan Government have demanded power looms but according to their demand, these are not supplied. Besides, the woollen and cotton industry has also increased ; then what the Government are doing about suplying powerlooms. Secondly, a representation was made by some Members of Parliament to the Minister about the mills which are closed in Rajasthan. The Minister had also told us that a committee is being set up but we have no information about this inquiry.

ShriS. C. Jha (Madhubani) : Our export is falling with Britain, but the Minister has not mentioned any reasons for this fall. Moreover, Britain is going to levy a duty of 15 percent on India's import due to which our export will further come down.

Secondly, you are thinking to increase your market in America but how will you increase it ?

श्री क० नारायण राव (बोबिली) : तम्बाकू एक महत्वपूर्ण उद्योग है और यह निर्यात की वस्तु है। तम्बाकू मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण इसके उगाने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः माननीय मंत्री गंटूर में तम्बाकू बोर्ड की स्थापना के बारे में विचार करें।

Shri B. S. Sharma (Banka) : Are you lifting the duty on jute carpet backing ? There is heavy production of tobacco in Andhra Pradesh and an export of Rs.33 crores is made from our country. What steps are being taken by the Government to encourage the production of tobacco and its export.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : Rajasthan is a backward State, threfore, there should be an increase in the number of powerlooms. At present, in Rajasthan the number of spindles is 3,04156 and the number of powerlooms is 2,490. We find that in comparison to the number of spindles the number of powerlooms is quite less in Rajasthan. The production of wool is much in Rajasthan but there is discrimination in allocating the woollen thread for powerlooms which should be removed.

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : गुजरात से कपास उगाने वाले अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां आए थे। वे बड़ी मुसीबत में हैं क्योंकि उनकी कपास ली नहीं जा रही। अतः उनके प्रतिनिधित्व पर माननीय मन्त्री सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

Shri Deorao Patil (Yeatmal) : It is the policy of the Government to fix support price for the raw material. I want to know whether you are going to fix up support price for the cotton for the next year ?

Shri Rabi Ray (Puri) : The policy of the Government is not to nationalise foreign banks but it has been announced that the trade of Export Import will be nationalised. Have the Government fixed any date for nationalisation of export-import trade ?

Shri B. R. Bhagat : It is not now possible to reply all the question of hon. members. The question of export duty on tobacco and carpet backing relates to Finance Depart-

ment. There are certain questions which are in the form of suggestions. Many difficulties are experienced in shifting an office from one place to another and, therefore, at this moment I cannot say anything about shifting of Silk Board Office from Bombay to Bangalore. One hon. Member has suggested that sericulture should go to Agricultural industry It is not in our power to change, because it is the responsibility of the Prime Minister to see and allocate different departments in the Ministry. It has been decided that export-oriented industries like textile or silk, should remain under this Ministry. The purpose of imposing excise duty on tea was to reduce its consumption in our country so that more tea could be exported. The tea thus exported is free from excise duty. We have sent a delegation to America for carpet backing. As all our carpet backing is exported, therefore, we are looking on its every aspect.

There is fixed qoata of every State for powerlooms. We can make certain amendments only after having talks with the Planning Commission. If target is raised for powerlooms then Rajasthan will certainly get its share. We are not increasing woollen powerlooms because these are imported from outside. The support price is fixed every year by the Agricultural Price Commission. About nationlization of Export and Import I would like to say that as soon as we prepare ourselves that an item could be taken for import under nationalization, we take it. We have taken 38 items. In September, we would like to nationalize cotton and cashew nut. Therefore, there is no limitation of time but the delay is on our part due to our preparation.

I have mentioned today about the steps to be taken regarding Marine Product Export Agencies and so there should be no dispute in this matter.

सभापति द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

सभापति द्वारा वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिये रखी गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Ministry of Foreign Trade were put and negatived.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
34	विदेश व्यापार मंत्रालय	44,17,000
35	विदेश व्यापार	70,65,55,000
36	विदेश व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व	6,39,70,000
117	विदेश मंत्रालय की पूंजी परिव्यय	21,97,000

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय

वर्ष 1970-71 के लिए पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
74	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	44,88,000
75	भूगर्भ सर्वेक्षण	9,37,58,000
76	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	14,23,91,000
128	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	87,99,93,000

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
74	4	**श्री फ० गो० सेन**	गांव वालों को, जिन्हें अन्यथा मिट्टी का तेल पेट्रोल की कीमत पर मिलता है, उचित तथा आसानी से उपलब्ध कराने के लिये मिट्टी के तेल के पम्प देने में असफलता।	100 रुपये
74	5	**श्री पी० विश्वम्भरन**	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में, फैले भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात को रोकने में असफलता ;	100 रुपये
74	6	**श्री पी० विश्वम्भरन**	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में, स्थापित क्षमता के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन करने में असफलता।	100 रुपये
74	7	**श्री पी० विश्वम्भरन**	फर्टिलाइजर एण्ड ट्रावनकोर लिमिटेड में अत्यधिक तथा फिजूल खर्च को रोकने में असफलता।	100 रुपये
74	8	**श्री पी० विश्वम्भरन**	पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय के लिये अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों का चयन करने के लिए लोक सेवा आयोग की तरह के एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता।	100 रुपये

1	2	3 4	5
74	9	**श्री पी० विश्वम्भरन :** भारत को उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाने में असफलता।	100 रुपये
74	10	**श्री यशपाल सिंह :** भारतीय भू-सर्वेक्षण का कार्यचालन तथा उक्त संगठन को सर्वेक्षण कार्य के लिए विमानों से लैस करना।	100 रुपये
74	11	**श्री यशपाल सिंह :** भारतीय तेल निगम द्वारा पेट्रोल पम्पों तथा तेल डिपुओं का बेरोजगार इंजीनियरों को आवंटन करने की नीति अपनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	12	**श्री यशपाल सिंह :** इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को दवाइयां बनाने के लिए देशी सामग्री की खरीद करने का निदेश देने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	13	**श्री यशपाल सिंह :** रेलवे तथा इस्पात कारखानों को घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने में अनाचार।	100 रुपये
74	14	**श्री यशपाल सिंह :** सिलिंडरों की अनुपस्थिति में अंकलेश्वर क्षेत्र में जो गैस लगायी जा रही है उसकी बचत करने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	15	**श्री यशपाल सिंह :** दवाइयों की कीमतों में आमतौर से कमी करने तथा आयातित दवाइयों के स्थान पर देशी दवाइयां तैयार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	16	**श्री यशपाल सिंह :** उत्तर प्रदेश की दून घाटी में तेल के सम्बन्ध में खुदाई कार्यों को तेज करने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	17	**श्री यशपाल सिंह :** मिट्टी के तेल की कीमत कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	18	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** कोरबा फर्टीलाइजर फैक्टरी में उत्पादन होने में बिलम्ब।	100 रुपये
74	19	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** उर्वरक के मूल्य कम करने में असफलता।	100 रुपये
74	20	**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** देश में उर्वरक की मांग को पूरा करने में असफलता।	100 रुपये
74	21	**श्री गणेश घोष :** सरकार द्वारा सभी विदेशी तेल कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	22	**श्री गणेश घोष :** भारत में चल रही विदेशी तेल कम्पनियों को सस्ता रूसी कच्चा तेल साफ करने तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करने के लिये बाध्य न करना	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3	4	5
74	23		**श्री गणेश घोष** : भारत सरकार और विदेशी तेल कम्पनियों के मध्य तेलशोधन सम्बन्धो करारों को साधारण लाइसेंसिंग करारों में परिवर्तित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	24		**श्री गणेश घोष** : विदेशी तेल कम्पनियों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी कमी करने के लिये बाध्य न करना ताकि ये मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर हो जायें।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	25		**श्री गणेश घोष** : बिड़ला बन्धुओं को गोवा में उर्वरक कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस देना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	26		**श्री गणेश घोष** : उर्वरक के मूल्य कम करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	27		**श्री गणेश घोष** : सरकारी क्षेत्र में और अधिक उर्वरक कारखाने लगाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	28		**श्री गणेश घोष** : मिट्टी के तेल का मूल्य कम करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	29		**श्री गणेश घोष** : उच्च-अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	30		**श्री गणेश घोष** : खानों में, विशेषकर सरकारी खानों में ठेका-श्रम पद्धति समाप्त करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	31		**श्री गणेश घोष** : कोयले की सभी खानों का राष्ट्रीयकरण न करना अथवा कम से कम उनका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में न लेना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	32		**श्री गणेश घोष** : कोयला खानों के खुदाई कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर हो रही छंटनी को रोकने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
74	33		**श्री गणेश घोष** : भारतीय तेल निगम की कलकत्ता शाखा के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों की दो प्रतियोगी यूनियनों के झगड़े में पक्षपात करना।	100 रुपये
74	34		**श्री गणेश घोष** : भारतीय तेल निगम की कलकत्ता शाखा के प्रबन्धकों द्वारा प्रतियोगी यूनियन के कहने पर भारतीय तेल निगम कर्मचारी संघ के 6 नेताओं को मुअत्तिल करना।	100 रुपये

1	2	3	4	5
74	35	**श्री गरोश घोष** : डिब्बाबन्दी तेल परियोजना के अधिकारियों की स्थानोय कर्मचारियों के प्रति बदले की भावना तथा कार्यवाही ।		100 रुपये
74	36	**श्री गरोश घोष** : डिब्बाबन्दी तेल परियोजना को कलकत्ता स्थित कार्यालय से यूनियन के नेताओं से बदला लेने के उद्देश्य से उनको असम स्थित कार्यालय में बदली करना तथा उनके पदों पर नई भर्ती करना ।		100 रुपये
74	47	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : भारत में उपलब्ध अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का उचित उपयोग करने में असफलता ।		100 रुपये
74	48	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : देश को रासायनिक प्रौद्योगिको में आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।		100 रुपये
74	49	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : रासायनिक कारखानों को लाभ पर चलाने में असफलता ।		100 रुपये
74	50	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : छोटी कोयला खानों की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करने में असफलता ।		100 रुपये
74	51	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : ग्रामीण क्षेत्रों में कोयले के उपयोग करने का प्रोत्साहन देने में असफलता जिससे गोबर की रक्षा की जा सके ।		100 रुपये
74	52	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : नेप्था पर आधारित उर्वरक कारखानों के लिए प्रोत्साहन देने में असफलता !		100 रुपये
74	53	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : उर्वरक का उत्पादन करने के लिए अमोनिया के कारखाने लगाने में असफलता ।		100 रुपये
74	54	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : गैस का उचित उपयोग करने तथा इसका इसका दुरुपयोग रोकने में असफलता ।		100 रुपये
74	55	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : समुद्र तट के निकट तेल की खोज करने के सम्बन्ध में जापान द्वारा सहयोग देने के प्रस्ताव की उपेक्षा ।		100 रुपये
74	56	**श्री ओम प्रकाश त्यागी** : उर्वरकों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।		100 रुपये
74	57	**श्री शिवचन्द्र झा** : भारतीय उर्वरक निगम में व्याप्त नौकरशाही न रोकना ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय
74	58	**श्री शिव चन्द्र झा** : गोवा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए बिरला को लाइसेंस देना ।		राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये

1	2	3 4	5
74	59	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कारखानों के कार्य में सुधार लाने की आवश्यकता।	100 रुपये
74	60	**श्री श्रद्धाकर सूपकार** अलौह धातुओं में आत्मनिर्भर बनने में धीमी प्रगति।	100 रुपये
74	61	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** भारत में तेल का उत्पादन विवरण तथा मूल्य।	100 रुपये
74	62	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** दवाइयों और रसायन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में धीमी प्रगति।	100 रुपये
74	63	**श्री राम चरण :** इण्डेन गैस की एजेंसियां देने में अनुसूचित जातियों, जन-जातियों के लिए आरक्षण न रखना।	100 रुपये
74	64	**श्री राम चरण :** पेट्रोल पम्पों के नियतन में अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के लिए आरक्षण न रखना।	100 रुपये
74	65	**श्री राम चरण :** भारतीय तेल नियम के उत्पादों की एजेंसियां देने में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण न रखना।	100 रुपये
76	66	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** गोवा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए बिरला बन्धुओं को लाइसेंस देना।	100 रुपये
76	67	**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** भारत में उर्वरक का आयात।	100 रुपये
76	68	**श्री राम चरण :** इण्डेन गैस की एजेंसियों के लिए जिन अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए व्यक्तिथों ने आवेदन दिए थे, उन पर विचार न करना।	100 रुपये

श्री मनुभाई पटेल (डभोई) : मैं इस महत्व पूर्ण मंत्रालय की मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। यह मंत्रालय औषधियों के माध्यम से मनुष्यों के स्वास्थ्य को, उर्वरकों के माध्यम से भूमि की उर्वरता को तथा पेट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य खनिज-पदार्थों की खोज और उनकी खुदाई के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने का कार्य करना हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस मंत्रालय के मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री डा० त्रिगुण सेन हैं। किन्तु मंत्रालय में कुछ निर्णय राजनीतिक आधार पर कर लिए जाते हैं, इन्हीं के सम्बन्ध में मैं चर्चा करूंगा।

पहले इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड को ही लीजिए। रूस ने 1959 में 10 करोड़ रूबल की सहायता कर प्रस्ताव किया था। हमने बिना किसी परियोजना रिपोर्ट के ही उसे स्वीकार कर लिया। हमारे यहां पांच परियोजनाएं हैं और पांचों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। ऋषिकेष में जो परियोजना है उस पर 25 करोड़ रुपये लगाये गये हैं किन्तु उसमें 10 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय राजनीतिक आधार पर किया गया। हैदराबाद में औषधियों का उत्पादन होता है किन्तु वहां के माल को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाये यह प्रश्न अभी ज्यों का त्यों बना हुआ। तीसरा एक मद्रास सर्जीकल इस्ट्रूमैंट है। उस पर 6 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है और उसमें 4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस एकक में उन उत्पादों का उत्पादन न हो सका जिनके लिए वह स्थापित किया गया था। वहां पर अब छुरी, कांटा, चम्मच आदि बनाये जा रहे हैं। अब वे उपभोता वस्तुओं के उत्पादन की बात सोच रहे हैं। चौथी परियोजना है फाइटो-कैमिकल्स, जिस पर 30 लाख रुपये की राशि की गई किन्तु इतनी राशि खर्च करने के बाद भी उसे बीच में ही छोड़ दिया गया। बम्बई ग्लेन्डूलर नामक पांचवी परियोजना पर तो काम शुरू ही नहीं किया गया? दूसरी ओर हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स एकक है जो संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष की सहायता से लगाया गया और जिसमें पेनसिलिन और स्ट्रप्टोमाइसिन का उत्पादन होता है। उन्होंने 3.5 करोड़ रुपये की ऋण-राशि का भुगतान कर दिया है और आज उनके पास 6 करोड़ रुपये के मूल्य के संशोधन हैं। यह तो इसलिये हुआ था कि इनका उन कम्पनियों के साथ अच्छा सहयोग था जिनको इन तकनीकों का अच्छा ज्ञान था जब कि रूस के साथ इन्हीं सहयोगों में मशीनरी तथा औद्योगिकी आधुनिक सामान के मुकाबले पुरानी पड़ गई थी। रूस के नक्शों के अनुसार बनाये गये शल्य चिकित्सा के औजारों का भी यहां उपयोग नहीं किया जा सकता।

ऋषिकेश में रूस के तकनीशनों पर प्रति वर्ष 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक व्यय किया जा रहा है तथा वे विस्तार के लिये मांग करते रहते हैं और हम उन्हें विस्तार करने की इजाजत दे देते हैं। किस लिये? हमारी ईकाइयों पर प्रयोग करके उनसे लाभ उठाने के लिये किया जा रहा है। इसका एक ही उपाय है कि वहां के तकनीशनों को हटा दिया जाये।

मद्रास शल्य चिकित्सा औजार कारखाना जहां पर 6 करोड़ रुपये में से 4 करोड़ रुपये का घाटा होता है, उसे भी बन्द किया जाना चाहिये।

उन्होंने इंडियन ड्रग्स एन्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बाजार संगठन पर बहुत पैसा खर्च किया है। छोटे अभिकरणों की अवहेलना करते हुये उन्होंने वोल्टास के साथ अनुबंध कर लिया है। वोल्टास अधिक कीमतें मांगकर सरकार की कीमतों में कमी करने की नीति को नीचा दिखा रहे हैं। इसलिये इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के माध्यम से कार्य कर रहे निहित स्वार्थों को भी कार्य करने से रोका जाना जाहिये।

एक बहुत महत्त्वपूर्ण तथा बड़ा पेट्रो-रसायन समूह भी ऐसा आकार धारण कर रहा है जिससे रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले उद्योगों में भारी परिवर्तन होने जा रहा है तथा उन्नति के नवीन मार्ग खुलने जा रहे हैं। यूडेक्स योजना प्रारम्भ हो गई है। नेफ्था क्रेकर के बारे में मैं नहीं कह सकता कि इस पर सहयोगियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये अथवा नहीं किये गये परन्तु 1978 तक अंकलेश्वर के तेल के कुंए सूख जाने के प्रश्न का मंत्री महोदय

ने स्पस्ट उत्तर न देकर केवल यही कहा कि 1976 तक तेल उत्पादन की दर वर्तमान समय जैसी ही रहेगी तथा उससे कुछ कम हो जायगी। अंकलेश्वर के तेल क्षेत्रों को सूख जाने की संभावना के कारणों का पाता लगाने के लिये एक विशेषज्ञों का आयोग नियुक्त किया जाये अन्यथा कुछ समय बाद कठिनाई होगी।

24,000 टन डी एम टी का उत्पादन किया जाना है। अतिरिक्त पोलिस्टर क्षमता प्रदान नहीं की गई है जिसका तात्पर्य है कि डी एम टी को हटाया नहीं जायेगा बल्कि यह एक समस्या हो जायेगी। असम में पोलिस्टर क्षमता प्रदान की गई है जिससे स्पष्ट है कि इसे यहां से हटाकर असम ले जाया जायेगा।

सरकार ने कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन उद्योगों को प्रारंभ करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इस परियोजना को पेट्रो-रसायन समूह वाले क्षेत्र में ही प्रारंभ किया जाना चाहिये।

उप उद्योगों के बारे में भी सरकार की नीति अनिश्चित है। यह मालूम नहीं चलता कि कब लाइसेंस रद्द किये जाकर सरकार द्वारा उद्योग अपने हाथ में ले लिये जायें। उदाहरण के लिये एक्रीलोनीब्राइस को पेट्रो-रसायन समूह में ले लिया गया। बी ए तथा सी वी ए धागे के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा एक्रीलोनीब्राइल और क्वेरीलाइन धागा को समन्वित परियोजना को टाटा को दे दिया गया। इनके साथ साथ लाइसेंस देने की नोति में भी अनिश्चितता है।

जब ये उप उद्योग क्रियान्वित होंगे तो कई समस्यायें सामने आयेंगी और हमें पेट्रो-रसायन समूह अनुसंधान संस्थान स्थापित करना चाहिये। मैं मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वे उप उद्योग ईकाइयों को सहकारिता के क्षेत्र में रखें। पेट्रो-रसायन समूह की अध्यक्षता के लिये क्या हो रहा है ? जब मंत्री जी शिक्षा मंत्री थे उन्हें पेट्रो-रसायन मंत्री रहते हुये सिद्ध करना होगा कि वह राजनीतिक दबाव में नहीं आते हैं। इस निगम को अध्यक्ष का निर्णय हो गया; राज्य सरकार ने इसका निर्णय कर दिया परन्तु वे साथ साथ नहीं चलते हैं इसलिये देर हो जाती है।

मेरा अगला विषय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में है। इसका वर्तमान मुख्यालय देहरादून में हैं जहां 5,000 अधिकारी तथा कर्मचारो काम करते हैं और संभवतया वहां तेल की एक बूंद भी उत्पन्न नहीं होती है। श्री के० डी० मालवीय के मंत्रिपद के समय पूरे समय कार्य करने वाला कोई अध्यक्ष नहीं मिलता था तब वहां मुख्यालय रखा गया था परन्तु अब तो दो क्षेत्र हैं। दोनों प्रदेशों में स्वायत्त आयोग होने चाहिये। एक तो शिवसागर तथा दूसरा बड़ौदा में होने चाहिये। अन्यथा इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकेगा।

जहां तक तेल की खुदाई की बात है, गुजरात के 350 तेल वाले कुंओं में से 56 तो गैस के थे तथा 121 सूखे थे तथा कहा यह जाता है शत प्रतिशत कुएं तेल के हैं। इनका कार्य भी आयोग के अन्तर्गत आना चाहिये। उन्हें इसका परीक्षण करनी पड़ेगी।

गुजरात स्थित कोयली शोधशाला की क्षमता 43 लाख टन है। वहां पर 16 तेल के कुएं हैं। वहां से कच्चा तेल भी प्राप्त होगा तथा हमने गुजरात में एक दूसरी शोध शाला स्थापित करने का सुझाव दिया था क्योंकि सानन्द नवगांव तथा कठाने और कई तेल के क्षेत्र हैं परन्तु असम में दूसरी

शोध शाला खोलने की स्वीकृति दी जायेगी । इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि कच्चे तेल की मात्रा प्रर्याप्त नहीं होने के कारण इसका आयात करना पड़ेगा । यह तो स्पष्टतया राजनीतिक विचार है ।

हमारा पेट्रो-रसायन के विकास से विरोध नहीं है परन्तु जो समस्यायें पैदा होती हैं उन्हें सुलझाया जाना चाहिये ।

ईंधन के तेल का मूल्य निर्धारण आयातित भट्टी के तेल के आधार पर होता है । इसे गुजरात के कच्चे तेल की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये तथा गुजरात को अलग खण्ड समझा जाना चाहिये । कच्चे तेल की कीमत को कोयली शोध शाला के साथ जोड़ा जाना चाहिये । 1965 की तालुकदार समिति ने सिफारिश की कि आर एफ ओ की कीमत सम्बन्धित पक्षों द्वारा तय की जानी चाहिये । इस सिफारिश को नहीं माना गया । उनके आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल मूल्य 24 रुपये से 26 रुपये तक होता है कि तथा उसका 60 प्रतिशत जो कि 15 रुपये से 16 रुपये तक होता है वह मूल्य आर एफ ओ का पड़ता है ।

अहमदाबाद विद्युत कम्पनी ने कहा कि वे जितना तेल उन्हें दिया जायेगा उसे स्वीकार कर लेंगे पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कहा कि वे दो वर्षों बाद आवश्यकता पड़ने वाली सहकारिता किसान उर्वरक कम्पनी के लिये गैस संचित कर रहे हैं । परन्तु अभी तक इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

तेल बाजार में भी बड़ा भारी कुप्रबन्ध है अतः एक विशेष परामर्श समिति की स्थापना को जानी चाहिये जो कि राज्य की समितियों तथा जिला की समितियां को मिला कर बनाई जाये तथा जो व्यवस्था की जांच करे ताकि विलम्ब न हो ।

सभापति महोदय : अगले वक्ता श्री रा० बरुआ हैं । उनके दल को 1 घण्टा 54 मिनट दिये जाते हैं । दो मंत्रियों को भी भाषण देना है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : तीन मंत्री भाषण करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : तीन मंत्रियों के अलावा 9 वक्ता है । यदि प्रत्येक वक्ता 6-7 मिनट बोले तो ठीक है । अब श्री बरुआ भाषण करेंगे ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : इस वर्ष हम 69.7 लाख टन से अधिक कच्चा तेल उत्पादित नहीं करने जा रहे हैं तथा हमारी आयात की आवश्यकता 125.8 लाख टन की है गत 18 वर्षों में कुछ भी किया गया है; कच्चे तेल का उत्पादन केवल 1500 लाख टन है । अनुमान के अनुसार भारत की तेल क्षमता 10,000 लाख टन से अधिक नहीं होगी । अभी ऐसा समय आ गया है जब मंत्रालय को ईंधन नीति तथा तेल खोजने की नीति निर्धारित करनी चाहिये । 1974 में हमारा तेल उत्पादन 85 लाख टन हो जायेगा तथा हमें 207.7 लाख टन तेल के आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

हमें प्रति वर्ष आयात पर निर्भर करना पड़ता है अतः सरकार को ऐसी ईंधन नीति निर्धारित करनी चाहिये जिसके द्वारा देश की आवश्यकता कितना तेल शक्ति के विभिन्न संसाधनों से आता है, उनसे सम्बंधित अर्थ स्थिति विदेशी मुद्रा पर लागत तथा हम उसे कितना खर्च कर सकते हैं आदि सब बातें निर्धारित की जा सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो निकट भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।

जहां तक तेल खोज का सवाल है, गत 8 वर्षों में जितना हमने व्यय किया है उसके मुकाबले त्रिपुरा आदि स्थानों पर किये गये कार्यों द्वारा उपलब्धि उतनी नहीं हुई है।

गहरे समुद्र में खुदायी के लिये हमें दो विश्वों के सैद्धान्तिक मतभेदों में अपने आपको नहीं डालना चाहिये वरन आधुनिक मशीनरी तथा तकनीकी जानकारी हासिल करनी चाहिये जिससे देश की सम्पदा में वृद्धि हो।

असम में कच्चे तेल की शोध क्षमता बढ़ने जा रही है तथा वहां पर अतिरिक्त तेल मिलेगा उसे भी साफ किया जायेगा। हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के बारे में हमें बताया गया है कि परशियन गल्फ से बरौनी तक तेल पहुंचाने के लिये यह बनाई गई है। अब हमें यह बताया गया है कि इसे ऐसे कच्चे तेल जिसमें तेज गंधक हो, असम से बरौनी की तीसरी ईकाई तक लाने के लिये बनायी गयी है। यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार कोई ऐसी नीति अपनाने के लिये तैयार नहीं है जबकि 4 करोड़ रुपये की लागत से उसे सारी बात बदलती है। 1972 तक तो यह ईकाई बेकार हो जायेगी। सरकार क्यों नहीं इन पाइपों के जरिये इन्डोनेशिया से बिना किसी शर्त में परिवर्तन किये तेल ले लेती है जिसमें गंधक की मात्रा अधिक है?

असम में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना का विचार अच्छा है। मन्त्री जी ने यह ठीक ही कहा है कि पेट्रोलियम कच्चे तेल की अर्थ स्थिति से अतिरिक्त शोध शाला खोली जा रही है, न कि राजनीतिक दबाव से।

मैं अब उर्वरक के बारे में कहना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि हम कृषि क्रान्ति कर रहे हैं परन्तु ऊंची नस्ल का बीज प्रयोग करके तथा उत्पादन बढ़ा कर ही हम सही अर्थों में कृषि क्रान्ति ला सकते हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारत में उर्वरक का उपभोग बहुत कम है। 1968-69 में फिलिपाइन्स में प्रति व्यक्ति 4.81 किलोग्राम उर्वरक के उपभोग की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति 2.48 किलोग्राम उपभोग हुआ। 14.55 किलोग्राम उर्वरक प्रति व्यक्ति कोरिया में, 14.80 किलो ग्राम इसरायल तथा 21.44 किलोग्राम जापान द्वारा उपभोग किया गया। सब देशों में न्यूजीलैंड का प्रति व्यक्ति उर्वरक का उपभोग सबसे अधिक था और वह था 153.71 किलो ग्राम।

अत: हमें अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वरक उत्पादक सुविधायें प्राप्त करनी पड़ेगी तथा इस मामले में राजनैतिक वाद-विवाद नहीं करना है जैसा कि गोवा की उर्वरक परियोजना पर किया गया तथा फलस्वरूप वह क्रियान्वित नहीं हो सकी। लेकिन अब इसको स्वीकृति दे दी गई है और यह आशा की जाती है कि इस परियोजना को पूरा किया जायेगा, इसलिये नहीं कि यह किसी व्यक्ति को दिया गया है, अपितु इसलिए कि इससे हमारा उत्पादन शीघ्रता से होगा। इसलिये और भी दूसरी गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें पूरी होंगी।

औषधियों की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 'आई० डी० पी० एल०' को देश में मूल औषध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था, आज इसकी दशा बुरी है। इस पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि 'आई० डी० पी० एल०' असफल हो जाता है, तो औषध के मूल्यों को कम करने की बात करने का कोई लाभ न होगा। आज दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में इसकी तीव्र आलोचना हो रही है।

हैदराबाद यूनिट में हड़ताल हो रही है। सरकार को बीच बचाव करके सब कुछ ठीक कर देना चाहिये।

यह एक अजीब बात है कि नामरूप में इंजीनियरी उपाधि न रखने वाले लोगों को भी प्रतिष्ठित इंजीनियरों को दिये जाने वाले वर्तमान मिले हुए हैं। सिन्दरी में भी एक अधिकारी, जिसे 4 वर्ष पूर्व 400 रुपये के वेतन पर नियुक्त किया गया था, अब उसे ऐसे पद पर उन्नति दे दी गई है जिसका वेतन 2700 रुपये हैं। ऐसी बेकायदगियों को करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देगें।

कच्चे तेल आदि के विदेशों से आयात के लिए तेलपोतों को किराये पर लेने के सम्बन्ध में अपकीर्तिपूर्ण बातें हो रही है, कुछ दलालों को नियुक्त किया गया है लेकिन उनका कार्य सन्तोषजनक नहीं है और धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

बरौनी शोधनशाला में तेल मैल को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

पेट्रो-रासायनिक समूह और आसाम में परिष्करणशाला के सम्बन्ध में मन्त्री जी को बताना चाहिये कि क्या बजट में इसके लिए आवश्यक धन की प्रर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी। बजट और योजना में सही रूप से धन रखा जाना चाहिये। बहुत समय पूर्व हमें यह कहा गया था कि नूनमति के लिए धन दिया जा रहा है परन्तु यह धन अब तक नहीं मिला। अतः बजट और परि-योजना में इसके लिए उपयुक्त आबंटन किया जाना चाहिये ताकि आसाम के लोग भी देश के लोगों के साथ कदम मिला सके।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) : हमारी अर्थ व्यवस्था के निर्णायक क्षेत्रों—जिनमें उद्योग, व्यापार, कृषि, सुरक्षा, लोक स्वास्थ आदि से लिया जा सकता है—के विकास और सुचार-रूप से कार्य करने का दायित्य पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय का है। यह ठीक है कि मंत्रालय ने गत कुछ सप्ताहों में विदेशी तेल कम्पनियों को अपने कच्चे तेल के दामों को घटाने और औषधनिर्माताओं को औषधियों के भाव घटाने के आदेश दिये और कीमतों को कम करने में सफल भी हुये। परन्तु इस मन्त्रालय ने समय समय पर जिन अवलोकनाभावों, अप्रयासों, दुषित योजनाओं, क्रियान्वति और समन्वय अभाव का परिचय दिया, उसके लिए कोई उसकी सराहना नहीं कर सकता।

समय कम होने के कारण मैं मन्त्रालय की कार्य-अक्षमताओं और दुर्बलताओं के कुछ ज्वलंत उदाहरण को ओर ही संकेत करूंगा। प्रत्येक वर्ष पैट्रोलियम और उससे सम्बद्ध पदार्थों की आवश्यकता सभी वर्गों के लोगों को पड़ती है। हमारे यहां कच्चे तेल को शुद्ध करने के लिए जो तेल शोधनशालायें है उनकी शोधन-क्षमता बढ़ाने के लिए मन्त्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छी नीति तो यही होती कि हम अपना उत्पादन बढ़ा कर विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करते। यह मन्त्रालय दूर दर्शिता से कोई कार्य नहीं करता।

यह सर्वविदित है कि 1975 में 3 करोड़ 40 लाख टन कच्चे तेल की आवश्यकता है। 1974–75 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 60 से 70 लाख टन कच्चे तेल के उत्पादन की योजना है। इस प्रकार 1974–75 में 2 करोड़ 70 लाख टन तेल कम होगा। हमें पहले ही करोड़ों रुपया प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा पर खर्च करना पड़ता है और सरकार ने 200 करोड़ रुपये के घाटे का

बजट प्रस्तुत किया है। यह कोई असाधारण बात नहीं है। प्रथम तो हमारा देश पहले ही गरीब है और फिर जो माल हम विदेशों से मंगवाते हैं उसके लिए अपेक्षित कच्चा माल हमारे ही देश में काफी क्षेत्र है। अपने ही देश के साधनों का प्रयोग न करना क्या हमारी सरकार की अर्थ व्यवस्था के प्रति उदासीनता नहीं है? 6 वर्ष पूर्व किए गए भूगर्भीय एवं भुकम्पीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि कैम्बे की घाटी, देश के पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्र तटों पर तेल के पर्याप्त भंडार हैं। लेकिन फिर भी हमने तेल खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल उथले पानी में तेल निकालने के प्रयास अवश्य हुए हैं। अमरीका और जापान ने तेल निकालने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया था। टेनक्को ने कम्पनी ने कुछ शर्तें रखी थीं। पहली यह कि तेल की खुदाई का जोखिम वह खुद लेगी। दूसरी यह कि यदि कार्य में असफलता मिली तो व्यय किए गए धन का वह न करेगी। तीसरी यह कि यदि कार्य में सफलता मिली तो वह कम हिस्से वाले भागीदार के रूप में कार्य करेगी। चौथी शर्त थी कि व्यापारिक खोजों से पहले तेल का पता लगाने पर जो लागत आएगी, उसकी 51 प्रतिशत प्रति पूर्ति लेगी। पांचवी शर्त यह थी कि लाभ के हिस्सों पर अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत होगी। लेकिन सरकार कई वर्षों तक निर्णय नहीं ले सकी।

इसी प्रकार जापान ने भी ऐसा प्रस्ताव रखा था परन्तु सरकार ने उस पर निर्णय नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आता कि देश में उपलब्ध तेल-सम्पत्ति की खुदाई के लिए कार्य क्यों नहीं किया जाता? हम कच्चा तेल आयात करने के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं परन्तु अपने ही देश में प्राप्त संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे। समाचार पत्रों से भी ज्ञात होता है कि सरकार लगातार इस मामले में टाल-मटोल कर रही है। रूस से जो विशेषज्ञ आये थे उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि इस समय भारत के लिए समुद्री तट से दूर तेल की खुदाई का काम प्रारम्भ करना उचित नहीं है और विशेषतः वहाँ पर जहां समुद्र की गहराई 40 से 50 मीटर से अधिक है क्योंकि हमारे पास तकनीकी साधनों एवं व्यावहारिक अनुभव का अभाव है। परन्तु कई ऐसे देश हैं जो 40 से 50 मीटर गहराई वाले समुद्र में खुदाई का काम करते हैं और उनके पास तकनीकी साधन भी हैं और व्यावहारिक अनुभव भी, हमने उन देशों से कोई सलाह नहीं ली और केवल रूस द्वारा दिए गए परामर्श का अनुसरण किया हालांकि रूस इस क्षेत्र में नौसिखया है। अतः इस बात पर भी सन्देह किया जा सकता है कि रूस नहीं चाहता कि हम राष्ट्रीय सम्पति को अधिक उपार्जन करें।

1968–69 में उर्वरकों की खपत 19 लाख टन बताई गई है जिसमें से नाइट्रोजन उर्वरकों एवं फास्फोटिक उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन क्रमशः 541000 टन एवं 21600 टन था। अतः 1969 में हमें 11.90 लाख टन उर्वरकों का आयात करना पड़ा जिसकी कीमत 270 करोड़ से ऊपर थी। 1969–70 में नाइट्रोजन उर्वरकों और फास्फोटिक एवं पोटाश उर्वरकों की खपत का लक्ष्य क्रमशः 20 लाख टन एवं 13.50 लाख टन है। इसी प्रकार उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 14 लाख टन एवं 7 लाख टन है। इस प्रकार हमें 1969–70 के दौरान 10 लाख टन से ऊपर उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस योजना के अनुसार 1973–74 में नाइट्रोजन उर्वरकों एवं फास्फोटिक उर्वरकों की खपत 37.50 लाख टन एवं 29 लाख टन होगी और इस प्रकार उत्पादन लक्ष्य बहुत कम रहेगा और हमें आयात करने की आवश्यकता बनी रहेगी।

प्रश्न यह है कि जितनी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वह क्षमता समय पर

उत्पन्न की जायगी जिससे हमारी मांगें पूरी हो सके और क्या कच्चा माल समय पर उपलब्ध हो सकेगा या हमें केवल आयातित वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ेगा ?

1969 में अधिष्ठापित क्षमता 15.65 लाख टन थी जब कि वास्तविक उत्पादन केवल 8.8 लाख टन हुआ। निर्धारित समय के भीतर हमारी नई परियोजनाएं पूरी नहीं होती। उर्वरकों के कीमतों में बढ़ौतरी, आयातित उर्वरकों की उपलब्धि में विलम्ब एवं उर्वरकों के खरीद के लिए ऋण में अभाव के कारण उर्वरकों की कुल खरीद पर असर पड़ा है। अनिर्णय, सूझ बूझ की कभी कसौटी में लगातार परिवर्तन एवं बाहरी प्रभावों के कारण उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भर होने में बाधा उत्पन्न हुई है। इसी कारण हमें प्रति सप्ताह विदेशी मुद्रा का घाटा होता है। एक तरफ तो हम दरिद्रता से मुक्ति पाने और समाजवादी ढांचे को स्थापित करने की बात कहते है और दूसरी ओर हम स्वयं उस मार्ग में बाधांए उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से हमें करोड़ों रुपये का घाटा होता है। हम उर्वरकों के आयात में करोड़ों रुपये व्यय करते हैं टाटा ने मीठापूर में उर्वरक संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। परन्तु सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं दिया। पहले तो सरकार ने उत्तर दिया कि यह संयन्त्र नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सरकार यह निश्चिय नहीं कर सकी है कि इतना बड़ा संयन्त्र गैर-सरकारी क्षेत्रों में लगाना चाहिए या नहीं। सरकार की नीति गैर सरकारी उद्यम को उर्वरकों के निर्माण से वंचित करने की नहीं है। फिर भी इस मामले में सरकार ने पहले तो यह तर्क दिया कि वह निश्चय नहीं कर सकी है कि इतना बड़ा संयन्त्र गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाया जा सकता है या नहीं। तदन्तर सरकार ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से हमें ऐमोनिया के आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा सरकार ने यह भी तर्क दिया कि टाटा ने जिन विदेशी संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त होने की आशा की थी, वह सहायता मिलेगी भी या नहीं, इसके बारे में निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

अब मैं उन उद्योगों एवं उद्यमों के बारे में कहना चाहता हूँ जो रसायन विभाग के अन्तर्गत आते हैं।

इस मन्त्रालय के प्रतिवेदन में इंडियन ड्रग एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के नियंत्रणान्तर्गत तीन संयंत्र बताये गये हैं। किन्तु उनके कार्य संचालन के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया गया। ये तीनों संयंत्र रूस की सहायता से काम कर रहे हैं। दो संयंत्रों में एक ही औषधि के निर्माण पर पृथक पृथक लागत आती है। पिम्परी में स्ट्रेप्टोमाइसिन पर 295 रुपये प्रति किलो खर्च आता है जबकि ऋषिकेश में उस पर 700 रुपये प्रति किलो की उत्पादन लागत आती है। ऋषिकेश वाले संयंत्र के बारे में प्रतिवेदन में जो कहा गया है उससे यह अनुमान होता है कि वहां घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण होता है। वहां शुद्धता और सफाई का अभाव रहता है। जीवन के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण औषधियों के बारे में, भी इतनी उपेक्षा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

खान तथा धातु विभाग के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां आज अलुमिनियम की बहुत अधिक कमी है। उसका निर्यात भी रोक दिया गया है। फिर क्या कारण है कि हम इस क्षेत्र के उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। मन्त्री महोदय के अलुमिनियम के बारे में भी कुछ बताना चाहिए।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : Sir, while participating in the discussion on the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metal I feel that as if we have all things in our own house, but even then we beg for them. As regards the availability of minerals in our country, there are all minerals in our country, but unfortunately we have not been able to exploit them even after 22 or 23 years of independence. It is regrettable for us that we still continue to depend on imports and we have to spend our valuable exchange on imports of such minerals as are available here. It is very much necessary to fully utilize all the mineral resources available in the country in order to develop our economy. Minerals like copper, lead. zinc, iron ore mangenese and Bauxite are in abundance in our country. These all are important and valuable minerals.

As regards the copper we have about 240 million tonnes of copper deposit in our country. But our requirement is only 1.24,000 tonnes. Even then we are not able to fulfil our requirements. Similarly in the case of Zinc. our capacity is 57.5 million tonnes but we are unable to meet our requirement of 1,42,000 tonnes. It is thesfore. very much necessary that more attention should be paid to the exploitation of mineral resources in the country.

As regards Khetri copper project a sum of Rs.13 crores has been spent on this project but the production so far is not even worth Rs.1,300. It is all due to the sense of irresponsibility of the officers concerned. If this state of affairs continue , our public sector will be completely ruined. There is an other project namely the Hindustan Zinc. Limited on which we have spent about Rs.12 crores. But it is running on a monthly loss of Rs.10 lakhs. Its capacity is not being fully utilized. Still Government propose to set up another Zinc plant at Vishakhapatnam. It is not proper. Before setting up another plant the first should be run to its full capacity. This can be done if the Zawar mines are fuly developed.

Recently large deposits of rock phosphate has been found near Udaypur in Rajasthan. So far we have been importing this mineral. If the deposits of rock phosphate is fully utilised a large amount of foreign exchange can be saved. There are several other minerals like gypsum, bauxite, pyrite, mica and lead etc. in sufficient quantity in Rajasthan. All possible efforts should be made to utilise these deposits for the economic development of the country.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कोयले उद्योग के बारे में मेरी धारणा यह है कि यह उद्योग रुग्णावस्था में है। सरकार ने इस उद्योग के सामने जो समस्याएं हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और इसी कारण उसका विकास जहां का तहां रुक गया है। सरकार और योजना अयोग ने मांग का आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाया। परिणामतः तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में क्षमता बढ़ा दी गई। किन्तु अब उस क्षमता का ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसी बीच कोयले की उत्पादन लागत बढ़ गई और इस उद्योग ने कोयले के मूल्य में वृद्धि की मांग भी की है उनकी यह मांग उचित भी है। दूसरी ओर सरकार ने कोयले से नियंत्रण उठा लेने का निर्णय किया है। कोयला उद्योग के सामने अब यह समस्या है कि उसके पास अब माल इकट्ठा होता जा रहा है। उसकी यह स्थिति है कि उसे रेलवे और विद्युत समवायों के साथ सौदे करने के लिए वाध्य होना पड़ता है। इस उद्योग ने मूल्यों में 2.50 रुपये प्रति टन की मांग की थी, किन्तु परिस्थितिवश उसे केवल 70 पैसे की वृद्धि पर ही सहमत होना पड़ा। इस उद्योग की आर्थिक स्थिति कमजोर है। यदि सरकार चाहती है कि यह उद्योग विकास करे, तो उसकी सहायता की जानी चाहिए। कोयला उद्योग को अपचय छूट दी जानी चाहिए। इस उद्योग को जो विकास छूट दी जाती

थी वह भी घटाकर 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दी गई है। यदि यही स्थिति चलती रही तो कोयला उद्योग की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकेगी।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में अदक्षता तथा कुप्रबन्ध है। अधिकांश कोयला खानों को हानि उठानी पड़ी है, यह सच है कि कुछ खानों को लाभ भी हुआ है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की परियोजनाओं की पूरी क्षमता का दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रयोग नहीं किया गया है। पर्याप्त मांग न होने के कारण तीसरी पंच वर्षीय योजना की कुछ परियोजनाओं को बन्द कर देना पड़ा है। इन खानों के पूंजीगत तथा रखरखाव का व्यय बहुत अधिक है। कोयलाखानों का प्रबन्धकों का आयोजन इतना खराब है कि व्यर्थ का व्यय बहुत अधिक होता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों पर ध्यान दें ताकि इनमें कुछ सीमा तक दक्षता आ सके और कि सरकारी खजाने को निरन्तर हानि न उठानी पड़े।

नागर लेखा का प्रयोजन ही घाटे वाले क्षेत्रों की ओर संकेत करना होता है ताकि उनको सुधारने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जा सके और सम्बन्धित एकक लाभ अर्जित कर सके।

जापान में एक कारखाना स्थापित करने में दो वर्ष लगते हैं परन्तु हमारे देश में गैर सरकारी क्षेत्र को कारखाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में दो वर्ष लगते हैं। सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस तो मिल जाता है परन्तु कारखाना स्थापित करने में चार से पांच वर्ष लग जाते हैं। उत्पादन शुरू करने में पांच से दस वर्ष का समय लग जाता है।

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत एल्यूमिनियम परियोजना कब तक तैयार हो जायेगी। उनको इस बारे में कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित करनी चाहिए मुझे आशा है कि इस कम्पनी में अगले तीन अथवा चार वर्षों में भी उत्पादन आरम्भ नहीं होगा।

देश में एल्यूमिनियम की सप्लाई अपर्याप्त है परन्तु इसके बावजूद भी सरकार एल्यूमिनियम के विद्यमान कारखानों में विस्तार की अनुमति नहीं दे रही है। देश को इस समय अधिक उत्पादन तथा पूंजी की आवश्यकता है ताकि लोगों के लिए रोजगार की अधिक व्यवस्था हो सके। मेरा निवेदन है कि सरकार एल्यूमिनियम तथा ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विस्तार में बाधा उत्पन्न न करे। अन्यथा कमी को दूर करना मुश्किल होगा और इसके फलस्वरूप कमी वाली वस्तुओं में चोर बाजारी होगी। इस सम्बन्ध में स्कूटरों का उदाहरण दिया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद की स्कूटरों में चोर बाजारी हो रही है सरकार नये व्यक्तियों को स्कूटरों के उत्पादन के लिए लाइसेंस नहीं दे रही है।

उर्वरकों की देश में बहुत अधिक मांग है। हम उर्वरकों के आयात पर प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। भविष्य में और भी अधिक व्यय होने की सम्भावना है। परन्तु इसके बावजूद भी सरकार ने उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए टाटा बंधुओं को लाइसेंस नहीं दिया है। उर्वरक कारखानों में क्षमता से बहुत कम उत्पादन हो रहा है। उदाहरणतया देश में उर्वरक उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 58 लाख टन है जबकि वास्तव में केवला 28 लाख टन का ही उत्पादन होता है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके कारण क्या हैं। 50 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का भी प्रयोग नहीं, किया गया है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : अधिष्ठापित क्षमता 58 लाख टन की नहीं है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठरी (हल्दिया): बरौनी पाइप लाइन परियोजना में सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी है क्योंकि इसका आयोजन ठीक नहीं हुआ था। अब यह कहा जा रहा है कि इस पाइप लाइन को हटाना पड़ेगा अथवा लगभग 75 किलोमीटर दूर करना पड़ेगा जिसका अर्थ है कि सरकार को लगभग 1.95 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। जो पाइप प्रयोग में लाये गये हैं वे भी घटिया किस्म के थे और कई स्थानों पर इनसे तेल रिसना शुरू हो गया था।

राय जांच समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा लगता है कि घटिया किस्म के पाइपों की मंजूरी देने में कुछ अधिकारियों ने लाभ उठाया है।

हाल में तेल का खुदाई का कार्य रूस को सौंप दिया गया है। मेरे विचार में ऐसा राजनीतिक कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सक्रिया बनाने की आवश्यकता है। इस आयोग में कहीं कहीं एक दो कुओं से तेल निकालने के अलावा कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। देश में अशोधित तेल की बहुत कमी है और हमें इस कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा हमें अशोधित तेल के आयात पर प्रतिवर्ष लगभग 220 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ा करेंगे।

पेट्रो-रसायन समूह के क्षेत्र में विश्व के अन्य बहुत प्रगतिशील हैं। इस सम्बन्ध में अमरीका में नवीनतम मशीनों को प्रयोग में लाया जाता है। परन्तु हम रूमानिया से ड्रिलिंग के मशीनें खरीदते हैं जो कि एक बार एक तो बेकार सिद्ध हुई थी। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन खराब मशीनों को किन कारणों से आयात किया गया था।

साधारण वृद्धि मिट्टी के तेल का प्रयोग करता है। सरकार इसके उत्पादन को बढ़ाने के बजाये इस पर अधिक से अधिक उत्पादन शुल्क लगा रही है। माननीय मंत्री को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

श्री रंगा (श्रीमाकुलम) : पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के प्रतिवेदन में जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे पता लगता है कि अधिष्ठापित क्षमता 5,726,000 टन है और वास्तविक उत्पादन 2,796,000 टन है।

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं शुद्ध आंकड़े अपने उत्तर में बता दूंगा।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता—दक्षिण) : पेट्रोलियम न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

पेट्रोलियम के सम्बन्ध में हम कुछ विदेशी तेल कम्पनियों पर निर्भर हैं और हमें अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये उनके द्वारा मांगे गये मनमाने दाम देने होते हैं?

कुछ वर्ष पूर्व रूस सरकार ने हमें अशोधित तेल और पेट्रोलियम के अन्य उत्पादों को उन विदेशी कम्पनियों से सस्ते दामों पर खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जो यहां व्यापार कर रही हैं। जब सरकार ने अलग कम्पनियों से तेल शोधन कारखानों में रूस का अशोधित तेल प्रयोग करने का

अनुरोध किया तो उन्होंने जवाब दिया कि वे रूस सरकार के तेल को हाथ नहीं लगायेंगी। रूस सरकार के तेल की एक बूंद भी भारत के तेल शोधन कारखानों को नहीं दी गई।

रूस सरकार ने इन्हीं शर्तों पर क्यूबा को अशोधित तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा था। क्यूबा की विदेशी कम्पनियों ने उत्स तेल का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। क्यूबा सरकार ने इसके तुरन्त बाद विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारत सरकार ने क्यूबा की भांति विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया ?

भारत सरकार ने इन विदेशी कम्पनियों से तेल शोधन सम्बन्धी करार 1951 में किया था इस करार के अन्तर्गत सरकार ने उत्स तेल शोधन कारखानों का अपना कार्य आरम्भ करने के 25 वर्ष बाद तक राष्ट्रीयकरण न करने की गारंटी दी थी और उन तेल शोधन कारखानों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी थी कि उन्हें अशोधित तेल की सप्लाई के अपने साधन चुनने की पूर्ण छूट है। उत्स वेवकूफी के करार का सामान्य व्यापारिक लाइसेंस में परिवर्तित न करने के क्या कारण हैं।

यदि सरकार विदेशी तेल कम्पनियों का आज राष्ट्रीयकरण कर देती है तो हम सरकार को इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम उसको सफल बनाने में भरसक प्रयत्न करेंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारतीय तेल निगम के उच्चाधिकारी हमें तेल के सम्बन्ध में आत्म निर्भर नहीं होने देना चाहते। ये उच्चाधिकारी अपने लाभ के लिये राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण नहीं करना चाहते।

कुछ समय पूर्व तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपना कारखाना स्थापित करने के लिये आसाम में चाय बागान का कार्य करने वाली एक ब्रिटिश फर्म से 200 एकड़ भूमि, जिसकी वास्तविक कीमत 14 लाख रुपये थी, खरीदना चाहता था। उत्स विशेष भूमि बंजर भूमि थी और वहां किसी भी प्रकार के बागान नहीं लगाये जा सकते थे। लेकिन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उसके लिये 24 लाख रुपये दिये। उन 10 लाख रुपयों का क्या बना ? लेखा परीक्षा सम्बन्धी गम्भीर आपत्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

1965 में लाकवा चाय बागान की भूमि एक भाग की तेल निकालने के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आवश्यकता हुई। इसके लिये 5 रुपया प्रति संयंत्र के हिसाब से मुआवजा देना निश्चित किया गया। वहां 2 लाख संयत्र लगाये जाने थे जिसके लिये 10 लाख रुपया मुआवजा देने का निर्णय किया गया। लेकिन सरकार ने उसके लिये 24 लाख रुपया मुआवजे के रूप में दिया और उसका तुरन्त भुगतान न कर उत्स राशि की भुगतान किश्तों में किया गया। इतनी अधिक राशि का मुआवजे के रूप में भुगतान करने के विरुद्ध लेखा परीक्षक ने बहुत आपत्ति की है। लेखा परीक्षक पुस्तकों से आज भी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सकता है।

तेल तथा प्राकृतिक निगम के अध्यक्ष श्री एल० जे० जोन्सन वर्ष में तीन या चार बार विदेशों का दौरा करते हैं और जब भी वह विदेशों का दौरा करते हैं अपने साथ किन्हीं श्री खेमका को ले जाते हैं। उन्हें श्री खेमका के दौरे के लिये विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त होती है ? क्या सरकार श्री जोन्सन और ब्रिगेडियर ढिल्लन द्वारा भारत तथा विदेशों के बैंकों में जमा की गई पूंजी के बारे में जांच करेगी ?

Shri G. Venkata Swamy (Siddipet) : 3,400 workers are on strike in I. D. P. L. Synthetic Drugs, Hyderabad. The Government should interfere in this matter and should solve this problem. They want an increase in their wages. The wages of the workers have been increase in Bharat Electricals, H. M. T. and H. A. L. The demands of the workers of I. D. P. L. Synthetic have not been accepted.

The chairman did not visit that place even after 30 days of the strike. On the one hand Government talk of socialism and on the other it does not like to pay the reasonable wages to its workers.

The Government never bother to settle the disputes of the workers and the employers. They resort to strikes for their livelihood and therefore, it is our duty to give them proper representation.

Some vested interests are also working in this synthetic and Drugs industry. It was expected to make a profit of rupees ten crores. The Government should seriously consider about those vested interest.

We were requested to make efforts to end the strike. We had a Meeting with Dr. Triguna Sen but the Chairman flew to Hyderabad.

These is only one union there. Not a single worker has gone to work in that factory. False pamphlets are being distributed to regarding starting of work in that factory. The Minister should issue a directive to the Chairman to settle the matter. Factories working in private sectors try to solve their labour disputes as early as possible because they are aware of their Rosses as a result of these strikes. But the factories working in public sectors never bother. because they feel that they are not going to lose by these striks. It is only the Government who loses.

We are losing lakhs of rupees in public sector industries due to mis management. These has been a loss of rupees one crores due to this strike. Do your Socialism mean that. the workers should not fight for their rights and they should surrender to their Officers ?

We have been demanding that the local talented persons should be appointed in these public undertakings. It dose not mean that outsiders should not be appointed in these undertakings . But it means that local talented persons should not be iqnored.

In case their strike is not successful do you think that they will work honestly ? They will always have in their minds that their officers are their enemies. They have been demanding less wages as compared to the demand in other public undertakings. You should atleast pay that amount to them. You should try to have some settelement between the workers and the employers in the interest of the country.

An Enquiry Committee should be set up to go into this matter, It should also enquire the causes of increasing unrest amongst the workers.

They should be paid at least according to the wages paid in the public sector undertakings of the Government of India.

श्री पी० विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : देश की अर्थ-व्यवस्था के मामले में इस मंत्रालय का बहुत बड़ा हाथ है। इस मंत्रालय के नियंत्रण में सबसे अधिक संख्या में सरकारी उपक्रम हैं और देश का भविष्य और अर्थ व्यवस्था इन सरकारी उपक्रमों के सफलता पूर्वक काम करने पर निर्भर है। इस मंत्रालय के बहुत से सरकारी उपक्रमों के कार्य से हमें बहुत निराशा हुई है।

उर्वरक और रसायन त्रावनकोर (FACT) देश का बहुत पुराना औद्योगिक एकक है और

इसके बारे में लोकसभा के लगभग प्रत्येक सत्र में गर्मा गर्म बहस होती है। इसके बारे में पूछे गये प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही जवाब दिया जाता है कि "इस बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है।" सरकार सभा को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं देती ?

इस उपक्रम के सम्बन्ध में 33 सिफारिशें की गई हैं और समिति द्वारा उक्त कार्य के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगाये जाने के बावजूद भी उसकी दशा में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उक्त कारखाने के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी थी। लेकिन श्री द० रा० चव्हाण ने उक्त कारखाने का दौरा किया और उक्त प्रबन्ध निदेशक की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे। क्या यह सभा का अपमान नहीं है ?

उक्त कारखाने को अन्य सरकारी उपक्रमों के लिये आदर्श होना चाहिये था। दुर्भाग्य से यह कारखाना भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची, पक्षपात और भाई भतीजे बाद के लिये आदर्श है। डा० त्रिगुन सेन द्वारा इसमें होने वाली फिजूल खर्ची को स्वीकार किया गया था लेकिन इसमें सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यद्यपि इस कारखाने को कार्य करते 23 वर्ष हो गये हैं तथापि इसमें उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का केवल 50 प्रतिशत है ? वास्तव में उक्त कारखाने में उत्पादन में कमी हुई है।

अप्रैल से सितम्बर, 1969 तक उक्त कारखाने में 76,704 टन उत्पादन हुआ जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 80,000 टन उत्पादन हुआ।

कारखाने के वर्तमान प्रबन्धक अन्य औद्योगिक एकको पर भी बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। इस सम्बन्ध में हाल ही में की गई जांच से पता लगता है कि उर्वरक और रसायन त्रावनकोर के प्रबन्ध निदेशक ने अनियमित तरीके से टी० सी० सी० के प्रबन्धक पर टी० सी० सी० उत्पादों को बेचने के लिये प्रभाव डाला था।

उक्त कारखाने के कार्य में सुधार करने के हमारे प्रयासों के बावजूद भी उक्त कारखाने के कार्य में सुधार नहीं किया गया है।

दक्षिण भारत राज्यों में स्थित चार कारखानों में से यह ही पहला सरकारी क्षेत्र का कारखाना है जिससे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को आंमन्त्रित किया गया जबकि उक्त कारखाने में कानून व्यवस्था असमान्य नहीं थी।

कुछ समय पूर्व समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि उक्त फर्म के प्रबन्ध निदेशक का स्थानान्तरण किया जा रहा है और उनके स्थान पर डा० मुकर्जी की नियुक्ति की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उक्त निर्णय में परिवर्तन करने के क्या कारण थे।

यह कहा गया है कि 1968-69 में फैक्टरी घाटे में चल रही थी पर फैक्ट के अनुसार उसने 32 लाख रुपयों का मुनाफा कमाया। 1963 से, जब से वह सरकार के पास आई और नए प्रबन्धक की नियुक्ति हुई, किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई। 7 को उससे पहले लाभांश दिया जाना था।

श्री दा० रा० चव्हाण : फैक्ट के कार्यकरण का जिक्र किया गया है। जो भी तथ्य हैं उनको हमने किसी तरह भी नहीं छिपाया है। स्थिति यह है कि फैक्ट में पिछले कुछ वर्षों में उसकी स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो पाया। इसके कई कारण रहे जैसे तकनीकी दिक्कतें, बिजली की कमी आदि। इसके फलस्वरूप पिछले चार वर्ष में 10 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसे रोकने के उपाय किए जाने चाहिए तथा उसमें इस सीमा तक सुधार तो अवश्य ही किया जाये कि यदि स्थापित क्षमता के बराबर उत्पादन न हो पाए तो कम से कम सम्भाव्य सीमा तक उत्पादन तो होना ही चाहिए।

कुछ समय पूर्व इसकी जांच के लिए नियुक्ति की गई सभी समिति ने कुछ तकनीकी सिफारिशें की थीं, जिन्हें प्रबन्धक लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई, पर अगले साल इसमें कमी हुई तथा 1969-70 में प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता का 58.6 प्रतिशत हुई।

उर्वरक के उत्पादन लक्ष्य की बात यहां कहीं गई है। चौथी योजना में यह लक्ष्य 370 लाख टन की क्षमता का रखा गया है। यदि हम इस क्षमता को बनाने में असफल हुए तो हम उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा में उर्वरक का उत्पादन कर लेंगे। चालू परियोजनाओं की क्षमता 13 लाख टन है तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बन रही तथा बनने वाली परियोजनाओं के पूरा होने पर यह क्षमता 58 लाख टन और बढ़ जायेगी। चौथी पंच वर्षीय योजना में इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए हम बड़े उत्सुक हैं, परन्तु इस लक्ष्य के पूरा होने पर भी 62 लाख टन की कमी रह जायेगी। इसके लिए हम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नियोजित क्षमता को प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि भूमि की जितनी क्षमता नष्ट होती है उसे पूरा किया जा सके। और जो अनाज और उर्वरक हमें आयात करना पड़ता है वह न करना पड़े तथा देश की खाद्य सम्बन्धी बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

इस स्थिति को देखते हुए हमें गोआ फर्टिलाइजर कारखाने पर, जिसे 1966 में लाईसेंस दिया गया था, फिर से विचार करना होगा इसके सम्बन्ध में अखबारों में तथा प्रश्नों के द्वारा काफी आलोचना हुई है। इस कारखाने पर 56.60 करोड़ रुपये की लागत आयेगी जिसका कुछ भाग ऋण के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन तथा बैंक ऑफ अमरीका से लिया गया है तथा जिसका उन्हें भुगतान करना है। यह कहा गया है इसे विदेशी मुद्रा का क्या होगा। कारखाने में प्रतिवर्ष 38 करोड़ रुपये का उर्वरक का उत्पादन होगा और ऋण का भुगतान करने तथा बाहर से कच्चा माल मंगाने पर कुल 5.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे इस प्रकार 30 से 32 करोड़ का शुद्ध लाभ होगा।

लाभांश देने की बात भी कही गई है; पर वह तभी दिया जा सकता है जबकि कारखाना चलने लगे और उसे लाभ होने लगे। 37 लाख टन की क्षमता बना लेने पर भी हमें 1047 करोड़ रुपए का उर्वरक आयात करना पड़ेगा। हमें इसे इस दृष्टि में देखना पड़ेगा।

एक अन्य सदस्य ने गुजरात को निकलने वाले अशोधित तेल का जिक्र किया है वहां अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के 200 कुओं से चार-पांच साल तक प्रति वर्ष 303 लाख टन अशोधित तेल निकलेगा। तथा इसके बाद वह धीरे-धीरे कम हो जायेगा। 1977-78 में केवल 141 लाख टन तेल निकलने की सम्भावना है।

उत्तरी गुजरात के तेल क्षेत्र से 3 या 4 वर्ष बाद 147 लाख टन की अत्यधिक सीमा तक तेल निकाला जा सकेगा, जो 1978-79 तक गिर कर 50 लाख टन रह जायेगा इस प्रकार अंकलेश्वर और उत्तरी गुजरात तेल क्षेत्रों से 191 लाख टन तेल निकलेगा।

कोयली तेल शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता 34 लाख टन है तथा बाद में इसके 45 लाख टन होने की सम्भावना है। पेट्रो-केमिकल कम्पलेक्स-एरोमेटिक्स, नेफ्था क्रेकर्स आदि पर हमारा 200 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है तथा 2.44 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गये यूडेक्स कारखाने में 33,000 टन बेनजीन तथा 14000 टन टोलून का उत्पादन होने की सम्भावना है जिसका 60 प्रतिशत केपरोलेक्टम कारखाने में प्रयोग किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में गुजरात राज्य उर्वरक निगम को पत्र लिखा जा चुका है। अन्य विवरण अभी यहां देश में उपलब्ध नहीं है आशा है शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा।

पैट्रो कैमीकल्स बनाने के लिये आवश्यक नेफ्था यहां उपलब्ध है या नहीं यह सवाल सामने है। इसके लिए 7,79,000 टन नेफ्था की आवश्यकता होगी। समस्या यह है कि जब तेल क्षेत्र की क्षमता कम हो जायेगी तब नेफ्था कहां से प्राप्त होगा।

अंकलेश्वर संसार सर्वोत्तम तेल क्षेत्रों में से एक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 207 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे पैट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स के लिए आवश्यक नेफ्था हम उपलब्ध करायेंगे। यदि कच्चा तेल नहीं मिला तो हम आयात करके अथवा अन्य साधनों से इसकी पूर्ति करेंगे।

गहरे समुद्र में छिद्रण करने की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में विभिन्न विदेशी फर्मों के सुझाव आए हैं। अब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ विदेशी फर्मों के सहयोग से असिस्टेंड ओनर आपरेशन के आधार पर छिद्रण करने का फैसला किया है। आर्थिक और तकनीकी सहायता के लिए कुछ विदेशी फर्मों में बातचीत चल रही है। यदि वहां तेल मिल गया तो पूर्ति और मांग का बहुत कुछ अन्तर समाप्त हो जायेगा।

यह कहा गया है कि पूर्ति और मांग में अन्तर बढ़ रही है। भारतीय पैट्रोलियम संस्था के अनुमान के अनुसार 1974-75 में देश में 320 से 340 लाख टन पैट्रोलियम उत्पादों की मांग होगी और उत्पादन 90 से 100 लाख टन होगा। इस प्रकार यह अन्तर 220 लाख टन होगा। पैट्रोलियम की मांग दिनोदिन बढ़ती जा रही है जो 1978 में बढ़कर 500 लाख टन हो जायेगी। अतः इस अन्तर को कम करने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा जहां कहीं भी तेल मिलने की सम्भावना होती है छिद्रण किया जाता है।

लगभग सभी वक्ताओं ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फर्मेस्यूटिकल्स लि० का जिक्र किया है। इसके अन्तर्गत स्थापित तीनों कारखाने घाटे पर चल रहे हैं। इन्हें कुछ 19 करोड़ का घाटा हुआ है। अब सवाल है कि क्या इन्हें उखाड़ फैंका जाये, तो यह नहीं किया जा सकता। हमें वास्तविकता का सामना करना है। रूसी और हमारे विशेषज्ञों ने इनका निरीक्षण करके कुछ उपाय सुझाए हैं, उनसे स्थिति सुधर रही है। तथा स्थिति को और सुधारने का हमारे प्रयत्न जारी है और विश्वास है कि 1972-73 तक स्थिति बहुत अच्छी हो जायेगी।

पारे की चोरी की बात कही गई है। यह सच है कि चोरी हुई है तथा मामला पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया गया है।

हड़तालों आदि का भी जिक्र हुआ। इससे प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख रुपये की हानि हो रही है। इस सम्बन्ध में मजदूरों और प्रबन्धकों से बातचीत चल रही है और आशा अच्छे परिणाम निकलेंगे

** खाद्य तेलों तथा अन्य चिकनाई वाले पदार्थों के उत्पादन और विक्रय पर हुआ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

** INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION AND MARKETING OF EDIBLE OILS AND FATS

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : देश की राजधानी दिल्ली में भी वनस्पति बड़ी कठिनता से प्राप्त हो रहा है। सरकार कहती है कि 'हरी क्रान्ति' से देश में कम आयात किया जायेगा, किन्तु स्थिति ऐसी बनी की आयात की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह तो सच है कि देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है किन्तु मूंगफली भी तो हरी फसल और कपास भी। सरसों तथा अन्य तिलहनों को भी हरी फसलें माना जाना चाहिए। इन फसलों के लिए भी हरित क्रान्ति में कुछ किया जाना चाहिए।

दिसम्बर के बाद वनस्पति के मूल्यों में चार बार वृद्धि हो चुकी है। यह वृद्धि क्रमश: 25 पैसे 20 पैसे और 30 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से हुई। इतनी विषय स्थिति पैदा होने का कारण यह है कि तिलहानों की उपज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गत तीन वर्षों में इनकी उपज में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। पहली, दूसरी, और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में मूंगफली के उत्पादन में क्रमश: 20, 34 और 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु इसके बाद से उसका उत्पादन घटना शुरू हुआ। मंत्रालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब तक किसानों को सिंचाई और ऋण आदि की सुविधा नहीं दी जाती तब तक इसका उत्पादन नहीं बढ़ सकता। सरकार की तिलहनों के बारे में क्या नीति है?

गत वर्ष आयात एक लाख टन सोयाबीन विदेशों से मंगाया गया था और इस वर्ष 46000 टन सोयाबीन, 2000 टन तोरिये का तेल और 5000 टन सूरजमुखी फूल का तेल का आयात किया जायेगा। क्या इस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। जब तक उत्पादकों को प्रोत्साहन नहीं किया जायेगा तब तक इनके उत्पादन में वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीयकरण की बात बहुत करती हैं। किन्तु वह वनस्पति जैसी आवश्यक वस्तु के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि वह आज ही वनस्पति मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करें। परन्तु उनमें इनकी हिम्मत कहां है। वह तो लोगों को बेवकूफ बनाना जानती हैं।

खाद्य तेलों के आयात पर 2300 प्रति टन खर्च करना पड़ता है इस वर्ष उन्होंने 175 लाख टन तेल का आयात किया है। अच्छा तो यह हो कि तिलहनों, विशेषत: मूंगफली का उत्पादन अपने देश में ही पर्याप्त मात्रा में हो किया जाये। प्रोत्साहन के रूप में सरकार को मूंगफली और

** आधे घंटे की चर्चा

* Half-an Hour Discussion.

अन्य तिलहनों के लिए समर्थन-मूल्य निर्धारित किया जाये, किसानों को सिंचाई और ऋण आदि की सुविधाएँ दी जाये। बाजार की सुविधा भी उन्हें प्राप्त हो बिचौलियों की स्थिति को भी समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि वे उत्पादकों से खरीद लेते है और फिर ये पूँजीपती वनस्पति को पूर्णतः अपने नियंत्रण में रखते हैं। सरकार पर दबाव देकर मूल्यों में वृद्धि कराते रहते हैं। अतः मैं, श्री शिन्दे से निवेदन करता हूँ कि वह मूंगफली के उत्पादकों की सहायता करें।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं डा० राम सुभग सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई है। यह तो सच है कि देश में खाद्य तेलों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि हुई हैं। वनस्पति के मूल्य खाद्य तेलों के मूल्यों पर आधारित होते हैं। यदि खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि होगी तो वनस्पति के मूल्यों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। किन्तु गत वर्ष खाद्य तेलों के मूल्यों में 42 से 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वनस्पति के मूल्यों में केवल 31 से 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संसद सदस्य कई बार यह प्रश्न उठाते हैं कि वनस्पति के मूल्य को स्थायी रूप से नियन्त्रित क्यों नहीं कर दिया जाता। वनस्पति के मूल्य नियन्त्रित हैं। इसके अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग को यह मामला सौंप दिया गया है। वनस्पति उद्योग के लागत-ढांचे का अध्ययन करके यह आयोग सिफारिश देगा जिसके आधार पर समय-समय पर वनस्पति का मूल्य निर्धारित किया जाया करेगा।

तिलहनों के बारे में कठिनाई यह है कि देश में यह फसलें अधिकांश में सिंचाई-साधन विहिन क्षेत्र में बोई जाती हैं और ये वर्षा पर आधारित रहती हैं। यही कारण है कि उर्वरक या पाद्य संरक्षण जैसी अन्य सुविधाओं का उक्त फसलों पर सिंचाई के अभाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्भाग्य यह है कि मूंगफली का बुवाई-क्षेत्र बढ़ता जा रहा है किन्तु उसका उत्पादन घटता जा रहा है। अब हमें देखना यह है कि मूल्यों में वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है। हमें तिलहनों के उत्पादन के लिए सुनियोजित प्रयास करना होगा। इसके लिए अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। इस दिशा में मंत्रालय कार्य कर रहा है। गरीब किसानों के लिए ऋण और बाजार की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। हम यह प्रयास करेंगे कि किसानों को ऋण, बाजार सम्बन्धी और अच्छे बीजों की सुविधाएं प्राप्त हो जायें। मूल्य निर्धारण का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि कृषि मूल्य आयोग ने न्यूनतम मूल्य न निर्धारित करने का परामर्श दिया था फिर भी यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंप दिया गया है।

मेरा विचार है कि अब देश के लिए यह उचित नहीं रहेगा कि वह परम्परागत तिलहनों पर ही आधारित रहे। अब हमें नये प्रकार के तिलहनों की खेती भी करनी चाहिए। सोयाबीन, जो पहले केवल चीन और जापान तक ही सीमित था, अब अमरीका में खूब पैदा होता है और सोयाबीन की उपज के लिए भारत की भूमि और जलवायु भी अनुकूल है। अब हम सोयाबीन का बुवाई-क्षेत्र 10,000 एकड़ से बढ़ाकर 50,000 से 1,00,000 तक करना चाहते हैं। जहां तक सोयाबीन के विपणन का सम्बन्ध है, उसे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 85 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीद लिया जायेगा। सोयाबीन के अतिरिक्त सूरजमुखी की खेती भी भारत में हो सकती है। अतः इन दो नये तिलहनों को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही परम्परागत तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा भी तैयार की गई हैं। सरकार तिलहनों का उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरी) : यह आश्वासन दिया गया था कि भारतीय खाद्य निगम कृषि उपज की कुल मात्रा खरीद लेगा, किन्तु यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। जब बाजार में कोई माल अधिक आने लगता है तो किसानों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पहले मूल्यों पर महीनेवार विचार किया जाता था, अब वह पाक्षिक आधार पर होने लगा है। सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है जिससे इनका उत्पादन घटने न पाये और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता रहे। आप ऐसी कार्यवाही क्यों नहीं करते जिससे मिलों को कच्चा माल लगातार मिलता रहे, वनस्पति का उत्पादन होता रहे और उपभोक्ता को भी कष्ट न हो। आपकी वर्तमान नीति किसान-विरोधी भी है और उपभोक्ता-विरोधी भी।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubansi) : In the conference held on production and marketing of edible oils in London it was said that there are some obstacles as regards the export of edible oils. One of them is that developed countries adopt the policy of support price in respect of production and export of edible oils. May I know; such obstacles are being faced by India also, if so the steps taken to remove them ? I also like to know whether the import and export of edible oils will be nationalised in India. and the effect of increase in acreage of oil seeds on the acreage of foodgrains.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Sir, in our country the prices of edible oils are constantly going up. There has been an increase of 41 per cent in the prices of edible oils. I would like to know whether there has been corresponding increase in the prices of oil seeds whether any scheme has been prepared to achieve self-sufficiency in edible oils; and the steps taken to stop the export of oil cake in order to make it abundantly available in the country for yeiding cattles.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : श्रीमती शारदा मुकर्जी हर मामले में राजनीति के दर्शन करती हैं। सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर वस्तु उपलब्ध हो। यदि वनस्पति के मूल्यों को समय-समय पर बढ़ाया और घटाया जाता है तो इसमें कोई राजनीति नहीं छिपी है। बात सीधी-सी है। यदि उन तेलों को कीमत बढ़ जाती है, जिनसे वनस्पति तैयार होता है तो वनस्पति के मूल्यों में भी बृद्धि की जाती है। खाद्य तेलों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ वनस्पति के मूल्य भी घटते-बढ़ते हैं। इसी प्रयोजन से वनस्पति-उत्पादकों और सरकार के बीच समय-समय पर बातचीत होती है। खाद्य तेलों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का वनस्पति के मूल्य पर प्रभाव तो अवश्य पड़ता है, किन्तु उसी अनुपात में नहीं पड़ता, क्योंकि हम खाद्य तेलों का विदेशों से आयात करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि इनका आयात बन्द किया जाये, किन्तु इसे एकदम बन्द नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो वनस्पति के मूल्य एकदम बढ़ जायेंगे।

समर्थन-मूल्य के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि प्रोत्साहन के रूप में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। जैसे गेहूं आदि के मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिये हैं। किन्तु तिलहनों के मामले में हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। मूंगफली के समर्थन मूल्य के बारे में कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से अध्ययन किया जा रहा है।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, हमारे यहां से खाद्य तेलों का निर्यात नहीं किया जाता।

एक माननीय सदस्य ने बुवाई-क्षेत्र के बारे में पूछा है। वाणिज्यिक-फसल होने के नाते किसान मूंगफली अधिक क्षेत्र पर बोते हैं। हम चाहते हैं कि किसी एक वस्तु की उपज में वृद्धि से दूसरी वस्तु का उत्पादन न घटे। रूई, पटसन, मूंगफली तथा अन्य अनाज सभी की फसलें महत्वपूर्ण हैं। हम चाहते हैं कि सभी का उत्पादन बढ़े। श्री रामावतार शास्त्री ने राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा है। केन्द्रीय सरकार का विचार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का नहीं है। चूंकि किसान अपनी उपज को फसल कटते ही बेच देते हैं अत: वे फसल के बाद मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव से लाभान्वित नहीं होते। राशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से तिलहनों का वायदा-व्यापार बन्द कर दिया गया है और व्यापारियों को सट्टे-व्यापार के लिए ऋण न देने के आदेश रिजर्व बैंक को दे दिये गये हैं। जहां तक खली का सम्बन्ध है, उससे काफी अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के हित में खली का निर्यात करना उचित ही है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सरकार की कठिनाई समझेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 14 अप्रैल 1970/24 चैत्र 1892 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 14th April, 1970/24 Chaitra 1892 (Saka).

Printed at Law Publishing House, Allahabad.